दीक्षांत
Education Centre

दीक्षांत समसामयिकी

दिसम्बर 2022

क्या है खास....

- 103वें संशोधन की संवैधानिक वैधता पर निर्णय
- आसियान-भारत शिखर सम्मेलन
- ई-कचरा (प्रबंधन) नियम 2022
- कॉप-27, जलवायु वित्त और भारत
- जी-20 शिखर सम्मेलन 2022
- पेरिस शांति फोरम
- वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022
- आर्टेमिस 1 मिशन
- मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट
- सॉवरेन ग्रीन बांड फ्रेमवर्क
- वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन (GOWA)

करेंट अफ़ेयर्स की बेहतर तैयारी हेतु
दीक्षांत एप पर निःशुल्क करेंट अफ़ेयर्स क्लास
में अवश्य भाग लें।

दीक्षांत ऐप डाउनलोड
करने के लिए
QR Code स्कैन करें।

VISIT US: DIKSHANTIAS.COM
9312511015
8851301204
FACEBOOK.COM /DIKSHANT.IAS.7
YOUTUBE.COM /DIKSHANTIAS
TWITTER.COM /DIKSHANTIAS
INSTAGRAM.COM /DIKSHANTIAS
T.ME/ DIKSHANTIAS

DIKSHANT | दीक्षांत

19 वर्षों से ईमानदार प्रयास

समाजशास्त्र

वैकल्पिक विषय

Dr. S.S. Pandey Sir

FREE WORKSHOP

ऑनलाइन
ऑफलाइन

DOWNLOAD

DIKSHANT IAS EDUCATION APP

06 Dec.

@9 AM

नामांकन प्रारंभ / सीमित सीटें

TO REGISTER INSTALL DIKSHANT APP/ADD: 704 ,GROUND FLOOR, MAIN ROAD, FRONT OF BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09

दीक्षांत समसामयिकी

दिसम्बर, 2022

मुख्य संपादक
डॉ. एस एस पाण्डेय
डायरेक्टर
शिप्रा पाण्डेय
कार्यकारी संपादक
राकेश पाण्डेय
सह-कार्यकारी संपादक
साकेत आनंद
प्रबंधन परामर्श
शंकर भारती, मरीना
सम्पादन सहयोग
विपिन, नीरज, विकास तिवारी, मो. शोएब, सुधीर प्रसाद, अभिजीत, प्रकाश जायसवाल, मनोज सिंह
टाइप सेटिंग व डिज़ाइनिंग
सूर्यजीत, पूजा, सुनील
संजय, प्रवीण

****

- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किए गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, विभिन्न समाचार पत्रों एवं वेबसाइटों से गैर-व्यवसायिक एवं शैक्षणिक उद्देश्य से लिये गये हैं और हम इसके लिये उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

प्रधान कार्यालय
289, ढाका जौहर, दशहरा ग्राउन्ड के नजदीक, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
संपर्क कार्यालय
704, बत्रा सिनेमा के सामने, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
मोबाइल: 7428092240, 9312511015, 8851301204
ई-मेल: dikshantias2011@gmail.com, वेबसाइट: www.dikshantias.com

अनुक्रम

न्यूज एक्सप्लेनर

- 103वें संशोधन की संवैधानिक वैधता पर निर्णय 6
- आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और इसके निहितार्थ 9
- ई-कचरा (प्रबंधन) नियम 2022 12
- एससीओ शासनाध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक 15
- कॉप-27, जलवायु वित्त और भारत 17
- भारत में पराली दहन 20
- क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) 22
- जी-20 शिखर सम्मेलन 2022, बाली घोषणा और भारत 25
- भारत की मातृभाषा सर्वेक्षण और इसके निहितार्थ 27
- भारत के शहरी बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण: विश्व बैंक रिपोर्ट 30
- भारत में बाल विवाह और विधिक हस्तक्षेप 33
- भारत-रूस द्विपक्षीय वार्ता 36
- लाभ का पद 39
- वन नेशन, वन पुलिस यूनिफॉर्म 41

राष्ट्रीय घटनाक्रम

- एनएफएसए से 8 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 33.4% की वृद्धि 45
- सरकारी पदों में आरक्षण और नौवीं अनुसूची 46
- तृतीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन –'नो मनी फॉर टेरर' 47
- ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला 48
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 49
- यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण: 'अ डिकेड ऑफ पॉक्सो' विश्लेषण 50
- राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) 51
- विनियमन और पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर 52
- डिजिटल शक्ति 4.0 53
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना (EMRS) 54
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) 55
- राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन (NTTM) 56
- पेसा अधिनियम और धर्मांतरण 56
- संशोधित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 57
- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना 58
- भारत का पहला जल में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर 59
- एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई-प्लस) 2021-22 रिपोर्ट 60
- 2020-21 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 61
- भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 61
- मलेरिया 62
- 15वें शहरी गतिशीलता भारत (अर्बन मोबिलिटी इंडिया-यूएमआई) सम्मेलन 63
- सीमा दर्शन परियोजना 64
- 'ऑड-ईवन' वाहन राशनिंग योजना 65
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 66

- चुनावी बांड 67
- शिकायत निवारण सूचकांक 68
- राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना 70
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन (एसपीएमआरएम) 70
- सार्वजनिक महत्व की सामग्री के प्रसारण संबद्ध नए दिशा-निर्देश 71
- वीरांगना सेवा केंद्र 72
- यूनेस्को-भारत-अफ्रीका हैकाथॉन 2022 72
- राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा 73
- संगई महोत्सव 73

अंतरर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

- अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची और भारत 74
- बिम्सटेक के कृषि मंत्रियों की द्वितीय बैठक 75
- भारत-नॉर्वे संबंध 76
- 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 77
- मध्य-पूर्व हरित पहल शिखर सम्मेलन 2022 77
- जी20 78
- व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) 78
- ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी 79
- आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल होगा पूर्वी तिमोर 80
- पेरिस शांति फोरम 80
- मालाबार नौसैनिक अभ्यास-2022 80
- बेंजामिन नेतन्याहू ने इज़राइल में सत्ता में वापसी की 81
- घाना ने 1 नवंबर 2022 को UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की 81

अर्थ जगत

- भारत का आर्थिक विकास 82
- खुदरा मुद्रास्फीति 82
- "इन अवर लाइफटाइम" अभियान 83
- भारत के फार्मा उत्पादों के निर्यात में 138% की वृद्धि दर्ज की गई 83
- एफएसएसएआई ने जीएम खाद्य नियमों के लिए नया मसौदा जारी किया 83
- नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स-2022 84
- सरकार ने पीएसयू बैंकों के प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों का अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर 10 साल कर दिया 84
- 'ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022' 85
- निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटानों की अनुमति 85
- रूस भारत का पिग आयरन का सबसे बड़ा निर्यातक बना 85
- 60 लाख मीट्रिक टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति 85
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (आईआईपीडीएफ) योजना अधिसूचित 86
- वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 86

विज्ञान एवं तकनीकी

- इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर 88
- जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय कोष 89
- भारत का पहला निजी रॉकेट 18 नवंबर 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया 89
- 'फ्लडहब' प्लेटफॉर्म लॉन्च 89
- डब्ल्यूएचओ ने पहली बार स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक फंगल संक्रमण सूची जारी की 90

- सरकार ने शाकनाशी 'ग्लाइफोसेट' के उपयोग को प्रतिबंधित किया 90
- आर्टेमिस 1 मिशन 90

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलेरेटर (ईटीए) 91
- मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट 91
- सॉवरेन ग्रीन बांड फ्रेमवर्क 93
- इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएशन एक्सेलेरेटर फंड (IRAF) 94
- वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन (GOWA) 94
- लीथ सोफ्टशेल कछुआ 95
- ब्लैक-नेप्ड तीतर-कबूतर 95
- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (CITES CoP19) 96
- रेड-क्राउन रूफ्ड टर्टल 96
- जी7 'ग्लोबल शील्ड' पहल 97
- नेट-जीरो ग्रीनवाशिंग 97
- पश्चिमी घाट में मधुमक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की गई 97
- पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से डैमसेलफ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई 98

खेल जगत

- नोवाक जोकोविच ने छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीतकर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की 99
- मनिका बत्रा आईटीटीएफ-एटीटीयू एशियाई कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं 99
- अंडर-19 पुरुष टी-20 2024 99
- इंग्लैंड ने 2022 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता 99
- महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत 100
- तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) का नया अध्यक्ष चुना गया 100
- भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 जीता 101
- स्पेन ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता 101
- 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा 101

राज्यनामा

- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम (पेसा) लागू किया गया 102
- झारखंड सरकार ने छात्रों और युवाओं के लिए चार योजनाओं को मंजूरी दी 102

विविध

महत्त्वपूर्ण दिवस

- पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस: 3 नवंबर 2022 103
- सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की जयंती: 7 नवंबर 103
- राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022: 11 नवंबर 103
- विश्व मधुमेह दिवस: 14 नवंबर 104
- 'जनजातीय गौरव दिवस' 104
- राष्ट्रीय प्रेस दिवस : 16 नवंबर 104
- विश्व शौचालय दिवस: 19 नवंबर 105
- महान अहोम सेनापति लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती 105
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022: 25 नवंबर 105
- 17 वां प्रवासी भारतीय दिवस 106

नियुक्ति

- विनीत कुमार बने खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के सीईओ 106
- एआईसीटीई ने टी जी सीताराम को अपना चेयरमैन नियुक्त किया 106
- अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया 106
- सूरज भान को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया 107
- डॉ. अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया 107
- गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त 107
- ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया 107
- जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया 108
- न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली 108
- सुभ्रकांत पांडा को फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया 108

पुरस्कार और सम्मान

- गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 109
- वर्ष 2021 के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 109
- साहित्य 2022 का जेसीबी पुरस्कार खालिद जावेद की 'द पैराडाइज ऑफ फूड' को दिया गया 109
- दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 110
- 'प्रथम' को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 110
- आईसीएफपी 2022 110
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 111
- बिहारी पुरस्कार 111

निधन

- आधुनिक चुनावी विज्ञान के जनक सर डेविड बटलर का निधन 112
- इला भट्ट का 89 वर्ष की आयु में निधन 112

103वें संशोधन की संवैधानिक वैधता पर निर्णय

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप

प्रसंग

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय सुनाते हुए उल्लिखित किया कि ईडब्ल्यूएस कोटे से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं होता है।
- ज्ञातव्य है कि मामले की सुनवाई करते हुए पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में 3-2 के अंतर से अपना निर्णय सुनाया है।

103वां संविधान संशोधन अधिनियम

- सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के एक वर्ग के लिए भारत में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करने की मंशा से अधिनियमित
- इसने संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) को शामिल किया, ताकि अनारक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त हो सके।
- अनुच्छेद 15 और 16 में एससी, एसटी एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रमश: 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था है।
- अनु. 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, वहीं अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर की गारंटी देता है।

क्या है मामला?

- भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की संविधान पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को नौकरी और प्रवेश में मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण के मामले की सुनवाई की सहमति व्यक्त की थी।
- विदित है कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष इस विषय पर बहस हो रही थी कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है।
- ईडब्ल्यूएस कोटा को चुनौती अगस्त 2020 में पांच-न्यायाधीशों की पीठ को सौंपी गई थी।
- पीठ ने 27 सितंबर को अपने निर्णय को सुरक्षित रख लिया था।

ईडब्ल्यूएस मामले से संबद्ध पृष्ठभूमि

- भारत के सभी राज्यों के मेडिकल संस्थानों में वर्ष 1986 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 'ऑल इंडिया कोटा' (AIQ) व्यवस्था का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया।
- विदित है कि ऑल इंडिया कोटा राज्य के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेज में सीटों का वो भाग है, जो राज्य के कॉलेज, केंद्र सरकार को प्रदान करते हैं।
- वर्ष 2007 तक इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि सभी राज्य अपने मेडिकल कॉलेज की 15 प्रतिशत अंडर ग्रैजुएट सीटें और 50 प्रतिशत पोस्ट ग्रैजुएट सीटें केंद्र सरकार को सौपेंगी।
- इसमें पहले एससी और एसटी का आरक्षण लागू किया गया। उसके बाद से ही इसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर मांग शुरू हुई। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने इस माँग को स्वीकार किया और 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी इसमें शामिल कर दिया।
- केंद्र सरकार के अनुसार; ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का लाभ वही छात्र उठा सकते हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है।

ईडब्ल्यूएस से जुड़े निम्नलिखित तीन प्रमुख मुद्दों की जांच

- क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए किया गया यह संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है?
- "क्या एसईबीसी (सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग) / ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) / एससी (अनुसूचित जाति) / एसटी (अनुसूचित जनजाति) को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से अलग रखकर" मूल संरचना का उल्लंघन किया गया है।
- इस कानून से राज्य सरकारों को निजी संस्थानों में दाखिले से जुड़े ईडब्ल्यूएस कोटा तय करने का अधिकार दिया गया है, क्या वह संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है या नहीं?

103वां संविधान संशोधन अधिनियम

- सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के एक वर्ग के लिए भारत में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से संसद ने 12 जनवरी, 2019 को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 को स्वीकृति प्रदान की।
- ज्ञातव्य है कि इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके आर्थिक आरक्षण की शुरुआत की गई। इसने संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) को शामिल किया, ताकि अनारक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जा सके।
- अनुच्छेद 15(6) प्रावधान करता है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% तक सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। ऐसे आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 16(6) में उल्लिखित है कि सरकार ईडब्ल्यूएस के लिए सभी सरकारी पदों में 10% तक आरक्षण देने का प्रबंध कर सकती है।
- संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रमश: 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था है।
- ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। वहीं अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर की गारंटी देता है।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए गठित समिति

- ईडब्ल्यूएस आरक्षण मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एसआर सिंहो की अध्यक्षता वाले एक आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था। मार्च 2005 में यूपीए सरकार द्वारा गठित आयोग ने जुलाई 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- सिंहो आयोग ने सिफारिश की थी कि समय-समय पर अधिसूचित सामान्य श्रेणी के सभी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों और उन सभी परिवारों को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से कर योग्य सीमा से कम है, को ईबीसी (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग) के रूप में पहचाना जाना चाहिए।

एसआर सिन्हो आयोग और ईडब्ल्यूएस की परिभाषा का निर्धारण

- रिटायर्ड मेजर जनरल एसआर सिन्हो कि अध्यक्षता में वर्ष 2006 में आर्थिक रूप से पिछड़ों पर एक आयोग का गठन किया गया था।
- वर्ष 2010 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- रिपोर्ट के मुख्य बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करके ईडब्ल्यूएस की वर्तमान परिभाषा का निर्धारण किया गया है।

एसआर सिन्हो आयोग द्वारा की गई सस्तुतियाँ

- इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक श्रेणी देने की संस्तुति की थी, जिसको ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के समान लाभ देने हेतु सिफारिश की गई थी।
- लाभार्थियों की पहचान के लिए जिन आधार को शामिल किया गया, उसमें पूछा गया कि क्या वे करों का भुगतान करते हैं, वे एक वर्ष में कितना कमाते हैं और कितनी भूमि के स्वामी हैं?
- आयोग की रिपोर्ट में उद्धृत किया है कि कुछ राज्यों में सामान्य श्रेणी और ओबीसी की निरक्षरता दर 'लगभग समान' है, यद्यपि, सामान्य जातियों में अशिक्षा की स्थिति एससी/एसटी/ओबीसी की तुलना में कम है।
- सिन्हो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट नोट में कहा गया कि शिक्षा, व्यवसाय, भूमि जोत, स्वास्थ्य और आवास जैसे कई मापदंडों पर औसत ओबीसी की तुलना में सामान्य वर्ग की स्थिति या तो उसके समतुल्य है या उससे खराब है।
- साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा, भूमि जोत, आवास आदि पर दोनों सामाजिक समूहों के निचले स्तर पर कमजोर वर्ग की स्थिति बहुत अलग नहीं है।
- सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि सामान्य वर्ग कुल आबादी का 31.2 प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग होगा।
- सिन्हो रिपोर्ट ने 2004-05 के एनएसएसओ सर्वेक्षण और 2001 की जनगणना को उद्धृत करते हुए दिखाया है कि सामान्य वर्ग में 18.2 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) है। निरपेक्ष रूप से इनकी संख्या 5.85 करोड़ है।
- 2010 की रिपोर्ट में उल्लिखित है कि एससी लोगों में बीपीएल की संख्या 2 करोड़ कम है, वहीं एसटी लोगों में बीपीएल की संख्या 1.60 करोड़ अधिक है।

ईडब्लूएस की पात्रता

- 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जनवरी, 2019 में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था।
- ईडब्ल्यूएस के लिए पात्रता के लिए केंद्र सरकार ने जो अधिसूचना जारी की थी, उसमें उल्लेखित था कि जिस परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, वो इस आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

कानून के तहत ईडब्ल्यूएस का दर्जा कैसे निर्धारित किया जाता है?

- 103वें संशोधन के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा 31 जनवरी, 2019 को रोजगार और प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस मानदंड अधिसूचित किए गए थे।
- 2019 की अधिसूचना के तहत, एक व्यक्ति जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की योजना के तहत कवर नहीं किया गया था और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम थी, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना था।
- अधिसूचना ने निर्दिष्ट किया कि "आय" का गठन क्या है और कुछ व्यक्तियों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी से बाहर रखा गया है, यदि उनके परिवारों के पास कुछ निर्दिष्ट संपत्तियां हैं।

ईडब्ल्यूएस निर्धारण के मापदंडों पर पुनर्विचार के लिए गठित तीन-सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपये के कट-ऑफ का मानदंड ओबीसी क्रीमी लेयर की तुलना में बहुत अधिक कठोर है।
- ओबीसी क्रीमीलेयर तय करने के मामले में, वेतन, कृषि और पारंपरिक कारीगरों के व्यवसायों से होने वाली आय को विचार से बाहर रखा गया

है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपये के मानदंड में खेती सहित सभी स्रोतों की आय शामिल है। परिणामतः एक ही कट-ऑफ संख्या होने के बावजूद, उनकी संरचना अलग-अलग है, इसलिए दोनों को समान नहीं कहा जा सकता है।

- ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए आय को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसमें महत्वपूर्ण अंतरों का उल्लेख करते हुए पैनल ने कहा कि ओबीसी के बीच 'क्रीमी लेयर' के तहत योग्य होने के लिए, घरेलू सकल आय लगातार तीन वर्षों तक प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए, जबकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्र होने के लिए, लाभार्थी की घरेलू आय पिछले वित्तीय वर्ष में 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों - ग्रामीण, शहरी, मेट्रो या राज्यों के लिए अलग-अलग आय सीमाएं होने से जटिलताएं पैदा होंगी, विशेष रूप से यह देखते हुए कि लोग नौकरियों, अध्ययन, व्यवसाय आदि के लिए देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तेजी से बढ़ रहे हैं। अलग-अलग क्षेत्रों के लिए आय की भिन्न-भिन्न सीमाएं सरकारी अधिकारियों और आवेदकों दोनों के लिए एक दु:स्वप्न के समान होगा।
- वर्ष 2019 से विद्यमान वर्तमान प्रणाली में किसी तरह के परिवर्तन से लाभार्थियों के साथ-साथ अधिकारियों के लिए भी अपेक्षा से अधिक जटिलताएं उत्पन्न होंगी। इस संबंध में समिति ने अगले शैक्षणिक वर्ष से नए मानदंड शुरू करने की संस्तुति की है।
- मानदंड को बीच में बदलने से देश भर के विभिन्न न्यायालयों में मुकदमेबाजी का परिणाम उन लोगों / व्यक्तियों पर होगा, जिनकी पात्रता अचानक बदल जाएगी। केंद्र सरकार नए मानदंडों को भावी रूप से लागू करने की समिति की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई है।

संशोधन को चुनौती देने का आधार

- इस मामले में प्राथमिक तर्क यह है कि संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। हालांकि बुनियादी ढांचे की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन इसका उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून असंवैधानिक समझा जाता है।
- वर्तमान मामले में यह तर्क इस दृष्टिकोण से प्रेरित है कि सामाजिक रूप से वंचित समूहों को गारंटीकृत विशेष सुरक्षा बुनियादी ढांचे का हिस्सा है और 103 वां संशोधन आर्थिक स्थिति के एकमात्र आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है।
- याचिकाकर्ताओं ने संशोधन को इस आधार पर भी चुनौती दी है कि यह सुप्रीम कोर्ट के 1992 के इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ के फैसले का उल्लंघन करता है, जिसने मंडल की रिपोर्ट को बरकरार रखा और आरक्षण को 50 प्रतिशत पर सीमित कर दिया।
- अदालत ने माना था कि पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए आर्थिक पिछड़ापन एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है।

मामले में केंद्र सरकार का पक्ष

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, में उल्लिखित है कि राज्य अपने कर्तव्य के रूप में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करे। लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करे और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाए।
- अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की चुनौती पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि 8 लाख रुपये की सीमा तक कैसे पहुंच गया। केंद्र ने अदालत से कहा कि वह आय मानदंड पर फिर से विचार करेगा और इस उद्देश्य के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन करेगा।
- सरकार ने अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ में एससी के 2008 के फैसले पर सहमति व्यक्त की, जिसमें अदालत ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत कोटा बरकरार रखा था।
- सरकार ने कहा कि "संवैधानिक संशोधन को बुनियादी ढांचे के उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
- केंद्र सरकार के अनुसार, ईडब्ल्यूएस तबके को समानता का दर्जा दिलाने के लिए ये व्यवस्था 'समय की मांग' है।
- केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इस व्यवस्था से आरक्षण पा रहे किसी दूसरे वर्ग को नुकसान नहीं है।
- 50% की सीमा का निर्धारण संवैधानक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से आया है।

आरक्षण (संवैधानिक उपबंध)

अनुच्छेद 15(1)

- नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 16(1) और 16(2)

- नागरिकों को किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार अथवा नियुक्ति में अवसर की समानता का आश्वासन देता है।

अनुच्छेद 15(4) और 16(4)

- समानता के लिए किए गए उपबंध सरकार को पिछड़े वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में शैक्षणिक संस्थानों या नौकरियों में प्रवेश के मामलों में विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता है।

अनुच्छेद 16(4ए)

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण से जुड़ी व्यवस्था को संवैधानिक समर्थन प्रदान करता है।

निष्कर्ष

- संविधान में सरकारी नीतियों का लाभ लक्षित समूह तक पहुंचाने के लिए आर्थिक उपाय किए जाने को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ऐसे में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों को शिक्षा और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक सरकार का एक ऐसा ही साहसिक और आवश्यक कदम था।
- इसमें संदेह नहीं कि सामाजिक रूप से उन्नत जातियों में भी गरीब हैं और उन्हें मदद की आवश्यकता है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में देश का एक बड़ा वर्ग शामिल है, जिसका उत्थान भी आवश्यक है।
- इस श्रेणी के लिए आरक्षण का उद्देश्य उन करोड़ों लोगों का उत्थान करना है, जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और इसके निहितार्थ

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** भारत और विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और समूह

प्रसंग

- हाल ही में, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, अनिश्चित भू-राजनीतिक परिदृश्य में पारस्परिक सहयोग को विस्तारित करने और सामरिक विश्वास को प्रगाढ़ करने जैसे मुद्दों को संदर्भित करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के मध्य 19वीं आसियान-भारत द्विपक्षीय शिखर बैठक संपन्न हुई।
- ज्ञातव्य है कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन सेन की उपस्थिति में नोम पेन्ह में चार समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ।

आसियान

आसियान स्वरुप और प्रादुर्भाव

- सदस्य देशों के मध्य आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना हेतु 1967 में गठित राजनीतिक और आर्थिक संगठन।

सदस्य देश

- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।

आसियान और भारत

- आसियान और भारत 2002 में शिखर-स्तर के भागीदार बने और 2012 में सामरिक भागीदार बने।
- वर्ष 2022 में आसियान-भारत संबंधों के 30 वर्ष पूर्ण हुए हैं।
- आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और भारत आसियान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

विमर्श के केंद्र बिंदु

- खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं को रेखांकित किया गया और वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष में ईएएस सदस्यों के पूर्ण योगदान का आह्वान किया गया।
- नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता के साथ मुक्त, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा देने में ईएएस तंत्र के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
- स्वास्थ्य संबद्ध मुद्दों को उठाते हुए चिकित्सा सूचनाओं के आदान-प्रदान और चिकित्सा अनुसंधान में सहयोग के साथ-साथ पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्रों की जानकारी आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने पर भीt विमर्श हुआ।
- दूसरा समझौता ज्ञापन जैव विविधता के संरक्षण और भारत से कंबोडिया में बाघों के स्थानांतरण को लेकर था।
- विदित है कि यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और यदि यह सफल होता है तो यह विश्व में पहली बार होगा, जहां एक देश से दूसरे देश में बाघ का स्थानांतरण होगा।
- आईआईटी जोधपुर और कंबोडिया के प्रौद्योगिकी संस्थान के मध्य सांस्कृतिक विरासत के डिजिटल संरक्षण के क्षेत्र में तीसरे समझौता ज्ञापन का भी आदान-प्रदान हुआ। कंबोडिया में भारतीय मूल के मंदिरों की मैपिंग में सहायता मिलेगी।
- संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UN Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
- संयुक्त घोषणा में व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया।
- आसियान देशों ने उभरती क्षेत्रीय संरचना में आसियान की केंद्रीयता के लिए भारत के समर्थन की सराहना की।
- क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि तथा आसियान एकीकरण और आसियान समुदाय-निर्माण प्रक्रिया में भारत के निरंतर योगदान की भी सराहना की गई।
- भारत और आसियान अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम, ड्रग्स और मानव तस्करी, और हथियारों की तस्करी सहित आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए।
- विदेश मंत्री जयशंकर के साथ शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कंबोडिया की यात्रा पर हैं।

19वीं भारत-आसियान शिखर बैठक और 17वीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक संबद्ध जानकारियाँ

स्मारक शिखर सम्मेलन के रूप में नामित

- उपराष्ट्रपति 19वीं भारत-आसियान शिखर बैठक में भाग लेने के लिए तीन दिवसीय (11-13 नवंबर) कंबोडिया की यात्रा पर थे।
- इस बैठक को भारतीय आसियान संबंधों के 30 वर्षों को चिह्नित करने के लिए स्मारक शिखर सम्मेलन के रूप में नामित किया गया है।
- इस वर्ष को आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है।

17वीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक और संबद्ध मुद्दे

- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडियाई राजधानी नोम पेन्ह में आयोजित 17वीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक में भाग लिया।
- बैठक में खाद्य और सुरक्षा पर भारत की चिंता पर प्रकाश डाला गया और मुक्त, खुले और नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता के साथ समावेशी इंडो-पैसिफिक को प्रोत्साहन देने में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) की भूमिका पर बल दिया गया।
- 17वें ईएएस की मेजबानी वर्तमान आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस) के अध्यक्ष कंबोडिया द्वारा की जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UN Convention on the Law of the Sea-UNCLOS)

- इसे लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन या लॉ ऑफ द सी ट्रीटी के रूप में भी जाना जाता है।

- यह विश्व के महासागरों के उपयोग के प्रति राष्ट्रों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है।
- समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन दुनिया के महासागरों और समुद्रों में कानून और व्यवस्था का एक व्यापक शासन स्थापित करता है, जो महासागरों और उनके संसाधनों के सभी उपयोगों को नियंत्रित करने वाले नियम स्थापित करता है।
- यूएनसीएलओएस वर्ष 1994 में प्रभावी हुआ।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ (आसियान)

स्वरुप और उद्देश्य

- यह एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों के मध्य आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रोत्साहन देना है।

प्रादुर्भाव

- इसकी स्थापना 1967 में पांच दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा की गई थी।
- ब्रुनेई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में सदस्य राष्ट्र के रूप में शामिल हुए।

आसियान के वर्तमान सदस्य देश

1.	ब्रुनेई	6.	म्यांमार
2.	कंबोडिया	7.	फिलीपींस
3.	इंडोनेशिया	8.	सिंगापुर
4.	लाओस	9.	थाईलैंड
5.	मलेशिया	10.	वियतनाम

आसियान प्लस थ्री

- यह एक मंच है, जो आसियान और चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के तीन पूर्व एशियाई देशों के मध्य सहयोग के समन्वयक के रूप में कार्य करता है।
- ध्यातव्य है कि आसियान प्लस थ्री (एपीटी) सहयोग प्रक्रिया दिसंबर 1997 में मलेशिया में दूसरे आसियान अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के अवसर पर आसियान और चीन, जापान और कोरिया गणराज्य (आरओके) के नेताओं के मध्य एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के आयोजन के साथ शुरू हुई।
- एपीटी शिखर सम्मेलन को 1999 में संस्थापित किया गया था, जब नेताओं ने फिलीपींस के मनीला में तीसरे एपीटी शिखर सम्मेलन में पूर्वी एशिया सहयोग पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया था।
- एपीटी पूर्वी एशिया में व्यापक क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने के लिए आसियान समुदाय विजन 2025 के कार्यान्वयन को समर्थन प्रदान किया है।

आसियान प्लस सिक्स

- आसियान + 6, 16 देशों का एक समूह है, जिसमें 10 आसियान सदस्य देश ब्रुनेई दारुस्सलाम, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, लाओस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम और अन्य छह देश चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत हैं।
- आसियान + 6 की अवधारणा आसियान आर्थिक मंत्रियों - जापान (एईएम-एमईटीआई) और एईएम + 3 (चीन, जापान, कोरिया), कुआलालंपुर के मध्य पहली बैठक में प्रस्तुत की गई।

आसियान शिखर सम्मेलन

- यह आसियान में सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय है, जिसमें राज्यों के प्रमुख या आसियान सदस्य राज्यों की सरकार शामिल है।
- शिखर सम्मेलन वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है।
- पहला आसियान शिखर सम्मेलन 1976 में बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था।

आसियान के उद्देश्य

- दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में शांतिपूर्ण, समुदाय आधारित, साझेदारी और समानता की भावना को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक प्रगति में तेजी लाना।
- राष्ट्रों के मध्य संबंधों और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के पालन में न्याय के लिए सम्मान और कानून के शासन को शामिल करके क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना।
- सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में पारस्परिक हित के विषयों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना।
- शैक्षिक, प्रशासनिक, तकनीकी और पेशेवर क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के माध्यम से सदस्य देशों की सहायता करना।
- कृषि और उद्योगों के बेहतर उपयोग, व्यापार विस्तार (अंतर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार की समस्या का अध्ययन सहित), संचार और परिवहन सुविधाओं में सुधार और लोगों के बीच जीवन स्तर में सुधार के लिए सहयोग करना।
- समान उद्देश्यों के अन्य अंतर्राष्ट्रीय समूहों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखना।

आसियान समुदाय के तीन स्तंभ

- आसियान राजनीतिक-सुरक्षा समुदाय
- आसियान आर्थिक समुदाय
- आसियान सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन

- आसियान-भारत शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह भारत और आसियान को उच्चतम स्तर पर पारस्परिक जुड़ाव का अवसर प्रदान करता है।
- पीएम मोदी ने अक्टूबर 2021 में आभासी रूप से आयोजित 18वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया था।
- इस साल के शिखर सम्मेलन में भारत के उपराष्ट्रपति ने भाग लिया है।

आसियान-भारत पारस्परिक सम्बन्ध

- आसियान और भारत 2002 में शिखर-स्तर के भागीदार बने और 2012 में सामरिक भागीदार बने।
- भारत की "इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव" और आसियान के "आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक" के मध्य पर्याप्त निकटता है।
- भारत का मत रहा है कि "क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास" के लिए एक "सामंजस्यपूर्ण और उत्तरदायी आसियान" समय की मांग है।

➲ वर्ष 2022 में आसियान-भारत संबंधों के 30 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इसे अक्टूबर 2021 में नेताओं द्वारा आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है।

आसियान-भारत मैत्री वर्ष

➲ वर्ष 2022 में आसियान-भारत संवाद संबंधों की 30वीं वर्षगांठ और आसियान के साथ भारत की सामरिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ है।

➲ फलतः, इस वर्ष को आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है।

➲ विशेष आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक (SAIFMM) को हाल ही में नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित किया गया था।

क्यों विशिष्ट?

➲ यह आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करेगा।

➲ भारत-आसियान सहयोग को कार्य योजना 2021-2025 द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिसे 2020 में अंगीकार किया गया था।

➲ कार्य योजना में व्यापार से लेकर समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु पारस्परिक सहयोग को प्रगाढ़ करने की परिकल्पना की गई है।

आसियान-भारत संबंध

बहु-स्तरीय सहभागिता

➲ आसियान के साथ जुड़ाव एक बहु-स्तरीय संपर्क प्रक्रिया है।

➲ शीर्ष स्तर पर आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन "आसियान-भारत शिखर सम्मेलन" है।

➲ शिखर सम्मेलनों को विदेश मंत्री स्तर "आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक" - एआईएफएमएम में बैठकों द्वारा समर्थित किया जाता है।

➲ भारत, आसियान के साथ एक घनिष्ठ संबंध साझा करता है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में योगदान देने वाले कई क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखता है, विशेष रूप से आसियान के नेतृत्व वाले तंत्रों के माध्यम से, जैसे- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच, एडीएमएम-प्लस।

दिल्ली संवाद

➲ दिल्ली संवाद आसियान और भारत के बीच राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक भागीदारी पर चर्चा करने के लिए एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है।

➲ यह वर्ष 2009 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है।

➲ भारत द्वारा सालाना आयोजित 'दिल्ली संवाद' (डीडी) तंत्र परंपरागत रूप से विदेश मंत्री के स्तर पर भारत और आसियान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।

➲ दिल्ली संवाद तंत्र भारत और आसियान क्षेत्र दोनों के थिंक टैंक, शिक्षाविदों और प्रमुख नागरिक समाज के व्यक्तियों के लिए साझा मंच प्रदान करता है।

➲ दिल्ली डायलॉग का 12वां संस्करण जून, 2022 में आयोजित किया गया था।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो-पैसिफिक

➲ इंडो-पैसिफिक का परस्पर संबद्ध भूगोल है, जहां आसियान इसके मूल में है।

➲ आसियान और भारत दोनों का मत रहा है कि मुक्त, समावेशिता, नियम-आधारित व्यवस्था, नौवहन की स्वतंत्रता और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हिंद-प्रशांत के मूल में है।

समुद्री संपर्क और सुरक्षा

➲ भारत हिंद महासागर से घिरा हुआ है और आसियान देशों की सीमाएं हिंद-प्रशांत जल से लगती हैं।

➲ यह भारत और अन्य देशों के लिए समुद्री सुरक्षा, व्यापार और व्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क की दिशा में काम करने हेतु अधिक अवसर का सृजन करता है।

➲ भारत एक खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक की दृष्टि के लिए आसियान के साथ मिलकर काम कर रहा है, जैसे- हिंद-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई), क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए (सागर)।

➲ भारत और कुछ आसियान देश हाल ही में शुरू किए गए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के सदस्य हैं।

चीनी प्रभुत्व

➲ दक्षिण चीन सागर में चीन की प्रगति की पृष्ठभूमि में कनेक्टिविटी, सुरक्षा और संरक्षा के संदर्भ में समुद्री सहयोग पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है।

➲ आसियान संग भारत कि घनिष्टता से क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे के खिलाफ भारत को बेहतर स्थिति प्राप्त होगी।

भारत-आसियान व्यापार संबंध

➲ सामान्यतः, आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत आसियान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो भारत के कुल व्यापार के 10.2% का प्रतिनिधित्व करता है।

➲ अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक आसियान के साथ भारत का कुल व्यापार 78.90 अरब डॉलर था। व्यापार संतुलन आसियान के लिए अत्यधिक अनुकूल है।

➲ दूसरी ओर, आसियान 2020 में चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।

➲ जनवरी से अप्रैल 2022 की अवधि में चीन के साथ आसियान का कुल व्यापार 274.50 अरब डॉलर था।

➲ आसियान और भारत ने 2022 तक 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है।

➲ 2000-2021 के बीच आसियान से भारत में संचयी एफडीआई $117.88 बिलियन था।

➲ अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक आसियान में भारतीय निवेश 55.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 51.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश सिंगापुर में किया गया है।

➲ आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा लंबे समय से लंबित है। भारत ने समझौते की शीघ्र समीक्षा का आह्वान किया है।

➲ विदित है कि एआईटीआईजीए 2010 से अस्तित्व में है।

भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई)

➲ इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (IPOI) का सुझाव सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान दिया था।

- यह भारत के समुद्री पड़ोसियों के क्षेत्रीय सहयोग के विस्तार और सुविधा के लिए सागर मिशन का भी हिस्सा है।
- इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का उद्देश्य समुद्री सीमाओं को मजबूत करना है। इसके लिए मुक्त व्यापार और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के सिद्धांत पर आधारित भागीदारी पर बल दिया जाता है।
- आईपीओआई देशों के लिए एक खुली, गैर-संधि आधारित पहल है, जो क्षेत्र में आम चुनौतियों के लिए सहकारी और सहयोगी समाधान के लिए मिलकर काम करती है।

आईपीओआई के सात स्तंभ

- समुद्री सुरक्षा
- समुद्री पारिस्थितिकी
- समुद्री संसाधन
- क्षमता निर्माण और संसाधन साझेदारी
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग
- व्यापार संपर्क और समुद्री परिवहन

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस)

- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) रणनीतिक वार्ता के लिए इंडो-पैसिफिक का प्रमुख मंच है।
- यह एकमात्र नेता-नेतृत्व वाला मंच है, जिस पर सभी प्रमुख हिंद-प्रशांत भागीदार इस क्षेत्र के समक्ष आने वाली राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर विमर्श करने के लिए मिलते हैं और निकट क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- 14 दिसंबर 2005 को कुआलालंपुर में आयोजित ईएएस के उद्घाटन में ऑस्ट्रेलिया ने एक संस्थापक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- ईएएस के 18 सदस्य हैं - दस आसियान देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम) और अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य के साथ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- 2021 में ईएएस सदस्यों ने विश्व की 53.1 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व किया और यह अनुमानित $ 57.2 ट्रिलियन मूल्य के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 59.5 प्रतिशत हिस्सा था।

निष्कर्ष

- चूँकि, आसियान का दक्षिण-पूर्व एशिया और आस-पास के क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका है, ऐसे में भारत के लिए आर्थिक और सुरक्षा कारणों से आसियान देशों के साथ पारस्परिक घनिष्ठ राजनयिक संबंध अपरिहार्य है।
- इसके अतिरिक्त कनेक्टिविटी परियोजनाओं, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और आतंकवाद का मुकाबला करने, कर की चोरी आदि से बचने के लिये आसियान देशों के साथ पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, द हिन्दू

ई-कचरा (प्रबंधन) नियम 2022

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र:** सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, पर्यावरण संरक्षण

प्रसंग

- हाल ही में, सरकार ने ई-कचरा (प्रबंधन) नियम 2022 को अधिसूचित किया।
- विदित है कि यह आगामी वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।

ई-कचरा और भारत

- भारत में वर्ष 2011 से ई-कचरे के प्रबंधन के लिये कानून प्रभावी हुआ।
- ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 एवं 2017 में अधिनियमित किया गया।

वैश्विक ई-अपशिष्ट निगरानी रिपोर्ट-2020

- 2019 में दुनिया भर में 5.36 करोड़ टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ था।
- प्रति व्यक्ति ई-कचरा उत्पादन के मामले में यूरोप अग्रणी है
- चीन (एक करोड़ टन) और संयुक्त राज्य अमेरिका (70 लाख टन) के बाद भारत ई-कचरा उत्पन्न करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है।
- 2019-20 के दौरान भारत में करीब दस लाख टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ था।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई-कचरा (प्रबंधन और प्रबंधन) नियम, 2011 के स्थान पर ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया।
- इस नियम के दायरे में कुल 21 प्रकार के उत्पाद (अनुसूची-1) शामिल किये गए हैं।
- इसमें अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अलावा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (CFL) और मरकरी पारा युक्त लैंप शामिल हैं।

अनुप्रयोग

- यह विनिर्माण, बिक्री, हस्तांतरण, खरीद, नवीनीकरण, निराकरण, पुनर्चक्रण और पुनर्चक्रण, ई-अपशिष्ट या विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रसंस्करण में शामिल प्रत्येक निर्माता, निर्माता नवीनीकरणकर्ता, विघटनकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता पर लागू होगा।
- यह नियम सभी विद्युत उपकरणों और रेडियोथेरेपी उपकरण, परमाणु चिकित्सा उपकरण और सहायक उपकरण, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई), बिजली के खिलौने, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव, टैबलेट, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और आईपैड आदि पर प्रभावी होगा।

प्रतिबंध

- रेडियोधर्मी सामग्री के संपर्क में आने से होने वाली मौतों के बाद सरकार ने बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के निर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सीसा, पारा, कैडमियम के उपयोग को कम करने का आदेश देता है।
- पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण
- निर्माता अंतिम उत्पाद को रिसाइकिल करने योग्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी या विधियों का उपयोग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न निर्माताओं द्वारा बनाए गए पुर्जे एक-दूसरे के अनुकूल हों, ताकि ई-कचरे की मात्रा को कम किया जा सके।

निगरानी व्यवस्था

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड खतरनाक पदार्थों के प्रावधानों में कमी के अनुपालन की निगरानी और सत्यापन के लिए बाजार में रखे गए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के यादृच्छिक नमूने (random sampling) का संचालन करेगा।
- यदि कोई उत्पाद ई-कचरा प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करता है, तो निर्माता को बाजार से सभी नमूने वापस लेने होंगे।

विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र

- ड्राफ्ट नियमों का उद्देश्य ईपीआर या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट (जो 2016 के नियमों का हिस्सा नहीं था) को प्रस्तुत करके पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट रिसाइकलरों को प्रोत्साहित करना है।

ई-कचरा विनिमय सुविधाएं

- EPR में उत्पादकों को संग्रह और पुनर्चक्रण की सुविधा के लिए ई-अपशिष्ट विनिमय सुविधाएं स्थापित करने और सुरक्षित निपटान के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के थोक उपभोक्ताओं को विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपने की आवश्यकता है।

आयात

- नए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात या बाजार में प्लेसमेंट की अनुमति केवल उन्हीं को दी जाएगी, जो सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप हैं।

निपटान

- निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले ई-कचरे को एकत्र करना और उसके पुनर्चक्रण या निपटान को सुनिश्चित करना निर्माता की जिम्मेदारी है।
- हालाँकि, यह नियम निष्क्रिय बैटरी, पैकेजिंग प्लास्टिक, सूक्ष्म उद्यमों और रेडियो-सक्रिय कचरे पर लागू नहीं होता है, जैसा कि कानून के प्रावधानों के तहत कवर किया गया है।

पृष्ठभूमि

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशन में ई-कचरे के विनियोजित प्रबंधन के लिये ने वर्ष 2016 में ई-कचरा (प्रबंधन) नियमों को अंगीकृत किया गया।
- ज्ञातव्य है कि इसके माध्यम से निर्माताओं द्वारा प्रत्येक वर्ष विक्रय किए गए इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के एक नियत अनुपात का पुनर्नवीनीकरण सुनिश्चित करना होता है।
- इसमें सीएफएल या कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप के साथ-साथ पारा के साथ अन्य लैंप और इसी तरह के अन्य उपकरण शामिल हैं।
- ये नियम पहली बार उत्पादकों को लक्ष्य के साथ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी या EPR के दायरे में लाते हैं।
- उत्पादकों को ई-वेस्ट कलेक्शन और ई-वेस्ट एक्सचेंज के लिए भी जवाबदेह बनाया गया है।
- यद्यपि, अधिकांश कंपनियों ने आंतरिक पुनर्नवीनीकरण इकाइयों का रख-रखाव नहीं किया। इससे सरकार के अधीन पंजीकृत कंपनी की व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला, जिन्हें 'निर्माता उत्तरदायित्व संगठन' (PRO) कहा जाता है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक वस्तु निर्माताओं और औपचारिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार मार्च तक देशभर में 74 पी.आर.ओ. तथा 468 अधिकृत विघटनकर्ता पंजीकृत थे। इनकी वार्षिक पुनर्चक्रण क्षमता 1.3 मिलियन टन है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2018-19 में लगभग 7.7 लाख टन ई-कचरा जबकि वर्ष 2019-20 में लगभग एक मिलियन टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ। दोनों वर्ष लगभग 22% को ही सफलतापूर्वक विघटित एवं पुनर्नवीनीकृत किया जा सका।

ई-कचरा क्या है?

- ई-कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा के अंतर्गत ऐसे बिजली या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को शामिल किया जाता है, जिसे फेंक दिया जाता है।
- इसमें काम करने वाली और टूटी-फूटी वस्तुएं शामिल हैं, जिन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है।
- ई-कचरा विशेष रूप से जहरीले रसायनों के कारण खतरनाक होता है।
- इसे दो व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत 21 प्रकारों में विभाजित किया गया है
  - सूचना प्रौद्योगिकी और संचार उपकरण- उदाहरण के लिए सेल फोन, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर मॉनिटर, लैपटॉप। सर्किट बोर्ड, हार्ड ड्राइव।
  - उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स- उदाहरण के लिए माइक्रोवेव, हीटर, रिमोट कंट्रोल, टेलीविजन रिमोट, बिजली के तार, लैंप, स्मार्ट लाइट, ट्रेडमिल, स्मार्टवॉच, हार्ट मॉनिटर आदि।

भारत में ई-कचरे से संबंधित प्रमुख मुद्दे

स्वास्थ्य संबद्ध मुद्दे

- ई-कचरे में पारा, सीसा, कैडमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, बेरियम और लिथियम शामिल हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।
- मनुष्यों पर विषाक्त पदार्थों के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभाव में मस्तिष्क, हृदय, यकृत, गुर्दे और अस्थि-पंजर-संबंधी प्रणाली को नुकसान शामिल है।

वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र

- अनुचित ई-कचरे का निपटान वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यधिक खतरनाक है।

उत्पन्न ई-कचरे की मात्रा

- भारत ई-कचरा उत्पादन में लगभग 1.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन करने में पांचवें स्थान पर है।

बाल श्रम का समावेश

- भारत में, 10-14 आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख बाल श्रमिक विभिन्न यार्डों और पुनर्चक्रण कार्यशालाओं में पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के बिना विभिन्न ई-कचरा गतिविधियों में लगे हुए हैं।

अप्रभावी विधान

- अधिकांश एसपीसीबी/पीसीसी वेबसाइटों पर किसी भी सार्वजनिक सूचना का अभाव है। यहां तक कि बुनियादी ई-कचरा नियम और दिशा-निर्देश भी अपलोड नहीं किए गए हैं।

बुनियादी ढांचे की कमी

- वर्तमान रीसाइक्लिंग और संग्रह सुविधाओं और उत्पन्न होने वाले ई-कचरे की मात्रा के बीच एक बड़ा अंतर है।

प्रोत्साहन योजनाओं का अभाव

- असंगठित क्षेत्र के लिए ई-कचरे के निराकरण के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं।
- साथ ही, ई-कचरे के निपटान के लिए प्रोत्साहन की कमी है।

ई-कचरे का आयात

- विकसित देशों के ई-कचरे का 80 प्रतिशत पुनर्चक्रण के लिए भारत, चीन, घाना और नाइजीरिया जैसे विकासशील देशों को भेजा जाता है।

ई कचरे से संबंधित मौजूदा कानून

बेसल सम्मेलन	ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
घातक पदार्थों के सीमा पार आवागमन तथा निष्पादन से संबंधित बेसल संधि को 22 मार्च 1989 को प्लैनीपोटैशियरीस सम्मेलन (बेसल, स्विट्जरलैंड) में स्वीकृत किया गया।	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने ई-कचरा (प्रबंधन और प्रबंधन) नियम, 2011 के स्थान पर ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया।

ई-कचरे पर वैश्विक आंकड़े

- प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में 20 से 50 मिलियन मीट्रिक टन ई-कचरे का निपटान किया जाता है
- सेल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में सोने या चांदी जैसी कीमती धातुओं की उच्च मात्रा होती है।
- बड़ी संख्या में जिसे "ई-कचरा" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वह पूरी तरह से बेकार नहीं होते है, इसमें ऐसे उपकरण या पुर्जे शामिल होते हैं, जो पुन: उपयोग के लिए आसानी से विपणन योग्य हैं या जिन्हें सामग्री की वसूली के लिए पुनर्नवीनीकरण किए जा सकते हैं।
- वर्तमान में केवल 12.5% ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जाता है।
- ई-कचरा डेटा के चोरी होने कि संभावना के दृष्टिगत सुरक्षा संकट पैदा हो सकता है।

सतत विकास के लिए ई-कचरा और 2030 एजेंडा

अंगीकार

- 2015 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा की रूपरेखा के रूप में अंगीकार किया गया।
- इसे गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और सभी 17 लक्ष्यों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए और 169 लक्ष्यों को अगले 13 वर्षों में प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया था।

आवश्यकता

- पर्यावरण प्रत्येक लक्ष्य का एक अभिन्न अंग है, जिसमें ई-कचरा विशेष रूप से इनमें से कई लक्ष्यों से जुड़ा है। वैश्विक स्तर पर ई-कचरे के बढ़ते स्तर ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
- फलतः संयुक्त राष्ट्र प्रणाली द्वारा अपने ई-कचरे को स्थायी तरीके से प्रबंधित करने और ई-कचरे के निर्माण को कम करने के प्रयासों में देशों का समर्थन करने के लिए एक कुशल दृष्टिकोण और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।
- एसडीजी लक्ष्य 3.9: 2030 तक, खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या को काफी सीमा तक कम करना।
- एसडीजी लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना, जो उत्पादक गतिविधियों, अच्छे रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार का समर्थन करते हैं और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
- एसडीजी लक्ष्य 8.8: श्रम अधिकारों की रक्षा करना और सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित और सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना, जिसमें प्रवासी श्रमिक, विशेष रूप से महिला प्रवासी और अनिश्चित रोजगार में शामिल हैं।
- एसडीजी लक्ष्य 11.6: 2030 तक, शहरों के प्रतिकूल प्रति व्यक्ति पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, जिसमें वायु गुणवत्ता और नगरपालिका और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना शामिल है।
- एसडीजी लक्ष्य 12.5: 2030 तक, रोकथाम, कमी, मरम्मत, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी सीमा तक कम करना।

निष्कर्ष

- भारत जैसे कई विकासशील देशों की सरकारों के लिए ई-कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। यह एक बहुत बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बनता जा रहा है।
- ई-अपशिष्ट को अलग से एकत्र करने, प्रभावी ढंग से उपचारित करने और निपटाने के साथ-साथ इसे पारंपरिक लैंडफिल और खुले में जलाने से अलग करने के लिए, अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र के साथ एकीकृत करना आवश्यक है।
- विकासशील देशों में सक्षम अधिकारियों को ई-अपशिष्ट के सुरक्षित और स्थायी रूप से प्रबंधन और उपचार के लिए तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- साथ ही, पर्यावरण के अनुकूल ई-कचरा प्रबंधन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए बढ़ते सूचना अभियान, क्षमता निर्माण और जागरूकता महत्वपूर्ण हैं।

स्रोत: मिंट

एससीओ शासनाध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित

प्रारम्भिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** भारत और विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और समूह

संदर्भ

- हाल ही में, चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने वीडियो लिंक के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक की मेजबानी की।
- विदित है कि एससीओ के शासन प्रमुखों ने गत माह उज्बेकिस्तान के समरकंद में दो वर्ष बाद प्रत्यक्ष रूप से शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भाग लिया।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

- एससीओ एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था।
- एससीओ चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित औ ू हुआ।
- अध्यक्षता एक वर्ष पश्चात् सदस्य देशों द्वारा रोटे ी जाती है।
- एससीओ में आठ सदस्य देश शामिल हैं।
- भारत गणराज्य, कजाकिस्तान गणराज्य, चीन जनवादी गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराज्य और उज़्बेकिस्तान गणराज्य।
- जून 2001 में शंघाई में शुरू एससीओ के आठ पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिनमें इसके छह संस्थापक सदस्य, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।
- भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुए।

विषयगत महत्वपूर्ण बिंदु

- वार्षिक रूप से आयोजित एससीओ सीएचजी बैठक संगठन के व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर केंद्रित है, जिसमें इसके वार्षिक बजट को स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट की वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया ।
- एससीओ के सदस्य देशों और पर्यवेक्षक देशों के प्रमुख और प्रतिनिधि, एससीओ की स्थायी इकाइयों के प्रमुख, एससीओ उद्यमी समिति तथा एससीओ इंटरबैंक कंसोर्टियम के प्रतिनिधि ने बैठक में भाग लिया।
- एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधि ने भी बैठक में भागीदारी की।

एससीओ शासनाध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक और भारत

एससीओ क्षेत्र और कनेक्टिविटी परियोजनाएँ

- एससीओ क्षेत्र में कनेक्टिविटी परियोजनाओं को मध्य एशियाई राज्यों के हितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए।
- भारत ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से एससीओ क्षेत्र की आर्थिक क्षमता का पता चलेगा।
- इस संदर्भ में, ईरान का चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) महत्वपूर्ण हो सकता है।
- ध्यातव्य है कि भारत ने चाबहार बंदरगाह पर एक टर्मिनल विकसित किया है और आईएनएसटीसी के साथ रणनीतिक बंदरगाह को एकीकृत करने की योजना है।
- यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद बंदरगाह ने रूस से भारत में माल के ट्रांस-शिपमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और भारत का पक्ष

- भारत एकमात्र एससीओ सदस्य देश था, जिसने बैठक के बाद जारी संयुक्त विज्ञप्ति में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के लिए समर्थन की पुष्टि नहीं की।
- अन्य देशों ने चीन के बीआरआई और परियोजना को लागू करने के लिए संयुक्त रूप से काम करने के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।
- भारत ने लंबे समय से बीआरआई का विरोध करता रहा है, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा - चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी), पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है।

एससीओ सदस्यों के साथ व्यापार विषय पर भारत

- भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि एससीओ सदस्यों के साथ हमारा कुल व्यापार केवल 141 अरब डॉलर का है, जिसके कई गुना बढ़ने की संभावना है।
- एससीओ देशों के साथ भारत का बड़ा व्यापार चीन के साथ है, जो इस साल 100 अरब डॉलर की सीमा के ऊपर पहुँच गया है।
- उचित बाजार पहुंच हमारे पारस्परिक लाभ के लिए है और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है।

- उन्होंने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और व्यापार जैसे क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली)

- विदेश मंत्री ने पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए मिशन लाइफ की चर्चा की, जो एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था द्वारा प्रचलित 'उपयोग और निपटान' अर्थव्यवस्था को रूपांतरित करने की मंशा रखता है।

एससीओ की अध्यक्षता और भारत

- भारत ने उज्बेकिस्तान में आयोजित शिखर सम्मेलन के बाद समूह की अध्यक्षता ग्रहण की।
- एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी।
- भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले एससीओ शिखर सम्मेलन (राज्य प्रमुखों की बैठक) की मेजबानी करेगा।
- विदित है कि चीन द्वारा आयोजित वर्तमान बैठक, सरकार के प्रमुखों की एससीओ परिषद की बैठक थी ।

एससीओ का भारत के लिए महत्व

- एससीओ की पूर्ण सदस्यता भारत को यूरेशियन क्षेत्र के मामलों में अधिक दृश्यता प्रदान करेगी, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है ।
- मध्य एशिया भारत के विस्तारित पड़ोस का एक हिस्सा है - एससीओ भारत को "कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी" को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है ।
- भारत को अपने विस्तारित पड़ोस में सक्रिय भूमिका निभाने के साथ-साथ यूरेशिया में चीन के लगातार बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की अपनी आकांक्षा को पूरा करने में मदद करता है ।
- यह भारत को यूरेशियाई सुरक्षा समूह के एक अभिन्न अंग के रूप में, इस क्षेत्र में धार्मिक उग्रवाद और आतंकवाद निष्प्रभावी करने में सक्षम बनाएगा ।
- यह अफगानिस्तान की स्थिति को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में भारत की मदद करेगा , खासकर 2014 के बाद के परिदृश्य में।
- आरएटीएस के माध्यम से भारत खुफिया जानकारी साझा करने, कानून लागू करने और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की दिशा में काम करके अपनी आतंकवाद विरोधी क्षमताओं में सुधार कर सकता है ।
- एससीओ के माध्यम से भारत नशीली दवाओं की तस्करी और छोटे हथियारों के प्रसार पर भी काम कर सकता है ।
- आतंकवाद और कट्टरपंथ की साझा चुनौतियों पर सहयोग।
- यह भारत को एक ऐसा मंच प्रदान करेगा, जहां वह चीन और पाकिस्तान दोनों को एक क्षेत्रीय संदर्भ में रचनात्मक रूप से शामिल कर सकता है और पश्चिम एशिया सहित अशांत क्षेत्रीय क्षेत्र में भारत के सुरक्षा हितों को प्रोजेक्ट कर सकता है ।
- ऊर्जा की बढ़ती मांग के साथ भारत एक ऊर्जा की कमी वाला देश है, एससीओ इसे क्षेत्रीय कूटनीति के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है।
- तापी (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत) पाइपलाइन, आईपीआई (ईरान-पाकिस्तान-भारत) पाइपलाइन को एससीओ के माध्यम से प्रभावी करने में सहायता मिल सकती है।
- एससीओ मध्य एशिया तक सीधी पहुंच प्रदान करता है, जैसे भारत और मध्य एशिया के बीच सुगम व्यापार में मुख्य बाधा को दूर करना ।
- एससीओ मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में कार्य करता है।
- मध्य एशियाई देश भारत को अपने आईटी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्त और दवा उद्योगों के लिए एक बाजार प्रदान करते हैं ।

एससीओ के पर्यवेक्षक और संवाद साझेदार देश

- अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य, बेलारूस गणराज्य, ईरान के इस्लामी गणराज्य और मंगोलिया गणराज्य एससीओ में पर्यवेक्षक राज्य हैं।
- एससीओ के छह संवाद साझेदार हैं, जैसे अजरबैजान गणराज्य, आर्मेनिया गणराज्य, कंबोडिया साम्राज्य, नेपाल का संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, तुर्की गणराज्य और श्रीलंका का लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य।

लक्ष्य और उद्देश्य

- आपसी विश्वास और साझेदारी को बढ़ावा देना ।
- राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में सहयोग को बढ़ावा देना।
- शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना।
- क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना ।
- लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना।

बेल्ट एंड रोड इनिसिएटिव परियोजना

- बीआरआई अर्थात् बेल्ट एंड रोड इनिसिएटिव परियोजना चीन की 'सिल्क रोड' से संबद्ध परियोजना है। इसी कारण इसे 'न्यू सिल्क रोड' अथवा ओबीओआर (One Belt One Road- OBOR) के नाम से भी जाना जाता है।
- बीआरआई परियोजना की शुरुआत चीन ने वर्ष 2013 में की थी। इस परियोजना में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई बड़े देश शामिल हैं।
- चीन की इस परियोजना का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी देशों और अफ्रीका तथा यूरोप के राष्ट्रों को सड़क और समुद्री मार्ग से जोड़ना है।
- चीन की ये योजना विश्व के लगभग 60 से अधिक राष्ट्रों को सड़क, रेल और समुद्री मार्ग से जोड़ने का कार्य करेगी।

- चीन के अनुसार, उसकी इस परियोजना से विश्व के विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के निकट आएंगे, जिससे आर्थिक सहयोग के साथ-साथ पारस्परिक सहयोग की भावना को भी बल मिलेगा।

चीन के परिप्रेक्ष्य में बीआरआई का उद्देश्य

- एक एकीकृत वृहद वैश्विक बाजार का निर्माण करना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान और एकीकरण की सुविधा उपलब्ध कराना।
- सदस्य राष्ट्रों की पारस्परिक समझ और विश्वास को प्रोत्साहन देना, जिससे कि वैश्विक स्तर पर पूंजी प्रवाह, प्रतिभा पूल और प्रौद्योगिकी डाटाबेस के साथ एक अभिनव वातावरण का निर्माण किया जा सके।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

कॉप-27, जलवायु वित्त और भारत

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित

प्रारम्भिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट

प्रसंग

- जलवायु परिवर्तन संबद्ध सभी प्रमुख मुद्दों पर विमर्श के लिए 1992 में हस्ताक्षरित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) की वित्त पर स्थायी समिति Standing Committee on Finance- SCF) ने जलवायु वित्त जुटाने के संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।
- ज्ञातव्य है कि जलवायु वित्त, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाले शमन और अनुकूलन कार्यों को समर्थन प्रदान करने हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण को संदर्भित करता है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) क्या है?

- यूएनएफसीसीसी एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है।
- 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षरित।
- इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।

जलवायु वित्त

- यह जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाले शमन और अनुकूलन कार्यों को समर्थन प्रदान करने हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण को संदर्भित करता है।
- इसमें यूएनएफसीसीसी, कॉर्पोरेट क्षेत्र के निवेश और क्षेत्रीय संसाधनों के तहत औद्योगिक देशों द्वारा किए गए सार्वजनिक जलवायु वित्त प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं।

भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते

कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP)

- कॉप का पूरा नाम 'कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज' है।
- सरल शब्दों में व्याख्या करें तो यह यूएनएफसीसीसी अर्थात 'संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क' में शामिल सदस्यों का एक सम्मेलन है। भारत भी इसका सदस्य है।
- कॉप का प्रथम सम्मेलन मार्च, 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था।
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के 198 पक्ष वर्ष में एक बार इस बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं कि जलवायु परिवर्तन के खतरे से संयुक्त रूप से किस तरह निपटा जाए।
- इसके अध्यक्ष के कार्यकाल का निर्धारण सामान्यतः पांच संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों (अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, मध्य और पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप) के मध्य किया जाता है।
- COP का अध्यक्ष सामान्यतः विभिन्न देश के पर्यावरण मंत्री होता है।

कॉप 27 और पृष्ठभूमि

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन कॉप 27, 6 से 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया जा रहा है।
- कॉप 27 का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में प्रयास करना है।

कॉप 27 और विमर्श के केंद्र बिंदु

- कार्बन उत्सर्जन
- अनुकूलन
- जलवायु वित्त

कॉप 27, जलवायु वित्त संबद्ध मुद्दे और भारत

- वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में सीओपी-15 में विकसित देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, किन्तु वे ऐसा करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन सीओपी 27 में बल दिया कि विकासशील देशों को अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर के स्तर से जलवायु वित्त में पर्याप्त वृद्धि और अमीर देशों को संसाधनों को एकत्र करने के लिए नेतृत्व करने की आवश्यकता है।
- सीओपी 27 में एनसीक्यूजी पर उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय संवाद में भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विकसित देशों से वित्तीय, तकनीकी और क्षमता-निर्माण सहयोग की आवश्यकता है।

- विकासशील देशों द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर के न्यूनतम स्तर से जलवायु वित्त में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है। संसाधन जुटाने के लिए विकसित देशों के नेतृत्व की आवश्यकता है और अनुकूलन तथा विभिन्न परियोजनाओं के बीच समान आवंटन के साथ दीर्घकालिक, रियायती और जलवायु-विशिष्ट कदम उठाए जाने चाहिए।

जलवायु वित्त संबद्ध मुद्दा

- गत कुछ वर्षों में, विकसित देशों ने जलवायु वित्त से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने हेतु निम्नलिखित दो बिंदुओं पर बल दिया है।
- विकासशील देशों के लिए वार्षिक 100 अरब डॉलर के जलवायु वित्त के लक्ष्य तक पहुंचने हेतु प्रतिबद्धता।
- इसके लिए पहली बार 2009 में प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी।
- दूसरा, वे अब निजी वित्त को जलवायु वित्त के महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखते हैं ।

वित्त पर यूएनएफसीसीसी की स्थायी समिति (SCF) की रिपोर्ट

- वित्त पर यूएनएफसीसीसी की स्थायी समिति (SCF) ने प्रति वर्ष $100 बिलियन एकत्र करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विकसित देशों द्वारा की गई प्रगति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।
- प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि 2020 में $100 बिलियन का लक्ष्य हासिल नहीं किया गया है
- विकसित देशों द्वारा निजी वित्त जुटाने के पहले के प्रयास व्यापक रुप से विफल रहे हैं।

विस्तारित लक्ष्य

- 100 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को पूरा करने में निराशाजनक विफलता के बाद, विकसित देशों ने इसे 2020 से 2025 तक प्राप्त करने हेतु लक्ष्य वर्ष को आगे बढ़ाया।

रिपोर्ट का आधार

- एससीएफ रिपोर्ट मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) और समग्र जलवायु वित्त प्रवृत्तियों के लिए ऑक्सफैम रिपोर्ट पर आधारित है।

जलवायु वित्त पर ओईसीडी (OECD) की रिपोर्ट

- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अमीर देशों (Rich countries) ने गरीब देशों की मदद करने प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।
- ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को ऑपरेशन एंड डेवेलपमेंट (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) का कहना है कि अमीर देश, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गरीब देशों को सौ अरब डॉलर की मदद देने का संकल्प पूरा करने में विफल रहे हैं।
- वर्ष 2009 में विकसित देशों ने वादा किया था कि 2020 तक वे उन देशों को सौ अरब डॉलर प्रतिवर्ष देंगे, जो गंभीर जलवायु संबंधी बढ़ते प्रभावों और आपदाओं के शिकार होते हैं।
- ओईसीडी (OECD) का कहना है कि वास्तविकता में अमीर देशों (Rich Countries) ने 2020 में केवल 83.3 अरब डॉलर ही दिए हैं, जो कि लक्ष्य से 16.7 अरब डॉलर कम है।

जलवायु वित्त

परिभाषा

- जलवायु वित्त, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाले शमन और अनुकूलन कार्यों को समर्थन प्रदान करने हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण को संदर्भित करता है।
- "जलवायु वित्त" उन वित्तीय संसाधनों का वर्णन करता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने वाली पहल का समर्थन करते हैं और लोगों को उनके अनुकूल होने में मदद करते हैं।
- इसमें यूएनएफसीसीसी, कॉर्पोरेट क्षेत्र के निवेश और क्षेत्रीय संसाधनों के तहत औद्योगिक देशों द्वारा किए गए सार्वजनिक जलवायु वित्त प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं।

महत्त्व

- अप्रत्याशित वर्षा, तूफानों में वृद्धि और उससे जुड़े विनाशकारी प्रभाव, तेजी से चरम मौसम की स्थिति और ग्लेशियर पिघलने की घटनाएं पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल परिणाम के संकेत हैं।
- केवल तेजी से बढ़ते हुए शमन प्रयास ही ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए पर्याप्त हरित प्रौद्योगिकी व्यय अनिवार्य हैं।
- उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं।
- यह अनुकूलन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, जिसके लिए समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को प्रतिकूल प्रभावों के अनुकूल होने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की अनुमति देने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी।
- जलवायु परिवर्तन के अधिकांश नकारात्मक प्रभाव सबसे गरीब देशों में देखे गए हैं और इसके लिए वे जलवायु वित्तपोषण पर काफी सीमा तक निर्भर हैं। यद्यपि, उनके पास शमन और अनुकूलन दोनों के लिए अपेक्षाकृत सीमित कौशल हैं।
- यूएनएफसीसीसी के अनुमानों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से निपटने में योगदान में औसत वार्षिक वृद्धि वास्तव में 2016 से गिर रही है।

जलवायु वित्त पर भारत की स्थिति

वैश्विक समस्या

- भारत का दृढ़ विश्वास है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, जिसके लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है
- जलवायु परिवर्तन की समस्या को केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद के माध्यम से हल किया जा सकता है।

परिभाषा पर स्पष्टता

- भारत ने जलवायु वित्त से संबंधित चर्चाओं और इसकी परिभाषा पर स्पष्टता को लेकर पर्याप्त प्रगति की मांग करता रहा है।
- भारत सरकार के अनुसार, विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त की परिभाषा पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है, ताकि जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त प्रवाह की सीमा का सटीक आकलन हो सके।

क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

- भारत ने अमीर देशों से जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गरीब और विकासशील देशों की क्षमता को मजबूत करने के मामले में कार्रवाई की मांग की है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीओपी-26 (2021 में हुआ 26 वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन) में 2070 तक भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की थी।

जलवायु परिवर्तन संबद्ध वैश्विक वित्तीय तंत्र

वैश्विक पर्यावरण सुविधा

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान की गई थी।
- इसे स्वतंत्र रूप से एक वित्तीय संगठन के रूप में संचालित किया जाता है।
- यह जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि क्षरण, ओजोन परत, लगातार कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी), पारा, टिकाऊ वन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ शहरों से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है।

सबसे कम विकसित देशों का फंड (LDCF)

- इसे सबसे कम विकसित देशों (LDC) में राष्ट्रीय अनुकूलन कार्य योजनाओं (NAPA) को निष्पादित करने के लिए विकसित किया गया था।

विशेष जलवायु परिवर्तन कोष

- एससीसीएफ की स्थापना 2001 में यूएनएफसीसीसी के प्रावधानों के तहत विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से अपशिष्ट प्रबंधन, कृषि, वानिकी, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन और अनुकूलन में कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण प्रदान करने के लिए किया गया था।

अनुकूलन कोष (एएफ)

- अनुकूलन कोष की स्थापना 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल (अब पेरिस समझौते के तहत) के अनुसार की गई थी।
- इसमें जलवायु परिवर्तन के सर्वाधिक गंभीर खतरों का सामना कर रहे देशों पर ध्यान दिया जाता है।

हरित जलवायु कोष (GCF)

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है।
- इसे वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था, जिसे 2011 में डरबन में हुए सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया।

जलवायु निवेश कोष (सीआईएफ)

- यह विश्व बैंक द्वारा संचालित हैं।
- इसे 2008 में प्रस्तुत किया गया था।
- ये अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक (ईबीआरडी) और अंतर-अमेरिकी विकास जैसे क्षेत्रीय विकास संगठनों के सहयोग से काम करता हैं।

जलवायु निवेश कोष (सीआईएफ) में शामिल हैं

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (CTF)
- सामरिक जलवायु कोष (एससीएफ)
- जलवायु लचीलापन के लिए पायलट कार्यक्रम (पीपीसीआर)
- वन निवेश कार्यक्रम (FIP)
- कम आय वाले देशों के लिए स्केलिंग-अप नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (एसआरईपी)

भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किये जा रहे प्रयास

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC), 2008
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए)
- पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड)
- नवीकरणीय ऊर्जा विकास
- सौर शहर
- अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क
- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति
- राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015
- अक्षय खरीद दायित्व
- ऑटोमोबाइल से उत्सर्जन को कम करना
- नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी)
- BS-VI मानदंडों को अपनाना

चुनौतियां

विकासशील देशों की मांग

- विकासशील देशों ने लंबे समय से इस बात पर बल दिया है कि जलवायु वित्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक निधियों से आना चाहिए, क्योंकि निजी वित्त विशेष रूप से अनुकूलन से संबंधित उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा करने हेतु अपर्याप्त हैं।

विरोधाभासी दावे

- कई विकसित देशों और बहुपक्षीय विकास बैंकों ने अपनी जलवायु वित्त रणनीतियों में जुटाए गए निजी वित्त के महत्व पर बल दिया है।
- रिपोर्टों के अनुसार, इन प्रयासों से निजी क्षेत्र द्वारा निवेश की महत्वपूर्ण क्षमता का दोहन करने और विकसित देशों की जलवायु महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आवश्यक पैमाने पर परिणाम नहीं मिले हैं ।

आवश्यकता से कम आपूर्ति

- वर्तमान में उपलब्ध अनुकूलन वित्त विकासशील देशों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में व्यक्त आवश्यकताओं की तुलना में काफी कम है।

वित्त प्रदान करना

- विकसित और विकासशील देशों के मध्य जलवायु वित्त सबसे विरोधाभासी मुद्दों में से एक है।

निष्कर्ष

- विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से होने वाले क्षति की परिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। अब तक, दाता देशों ने जलवायु क्षति के प्रबंधन को स्पष्ट रूप से वित्तपोषित करने से इनकार कर दिया था। ये केवल उत्सर्जन में कमी और अनुकूलन हेतु 100 अरब डॉलर के लक्ष्य को समर्थन प्रदान किया था।

- यदि सभी देशों ने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रयास किया, तो 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन में 5 से 10 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है। यद्यपि, यह उभरते देशों के पर्याप्त योगदान के बिना संभव नहीं होगा।
- 2030 तक, उत्सर्जन में कमी हेतु निवेश औद्योगिक देशों में कम से कम चौगुना और विकासशील देशों में तीन गुना होनी चाहिए।
- यदि कॉप 27 आवश्यक निवेश प्रदान करने के लिए विश्वसनीय मार्गों की पहचान करने में सफल होता है, तो यह एक महत्वपूर्ण सफलता होगी।

स्रोत: द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस

भारत में पराली दहन

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित

प्रारम्भिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**तृतीय प्रश्न पत्र :** कृषि, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट

प्रसंग

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अनुसार, इस वर्ष 15 सितंबर से 26 अक्टूबर तक पंजाब में 2021 की इसी अवधि की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई है
- ध्यातव्य है कि पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि के दृष्टिगत आयोग ने पराली प्रबंधन की रणनीति समेत कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंजाब सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया है।

पराली

- पराली धान की फसल के कटने के बाद बचा शेष हिस्सा होता है, जिसकी जड़ें धरती में होती हैं। विदित है कि किसानों द्वारा फसल अवशेषों को खेत से हटाने के लिए जलाया जाता है।

पराली जलाने का अभ्यास क्यों प्रचलित?

- फसल अवशेष से मुक्ति का सबसे सरल और सस्ता तरीका है।
- किसानों के पास पर्याप्त समय नहीं होती, क्योंकि उन्हें अगली फसल के लिये तैयार खेत की आवश्यकता होती है।
- इसके स्वयं सड़कर नष्ट होने में लगभग 1.5 माह का समय लगता है।

पराली उपयोग का छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है?

- राज्य सरकार ने अपनी 'सुराजी गांव योजना' (ग्राम सुशासन योजना) के तहत, 8,000 से अधिक गांवों में गौठान स्थापित किए हैं।
- 'गोधन न्याय योजना' के तहत दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए गोबर का उपयोग केंचुआ खाद (वर्मी कम्पोस्ट) तैयार करने के लिए किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि और वर्तमान संदर्भ

- फसल कटाई के वर्तमान सीजन के दौरान पराली जलाने के 70 फीसद मामले पंजाब के केवल छह जिलों- अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, पटियाला एवं तरनतारन से सामने आये हैं।
- पंजाब की ऐसी कुल 7,036 घटनाओं में 4,899 इन जिलों से संबंधित थीं।
- सीएक्यूएम के अनुसार, गत वर्ष भी इस अवधि के दौरान पराली जलाने की करीब 65 फीसद घटनाएं, इन्हीं पारंपरिक छह मुख्य जिलों से सामने आयी थीं।
- शीत ऋतु में पूरे उत्तर भारत में विभिन्न कारणों से वायु प्रदूषण का स्तर उच्च हो जाता है।
- धान की फसल की कटाई के बाद खेतों को रबी की फसल की बुवाई के लिए जल्दी खाली करने के लिए उत्तर भारत (मुख्यतः पंजाब व हरियाणा राज्य) के किसान फसल के अवशेष (पराली) को जलाते हैं।
- इससे पूरे क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है
- यह स्थिति दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में काफी गंभीर रूप धारण कर लेती है।
- सर्दियों में होने वाले इस प्रदूषण से बचने हेतु सरकारें (केन्द्र एवं संबंधित राज्य) प्रत्येक वर्ष कई कदम उठाती हैं।

पराली क्या होता है?

- पराली धान की फसल के कटने के बाद बचा शेष हिस्सा होता है, जिसकी जड़ें धरती में होती हैं।
- विदित है कि किसान फसल के पकने के बाद उसका ऊपरी हिस्सा काट लेते हैं, क्योंकि वही उपयोगी होता है, शेष अवशेष किसान के लिए अनुपयोगी होते हैं।
- किसान अगली फसल बोने के लिए खेत खाली करने के लिए सूखे पराली को आग लगा देता है।
- पराली ज्यादा होने की वजह यह भी है कि किसान अपना समय बचाने के लिए आजकल मशीनों से धान की कटाई करवाते है। मशीनें धान का सिर्फ ऊपरी हिस्सा काटती हैं।
- फसल के बचे हुए अवशेष को हरियाणा और पंजाब में पराली कहा जाता है।
- किसान अगर धान को मजदूरों से या स्वयं काटे तो खेतों में पराली नहीं के बराबर बचती है। बाद में किसान इस पराली को चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
- वास्तव में धान की फसल कटने के बाद किसान खेतों में गेंहू की बोवाई करते हैं, जिस कारण उन्हें खेत खाली करने की जल्दी होती है।
- किसान दिसंबर तक ही गेंहू की बोवाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद बोवाई की गई, तो फसल ठीक नहीं होती है।
- इसी वजह से किसान खेतों में पड़ी पराली को आग लगा देते हैं।
- दोनों फसलों को तैयार होने में 6-6 महीने का वक्त लगता है। यह समय धान की फसल कटने के बाद गेहूं की फसल के लिए खेत तैयार करने का होता है।

पराली क्यों जलाया जाता है?

- अगली फसल बोने के लिए फसल अवशेषों को खेत से हटाने के लिए जलाया जाता है।

- पराली को खेत में छोड़ने से दीमक और अन्य कीट आमंत्रित होते है, जो बाद की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- पंजाब और हरियाणा में, किसान चावल की कटाई के बाद छोड़े गए पराली (चावल की भूसी) को जलाते हैं, ताकि खेत गेहूं जैसी अगली रबी (सर्दियों) की फसल के लिए तैयार हो सके।
- इन क्षेत्रों में, यह अक्टूबर के आस-पास शुरू होता है, जब दक्षिण-पश्चिम मानसून वापस आ जाता है।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188

- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 पराली जलाने को अपराध की श्रेणी में वर्गीकृत करती है।
- इसके अतिरिक्त, इसे वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत एक अपराध के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- प्रतिबंधित होने के बावजूद, भारत में यह प्रथा जारी है, जहां किसान अपने खेतों को साफ करने के लिए व्यवहार्य विकल्पों की कमी का हवाला देते हैं।

पराली जलाने के प्रभाव

- पराली जलाने से पर्यावरण पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- एक अध्ययन के अनुसार, फसल अवशेषों को जलाने से लगभग 149 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड, 9 मिलियन टन से अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड, 0.25 मिलियन टन सल्फर ऑक्साइड (SOX), 1.28 मिलियन टन पार्टिकुलेट मैटर (PM) और 0.07 मिलियन टन ब्लैक कार्बन निकलता है।
- ज्ञातव्य है कि ये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देते हैं।
- विशेष रूप से, पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली से दिल्ली में सर्दियों में धुंध बढ़ जाता है।
- यह देश के इन हिस्सों में देखे जाने वाले शीतकालीन धुंध में भी योगदान देता है।
- पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह मिट्टी के पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है, जिससे यह कम उपजाऊ हो जाता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि जलने के दौरान उत्पन्न ताप बैक्टीरिया और कवक को नष्ट कर देते है, जो उपजाऊ मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
- उत्तर भारत में पराली जलाना, लंबे समय से वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण रहा है ।
- प्रदूषण लोगों को संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है और संक्रमण के बाद उनके ठीक होने की गति को धीमा कर देता है।
- भूसी को जमीन पर जलाने से मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे यह कम उपजाऊ हो जाता है।

पराली से धन की हानि

- पराली जलाने का एक और दुष्परिणाम पराली से 'धन' की हानि है।
- गाय के गोबर और कुछ प्राकृतिक एंजाइमों के साथ पराली को मिलाकर उच्च श्रेणी की जैविक खाद तैयार की जा सकती है।
- इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। राज्य सरकार ने अपनी 'सुराजी गांव योजना' (ग्राम सुशासन योजना) के तहत, 8,000 से अधिक गांवों में गौठान स्थापित किए हैं, जहां 'गोधन न्याय योजना' के तहत दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए गोबर का उपयोग केंचुआ खाद (वर्मी कम्पोस्ट) तैयार करने के लिए किया जा रहा है।
- पराली जलाने से प्रत्येक वर्ष नाइट्रोजन, पोटैशियम, सल्फर, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक कार्बन पर प्रभाव पड़ता है। आदर्श रूप से इनका उपयोग जैविक खाद बनाने के लिए किया जाना चाहिए। इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ेगी और इनके उपयोग में भी कमी आएगी।
- पुआल का उपयोग बिजली उत्पादन में भी किया जा सकता है।

पराली जलाने पर अंकुश लगाने के उपाय

- किसानों द्वारा पराली जलाने की प्रथा को रोकने के लिए प्रशासन ने कई उपाय किए हैं।
- 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों को इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का निर्देश दिया।
- 2020 में, पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए धान उगाने वाले गांवों में 8000 नोडल अधिकारी नियुक्त किए।
- किसानों को भूसे के ऑन-साइट प्रबंधन के लिए 23,000 से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें दी जा रही हैं।
- राज्य, केंद्र से मांग कर रहा था कि बिना जलाए धान की पराली के प्रबंधन के लिए किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए। हालांकि, पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण ने कहा था कि यह व्यवहार्य नहीं था।
- पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए और फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए, 2018-19 से फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) पर एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई है।
- इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए सहकारी समितियों, एफपीओ और पंचायतों को 80% सहायता प्रदान की जाती है।
- पंजाब और हरियाणा राज्य भी ऐसी मशीनें उपलब्ध करा रहे हैं और अधिक सीएचसी स्थापित कर रहे हैं।
- अक्टूबर 2020 में, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून लाएगा।
- वर्ष 2021 के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों में लगभग 5.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में डीकंपोजर का उपयोग किया गया है, जो लगभग 35 लाख टन पराली के प्रबंधन के बराबर है।
- उपग्रह इमेजिंग और निगरानी के माध्यम से, यह देखा गया कि डीकंपोजर छिड़काव भूखंडों के 92% क्षेत्र को अपघटन के माध्यम से प्रबंधित किया गया है और इन भूखंडों में केवल 8% क्षेत्र जलाया गया था।
- जैव-अपघटक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2022 में सीआरएम योजना के संचालन दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है और योजना के तहत फ्लेक्सी फंड के उपयोग के माध्यम से

किसानों के खेतों पर जैव-अपघटक के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित करने का प्रावधान किया गया है।

सुझाव

- फसल अवशेष प्रबन्धन के लिए ही टर्बो हैप्पी सीडर का विकास किया गया है। हैप्पी सीडर में ही संशोधन करके टर्बो हैप्पी सीडर विकसित किया गया है। इसके उपयोग से सम्पूर्ण धान अवशेष (6-8 टन/हैक्टर) में आसानी से बुआई की जा सकती है। इस मशीन द्वारा कम्बाइन हार्वेस्टर से कटे खेत में फसल अवशेष में गेहूं की बुआई की जाती है। इससे किसानों द्वारा फसल अवशेष का उपयोग मल्चिंग के रूप में किया जाता है।
- विदित है कि टर्बो हैप्पी सीडर यंत्र में दो इकाइयाँ होती है- एक फसल अवशेष प्रबन्धन के लिए तथा दूसरी बुआई के लिए।
- खेतो में पराली जलाने से मिट्टी की ऊपरी सतह जल जाती है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। अगली फसल के लिए ज्यादा पानी, खाद कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर किसान खेतों में पराली दबा देते हैं, तो भूमि की उपजाऊ शक्ति कम नहीं होगी, यही पराली खाद का काम करेगी और जहरीली खाद नहीं डालनी पड़ेगी। ऐसी जमीन में बीजी गई अगली फसल को भी कम पानी देना पड़ेगा।
- धान पर एमएसपी को कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित सम्बन्धित लागत के डेढ़ गुने के आधार पर घोषित किया जाये।
- धान की कटाई और झड़ाई में लगे मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से सरकार अपनी तरफ से भुगतान कर सकती है।
- पराली को पशुओं के चारे के उपयोग के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है।
- आइआइटी हैदराबाद और अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं ने पराली व अन्य कृषि कचरे से जैविक इंटों (बायो ब्रिक्स) का निर्माण किया है। इनका भवन निर्माण आदि में उपयोग करके फसलों के अवशेष के उचित प्रबंधन के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल बिल्डिंग मैटेरियल तैयार किया जा सकता है।

एडवांस्ड एयर क्वालिटी अर्ली वर्निंग सिस्टम (AQEWS)

- इस प्रणाली को एमओईएस के तहत भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा विकसित किया गया है।
- इस सिस्टम के तहत 15 साल के पराली जलाने (Stubble Burning) के डाटा को एकत्र किया गया है। इस डाटा के आधार पर यह पूर्वानुमान लगाया जायेगा कि किसान कब और कहाँ पर अपनी फसल के अवशेष को जला सकते हैं।
- यह पराली जलाने के अलावा अन्य स्रोतों से आने वाले पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5, पीएम10 और धूल जैसे प्रदूषकों के स्तर का भी अनुमान लगा सकता है।
- वर्तमान में यह प्रणाली दो प्रकार के प्रदूषकों - PM2.5 और कार्बन मोनोऑक्साइड की निगरानी और पूर्वानुमान करती है।
- एएक्यूईडब्ल्यूएस के डाटा को सी-डैक (Centre for Development of Advanced Computing, C-DAC) द्वारा विश्लेषित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सी-डैक को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) दिशा-निर्देशित करेगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित

प्रारम्भिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, आधारिक संरचना

प्रसंग

- हाल ही में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited-SAIL) और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Airports Authority of India- AAI) ने संयुक्त प्रयास के तहत आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत राउरकेला हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक संचालन की सुविधा के लिए एक ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट (ओ एंड एम) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ज्ञातव्य है कि उड़ान योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है।

समझौते के प्रमुख बिंदु

- सेल ने 2018 में, उड़ान योजना के अंतर्गत, वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन हेतु अपने निजी हवाई अड्डे के उपयोग के लिए एक समझौता किया था।
- वर्तमान में सेल ने राउरकेला से वाणिज्यिक उड़ान शुरू करने के लिए राउरकेला स्टील प्लांट के जरिये एएआई के साथ ओ एंड एम अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- ओडिशा सरकार अन्य स्थानीय क्लिएरेन्सेज की प्राप्ति के अलावा सुरक्षा, फायर और एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करेगी।
- सेल - राउरकेला स्टील प्लांट की ओर से एएआई , हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन करेगा।

निर्णय के निहितार्थ

- यह हवाई अड्डा औद्योगिक शहर राउरकेला और आसपास के सभी हवाई यात्रियों को हवाई कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा।
- आगामी हॉकी विश्व कप की दृष्टि से भी हवाई सेवा की यह शुरुआत महत्वपूर्ण है, जहां जनवरी 2023 के दौरान विश्वकप के कुल 44 हॉकी मैचों में से 20 मैच आयोजित किए जा रहे हैं।
- इस वैश्विक आयोजन के दौरान राउरकेला में लोगों का भारी संख्या में आवागमन होगा।

- इस दृष्टि से आवागमन की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह हवाई संपर्क एक प्रमुख आवश्यकता बनकर उभरेगा ।

महारत्न कंपनी सेल की भूमिका

- देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक और सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी सेल अपने संयंत्रों और इकाइयों के आस-पास के क्षेत्रों के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही है।
- कंपनी के जनहित की दिशा में किए जा रहे इस प्रयास से, इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

उड़ान योजना

- उड़ान योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है।
- UDAN का पूर्ण रूप 'उड़े देश का आम नागरिक' है।
- इसका उद्देश्य छोटे क्षेत्रीय हवाई अड्डों को विकसित करना है, ताकि आम नागरिकों को विमानन सेवाओं तक सुगम पहुँच की सुविधा प्रदान की जा सके।

उड़ान योजना का उद्देश्य

- 2016 में प्रारंभ की गई उड़ान योजना का उद्देश्य उड़े देश का आम नागरिक की अवधारणा का पालन करते हुए टियर II और III शहरों में एक उन्नत विमानन बुनियादी ढांचे और हवाई संपर्क के साथ आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करना है।
- 5 वर्षों की छोटी सी अवधि में आज 415 उड़ान मार्ग 66 अंडरसर्व्ड/अनसर्व्ड हवाई अड्डों को जोड़ते हैं, जिसमें हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम शामिल हैं और 92 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित हुए हैं।

क्षेत्रीय संपर्क योजना किस मंशा से शुरू की गई?

- देश में 425 कम सेवा वाले या बिना सेवा वाले हवाई अड्डों का संचालन और विकास करना।
- तेजी से कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करके समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- नौकरी के विकास में सहायता के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई परिवहन के बुनियादी ढांचे का विकास करना।
- उड़ान योजना राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा
- यह योजना राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी) का एक हिस्सा है और भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित है।
- इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
  - योजना की अवधि 10 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है।
  - UDAN में भाग लेने वाली एयरलाइंस का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार का दायित्व

- उड़ान योजना में भाग लेने वाली एयरलाइनों के लिए वैल्यू गैप फंडिंग (वीजीएफ) को कवर करने के लिए सब्सिडी के प्रविधान किये गए हैं।
- योजना का उपयोग करके बुक किए गए टिकटों पर रियायती जीएसटी की सुविधा प्रदान की गई है।
- नीति के तहत उड़ानों के लिए कोडशेयरिंग की व्यवस्था की गई है।

राज्य सरकारें निम्नलिखित उपायों का विस्तार करेंगी

- जीएसटी में 10 साल के लिए 1% की कमी
- ईंधन भरने की सुविधा के लिए तेल कंपनियों के साथ समन्वय
- हवाई अड्डे और सहायक विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराना
- प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी
- रियायती दरों पर उपयोगिताएँ
- वीजीएफ का 20%

एएआई जैसे हवाईअड्डा संचालक निम्नलिखित रियायतें प्रदान करेंगे

- भाग लेने वाले हवाई अड्डों पर कोई पार्किंग, लैंडिंग और भंडारण शुल्क नहीं
- शून्य टीएनएलसी (टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क)
- बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित एयरलाइन द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग की अनुमति दें
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा RNCF (रूट नेविगेशन और सुविधा शुल्क) को सामान्य दरों के 42.4% तक छूट दी जाएगी।

उड़ान 4.1

- उड़ान 4.1 मुख्यतः छोटे हवाई अड्डों, विशेष तौर पर हेलीकॉप्टर और सी-प्लेन मार्गों को जोड़ने पर केंद्रित है।
- सागरमाला विमान सेवा के तहत कुछ नए मार्ग प्रस्तावित किये गए हैं।
- सागरमाला सी-प्लेन सेवा संभावित एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे अक्तूबर 2020 में शुरू किया गया था।

उड़ान योजना के निम्नलिखित चरण हैं:

- **उड़ान 1.0:** 5 एयरलाइन कंपनियों को 70 हवाई अड्डों (36 नए बनाए गए परिचालन हवाई अड्डों सहित) के लिये 128 उड़ान मार्ग की सुविधा प्रदान की गई।
- **उड़ान 2.0:** वर्ष 2018 में 73 ऐसे हवाई अड्डों की घोषणा की जहाँ कोई विमान सेवा की सुविधा नहीं थी अथवा उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवा बहुत कम थी। उड़ान योजना के दूसरे चरण के तहत पहली बार हेलीपैड भी योजना से संबद्ध किया गया।
- **उड़ान 3.0:** पर्यटन मार्गों का समावेश, जलीय हवाई अड्डे को जोड़ने के लिये जल विमान को शामिल किया गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई मार्गों को उड़ान के दायरे में लाया गया।
- **उड़ान 4.0:** वर्ष 2020 में देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये 78 नये मार्गों के लिये स्वीकृति प्रदान की गई, लक्षद्वीप के मिनिकॉय, कवरत्ती और अगत्ती द्वीपों को शामिल करने की योजना है।
- **उड़ान 4.1:** यह मुख्यतः छोटे हवाई अड्डों विशेषतः हेलीकॉप्टर और सी-प्लेन मार्गों को संबद्ध करने पर केन्द्रित है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के 5 वर्ष, प्रदर्शन और लक्ष्य

- क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) ने अगस्त 2022 को अपनी सफलता के 5 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं।

- विदित है कि 27 अप्रैल, 2017 को प्रधानमंत्री ने इसकी पहली उड़ान शुरू की थी।
- योजना की शुरुआत टियर II और टियर III शहरों में उन्नत विमानन संरचना और एयर कनेक्टिविटी के साथ "उड़े देश का आम नागरिक" की परिकल्पना के बाद आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर, 2016 को हुई थी।
- गत पांच वर्षों में उड़ान ने देश में क्षेत्रीय हवाई-संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

भारत में हवाई अड्डे

- 2014 में चालू हवाई अड्डों की संख्या 74 थी। उड़ान योजना के कारण यह संख्या अब तक बढ़कर 141 हो गई है।
- उड़ान योजना के अंतर्गत 58 हवाई अड्डे, 8 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एरोड्रोम सहित 68 अपर्याप्त सुविधाओं वाले गंतव्यों को जोड़ा गया है।
- योजना के तहत शुरू किए गए 425 नए मार्गों के साथ उड़ान ने देश भर में 29 से अधिक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को हवाई संपर्क प्रदान किया है।
- 4 अगस्त 2022 तक एक करोड़ से अधिक यात्रियों ने इस योजना का लाभ उठाया है।
- इस योजना ने क्षेत्रीय कैरियरों को अपना परिचालन बढ़ाने के लिए बेहद आवश्यक मंच प्रदान किया है।

लक्ष्य

- उड़ान के तहत 220 गंतव्यों (हवाई अड्डे/हेलीपोर्ट/वाटर एरोड्रोम) को 2026 तक 1000 मार्गों के साथ पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि देश के बिना संपर्क वाले गंतव्यों को हवाई संपर्क प्रदान किया जा सके।
- उड़ान के अंतर्गत 156 हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए 954 मार्ग पहले ही दिए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी)-2016

- आरसीएस-उड़ान को राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी)-2016 की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया था और इसे 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू रखने की योजना थी।
- इसमें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी फंड (आरसीएफ) के विकास के साथ एक स्व-वित्तपोषित तंत्र है।
- इस योजना के तहत, आरसीएफ बनाया गया था, जो कुछ घरेलू उड़ानों पर लेवी के माध्यम से योजना की वीजीएफ आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- इस तरह, क्षेत्र से उत्पन्न धन स्वयं क्षेत्र के विकास और विकास को प्रोत्साहित करता है।

उड़ान की आवश्यकता आधारित रूपरेखा

- लाइफलाइन उड़ान (महामारी के दौरान मेडिकल कार्गो पहुंचाने के लिए)।
- कृषि उड़ान (विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र {एनईआर} और जनजातीय जिलों में कृषि उत्पादों की मूल्य प्राप्ति)।
- एनईआर के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मार्ग गुवाहाटी और इंफाल से/के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी का पता लगाने के लिए।

लाइफलाइन उड़ान

- लाइफलाइन उड़ान पहल मार्च 2020 में कोविडज-19 अवधि के दौरान शुरू हुई थी।
- इसने देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 1000 टन भारी माल और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं के परिवहन के लिए 588 उड़ानों को संचालित करने में मदद की।

नवाचार श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

- आरसीएस-उड़ान को वर्ष 2020 के लिए नवाचार श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- 26 जनवरी, 2022 को उड़ान पर गणतंत्र दिवस की झांकी को रक्षा मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था।

केंद्रीय" श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार

- टियर II और III शहरों में विमानन बुनियादी ढांचे और वायु संपर्क को बढ़ाने के मंतव्य से नागरिक विमानन मंत्रालय की प्रमुख क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) को "नवाचार (सामान्य) - केंद्रीय" श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया।
- ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने राज्य/सरकार के जिलों और संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, उन्हें पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए इस पुरस्कार का शुभारंभ किया है।
- इस योजना में मात्रात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि के अतिरिक्त सुशासन, गुणात्मक उपलब्धियों और अंतिम मील तक संपर्क पर जोर दिया गया है। पुरस्कार में एक ट्रॉफी, पट्टिका और 10 लाख रुपये का प्रोत्साहन शामिल है।

सिविल सेवा दिवस 2022 पुरस्कार- प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों

- जन भागीदारी' या पोषण अभियान में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना
- खेलो इंडिया योजना के माध्यम से खेल और कल्याण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना
- पीएम स्वनिधि योजना में डिजिटल भुगतान और सुशासन
- इस वर्ष पांच चिन्हित प्राथमिकता कार्यक्रमों के लिए 10 पुरस्कार दिए गये, जबकि 6 पुरस्कार केंद्र, राज्य सरकार और जिलों के संगठनों को नवाचारों के लिए दिए गये।

उड़ान योजना का विस्तृत स्वरुप और देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- इस योजना के तहत 1 लाख 79 हजार से अधिक उड़ानें संचालित की गई हैं।
- उड़ान योजना ने पहाड़ी राज्यों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और द्वीपों सहित संपूर्ण भारत के कई क्षेत्रों को अत्यधिक लाभान्वित किया है।
- उड़ान का देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उद्योग हितधारकों विशेषकर एयरलाइंस संचालकों और राज्य सरकारों से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली हैं।

- इस योजना के तहत 350 से अधिक नए शहरों को जोड़ने की योजना है, जबकि 200 शहर पहले से जुड़े हैं और यह भौगोलिक रूप से देश भर में व्यापक रूप से फैले हुए हैं और साथ ही इस योजना के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है।

सागरमाला सी-प्लेन

- यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी।
- "सागरमाला सीप्लेन सर्विसेज (एसएसपीएस)" का कार्यान्वयन और निष्पादन एसपीवी के माध्यम से सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, एसडीसीएल, शिपिंग मंत्रालय के नियंत्रण में होगा।
- 31 अक्टूबर 2020 को, प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में केवड़िया और साबरमती रिवरफ्रंट के बीच एक सीप्लेन सर्विस ऑपरेशन का उद्घाटन किया।

सागरमाला सीप्लेन सेवाओं का महत्व

- दूरस्थ स्थानों से कनेक्टिविटी हब और स्पोक मॉडल के तहत सीप्लेन सेवाओं के माध्यम से, दूरस्थ स्थानों तक आसानी से पहुँचा जा सकता है और परस्पर जुड़ा जा सकता है।
- एसएसपीएस के तहत विभिन्न दूरस्थ धार्मिक या पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। यह दूरस्थ स्थानों की आर्थिक समृद्धि में भी सहायक होगा।
- रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

सागरमाला परियोजना के घटक

- बंदरगाह आधुनिकीकरण और नया बंदरगाह विकास - मौजूदा बंदरगाहों की क्षमता का विस्तार और नए बंदरगाहों का विकास।
- पोर्ट कनेक्टिविटी वर्धन - घरेलू जलमार्गों सहित मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स समाधानों के माध्यम से पोर्ट-इन्टरलैंड कनेक्टिविटी में सुधार, लागत और कार्गो की आवाजाही के समय का अनुकूलन।
- पोर्ट-लिंक्ड औद्योगीकरण - बंदरगाहों के करीब औद्योगिक समूहों का विकास और तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास।
- तटीय सामुदायिक विकास - कौशल विकास और आजीविका सृजन गतिविधियों, मत्स्य विकास, तटीय पर्यटन आदि के माध्यम से तटीय समुदायों के सतत विकास को बढ़ावा देना।
- तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन - टिकाऊ अंतर्देशीय और तटीय जलमार्ग मोड के माध्यम से कार्गो को स्थानांतरित करना।

स्रोत: द हिन्दू

जी-20 शिखर सम्मेलन 2022, बाली घोषणा और भारत

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित

प्रारम्भिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते

प्रसंग

- हाल ही में, रूसी आक्रामकता, वैश्विक अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श के साथ प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अंतर-सरकारी मंच 'जी-20 शिखर सम्मेलन' इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ।
- ज्ञातव्य है कि इंडोनेशिया के बाली में 17वें जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 18वाँ शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा।

जी-20 की पृष्ठभूमि

- जी-20 ग्रुप का गठन 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था
- 1999 से वित्त मंत्रियों की वार्षिक बैठक होती रही है।
- पहला जी-20 शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी, यूएस में हुआ था।
- G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।

जी-20 और प्रतिनिधित्व

- विश्व की 60% आबादी
- वैश्विक जीडीपी का 80%
- वैश्विक व्यापार का 75%

बाली घोषणा

यूक्रेन युद्ध

- बाली घोषणा में उल्लिखित है कि यूक्रेन में युद्ध ने वैश्विक आर्थिक कठिनाइयों को पैदा किया है और विश्व सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बना हुआ है।
- इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- बाली घोषणा पत्र में कहा गया है कि चुनौतियों के समाधान के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर ठोस, सटीक, और तेजी से कार्रवाई की आवश्यकता है।
- इसने युद्ध में परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी को भी "अस्वीकार्य" करार दिया।
- ज्यादातर सदस्य देशों ने इस बात पर बल दिया कि हिंसक संघर्ष की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को काफी कष्ट और नुकसान उठाना पड़ रहा है।
- अधिकांश सदस्यों ने यूक्रेन में युद्ध की कड़ी निंदा की और इस बात पर बल दिया कि यह अत्यधिक मानवीय पीड़ा का कारण बन रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूदा कमजोरियों को बढ़ा रहा है –

- विकास में बाधक,
- बढ़ती महंगाई,
- आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करना,
- ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना और
- वित्तीय स्थिरता के जोखिम को बढ़ाने के लिए जवाबदेह है

सुरक्षा संकट

- जी 20 घोषणा में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सुरक्षा संकट का सामना करने के हेतु प्रभावी कदम उठाने का आह्वान किया गया।

बाली घोषणा और सुरक्षा संकट

- काले धन को वैध बनाना
- आतंकवाद के वित्तपोषण
- इनके वित्तपोषण के प्रसार से जुड़े मुद्दे
- घोषणापत्र ने इन खतरों का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) और एफएटीएफ-शैली वाले क्षेत्रीय निकायों (एफएसआरबी) से "वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व" करने का आग्रह किया गया।

बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली (एमटीएस)

- आयोजन में शामिल पक्षों ने सदस्य राज्यों के बीच समावेशी विकास के लिए "नियम-आधारित, गैर-भेदभावपूर्ण, मुक्त, निष्पक्ष, खुला, समावेशी, न्यायसंगत, टिकाऊ और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली (MTS) की महत्ता को रेखांकित किया, जिसके मूल में विश्व व्यापार संगठन है,

खाद्य सुरक्षा

- जी-20 समूह के देशों ने मौजूदा संघर्षों और उत्पन्न तनाव से वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए उत्पन्न चुनौतियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
- समूह ने जीवन बचाने, भूख और कुपोषण को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- इंडोनेशिया के बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में, सदस्य देशों ने स्थायी और मजबूत कृषि और खाद्य प्रणालियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की दिशा में तेजी से परिवर्तन का आह्वान किया।
- घोषणा पत्र में वैश्विक खाद्य संकट को दूर करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर कमजोर लोगों को भूख से बचाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
- घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि सदस्य देश, वैश्विक स्तर पर मूल्य वृद्धि, खाद्य वस्तुओं और उर्वरकों की कमी सहित खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए मिलकर कार्रवाई करेंगे।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

- वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए स्थितियां गंभीर बताते हुए घोषणा पत्र में कहा गया कि यह आवश्यक है कि जी-20 वर्तमान की सभी चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीतिगत स्तर पर अपने सभी साधनों का उपयोग करते हुए ठोस, सटीक, तेज और आवश्यक कार्रवाई करे।
- पहले से ही संकटग्रस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और दबाव बन रहा है। विकास की गति बाधित हो रही है, मंहगाई बढ़ रही है, आपूर्ति क्रंखला बाधित हो रही है। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर संकट गहरा रहा है। आर्थिक स्थायित्व खतरे में पड़ गया है।
- घोषणा पत्र में इस बात पर बल दिया गया कि मौजूदा स्थितियों में शांति और स्थायित्व बनाये रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुस्तरीय व्यवस्था का मजबूत रहना आवश्यक है।

18वाँ जी-20 शिखर सम्मेलन और भारत

- इंडोनेशिया के बाली में 17वें जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- बाली में जी20 के 17वें शिखर सम्मेलन में भारत को इसकी कमान सौंपी गई है।
- 17वें जी20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को प्रदान की।
- विदित है कि 1 दिसंबर से एक वर्ष के लिए भारत जी20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा और अपने जी20 के एजेंडे को आगे लेकर जाएगा।

बाली घोषणा और भारत

डिजिटल परिवर्तन

- डिजिटल परिवर्तन पर जी-20 बैठक को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने डिजिटल पहुंच का आह्वान किया, जो वास्तव में समावेशी है।
- यह सुनिश्चित करना जी-20 नेताओं की जिम्मेदारी है कि डिजिटल परिवर्तन के लाभ मानव जाति के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित न रहें।
- उन्होंने अगले 10 वर्षों में हर मनुष्य के जीवन में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए काम करने के लिए जी-20 नेताओं द्वारा प्रतिज्ञा लेने की भी मांग की।
- उन्होंने कहा कि "विकास के लिए डेटा" का सिद्धांत भारत की आगामी जी-20 अध्यक्षता के समग्र विषय का एक अभिन्न अंग होगा।
- गत वर्ष दुनिया के 40% से अधिक रीयल-टाइम भुगतान लेन-देन यूपीआई के माध्यम से हुए।
- भारत ने डिजिटल पहचान के आधार पर 460 मिलियन नए बैंक खाते खोले, जिससे आज भारत वित्तीय समावेशन में वैश्विक अग्रणी बन गया है।

पर्यावरण से उत्पन्न चुनौतियां

- पर्यावरण से उत्पन्न चुनौतियों पर बढती चिन्ता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व की भावना के कारण संघर्ष बढ रहे हैं और यह पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बन गई है।
- उन्होंने कहा कि न्यासी की भावना ही धरती के सुरक्षित भविष्य का समाधान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान इस समस्या के समाधान में बड़ा योगदान दे सकता है।

महिलाओं की भागीदारी

- सभी मनुष्यों को विकास के लाभ उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है, जो कि महिलाओं की भागीदारी के बिना असंभव है।
- महिलाओं के नेतृत्व में विकास जी-20 की प्राथमिकता होनी चाहिए।
- शांति और सुरक्षा के बिना भविष्य की पीढियां आर्थिक वृद्धि या प्रौद्योगिकी नवाचार का लाभ नहीं उठा सकेंगी।
- जी-20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में कडा संदेश देना चाहिए।

- ये सभी प्राथमिकताएं भारत की जी-20 अध्यक्षता के विषय- एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य में पूरी तरह समाहित है।

बाली घोषणा और भारत की स्थिति

- घोषणा ने युद्ध की शुरुआत के बाद से निम्नलिखित पर भारत की स्थिति को सुदृढ़ किया
  - संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लिए सम्मान
  - कूटनीति और संवाद का समर्थन
  - शांति और स्थिरता की आवश्यकता
  - परमाणु हथियारों के उपयोग और उपयोग की धमकी के विरुद्ध

भारत सर्वसम्मति निर्माता के रूप में

- भारत जी-20 विज्ञप्ति तैयार करने में अपने सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से एक नेता, समाधान प्रदाता और आम सहमति निर्माता के रूप में उभरा है।
- वर्ष भर की सभी बैठकें विफल होने और पूरी तरह से गतिरोध रहने के बाद भारत ने देशों के बीच आम सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।
- भारत ने अंतिम वक्तव्य और वक्तव्य की प्रस्तावना का मसौदा तैयार करने के लिए सभी विकासशील देशों और उभरते बाजारों के साथ साझेदारी में काम किया।
- भारत ने यह सुनिश्चित किया कि घोषणा में देश के दृष्टिकोण को प्रमुखता से दर्शाया जाए।

भारत निम्नलिखित पर विज्ञप्ति में महत्वपूर्ण संदर्भ प्राप्त करने में भी सफल रहा

- सतत विकास और जीवन शैली,
- 2025 के बाद जलवायु वित्त के लिए नए मात्रात्मक लक्ष्य
- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा अतिरिक्त वित्त
- 2030 के एजेंडे को लागू करने के उद्देश्य से बहुपक्षीय सुधार,

जी-20

क्या है?

- G20 ग्रुप का गठन 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को प्रभावित किया था।
- इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल कर वैश्विक स्थिरता को सुरक्षित करना है।

उद्देश्य

- वैश्विक आर्थिक स्थिरता, सतत विकास हासिल करने के लिए सदस्यों के मध्य नीति समन्वय।
- वित्तीय नियमों को बढ़ावा देना,जो जोखिमों को कम करते हैं और भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकते हैं।
- नई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना।

सदस्य

- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- G-20 सम्मेलन में स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है।

जी-20 और वैश्विक चुनौतियां

- रूस-यूक्रेन संघर्ष
- बढ़ती कीमतों विशेषकर खाद्य मूल्यों में वृद्धि
- ऊर्जा
- स्टैगफ्लेशन का खतरा
- मुद्रास्फीतिजनित मंदी

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत की मातृभाषा सर्वेक्षण और इसके निहितार्थ

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप

प्रसंग

- हाल ही में, गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs- MHA) के तत्वावधान में देशभर की 576 भाषाओं और बोलियों की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण (Mother Tongue Survey of India- MTSI) का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ज्ञातव्य है कि भारतीय भाषा सर्वेक्षण (एलएसआई) एक नियमित शोध गतिविधि है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)

संबद्ध जानकारी

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) भारत सरकार का प्रौद्योगिकी भागीदार है।
- एनआईसी की स्थापना वर्ष 1976 में केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।

जनादेश

- सरकार का प्रौद्योगिकी भागीदार।
- सरकार के लिए आईटी सिस्टम डिजाइन विकसित करना।
- सरकार को आईसीटी अवसंरचना प्रदान करना।
- उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर अन्वेषण और सलाह देना।

भारतीय भाषा सर्वेक्षण (एलएसआई)

- गृह मंत्रालय के अनुसार, भारतीय भाषा सर्वेक्षण (एलएसआई) एक नियमित शोध गतिविधि है।
- इस परियोजना के तहत पहले के प्रकाशनों के क्रम में, एलएसआई झारखंड का काम पूर्ण हो गया है और एलएसआई हिमाचल प्रदेश का काम पूरा होने वाला है।
- एलएसआई तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय कार्य जारी है।

'वेब' संग्रह की स्थापना

- गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक स्वदेशी मातृभाषा के वास्तविक रूप को संरक्षित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) में एक 'वेब' संग्रह स्थापित करने की योजना बनाई गई है।
- प्रतिवेदन के अनुसार, इसके लिए स्वदेशी भाषाओं से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित करने का कार्य जारी है।
- मातृभाषाओं के 'स्पीच डेटा' का संग्रह करने के उद्देश्य से इसकी वीडियो को 'एनआईसी सर्वर' पर साझा किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- जनगणना का काम कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण रोक दिया गया था।
- वर्ष 2011 की जनगणना के बाद से 31 दिसंबर 2019 तक देश में हुए क्षेत्राधिकार परिवर्तन को भू-संदर्भित 'डेटाबेस' में अद्यतन किया गया है और इसे आगे भी अद्यतन किया जा रहा है।
- मंत्रालय की इस रिपोर्ट में उल्लिखित है कि वेब आधारित इंटरेक्टिव मानचित्रों के माध्यम से जनगणना परिणामों के प्रसार के प्रयास किए जा रहे हैं।
- इसके अंतर्गत कुछ पहलों में जनगणना मानचित्रण गतिविधियों को त्वरित और कुशल तरीके से पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर के संस्करणों और री-मॉड्यूल की खरीद और नवीनतम सॉफ्टेवयर का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित सभी मैपिंग श्रमशक्ति को शामिल किया जा रहा हैं।

उद्देश्य

- प्रत्येक देशी मातृभाषा के मूल प्रकृति को संरक्षित और विश्लेषण करना।

सर्वेक्षण एजेंसी

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ऑडियो-वीडियो फाइलों में सर्वेक्षण की गई मातृभाषाओं के भाषाई डेटा का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करेंगे।

विशेषताएं

- इस सर्वेक्षण के तहत 576 मातृभाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी की गई।
- इन भाषाओं और बोलियों के वीडियो-ग्राफ किए गए भाषण डेटा को संग्रह के उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) सर्वर पर अपलोड किया जाएगा।

मातृभाषाएं

- 2018 में भाषाई जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, भारत में 19,500 से अधिक भाषाएँ या बोलियाँ मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं।
- श्रेणी "मातृभाषा" प्रतिवादी द्वारा प्रदान किया गया एक पदनाम है, लेकिन यह वास्तविक भाषाई माध्यम के समान नहीं होना चाहिए।
- फलतः इन भाषाओं को भाषाई जांच के अधीन, उन्हें 121 मातृभाषाओं में वर्गीकृत किया गया।

सर्वाधिक बोली जाने वाली मातृभाषा का क्रम (2011 की भाषाई जनगणना)

1. हिंदी (52.8 करोड़ लोग अथवा 43.6% आबादी)
2. बंगाली (लगभग 8 प्रतिशत जनसंख्या)
3. मराठी (7.09 फीसदी)
4. तेलुगू (6.93 फीसदी)
5. गुजरात (4.74 फीसदी)

2011 की भाषाई जनगणना

- 2011 की जनगणना के भाषा संबंधी आंकड़े के अनुसार, हिंदी भारत की सबसे तेजी से प्रसारित होने वाली भाषा है।
- वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के मध्य के दस वर्षों में हिंदी बोलने वाले लोगों संख्या में करीब 10 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है।
- आंक़ड़ों के अनुसार, इस दौरान हिंदी की वृद्धि दर 25.19 फीसदी रही।
- 2011 के जनगणना के आधार पर भारतीयों भाषाओं के आंकड़े के अनुसार 43.63 प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है, वहीं 2001 के जनगणना के सापेक्ष हिंदी को अपनी मातृभाषा घोषित करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- भारत में सबसे ज्यादा करीब 52 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, इसके बाद 9.7 करोड़ लोग बंगाली और दो लाख साठ हजार लोगों ने अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा बताया है।
- विगत 10 वर्षों में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या में 14.67 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है, अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा मानने वाले लोग सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में हैं।
- इसके बाद अंग्रेजी को अपनी पहली भाषा मानने वाले लोग सबसे ज्यादा तमिलनाडु और कर्नाटक में हैं।
- तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुआ है।
- उक्त दोनों राज्यों में हिंदी, असमिया और उड़िया बोलने वाले लोगों की संख्या में 33 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है।
- तमिलनाडु और केरल में हिंदी बोलने वालों की संख्या में व्यापक रूप से वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं उत्तर भारत के राज्यों में तमिल और मलयालम बोलने वालों की संख्या तेजी से घट रही है
- इन आंकड़ो से स्पष्ट है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत आने वालों की संख्या लगातार घट रही है।

- मुंबई में कन्नड़ और तेलगु को अपनी मातृभाषा मानने वालों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है।
- सत्तर और अस्सी के दशक में मुंबई दक्षिण भारत के लोगों का अनुकूल शहर हुआ करता था, लेकिन अब दक्षिण के राज्यों में मुंबई का आकर्षण कम हुआ है।

भारतीय भाषाई सर्वेक्षण (LSI)

- छठी पंचवर्षीय योजना के बाद से देश में एक नियमित अनुसंधान गतिविधि है।
- प्राथमिक उद्देश्य एक अद्यतन भाषाई परिदृश्य प्रस्तुत करना है।
- उद्देश्य संबंधित राज्यों में सामाजिक/शैक्षिक योजनाकारों को उनकी योजना के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना है ताकि वे परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

शिक्षा में मातृभाषा का स्थान

- शिक्षा के मूलभूत चरणों के लिए पिछले महीने शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (एनसीएफ) ने संस्तुति की है कि आठ वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूलों में मातृभाषा शिक्षा का प्राथमिक माध्यम होना चाहिए।
- वहीं, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से प्राथमिक स्कूली शिक्षा के लिए।
- नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (एनसीएफ), जो प्री-स्कूल और कक्षा I-II से संबंधित है, शिक्षा के प्राथमिक माध्यम के रूप में मातृभाषा के गुणों पर बल देते हुए कहता है कि जब तक बच्चे प्री-स्कूल में शामिल होते हैं, तब तक वे "घर में बोले जाने वाली भाषा" में महत्वपूर्ण योग्यता हासिल कर लेते हैं।
- एनसीएफ के अनुसार, अनुसंधान से प्राप्त साक्ष्य मूलभूत वर्षों और उसके बाद के दौरान बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के महत्व की पुष्टि करते हैं।
- चूंकि बच्चे अपनी घरेलू भाषा में अवधारणाओं को सबसे तेजी से और गहराई से सीखते हैं, इसलिए शिक्षा का प्राथमिक माध्यम बच्चे की घरेलू भाषा/मातृभाषा/फाउंडेशनल स्टेज में परिचित भाषा होगी।
- सितंबर 2022 में, राष्ट्रपति मुर्मू ने जोर देकर कहा कि यदि किसी को मातृभाषा में पढ़ाया जाए, तो विज्ञान, साहित्य और सामाजिक विज्ञान में प्रतिभा विकास अधिक प्रभावी हो सकता है।
- जुलाई 2022 में, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में शिक्षा प्राप्त करने से 95 प्रतिशत भारतीयों को अपनी वास्तविक क्षमता प्राप्त करने बाधा उत्पन्न होती है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 का उद्देश्य मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना है।

जनसंख्या जनगणना की स्थिति

- आगामी दशकीय जनसंख्या जनगणना 1872 में किए गए पहले अभ्यास के बाद से 16वीं क्रम की होगी।
- आजादी के बाद से यह आठवीं जनगणना होगी।
- यह जनगणना 2021 में होनी थी, किन्तु कोविड -19 महामारी के प्रकोप के कारण स्थगित कर दी गई थी।
- कुशल प्रसंस्करण और डेटा की त्वरित रिलीज सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्रालय ने कहा है कि उसने कुछ नई पहलों को अपनाया है, जिसमें डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है।

नई शिक्षा नीति, 2020 और भाषाई विविधता संबंधी प्रावधान

- नई शिक्षा नीति-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है।
- साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।
- शिक्षा नीति आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में पृथक अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव करती है। यह प्रस्ताव भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्वक पाठ्य सामग्री के निर्माण तथा शोध की संभावनाओं के अगणित द्वार अनावृत्त करेगा। अनुवाद तथा व्याख्या हेतु एक राष्ट्रीय संस्थान का संकल्प भी इस नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है।
- देशभर में कुशल भाषा शिक्षकों, अनुवादकों, भारतीय भाषाओं में पाठ्य वस्तु का निर्माण करने में सक्षम विद्वानों आदि नवीन रोजगार के अवसर भी इससे सृजित होंगे।
- सृजनात्मक साहित्य लेखन को पुरस्कार दिए जाने का विचार भी रचनात्मकता, मौलिकता और प्रतिभा को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही बहुभाषिकता एक विशिष्ट योग्यता बन जाएगी।
- एक से अधिक भारतीय भाषाओं का अधिकार रखने वाले व्यक्तियों की मांग सर्वत्र बढ़ जाएगी। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों की रचना और प्रकाशन द्रुतगति से बढ़ेगा।
- संस्कृत के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विशिष्ट दृष्टि रखती है। संस्कृत भाषा को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से इसे त्रि-भाषा सूत्र में एक विकल्प के रूप में रखने का निर्णय अनूठा और प्रशंसनीय है। साथ ही, शिक्षा नीति संस्कृत ज्ञान व्यवस्था को बहुविषयक तथा अंतरविषयी बनाने पर बल देती है।
- समग्र रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं के प्रति संवेदनशील है।

क्षेत्रीय भाषा में उच्च शिक्षा के सकारात्मक पहलू

- उच्च शिक्षा क्षेत्र में किये गए कई अध्ययन के अनुसार, अंग्रेज़ी माध्यम की अपेक्षा क्षेत्रीय माध्यम का उपयोग करने वाले छात्रों के लर्निंग आउटकम पर विशेष रूप से विज्ञान और गणित विषय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थानों में ड्रॉपआउट दरों के साथ-साथ कुछ छात्रों के खराब प्रदर्शन के लिये अंग्रेज़ी पर खराब पकड़ को प्रमुख कारण के रूप में देखा गया है।
- यह विशेष रूप से उन छात्रों के लिये प्रासंगिक है, जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी या ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जो अंग्रेज़ी जैसी किसी विदेशी भाषा में अपरिचित अवधारणाओं से भय अनुभव कर सकते हैं।
- यह अधिकाधिक छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने में सहायता करेगा और इस प्रकार उच्च शिक्षा क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio- GER) की वृद्धि करेगा।

- यह सभी भारतीय भाषाओं की क्षमता, उपयोग और जीवंतता को भी बढ़ावा देगा।
- इस प्रकार, निजी संस्थान भी भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने और/अथवा द्विभाषी कार्यक्रम पेश करने के लिये प्रेरित होंगे।
- यह भाषा-आधारित भेदभाव को रोकने में भी मदद करेगा।

संसदीय समिति की 11वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत संस्तुतियां

- अपनी 11वीं रिपोर्ट में संसदीय समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के आधार पर सिफारिशें तैयार कीं, जिसमें संकेत दिया गया कि शिक्षा का माध्यम या तो आधिकारिक या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए।
- 'ए' श्रेणी के राज्यों में हिंदी को सम्मानजनक स्थान दिया जाना चाहिए और इसका शत-प्रतिशत इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- पैनल ने सिफारिश की थी कि हिंदी भाषी राज्यों में आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिंदी और भारत के अन्य हिस्सों में उनकी संबंधित स्थानीय भाषा होनी चाहिए।
- संसद समिति के अनुसार, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,जैसे- उच्च शिक्षा संस्थानों में हिंदी का केवल 20-30% उपयोग किया जा रहा है, जबकि इसका 100% उपयोग किया जाना चाहिए।
- पैनल ने कहा कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और इस औपनिवेशिक प्रथा को दूर किया जाना चाहिए।
- समिति ने सुझाव दिया कि देश के सभी तकनीकी और गैर-तकनीकी संस्थानों (जैसे आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय विद्यालय) में हिंदी (हिंदी भाषी राज्यों में) और भारत के अन्य क्षेत्रों में उनकी संबंधित स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- अंग्रेजी के प्रयोग को वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए।
- समिति ने यह भी सिफारिश की कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में बनाया जाना चाहिए ।

`चुनौतियाँ

- भाषा प्रवीणता को प्राथमिक मानदंड के रूप में देखने से नियुक्ति पर प्रभाव
- अखिल भारतीय प्रवेश लेने वाले संस्थानों के लिये निरर्थक उपक्रम
- क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सामग्री की अनुपलब्धता
- नियोजन से संबद्ध चुनौती
- क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन रोज़गार के अवसरों को और बाधित कर सकता है।
- भारत में उच्च शिक्षा के अंग्रेज़ी माध्यम की विरासत रही है, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण करने के इच्छुक और क्षमतावान गुणवत्तायुक्त शिक्षकों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी।
- वैश्विक मानकों के साथ गति बनाए रखने से जुड़ी चुनौतियाँ
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय छात्रों के लिये अवसरों की कमी
- यह शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण के भी विरुद्ध है।

निष्कर्ष

- द्रुत गति से वैश्वीकृत होते विश्व में देशी भाषा में शिक्षण के निहितार्थ के लिये एक समग्र दृष्टिकोण को आत्मसात करने की आवश्यकता है।
- साथ ही "मातृभाषा और अंग्रेज़ी" को एक दुसरे का विरोधी मानने की अपेक्षा "मातृभाषा और अंग्रेज़ी के योग" की दिशा में काम करने की आवश्यकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, द हिन्दू

भारत के शहरी बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण: विश्व बैंक रिपोर्ट

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, बैंकिंग क्षेत्र

प्रसंग

- हाल ही में, विश्व बैंक के तत्वावधान में 'फाइनेंसिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स: कंस्ट्रेंट्स टू कमर्शियल फाइनेंसिंग एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पॉलिसी एक्शन' नामक शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार; भारत को तेजी से बढ़ते शहरी जनसंख्या की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आगामी 15 वर्षों में शहरी बुनियादी ढांचे में $840 बिलियन (प्रति वर्ष औसतन $55 बिलियन) के निवेश की आवश्यकता होगी।

विषयगत महत्वपूर्ण बिंदु

- **विश्व बैंक-** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, जो पूंजी कार्यक्रमों हेतु विश्व के विभिन्न देशों को ऋण प्रदान करता है।
- **उद्देश्य-** गरीबी कम करने और उत्पादक क्षमता को बढ़ाने वाली परियोजनाओं को अपनाने के लिए तत्पर विकासशील सदस्य देशों को उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना है।

शहरीकरण

- शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार (क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि का विस्तार) को शहरीकरण के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी 'शहरीकरण' है।

विश्व बैंक समूह में शामिल संस्थान

- पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक

- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम
- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ
- निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र
- बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी

प्रतिवेदन संबद्ध मुख्य अंश

शहरी जनसंख्या

- वर्ष 2036 तक, 600 मिलियन लोग अथवा 40% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही होगी।
- रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि स्वच्छ पेयजल, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, कुशल और सुरक्षित सड़क परिवहन आदि की मांग में वृद्धि होगी
- बढती जनसंख्या से भारत के पहले से ही अत्यधिक बोझ का सामना कर रहे शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

शहरी परियोजनाओं का वित्तपोषण

- वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकारें शहर के बुनियादी ढांचे के 75% से अधिक का वित्तपोषण करती हैं।
- शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) अपने स्वयं के अधिशेष राजस्व के साथ 15% का वित्तपोषण करते हैं।
- वर्तमान में भारतीय शहरों की बुनियादी सुविधाओं की केवल 5% आवश्यकताओं को निजी स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है।
- एक विनियामक वातावरण और राजस्व संग्रह का शहरों के निजी वित्तपोषण पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है।

राजस्व के संग्रह में कमी

- 2011 और 2018 के मध्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों के सकल घरेलू उत्पाद के औसत 0.3-0.6% की तुलना में शहरी संपत्ति कर, सकल घरेलू उत्पाद का 0.15% था।
- लागत वसूली और वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक सेवा शुल्कों को कम रखने के नीतिगत निर्णय राजस्व संग्रह प्रभावित करते हैं ।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)
- पिछले एक दशक में भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के लिए पीपीपी लेन-देन में (मौद्रिक मूल्य और लेन-देन की मात्रा दोनों में) कमी आई है।
- उदाहरण के लिए, शहरी क्षेत्र में वर्ष 2000 से 5.5 बिलियन डॉलर मूल्य की 124 पीपीपी परियोजनाएं संचालित की गई हैं।

कार्यान्वयन प्रदर्शन में कमी

- राज्य और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) धीरे-धीरे स्मार्ट सिटीज (एससीएम) और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) जैसे कई प्रमुख मिशनों को कार्यान्वित कर रहे हैं।
- पूरे भारत में यूएलबी ने पिछले छह वित्तीय वर्षों में एससीएम और अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (एएमआरयूटी) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के परिव्यय का लगभग पांचवां हिस्सा ही निष्पादित किया है।
- यह मुख्य रूप से शहर के स्तर पर कार्यान्वयन क्षमता में बाधाओं के कारण हुआ।

रिपोर्ट में प्रस्तुत संस्तुतिया

- भारत के शहरों को हरित, स्मार्ट, समावेशी और सतत शहरीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए बड़ी मात्रा में वित्तपोषण की आवश्यकता है ।
- इस हेतु शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के लिए निजी स्रोतों से अधिक उधार लेने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना महत्वपूर्ण होगा।
- भारत सरकार उन बाज़ार बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिनका सामना शहरों को निजी वित्तपोषण प्राप्त करने में करना पड़ता है।
- मध्यम अवधि में, कराधान नीति और राजकोषीय हस्तांतरण प्रणाली सहित संरचनात्मक सुधारों की एक श्रृंखला शहरों को अधिक निजी वित्तपोषण का लाभ उठाने की अनुमति दे सकती है।
- अल्पावधि में, बड़े उच्च क्षमता वाले शहरों के एक समूह की पहचान करना, जो निजी वित्तपोषण की उच्च मात्रा को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं।
- बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उपरोक्त सुझावों को लागू करने के लिए शहर के अधिकारियों की क्षमता का विस्तार करना महत्वपूर्ण होगा।

शहरीकरण से आशय

- शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार (क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि का विस्तार) को शहरीकरण (Urbanisation) के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी 'शहरीकरण' है।
- शहरीकरण में आर्थिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह शामिल है, जो कस्बों और शहरों में रहने वाले क्षेत्र की आबादी के अनुपात में वृद्धि करता है।

भारत में शहरीकरण

भारत में शहरीकरण (जनगणना 2011)

- भारत में, 1 मार्च, 2011की स्थिति के अनुसार; कुल 1210.2 मिलियन जनसंख्या में से लगभग 377.1 मिलियन जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। पिछले दशक से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या में निवल वृद्धि 91.0 मिलियन है।
- देश की कुल जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.6 है। वर्ष 2001-2011 के दौरान देश में शहरी जनसंख्या के अनुपात में 3.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- जनगणना 2011 के अंतिम परिणामों से यह पता चलता है कि दशकों से 2774 कस्बों की वृद्धि हुई है, जिसमें 242 सांविधिक और 2532 जनगणना कस्बे शामिल हैं।
- शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि दर 31.8% थी।

- चीन और नाइजीरिया के साथ भारत सबसे तेजी से शहरीकरण करने वाले देशों में अग्रणी हैं। इनका 2018-2050 की अवधि के लिए अनुमानित विश्व शहरी जनसंख्या वृद्धि का 35% हिस्सा हैं।
- 2018 में बड़ी संख्या में भारत के शहरों की आबादी 300,000 से 1 मिलियन निवासियों के बीच है। इस तरह के जनसंख्या आकार के 120

मध्यम आकार के शहर हैं और 20 मिलियन या अधिक निवासियों के साथ केवल पांच शहरी बस्तियां हैं।

- भारत में, शहरी आबादी 461 मिलियन लोगों की है। यह संख्या प्रत्येक वर्ष 2.3 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। 2031 तक, भारत की राष्ट्रीय आय का 75 प्रतिशत शहरों से आने का अनुमान है।
- यद्यपि, शहरों में बढती आबादी के अनुरूप आवश्यक शहरी आधारभूत संरचना प्रदान करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2050 तक आवश्यक बुनियादी ढांचे का 70 से 80 प्रतिशत कार्य किया जाना शेष है, जिनका अनुमानित निवेश अंतर लगभग 827 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

राज्यवार डेटा

- देश की 75% से अधिक शहरी आबादी 10 राज्यों (महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल) में निवास करती है।
- महाराष्ट्र में 50.8 मिलियन लोग हैं, जो देश की कुल शहरी आबादी का 13.5% है।
- उत्तर प्रदेश में लगभग 44.4 मिलियन, इसके बाद तमिलनाडु में 34.9 मिलियन लोग रहते हैं।
- 62.2% शहरी आबादी के साथ गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है।
- तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में 40% से अधिक शहरीकरण हो चुका है।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों में, मिजोरम 51.5% शहरी आबादी के साथ सबसे अधिक शहरीकृत है।
- बिहार, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश का शहरीकरण राष्ट्रीय औसत से निचले स्तर पर बना हुआ है।
- दिल्ली के एनसीटी और केंद्र-शासित प्रदेश चंडीगढ़ क्रमशः 97.5% और 97.25% शहरी आबादी के साथ सबसे अधिक शहरीकृत हैं, इसके बाद दमन और दीव और लक्षद्वीप का स्थान है।

वैश्विक परिदृश्य

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, शहरीकरण का स्तर आर्थिक विकास के स्तरों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जबकि शहरीकरण की दर आर्थिक विकास के स्तरों के साथ विपरीत रूप से संबंधित है।
- आप्रवासन और प्रवासन की जनसांख्यिकीय प्रक्रियाएं, साथ ही साथ, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, लेकिन बदले में ये अन्य प्रक्रियाओं, विशेष रूप से संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन द्वारा समर्थित हैं।
- सबसे अधिक शहरीकृत क्षेत्र उत्तरी अमेरिका हैं, जिनकी 82% आबादी शहरी क्षेत्रों (2018 तक), लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (81%), यूरोप (74%), और ओशिनिया (68%) में रहती है।
- एशिया में शहरीकरण का स्तर लगभग 50% है और अफ्रीका ज्यादातर ग्रामीण बना हुआ है, इसकी केवल 43% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है।

शहरीकरण के प्रबंधन के लिए सरकारी योजनाएं

स्मार्ट सिटी मिशन

- राष्ट्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 में शुरू किया गया एक शहरी नवीनीकरण मिशन है, जो शहरों को 'स्मार्ट समाधान' के माध्यम से बुनियादी ढांचा, एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और अपने नागरिकों को जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने के लिए बढ़ावा देता है।

स्मार्ट सिटी मिशन रणनीति

- स्मार्ट समाधान शहर
- प्रगति के तीन मॉडल
  - रेट्रोफिटिंग
  - पुनर्विकास
  - हरितक्षेत्र

कोर बुनियादी सुविधाओं के तत्व

- पर्याप्त पानी की आपूर्ति
- निश्चित विद्युत आपूर्ति
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता
- कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन
- किफायती आवास, विशेष रूप से गरीबों के लिए
- सुदृढ़ आई टी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण
- सुशासन, विशेष रूप से ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी
- टिकाऊ पर्यावरण
- नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा, और
- स्वास्थ्य और शिक्षा

अमृत (कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन) मिशन

- नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, देश का पहला केंद्रित राष्ट्रीय जल मिशन है जिसे जून 2015 में 500 शहरों में नागरिकों को नल कनेक्शन और सीवर कनेक्शन प्रदान करके जीवन में सुगमता लाने के लिए शुरू किया गया था।
- वर्ष, 2021 तक 1.1 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन और 85 लाख सीवर/सेप्टेज कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर, 2021 को 2025-26 तक नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत 2.0) को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम के रूप में और पानी की सर्कुलर इकोनॉमी के जरिए शहरों को 'जल सुरक्षित' एवं 'आत्मनिर्भर' बनाने के उद्देश्य से मंजूरी दी थी।
- अमृत के तहत किए गए उल्लेखनीय प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, अमृत 2.0, सभी 4,378 वैधानिक शहरों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके पानी की आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य रखता है।
- इसका एक और उद्देश्य 500 अमृत शहरों में घरेलू सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन का 100 प्रतिशत कवरेज है।
- मिशन का लक्ष्य 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और 2.64 करोड़ सीवर/सेप्टेज कनेक्शन प्रदान करना है, ताकि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हों।

स्वच्छ भारत मिशन

- सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया गया।
- मिशन के तहत, भारत में सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों ने ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक

शौचालयों का निर्माण करके 2 अक्टूबर 2019, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती तक स्वयं को "खुले में शौच से मुक्त" (ओडीएफ) घोषित किया।

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के तहत ओडीएफ प्लस गतिविधियां ओडीएफ व्यवहार को सुदृढ़ करेंगी और गांवों में ठोस एवं तरल कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए मध्यवर्तन करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।
- स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को केंद्रीय बजट 2021 में धन आवंटित किया गया था । स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का लक्ष्य सभी शहरों को परिष्कृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ कचरा मुक्त बनाना है।

राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना (हृदय)

- प्रत्येक विरासत शहर के विरासत चरित्र को संरक्षित करने के लिए शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक साथ लाने के लिए 21 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय) शुरू की गई थी।
- इस योजना ने मूल विरासत से जुड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास का समर्थन किया है जिसमें शहरों की विरासत, धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संपत्तियों के आसपास के क्षेत्रों के लिए शहरी बुनियादी ढांचे का पुनरोद्धार शामिल है। इन पहलों में जल आपूर्ति, स्वच्छता, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, पहुंच मार्ग, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, पर्यटक सुविधाएं, बिजली की वायरिंग, भूनिर्माण और ऐसी नागरिक सेवाओं का विकास शामिल है।.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया था
- यह वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहा है।
- मिशन राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों (यूटी) और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

- आत्मनिर्भर भारत अभियान (आत्मनिर्भर भारत मिशन) भारत की केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है।
- जिसमें 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज और कई सुधार प्रस्ताव शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के स्तम्भ

- अर्थव्यवस्था
- बुनियादी ढांचा
- प्रणाली
- लोकतंत्र
- मांग

निष्कर्ष

- सतत, नियोजित, पर्यावरण अनुकूल और किफायती शहरों के निर्माण के लिए प्रयासों को तेज करने के साथ-साथ, इन्हें कानूनी समर्थन प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
- स्थायी परिदृश्य के लिए हरित जीवन और अन्य शहरी पहलों के लिए अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करते हुए बढ़ते शहरीकरण के नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए, पर्यावरण संसाधनों के उपयोग और रोजगार सृजन में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- टिकाऊ, मज़बूत और समावेशी बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये आवश्यक कार्रवाई के साथ शहरी निर्धनता के सम्मुख आने वाली चुनौतियों को प्रभावी ढंग से समझने के लिये टॉप-डाउन दृष्टिकोण की अपेक्षा, बॉटम-अप दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिये।

स्रोत: द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस

भारत में बाल विवाह और विधिक हस्तक्षेप

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, महिलाओं से संबंधित मुद्दे

प्रसंग

- हाल ही में, भारत में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए किये जा रहे प्रयास के निरीक्षण के लिए वैश्विक कार्यक्रम की संचालन समिति का एक समूह भारत की यात्रा पर है।
- ज्ञातव्य है कि यह यात्रा कोविड-19 महामारी के कारण बाल विवाहों की संख्या में अनुमानित वृद्धि के दृष्टिगत की जा रही है।

विहंगावलोकन

बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929

- इसे शारदा अधिनियम (शारदा एक्ट) भी कहा जाता है। इस अधिनियम की विशेषता यह थी कि इसमें केवल विवाह के अनुष्ठापन (solemnization of marriage) को रोकने के प्रावधान थे।

- भारत में बाल विवाह 2005-06 में 47.4 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 26.8 प्रतिशत हो गया।
- बाल विवाह के समग्र प्रसार में गिरावट की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन 141.2 करोड़ की आबादी वाले देश में 23.3% अभी भी चिंताजनक रूप से उच्च प्रतिशत है।

भारत में बाल विवाह की न्यूनतम आयु और प्रस्ताव

- बालक : 21 वर्ष
- बालिका : 18 वर्ष
- **प्रस्ताव-** दोनों की न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष

बाल विवाह से आशय

- बाल विवाह से तात्पर्य, ऐसे विवाह से है,,जब बालक अथवा बालिका अथवा दोनों की विवाह के समय आयु, निर्धारित उम्र से कम हों।
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में विवाह हेतु लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में भी महिलाओं और पुरुषों के लिये क्रमश: 18 और 21 वर्ष की आयु को विवाह हेतु न्यूनतम आयु के रूप में निर्धारित किया गया है।

भारत में बाल विवाह की व्यापकता: तथ्य और आंकड़े

- बाल विवाह की व्यापकता पूरे भारत में है। यद्यपि, राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह की घटनाओं में गिरावट आई है और लगभग सभी राज्यों में, विशेषकर 15-18 वर्ष के आयु वर्ग की लड़कियों में परिवर्तन की गति धीमी बनी हुई है।
- भारत में बाल विवाह 2005-06 में 47.4 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 26.8 प्रतिशत हो गया।
- नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 के आंकड़ों के अनुसार, विगत पांच वर्षों में, यह 2020-21 में 3.5% अंकों की गिरावट के साथ 23.3% तक पहुंच गया।
- बाल विवाह के समग्र प्रसार में गिरावट की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन 141.2 करोड़ की आबादी वाले देश में 23.3% अभी भी चिंताजनक रूप से उच्च प्रतिशत है।
- आठ राज्यों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बाल विवाह का प्रचलन अधिक है।
- एनएफएचएस के आंकड़ों के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु की 40 फीसदी से अधिक महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम आयु में हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा शीर्ष पर हैं।
- कुछ राज्यों में बाल विवाह में कमी आई है, जैसे मध्य प्रदेश (2020-21 में 23.1%, 2015-16 में 32.4% से), राजस्थान (35.4% से 25.4%) और हरियाणा।

बाल विवाह निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2021

- बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021 में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरुषों के समतुल्य 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
- ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किये गये है, जिसमें 15 से 18 वर्ष की 7 प्रतिशत लड़कियों ने गर्भ धारण किया और 18 वर्ष से कम आयु की 23 प्रतिशत लड़कियों का विवाह कर दिया गया।
- विदित है कि सभी धर्म, जाति एवं समुदाय में महिलाओं को विवाह की दृष्टि से समानता का अधिकार मिलना आवश्यक है। इसके समर्थन में कहा गया कि लड़कियों और लड़कों के विवाह की आयु एक समान 21 वर्ष होनी चाहिए।

भारत में बाल विवाह में भिन्नताएं

- बाल विवाह शहरी क्षेत्रों (29 प्रतिशत) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (48 प्रतिशत) में अधिक प्रचलित है।
- विभिन्न समूहों, विशेष रूप से बहिष्कृत समुदायों, जातियों और जनजातियों में भी भिन्नताएं हैं। हालांकि, कुछ जातीय समूहों, जैसे कि आदिवासी समूहों में, बहुसंख्यक आबादी की तुलना में बाल विवाह की दर कम है ।

वैश्विक परिदृश्य

- यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार, बाल्यावस्था में विवाहित लड़कियों की कुल संख्या 1.2 करोड़ प्रति वर्ष है ।
- वैश्विक लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह प्रथा को समाप्त करना है। लेकिन, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समन्वित कार्रवाई और अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी।
- 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने के लिए पिछले दशक की प्रगति की तुलना में प्रगति 17 गुना तेज करने की आवश्यकता है।
- संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 में निर्धारित कुल 17 लक्ष्यों में लक्ष्य 5 लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करने से संबंधित है।
- ज्ञातव्य है कि सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) या "2030 एजेंडा" बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने के लिए सर्वगत कार्रवाई का आह्वान करता है।
- 17 सतत् विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग हैं।

भारत में बाल विवाह के लिए उत्तरदायी कारक

शिक्षा का अभाव

- विवाह की आयु का एक बड़ा निर्धारक शिक्षा है। एनएफएचएस -4 के अनुसार, लगभग 18 वर्ष से पहले की 45% महिलाओं में से 40% को केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई।

एक बोझ के रूप में देखना

- आर्थिक रूप से, बाल विवाह एक ऐसी व्यवस्था के रूप में काम करता हैं, जो त्वरित आय अर्जित करने वाले होते हैं।
- एक लड़की के विवाह को दहेज से जोड़कर देखा जाता है, जो उसके परिवार को उसकी शादी पर दी जाती है।

गरीबी

- आर्थिक स्थिति की दृष्टि से गरीब परिवारों में महिलाओं की शादी पहले करने की प्रवृत्ति होती है।

सामाजिक पृष्ठभूमि

- बाल विवाह ग्रामीण क्षेत्रों में और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच अधिक प्रचलित हैं।

सीमित आर्थिक भूमिका के साथ दायित्व के रूप

➲ लड़कियों को अक्सर सीमित आर्थिक भूमिका के साथ एक दायित्व के रूप में देखा जाता है। महिलाओं का काम सामान्यतः घर तक ही सीमित है और उसे कम महत्व दिया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

➲ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले परिवारों और लड़कियों में इसके विषय में जागरूकता की कमी होती है और ये योजनाएं अक्सर बाल विवाह की बहु-आयामी प्रकृति को संबोधित करने के संदेश के बिना नकद हस्तांतरण प्रदान करने तक सीमित रह जाती हैं।

बाल विवाह पर यूनिसेफ की रिपोर्ट

➲ हाल ही में, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में उल्लिखित है कि विश्व स्तर पर बाल विवाह का प्रचलन कम हो रहा है।

बाल विवाह और माध्यमिक शिक्षा

➲ यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में प्रत्येक तीन में से दो बाल विवाह को तभी रोका जा सकता है, जब सभी लड़कियां माध्यमिक शिक्षा (सेकेंडरी एजुकेशन) तक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगी।

➲ साथ ही, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि यदि सभी लड़कियां हाईअर एजुकेशन जारी रखती हैं, तो यह संख्या 80 फीसदी तक कम होने का अनुमान हैं।

माध्यमिक और उच्च शिक्षा की भूमिका

➲ माध्यमिक शिक्षा बाल विवाह को 66 प्रतिशत तक कम कर सकती है। दुनिया में हर तीन में से दो बाल विवाह तभी रुकेंगे, जब सभी लड़कियां माध्यमिक स्टार कि शिक्षा पूरी कर सकेंगी।

➲ माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक स्कूली शिक्षा की तुलना में बाल विवाह के खिलाफ अधिक मजबूत और अधिक सुसंगत सुरक्षा है।

➲ यदि सभी लड़कियां उच्च शिक्षा जारी रखती हैं, तो यह संख्या 80 प्रतिशत तक कम हो जाएगी ।

क्षेत्रवार आकलन

➲ पिछले एक दशक में सबसे अधिक प्रगति दक्षिण एशिया में देखी गई, जहां एक लड़की की बचपन में शादी करने का जोखिम एक तिहाई से भी कम 30 प्रतिशत से अधिक कम हुआ। फिर भी, बचपन में विवाहित लड़कियों की कुल संख्या 12 मिलियन प्रति वर्ष है ।

➲ बाल विवाह की घटनाएं पश्चिम और मध्य अफ्रीका में सबसे अधिक थीं, जहां लगभग 10 में से 4 युवतियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी गई थी।

➲ बाल विवाह के निम्न स्तर पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका (32 प्रतिशत), दक्षिण एशिया (28 प्रतिशत) और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (21 प्रतिशत) में हैं।

➲ सूखे से सबसे बुरी तरह प्रभावित इथियोपिया के क्षेत्रों में, बाल विवाह औसतन एक वर्ष में दोगुने से अधिक हो गए हैं।

➲ इथियोपिया, केन्या और सोमालिया में संकट के प्रभाव के कारण तीन महीने के भीतर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या तीन गुना हो गई।

भारत में बाल विवाह और विधिक हस्तक्षेप

➲ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 सहित कई कानून हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों को मानव और अन्य अधिकारों के उल्लंघन से रक्षा प्रदान करना है।

➲ बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरुषों के समतुल्य 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है।

महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्यों बढ़ाई जानी चाहिए?

शिक्षा और रोजगार तक पहुंच का अभाव

1. शिक्षा और रोजगार की दृष्टि से महिलाओं को असमानताओं का सामना करना पड़ता है
2. कम आयु में विवाह संस्था में प्रवेश करने के बाद महिलाओं को सामान्यतः शिक्षा और आजीविका के आर्थिक साधन से वंचित कर दिया जाता है।
3. विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने से अधिक महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम होंगी और रोजगार का विकल्प चुन सकेंगी।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

1. शादी की कम उम्र और इसके परिणामस्वरूप जल्दी गर्भधारण का माताओं और उनके बच्चों के पोषण स्तर के साथ-साथ उनके समग्र स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
2. कम उम्र की माताओं को प्रजनन स्वास्थ्य चुनौतियों, कुपोषण, प्रसवोत्तर रक्तस्राव और यौन संचारित रोगों की संवेदनशीलता का अधिक खतरा होता है।

बाल विवाह रोकने हेतु किये जा रहे प्रयास

बाल विवाह निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2021

➲ इसके अंतर्गत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरुषों के समतुल्य 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

➲ बालिकाओं के कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) शुरू की गई थी।

➲ यह माता-पिता को लड़कियों के बच्चों के भविष्य के अध्ययन और शादी के खर्च के लिए निवेश करने और धन बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

बालिका समृद्धि योजना

➲ बालिका समृद्धि योजना, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों की सहायता के लिए केंद्र सरकार की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है।

➲ यह योजना प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन और प्रतिधारण को सुनिश्चित करती है।

➲ इसका उद्देश्य एक लड़की के बच्चे की समृद्धि और उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ -

➲ यह योजना पूरे भारत में कार्यान्वित की जा रही है और देश भर में 640 जिलों (जनगणना 2011 के अनुसार) को इसमें शामिल किया जा रहा है।

- 640 जिलों में से 405 जिलों को बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप के साथ-साथ डीएम/डीसी के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में मीडिया एडवोकेसी के तहत शामिल किया गया है और सभी 640 जिलों को एडवोकेसी और मीडिया अभियान के माध्यम से शामिल किया गया है।
- इस योजना ने बालिकाओं के महत्व के प्रति राष्ट्र की मानसिकता को बदलने की दिशा में सामूहिक चेतना को जागृत किया है।
- यह राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में 19 अंकों के सुधार में परिलक्षित होता है।
- विदित है कि 2014-15 में लिंगानुपात 918 था, जो 2020-21 में बढ़कर 937 (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एचएमआईएस) हो गया है।

निष्कर्ष

- किशोर लड़कियों और लड़कों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
- नीतियों, कार्यक्रमों और ट्रैकिंग प्रगति के लिए एक मजबूत साक्ष्य आधार बनाने के लिए अत्याधुनिक शोध कि दिशा में कार्य करना।
- बाल विवाह के जोखिम वाले या इससे प्रभावित किशोरों, विशेषकर लड़कियों की मदद करने के लिए सेवाओं को सुदृढ़ बनाना।
- लड़कियों में निवेश करने और उनका समर्थन करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन सामाजिक रीतियों को बदलना, जो उनकी संभावनाओं को प्रभावित करती हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ

भारत-रूस द्विपक्षीय वार्ता

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव

प्रसंग

- विदेश मंत्री एस जयशंकर 7-8 नवंबर को रूस की आधिकारिक यात्रा पर थे, जिस दौरान वे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की। दोनों पक्षों के मध्य द्विपक्षीय मुद्दों के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।
- ज्ञातव्य है कि यह यात्रा दोनों पक्षों के मध्य नियमित उच्च स्तरीय वार्ता का हिस्सा है।

- भारत के प्रधानमंत्री और रूसी संघ के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर बैठक भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है।
- अब तक भारत और रूस में वैकल्पिक रूप से 20 वार्षिक शिखर बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
- दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय बातचीत होती है।
- भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग मुख्य निकाय है, जो दोनों देशों के बीच सरकारी स्तर पर मामलों का संचालन करता है।
- दोनों देश UN, BRICS, G20 और SCO सहित अंतर्राष्ट्रीय निकायों के सदस्य हैं।

भारत-रूस संबंध का आधार

- सामरिक
- राजनयिक
- आर्थिक
- सैन्य
- **नोट:** दोनों देशों के मध्य पहला और सबसे बड़ा सहयोग क्षेत्र रक्षा है।
- इसके अतिरिक्त ऊर्जा, उच्च तकनीक और खाद्य सुरक्षा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

विमर्श के विभिन्न बिंदु

यूक्रेन संघर्ष पर विमर्श

- भारतीय मंत्री ने कहा कि रूसी विदेश मंत्री के साथ उनकी चर्चा में यूक्रेन संघर्ष एक प्रमुख विशेषता थी।
- भारत यूक्रेन में स्थिति और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किसी भी पहल का समर्थन करने के लिए तैयार है, भारत ने रूस-यूक्रेन वार्ता में मध्यस्थता के लिए कोई विशेष पेशकश नहीं की।
- भारत ने दोनों युद्धरत देशों के बीच बातचीत और कूटनीति के माध्यम से मामले के समाधान का आह्वान किया।

अर्थव्यवस्थाओं की परस्पर निर्भरता

- दोनों विदेश मंत्रियों ने इस वर्ष भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 17 बिलियन डॉलर की "महत्वपूर्ण वृद्धि" का उल्लेख किया, 2025 तक $ 30 बिलियन तक पहुंचने के लक्ष्य की सिफारिश की।
- वर्ष 2020 के दौरान दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
- विदित है कि 2013 से 2016 तक दोनों देशों के मध्य व्यापार प्रतिशत में बड़ी गिरावट आई थी। यद्यपि, यह 2017 से बढ़ा और 2018 और 2019 में भी इसमें लगातार वृद्धि देखी गई।
- दोनों पक्षों के मध्य अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया गया और इस संदर्भ में, दीर्घकालिक पूर्वानुमान योग्य और सतत आर्थिक सहयोग के लिए विकास के नए कारकों पर बल दिया गया।

ग्लोबल साउथ

- ग्लोबल साउथ लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया में विकासशील और कम विकसित देशों को संदर्भित करता है।

संवाद और कूटनीति

- भारत सदैव से "संवाद और कूटनीति का पुरजोर वकालत करता रहा है और "शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के समर्थन के पक्ष में रहा है।
- भारत ने खाद्यान्न और उर्वरक शिपमेंट सहित मुद्दों में मदद की पेशकश की और किसी भी पहल के लिए समर्थन की पेशकश की।

रूसी तेल

- सस्ता रूसी तेल खरीदने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपने उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीद जारी रखेगा।
- ध्यातव्य है कि हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि वह विकसित देशों के समूह जी-7 की घोषणा के अनुरूप रूस के तेल आयात पर एक मूल्य सीमा लागू कराने के लिए संकल्पबद्ध है।
- अमेरिका के अनुसार, रूस अपने कच्चे तेल की बिक्री से मिलने वाले धन का उपयोग यूक्रेन के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई में कर रहा है।
- इस वित्तीय स्रोत को कमजोर करने के लिए जी7 रूसी तेल की एक सीमा तय करना चाहता है।
- भारत सरकार के अनुसार, वह रूस से अपना तेल की खरीद घटाने या बंद करने पर किसी के दबाव में नहीं है और अपनी पसंद के किसी भी देश से तेल खरीद सकता है.
- रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल आयात को जारी रखने को लेकर भारत पहले भी कई बार अपना मत स्पष्ट कर चुका है

भारत और रूसी तेल

1. अप्रैल 2022 से रूस से भारत का तेल आयात, कुल कच्चे तेल के आयात के 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है।
2. 2022 की शुरुआत में जहां प्रतिदिन 25,000 बैरल कच्चे तेल का आयात होता था, वहीं मई-जून तक ये बढ़कर 6,00,000 बैरल प्रतिदिन हो गया।
3. रूस से कच्चे तेल के आयात में बढ़ोतरी इसलिए हुई, क्योंकि रूस ने दाम में छूट की पेशकश की।

- **नोट:** ज्ञातव्य है कि तेल और उर्वरकों के आयात में वृद्धि के कारण, रूस के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार इस वित्तीय वर्ष (अप्रैल-अगस्त) के केवल पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में 18,229.03 मिलियन डॉलर के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

व्यापार

- भारतीय मंत्री ने व्यापार असंतुलन के बारे में चिंता व्यक्त की और रूस से उन व्यवधानों को दूर करने का भी आग्रह किया, जो भारतीय निर्यात में बाधक हैं ।
- उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा, उच्च तकनीक और परमाणु सहित रसद और परिवहन के क्षेत्र में सहयोग के बारे में वार्ता की।
- दोनों नेताओं के मध्य इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) और प्रस्तावित चेन्नई-व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्टिविटी की भूमिका पर चर्चा हुई।
- दोनों नेताओं ने भारत के राज्यों के साथ रूस के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से रूसी सुदूर-पूर्व के साथ पहले से अधिक अंतर-क्षेत्रीय सहयोग की संभावना जताई।
- विदित है कि भारत के लिए अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, विशेष रूप से रूसी सुदूर-पूर्व के साथ एक प्रमुख प्राथमिकता रही है।

रक्षा सहयोग

- दोनों पक्षों के मध्य हथियारों के संयुक्त उत्पादन सहित सैन्य और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
- भारत और रूस के बीच रक्षा साझेदारी ने उन्नत हथियारों की आपूर्ति, सैन्य तकनीकी सहयोग और हथियारों के संयुक्त विकास के अधिग्रहण के माध्यम से नई क्षमताएं हासिल की हैं।
- भारत की सैन्य आधुनिकीकरण की खोज में रूस ने निस्संदेह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- 2000 में 'द्विपक्षीय सामरिक सहयोग' समझौते की घोषणा के बाद भारत-रूस द्विपक्षीय संबंध सक्रिय हो गए थे। इस संधि का उद्देश्य सोवियत-विघटन के बाद द्विपक्षीय संबंधों में उभरे अंतर को पूरा करने का था।
- रूस के सहयोग के साथ भारत ने खरीद और संयुक्त विकास के माध्यम से नई क्षमताएं हासिल की है, जिसमें आईएनएस विक्रमादित्य का समावेश, स्वयं के आईएनएस अरिहंत का प्रक्षेपण, एमआईजी (मिकोयान गुरेविच) का कमीशन भारतीय नौसेना3 में 29K स्क्वाड्रन, 350 T- 90S टैंक और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल विकास शामिल है।
- संयुक्त उत्पादन में दोनों देशों के बीच एमटीसी सबसे सफल रहा है, जिसमें भारत के विनिर्माण हथियारों को देखा गया है, जैसे ब्राह्मोस मिसाइलों का संयुक्त उत्पादन, टैंकों और विमानों का संयोजन, T72M1 टैंक, रेडार, एंटी-शिप और एंटी-टैंक मिसाइल आदि शामिल हैं।

रक्षा क्षेत्र

- दोनों देशों के मध्य पहला और सबसे बड़ा क्षेत्र रक्षा है।
- वर्ष 2020 तक भारतीय फौज में रूसी हथियार और उपकरणों की हिस्सेदारी क़रीब 60 फ़ीसदी थी।
- हालांकि, भारत तेजी से सैन्य उपकरणों के लिए कई दूसरे देशों से संपर्क कर रहा है, लेकिन रूस अभी भी भारत का मज़बूत साझेदार बना हुआ है और इस हिस्सेदारी में ज़्यादा हिस्सा हथियारों के उपकरणों और उसके अपग्रेडेशन से जुड़ा है।
- दोनों देशों के मध्य एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम (जिसकी डिलीवरी इस साल तक होने लगेगी) को लेकर कॉन्ट्रैक्ट शामिल है।
- रूस दूसरे देशों के मुकाबले हथियार निर्माण क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' अभियान से कहीं ज़्यादा जुड़ा हुआ है।

ऊर्जा

- दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों को सुदृढ़ करने का दूसरा अहम क्षेत्र ऊर्जा है।
- इसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन (तेल और गैस) ही नहीं शामिल है, बल्कि परमाणु ऊर्जा भी शामिल हैं।
- भारत गैस रूस से आयात करता है लेकिन आने वाले दिनों में इसकी मात्रा में और बढोतरी होना तय है।

उच्च तकनीक

- तीसरा अहम क्षेत्र उच्च तकनीक को है।
- दोनों देशों के बीच विज्ञान और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में एक ज्वाइंट कमिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- इसमें क्वान्टम, नैनोटेक्नोलॉजी, साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेस और बायो-टेक्नोलॉजी, फार्मास्युटिकल , डिज़िटल फाइनेंस, रसायन और सेरामिक्स के क्षेत्र शामिल होंगे।

खाद्य सुरक्षा

- चौथा अहम क्षेत्र खाद्य सुरक्षा को लेकर है. रूस के सुदूर पूर्व में भारत ज़मीन को लीज़ पर लेने जा रहा है, जहां भारतीय श्रमिक इसमें खेती करेंगे जो उम्मीदों से भरा प्रोजेक्ट कहा जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)

विधिक ढांचा/ पृष्ठभूमि

- आईएनएसटीसी के लिए विधिक ढांचा 2000 में परिवहन पर यूरो-एशियाई सम्मेलन में भारत, ईरान और रूस द्वारा हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते द्वारा अनुसमर्थित है ।

उद्देश्य

- भारत और रूस के बीच ढुलाई लागत को लगभग 30% तक कम करना और पारगमन समय को 40 दिनों से आधे से अधिक कम करना।
- कॉरिडोर से उभरते यूरेशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के सुदृढ़ होने की संभावना है।

अवयव:

- उत्तरी और पश्चिमी यूरोप - रूसी संघ
- काकेशस – फारस की खाड़ी (पश्चिमी मार्ग)
- मध्य एशिया – फारस की खाड़ी (पूर्वी मार्ग)
- कैस्पियन सागर - ईरान फारस की खाड़ी (मध्य मार्ग)।

कनेक्टिविटी और लंबाई

- यह 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो मध्य एशिया और ईरान के माध्यम से रूस और भारत को जोड़ने वाले सड़क, रेल और समुद्री मार्गों को पारस्परिक संबद्ध करता है।
- यह हिंद महासागर को कैस्पियन सागर से फारस की खाड़ी के माध्यम से रूस और उत्तरी यूरोप में जोड़ता है।
- यह भारत और रूस के बीच सबसे छोटा और सुगम संपर्क मार्ग प्रदान करता है ।

अनुसमर्थन

- 13 देशों ने इस समझौते की पुष्टि की है, जिसमें अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्की और यूक्रेन शामिल हैं।

भारत-रूस संबंध

- भारत और रूस के बीच मजबूत सामरिक, सैन्य, आर्थिक और राजनयिक संबंधों की पृष्ठभूमि रही है।

भारत-रूस संबंध के आधार

- राजनयिक
- आर्थिक
- सैन्य
- सामरिक

राजनीतिक संबंध

- भारत के प्रधानमंत्री और रूसी संघ के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर बैठक भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है।
- अब तक भारत और रूस में वैकल्पिक रूप से 20 वार्षिक शिखर बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
- दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय बातचीत होती है।
- भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग मुख्य निकाय है, जो दोनों देशों के बीच सरकारी स्तर पर मामलों का संचालन करता है।
- दोनों देश UN, BRICS, G20 और SCO सहित अंतर्राष्ट्रीय निकायों के सदस्य हैं।
- रूसी और भारतीय रक्षा मंत्रियों की सह-अध्यक्षता में सैन्य-तकनीकी सहयोग (आईआरआईजीसी-एमटीसी) पर बैठक वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है है।

व्यापार और आर्थिक संबंध:

- दोनों पक्षों ने 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को 50 अरब अमेरिकी डॉलर और द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य को संशोधित किया है।
- रूस से भारत के व्यापारिक आयात में पेट्रोलियम तेल और अन्य ईंधन वस्तुएं, उर्वरक, कॉफी और चाय, मसाले, परमाणु रिएक्टर, और पशु और वनस्पति वसा शामिल हैं।
- 2017 में भारत में रूसी निवेश 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है और रूस में भारत का अब तक का कुल निवेश 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।

परमाणु ऊर्जा

- रूस भारत को एक त्रुटिहीन अप्रसार रिकॉर्ड के साथ उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में मान्यता देता है।
- कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) रूस के सहयोग से भारत में बनाया जा रहा है।

अंतरिक्ष सहयोग और विज्ञान प्रौद्योगिकी

- दोनों पक्ष उपग्रह प्रक्षेपण, ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली, रिमोट सेंसिंग और बाहरी अंतरिक्ष के अन्य सामाजिक अनुप्रयोग में शामिल हैं।
- दोनों देश आईआरआईजीसी-टीईसी के तहत काम कर रहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर कार्य समूह, एकीकृत दीर्घकालिक कार्यक्रम (आईएलटीपी) और बुनियादी विज्ञान सहयोग कार्यक्रम द्विपक्षीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए तीन मुख्य संस्थागत तंत्र हैं।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

- भारत का रक्षा के क्षेत्र में रूस के साथ दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग है।
- ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के साथ-साथ भारत में एसयू-30 विमान और टी-90 टैंक का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन ऐसे प्रमुख सहयोग के उदाहरण हैं।
- दोनों पक्षों ने S-400 वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति के समझौते पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों देश सालाना अपने सशस्त्र बलों के बीच आदान-प्रदान और प्रशिक्षण अभ्यास भी आयोजित करते हैं, जिसे इंद्र कहा जाता है।

दोनों देशों के मध्य विवादित विषय

अफगानिस्तान मुद्दा

- वर्तमान परिस्थिति में कुछ विवादित विषयों में आगे बढ़ने की आवश्यकता है इसमें पहला अफ़ग़ानिस्तान है।
- विदित है कि 15 अगस्त 2021 तक भारत और रूस के बीच गंभीर असहमति थी, इसके साथ ही तालिबान को लेकर मॉस्को के साथ मतभेद रहा है. जबकि दोनों देश अफ़ग़ानिस्तान में शांति और स्थिरता चाहते हैं और आतंकवाद और ड्रग्स पर नकेल कसने की इच्छा रखते हैं, लेकिन नई दिल्ली में इसे लेकर यह समझ है कि तालिबान से वार्ता करते-करते रूस तालिबान का वार्ताकार ही बन गया है. यह रूस को लेकर भरोसे का संकट पैदा करता है।
- रूस के सुदूर पूर्वी इलाके में चीन ने हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन लीज़ पर ले रखी है और इन ज़मीनों पर चीन के किसान खेती कर रहे हैं. चीन के किसान यहां जो भी उत्पादन कर रहे हैं वह रूस के घरेलू बाज़ार में बेचा जा रहा है और इसका कुछ हिस्सा चीन को निर्यात किया जाता है।

इंडो पैसिफ़िक क्षेत्र

- रूस, अमेरिका के चलते भारत पर विश्वास में कमी आई है और भारत को यह लगता है कि रूस इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में वही मानता आ रहा है, जो उसे चीन बताता है।
- यह एक बड़ी चुनौती है, जिसे दोनों देशों के बीच चर्चा कर ख़त्म किया जाना चाहिए।

रूसी सुदूर-पूर्व और भारत

भौगोलिक अवस्थिति

- रूसी सुदूर-पूर्व, रूस और एशियाई महाद्वीप का सबसे पूर्वी भाग है और सुदूर-पूर्वी संघीय जिले के हिस्से के रूप में प्रशासित है।
- यह पूर्वी साइबेरिया में बैकाल झील और प्रशांत महासागर के मध्य अवस्थित है।
- इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर खाबरोवस्क है, इसके बाद व्लादिवोस्तोक है।

रूस के सुदूर पूर्व और भारत

- 2019 में व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) के पांचवें शिखर सम्मेलन में, पीएम मोदी ने रूसी सुदूर पूर्व के विकास के लिए $ 1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- यह प्रतिबद्धता भारत और रूस के बीच 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' का एक प्रमुख स्तंभ का निर्माण करेगी।

महत्व

- इस क्षेत्र में समृद्ध तेल और प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क और तांबा, हीरा और सोना, लकड़ी तथा ताजे मछली के भंडार हैं।
- विशेष रूप से कृषि क्षेत्र रूस के लिए एक प्रमुख केंद्र बिंदु क्षेत्र के रूप में उभरा है। कृषि की संभावनाओं का पता लगाने,सूदूर पूर्व में कृषि उद्योगों और कृषि-प्रसंस्करण परिसरों के विकास लिए स्थानीय निवासियों और विदेशी नागरिकों को समान रूप से प्रोत्साहित करने के लिए रूसी हामस्टेड अधिनियम की शुरूआत की गई।
- 2019 में भारत ने "एक्ट फार-ईस्ट" नीति के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की ।
- भारत ने रूस के सुदूर पूर्व में फार्मास्यूटिकल्स और हीरे के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निवेश किया है ।
- इस पारस्परिक जुडाव की गति को बनाए रखने के लिए , दोनों सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके निवेश की नीति तेल और गैस के साथ-साथ विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में भी हो।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, द हिन्दू

लाभ का पद

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** संवैधानिक निकाय, पारदर्शिता और जवाबदेही, महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान और न्यायालय के निर्णय

प्रसंग

- हाल ही में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बर्खास्त करने की भाजपा की मांग के बीच झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने उल्लिखित किया कि उन्होंने लाभ के पद के मामले में "दूसरी राय" मांगी है, जिससे राज्य में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है।
- ज्ञातव्य है कि लाभ के पद मामले में सोरेन को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराने की भाजपा की याचिका के बाद चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को राज्यपाल को अपना निर्णय प्रेषित किया था। यद्यपि, निर्णय को सार्वजनिक नहीं किया गया है, किन्तु चर्चा है कि आयोग ने मुख्यमंत्री को अयोग्य ठहराने की संस्तुति की है।

पूर्ववर्ती मामला

- विदित है कि इससे पूर्व अगस्त, 2022 को चुनाव आयोग ने मामले पर संज्ञान लेते झारखंड के मुख्यमंत्री से 'लाभ के पद' के आरोप पर स्पष्टीकरण मांगा था।
- आयोग ने उल्लिखित किया था कि मुख्यमंत्री द्वारा लाभ का पद धारण करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9ए का उल्लंघन है।

- विपक्ष ने पहले राज्यपाल के समक्ष मामले को रखा, जिन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत चुनाव आयोग को प्रेषित कर दिया।
- अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श पर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को अयोग्य घोषित करने का निर्णय ले सकता है।

भारत के संविधान में 'लाभ का पद' की अवधारणा का उल्लेख

- भारतीय संविधान में अथवा संसद द्वारा पारित किसी अन्य विधि में "लाभ का पद" सुपरिभाषित नहीं है, यद्यपि इसका उल्लेख किया गया है।
- लाभ के पद की अवधारणा को ब्रिटिश संसदीय मॉडल से अपनाया गया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 (1) (ए)

- कोई व्यक्ति संसद् या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन, किसी ऐसे पद पर आसीन है, जहाँ अलग से वेतन, भत्ता या बाकी के लाभ मिलते हों।

भारतीय संविधान में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार

- कोई व्यक्ति केवल इस कारण से भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। साथ ही, इसमें ऐसे पद भी शामिल हैं, जिनको संसद या राज्य सरकार द्वारा मंत्री पद का दर्जा दिया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 क्या है?

- यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद् के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में उल्लेखित किसी निरर्हता (ineligibility) से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति के विचार-विमर्श के लिए प्रेषित किया जायेगा।
- ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा।
- अर्थात, निर्वाचन आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 9 (ए) और संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(ए) के तहत भी सांसदों व विधायकों को अन्य पद ग्रहण करने से रोकने के प्रावधान है। अर्थात, वह दो जगहों से वेतन एवं भत्ते प्राप्त नही कर सकता है।
- सामान्य शब्दों में उल्लिखित किया जाये तो यह अवधारणा विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका के अधीन लाभ का पद स्वीकार करने से रोकती है, ताकि विधायिका की स्वायत्तता बनाए रखी जा सके और शक्तियों के पृथक्करण को संरक्षित किया जा सके।

'लाभ का कार्यालय' से आशय

- संविधान स्पष्ट रूप से उक्त वाक्यांश को परिभाषित नहीं करता है।
- यद्यपि, यह दशकों के बाद के न्यायिक निर्णयों के साथ विकसित हुआ है।

लाभ के पद' के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 191 (1)

- इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है।
- यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

अनुच्छेद 102 (1) (a)और 191(1) (a)

- इसके अंतर्गत उल्लिखित प्रावधान भी एक सरकारी पद पर आसीन विधायक की रक्षा करते हैं, यदि विचाराधीन पद को कानून द्वारा अयोग्यता से मुक्त कर दिया गया है।
- अनुच्छेद स्पष्ट करते हैं कि "किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह एक मंत्री है"।
- संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 भी किसी सांसद या विधायक को सरकारी पद को ग्रहण करने की अनुमति देते हैं यदि कानून के माध्यम से उन पदों को लाभ के पद से उन्मुक्ति दी गई है।

'लाभ के पद' से संबंधित वैधानिक प्रावधान

- संसद ने संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 अधिनियमित किया है, जिसमें छूट प्राप्त सूची का विस्तार करने के लिए कई बार संशोधन किया गया है।
- आरपीए अधिनियम, 1951 का खंड 9ए कहता है कि एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि उसके व्यापार या व्यवसाय के दौरान सरकार के साथ माल की आपूर्ति के लिए या किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए अनुबंध है।
- राज्य के कानून: कुछ राज्य विधानसभाओं ने अपने-अपने राज्यों में कुछ कार्यालयों को लाभ के पद के दायरे से छूट देते हुए कानून बनाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 'लाभ के पद' पर विचार करते हुए कुछ कारकों को सूचीबद्ध किया है

- क्या सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है।
- क्या सरकार के पास नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार है।
- क्या सरकार पारिश्रमिक निर्धारित करती है।
- पारिश्रमिक का स्रोत क्या है।
- वह शक्ति, जो स्थिति के साथ आती है।

मामले से जुड़े उच्चतम न्यायालय के निर्णय

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9ए के तहत मुख्यमंत्री को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- इस धारा के तहत माल की आपूर्ति या सरकार द्वारा किये गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिये अनुबंध करना होता है।
- 1964 में सीवीके राव बनाम दंतु भास्कर राव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने माना है कि एक खनन पट्टा माल की आपूर्ति के अनुबंध की राशि नहीं है।
- 2001 में करतार सिंह भड़ाना बनाम हरि सिंह नलवा और अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि खनन पट्टा सरकार द्वारा किये गए कार्य के निष्पादन की राशि नहीं है।
- यदि मुख्यमंत्री को किसी प्राधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, तो भी वह इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है और यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार चार महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिये।
- अनुच्छेद 164(4) के तहत एक व्यक्ति बिना सदस्य बने छह महीने तक मंत्री रह सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

वन नेशन, वन पुलिस यूनिफॉर्म

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, आधारिक संरचना

प्रसंग

- हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में आयोजित किये गये राज्यों के गृह मंत्रियों के दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उल्लिखित किया कि 'वन नेशन, वन यूनिफॉर्म' न केवल व्यापक पैमाने पर गुणवत्ता वाले उत्पादों को सुनिश्चित करेगा, अपितु यह कानून प्रवर्तन को 'साझा पहचान' भी प्रदान करेगा।
- ध्यातव्य है कि आयोजन के दौरान पुलिस के लिए "वन नेशन, वन यूनिफॉर्म" का विचार साझा किया गया।

राज्यों के गृह मंत्रियों की दो दिवसीय 'चिंतन शिविर'

- **विमर्श-** साइबर अपराध रोकने, महिलाओं की सुरक्षा और तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर मंथन किया गया।
- **उद्देश्य-** विजन 2047' और 'पंच प्रण' को कार्यान्वित करने हेतु प्रारूप तैयार करना।

कानून व्यवस्था

- **क्या है?** किसी भी राज्य, शहर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना कानून व्यवस्था का मुख्य अंग है।
- **उत्तरदायी-** भारत का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा से संबद्ध मामलों के लिए उत्तरदायी है।

संविधान की सातवीं अनुसूची

- 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं।
- अपराध रोकने, पता लगाने, दर्ज करने और जांच-पड़ताल करने तथा अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी, राज्य सरकारों की है।
- पुलिस बल को सार्वजनिक व्यवस्था का रख-रखाव करने और अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

चिंतन शिविर और 'वन नेशन, वन यूनिफॉर्म' का विचार

- प्रधानमंत्री ने राज्य के गृह मंत्रियों और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के पहले चिंतन शिविर (विचार-मंथन सत्र) को संबोधित किया।
- उन्होंने स्पष्ट किया इसे थोपा नहीं जाना चाहिए, अपितु इस पर विचार किया जाना चाहिए.
- पुलिस के बारे में अच्छी धारणा बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
- राज्यों से आजादी से पहले बनाए कानूनों की समीक्षा करने तथा मौजूदा संदर्भ में उनमें संशोधन करने का आह्वान किया।

आतंकवाद और नक्सलवाद

- आतंकवाद के जमीनी नेटवर्क को खत्म करने के लिए राज्यों को एक साथ आने और स्थिति को संभालने की आवश्यकता की रेखांकित किया गया।
- विदित है कि गत आठ वर्षों में देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में काफी कमी आई है।
- हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत इन सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

नागालैंड की अपील

- नागालैंड के उपमुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में नागालैंड के और अधिक क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को समाप्त कर दिया जाएगा।

फेक न्यूज का मुद्दा

- किसी को सूचना के एकमात्र स्रोत के रूप में सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
- नौकरी में आरक्षण के विषय में प्रसारित फर्जी खबरों के कारण भारत को होने वाले नुकसान के बारे में चिंता व्यक्त की गई ।
- किसी भी जानकारी को दूसरों को अग्रेषित करने से पहले उसका विश्लेषण और सत्यापन करने के विषय में लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

- विकास से, फलतः शांति बनाए रखना प्रत्येक की जिम्मेदारी
- आंतरिक सुरक्षा के लिए राज्यों का एक साथ मिलकर काम करना अत्यावश्यक
- सभी एजेंसियों से कार्य क्षमता, बेहतर परिणाम और आम आदमी की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आपसी सहयोग की अपील
- कानून एवं व्यवस्था की स्थिति संविधान के अनुसार राज्य का विषय
- प्रौद्योगिकी के लिए साझा मंच के विषय में विचार करने की आवश्यकता

पुलिस यूनिफॉर्म की पृष्ठभूमि

- सन 1847 के पहले भारतीय पुलिस के यूनिफॉर्म का रंग खाकी के स्थान श्वेत रंग का हुआ करता था।
- यद्यपि, यूनिफॉर्म के श्वेत रंग होने के कारण ड्यूटी के दौरान वर्दी पर चाय, धूल मिटटी या अन्य प्रकार के दाग धब्बे लगने से जल्दी गन्दी हो जाती थी।
- उक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए यूनिफार्म के रंग बदलने की योजना पर विचार किया गया.
- रंग बदलने के लिए डाई का उपयोग किया गया और वर्दी का रंग सफ़ेद से खाकी कर दिया गया

- सन 1847 में सर हैरी लैंसडेन जो की एक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने सबसे पहले खाकी रंग की वर्दी पहनी थी.
- इसके बाद आर्मी रेजिमेंट और पुलिस विभाग ने पूरी तरह से खाकी रंग की वर्दी को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। तब से ही यह वर्दी भारतीय पुलिस की पहचान बन गयी।

भारत में पुलिस यूनिफॉर्म का निर्धारण

- संविधान के अनुसार, भारत में कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, फलतः वर्दी और पुलिस से संबंधित अन्य पहलुओं पर निर्णय स्थानीय सरकारों के अधीन आते हैं।
- संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'पुलिस' को सूचीबद्ध करती है और संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है।
- इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकारें और यहां तक कि एक व्यक्तिगत पुलिस बल भी उनके कर्मियों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी पर निर्णय ले सकता है ।

राज्यों में भिन्न-भिन्न यूनिफॉर्म

- पुलिस द्वारा पहना जाने वाला आधिकारिक पहनावा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है। जबकि अधिकांश कर्मी खाकी वर्दी पहनते हैं, हालांकि विभिन्न रंगों में, कुछ राज्य पुलिस सफेद यूनिफॉर्म पहनती हैं।
- सफेद वर्दी कोलकाता पुलिस द्वारा पहनी जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बाकी पुलिस ने खाकी रंग के पोशाक को अपनाया है।

भारत में पुलिस का इतिहास

- 1857 के विद्रोह पश्चात अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी हितों को बनाए रखने के मुख्य उद्देश्य के साथ एक पुलिस बल का गठन किया।
- 1861 में बनाया गया पुलिस अधिनियम लगभग पूरे भारत में लागू हुआ।
- औपनिवेशिक सरकार का विचार था कि पूरे भारत में पुलिस सेवा, मशीनरी और काम की शर्तें समान होनी चाहिए।
- 1861 का अधिनियम V मद्रास और बॉम्बे प्रांतों में भी इसे लागू किया गया।
- समय के साथ, राज्यों ने अपने स्वयं के पुलिस विनियम/नियमावली पारित की, लेकिन ये अनिवार्य रूप से केंद्रीय कानून के ढांचे के भीतर थे।

पुलिस सुधार की दिशा में किये जा रहे भारत सरकार के प्रयास

- छोटे अपराधों और उल्लंघनों को अपराध से मुक्त करने के लिए परियोजना, कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 में संशोधन के लिए उठाए गए कदम प्रमुख हैं।
- पुलिस को एक स्मार्ट बल बनाने के लिए प्रधानमंत्री का आह्वान, जो सख्त और संवेदनशील, आधुनिक, सतर्क और जवाबदेह, विश्वसनीय और उत्तरदायी, टेक-सेवी और प्रशिक्षित हों।
- सरकार पुलिस के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम उपयोग को प्राथमिकता दे रही है।
- भारतीय पुलिस फाउंडेशन एक स्मार्ट भारतीय पुलिस के दृष्टिकोण को साकार करने का प्रयास कर रहा है, विशेष रूप से पुलिस के पेशेवर और नैतिक मानकों में सुधार के लिए आंतरिक सुधार, प्रौद्योगिकी अनुकूलन, डिजिटल परिवर्तन और प्रशिक्षण आदि का समावेश करके।

पुलिस सुधार की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 2006 का ऐतिहासिक निर्णय

- यूपी पुलिस और असम पुलिस के डीजीपी के रूप में सेवा दे चुके प्रकाश सिंह ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति के बाद पुलिस सुधार की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की।
- सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को पुलिस सुधार लाने का निर्देश दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला और महत्वपूर्ण निर्देश डीजीपी की नियुक्ति को लेकर था।
- इस निर्णय में अधिकारियों के लिए एक न्यूनतम तय कार्यकाल के निर्धारण का आदेश दिया गया था, ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव कम से कम हो।
- ट्रांसफर-पोस्टिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड (PEB) बनाने का निर्देश दिया, जिसमें डीजीपी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी को शामिल करने की अनुशंसा की गई।
- स्टेट पुलिस कंपलेंट्स अथॉरिटी (SPCA) के गठन की सिफारिश की गई थी, जहां लोग पुलिस को लेकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। साथ ही, राज्य के साथ-साथ जिले के स्तर पर भी पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाने का निर्देश था।
- इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने जांच और कानून-व्यवस्था को अलग-अलग करने का निर्देश दिया, ताकि एक ही अधिकारी पर एक ही समय दोनों जिम्मेदारियों का दबाव न पड़े।
- सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में स्टेट सेक्योरिटी कमिशंस (SSC) बनाने का निर्देश दिया गया था, जिसमें प्रमुख के तौर पर राज्य के गृह मंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष और बड़े अधिकारी को शामिल करने का आदेश दिया गया था।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2006 के आदेश पर कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस केटी थॉमस की अगुआई में 3 सदस्यों वाली कमिटी के गठन का आदेश दिया था।

पुलिस सुधार के लिए की गई नीति आयोग की संस्तुतियाँ

- पुलिस के जनादेश का आधुनिकीकरण करने हेतु राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन के साथ वर्ष 2015 का मॉडल पुलिस अधिनियम पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- गैर-प्रमुख कार्यों की पहचान करने के लिए गृह मंत्रालय के तहत एक टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए, जिसे आउटसोर्स किया जा सकता है, ताकि जनशक्ति को बचाया जा सके और पुलिस के कार्यभार को कम करने में मदद मिल सके।
- पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की अनुशंसा की गई।
- भारत को नागरिकों की तत्काल सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साझा राष्ट्रव्यापी संपर्क शुरू करना चाहिए।
- नीति आयोग ने एक एकीकृत ढांचे के तहत बढ़ते अंतर-राज्यीय अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था को समवर्ती सूची में ले जाने का सुझाव दिया।

पुलिस बलों के समक्ष मुद्दे

- वर्तमान समय में भी भारत में पुलिस व्यवस्था औपनिवेशिक कानून पर आधारित है, जिसके दुरुपयोग की घटनाएँ सामान्य हैं।
- वर्ष 2016 में स्वीकृत पुलिस बल प्रति लाख व्यक्ति पर 181 पुलिस थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति लाख व्यक्तियों पर 222 पुलिस के अनुशंसित मानक की तुलना में बहुत कम है।
- पुलिस/न्यायिक हिरासत में यातना/दबाव से मौत के कई मामले हैं।
- 1996-1997 के दौरान डीके बासु के अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने भारत में हिरासत में मौत के खिलाफ एक दिशा-निर्देश जारी किया था।
- आधुनिक पुलिसिंग के लिए कम धन का आवंटन। साथ ही, आवंटित राशि का भी पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त राजनीतिक हस्तक्षेप और पदोन्नति और पुलिस के काम करने की स्थिति भी प्रमुख मुद्दा है।

भारत में नक्सलवाद या वामपंथी चरमपंथ (Left-wing Extremism- LWE)

- वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) आज देश के सामने सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा खतरों में से एक है।
- वामपंथी उग्रवाद, जिसे नक्सलवाद और माओवाद जैसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, वामपंथी विचारधाराओं से प्रेरित राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का एक रूप है। वामपंथी चरमपंथियों को विश्व स्तर पर माओवादी और भारत में नक्सली के रूप में भी जाना जाता है।
- भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग ज़िले के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई थी।
- प्रारंभिक विद्रोह का नेतृत्व चारु मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल ने किया था, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सदस्य थे। प्रारंभिक विद्रोह किसान विद्रोह के रूप में था।
- विदित है कि नक्सलबाड़ी गाँव के नाम पर ही उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलवाद कहा गया।
- वे संसदीय लोकतंत्र को खारिज करते हैं और सरकार के खिलाफ सशस्त्र क्रांति छेड़ने का लक्ष्य रखते हैं।

वामपंथी उग्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार कारक

- आंदोलन के उदय के पीछे मुख्य कारण खनिज समृद्ध होने के बावजूद इन क्षेत्रों के विकास की भारी कमी थी।
- वे बड़े पैमाने पर आदिवासी बेल्ट थे, जिन्हें सरकार और मुख्यधारा के मीडिया द्वारा भी उपेक्षित किया गया था।
- प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त अक्षमता और कुप्रबंधन के साथ भ्रष्टाचार भी बड़े पैमाने पर लोगों के लिए दुख का कारण बन रहा था।
- लोगों के बड़े समूहों के अलगाव और सामाजिक बहिष्कार ने उनमें से कुछ वर्गों को उस समय की सरकार और बड़े पैमाने पर समाज से अलग होने का अनुभव कराया।
- जल-जंगल-जमीन (जल, जंगल, जमीन) का मुद्दा शुरू में इन विद्रोहों के केंद्र में था।

वर्तमान परिदृश्य

- 90% हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 2015 में 35 से घटकर 2021 में 25 हो गई थी।
- ये जिले ज्यादातर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हैं।

माओवाद क्या है?

- माओवाद माओत्से तुंग द्वारा विकसित साम्यवाद का एक रूप है।
- यह सशस्त्र विद्रोह, सामूहिक लामबंदी और रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन के माध्यम से राज्य की सत्ता पर कब्जा करने का एक सिद्धांत है।

लाल गलियारा/ रेड कॉरिडोर क्या है?

- रेड कॉरिडोर भारत के मध्य, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों का वह क्षेत्र है, जो गंभीर नक्सली-माओवादी विद्रोह से प्रभावित रहा है।
- इससे प्रभावित जिले और कॉरिडोर का हिस्सा भारत के सबसे गरीब जिलों में से हैं।
- अधिकांश क्षेत्र में आदिवासी आबादी है। यह क्षेत्र गंभीर जाति और आर्थिक विषमताओं से भी प्रभावित है।
- सामान्यतः, कॉरिडोर नेपाल के साथ भारतीय सीमा तक फैला है और तमिलनाडु के उत्तरी किनारे तक विस्तृत है।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार की पहल

- सीआरपीएफ ने तीन राज्यों (बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़) में ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म और ऑपरेशन चक्रबंधा शुरू किया।

समाधान पहल

- गृह मंत्रालय के निर्देशन में भारत में नक्सली समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई पहल है।

समाधान से तात्पर्य है-

- S-Smart leadership (कुशल नेतृत्व)
- A-Aggressive strategy (आक्रामक रणनीति)
- M-Motivation and training (अभिप्रेरणा एवं प्रशिक्षण)
- A-Actionable intelligence (अभियोज्य गुप्तचर व्यवस्था)
- D-Dashbord based key performance indicators and key result area (कार्ययोजना आधारित प्रदर्शन सूचकांक एवं परिणामोन्मुखी क्षेत्र)
- H-Harnessing technology (प्रभावी प्रौद्योगिकी)
- A-Action plan for each threat (प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना)
- N-No access to financing (नक्सलियों के वित्त-पोषण को विफल करने की रणनीति)

सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA)

- इसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और 1958 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

- सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अर्थात AFSPA एक कानून है, जो आर्म्ड फोर्सेज को 'अशांत क्षेत्रों' में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है।
- उनके पास यह अधिकार होता है कि वे एक क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा सकते हैं।
- यदि आर्म्ड फोर्सेज को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उचित चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग कर सकते हैं या गोली भी चला सकते हैं।
- किसी व्यक्ति पर संदेह होने की स्थिति में सेना बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है और बिना वारंट के परिसर में तलाशी भी ले सकती है।
- गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपा जा सकता है और उनकी गिरफ्तारी के कारणों की व्याख्या किया जा सकता है।

अशांत क्षेत्र की व्याख्या

- अशांत क्षेत्र की व्याख्या AFSPA के सेक्शन 3 में की गई है।
- कोई भी जगह या क्षेत्र विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण अशांत हो सकता है।
- केंद्र सरकार या राज्य के गवर्नर उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।
- सेक्शन 3 के अनुसार, यह कानून उन स्थानों पर लगाया जा सकता है, जहाँ सुरक्षा के लिए आर्मड फोर्सेज की आवश्यकता होगी।

अफस्पा और राज्य

- हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम, मणिपुर और नागालैंड में सशस्त्र बल (विशेष) अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत "अशांत क्षेत्रों" को कम किया है।
- इन तीन राज्यों के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में AFSPA लागू है।

अफस्पा और भारत सरकार के प्रयास

- केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों से उत्तर-पूर्वी राज्यों में ऐसे अनेक कदम उठाये गए हैं, जिससे सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और विकास में तेजी आयी है।
- वर्ष 2014 की तुलना में, वर्ष 2021 में उग्रवादी घटनाओं में 74% की कमी आई है।
- सुरक्षा स्थिति में सुधार के कारण AFSPA के अंतर्गत अशांत क्षेत्र अधिसूचना को त्रिपुरा से 2015 में और मेघालय से 2018 में पूरी तरह से हटा लिया गया है।
- संपूर्ण असम में वर्ष 1990 से अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू है।
- 01 अप्रैल 2022 से असम के 23 जिलों को पूर्ण रूप से और 1 जिले को आंशिक रूप से AFSPA के प्रभाव से हटाया गया है।
- संपूर्ण मणिपुर (इंफाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर) में अशांत क्षेत्र घोषणा वर्ष 2004 से चल रही है। केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन क्षेत्र को 01 अप्रैल 2022 से अशांत क्षेत्र अधिसूचना से बाहर किया गया है।
- अरूणाचल प्रदेश में 2015 में 3 जिले, अरूणाचल प्रदेश की असम से लगने वाली 20 किमी. की पट्टी और 9 अन्य जिलों में 16 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में AFSPA लागू था, जो धीरे धीरे कम करते हुए वर्तमान में सिर्फ 3 जिलों में और 1 अन्ये जिले के 2 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लागू है।
- सम्पूर्ण नागालैण्ड में अशान्त क्षेत्र अधिसूचना वर्ष 1995 से लागू है। केन्द्र सरकार ने इस सन्दर्भ में गठित कमेटी की चरणबद्ध तरीके से AFSPA हटाने की सिफारिश को मान लिया है। नागालैंड में 01 अप्रैल 2022 से 7 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों से अशांत क्षेत्र अधिसूचना को हटाया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद समाप्त करने और स्थायी शांति लाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं

- जनवरी, 2020 का बोडो समझौता, जिसने असम की 5 दशक पुरानी बोडो समस्या का समाधान किया है।
- 04 सितंबर, 2021 का करबी-आंगलांग समझौता, जिसने लंबे समय से चल रहे असम के करबी क्षेत्र के विवाद को हल किया है।
- त्रिपुरा में उग्रवादियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अगस्त 2019 में NLFT(SD) समझौता किया गया।
- 16 जनवरी, 2020 को 23 साल पुराने ब्रु-रिआंग शरणार्थी संकट को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया गया, जिसके अधीन 37000 आंतरिक विस्थापित लोगों को त्रिपुरा में बसाया जा रहा है।
- 29 मार्च, 2022 को असम और मेघालय राज्य की सीमा के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण समझौता हुआ है।

निष्कर्ष

- चूँकि, भारत में कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, फलतः वर्दी और पुलिस से संबंधित अन्य पहलुओं पर निर्णय स्थानीय सरकारों के अधीन आते हैं। सभी राज्यों को मिलकर गंभीरता से इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए।
- साथ ही, व्यापक पुलिस सुधार को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2006 के ऐतिहासिक निर्णय को कार्यान्वित करने की दिशा में भी सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

एनएफएसए से 8 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 33.4% की वृद्धि

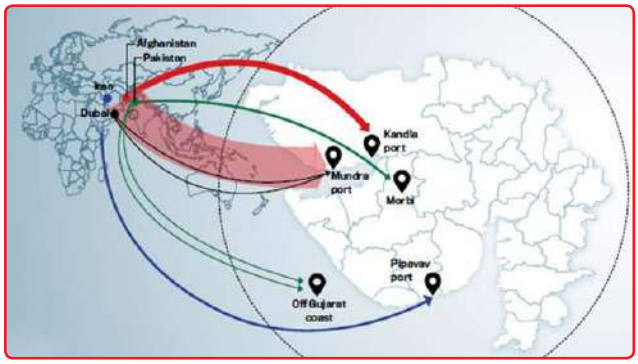

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के प्रभावी होने के बाद 8 वर्षों में भारतीय जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक रूप से 33.4% की वृद्धि हुई है।
- ज्ञातव्य है कि यह प्रतिक्रिया वर्ष 2020 में पहले लॉकडाउन के दौरान रोजगार की कमी का सामना करने वाले प्रवासी मजदूरों के व्यापक सर्वेक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रत्युत्तर में दाखिल की गई है।

एनएफएसए और केंद्र सरकार का पक्ष

- एनएफएसए के अंतर्गत, गत आठ वर्षों (2013-2021) में लगभग 18-19 करोड़ व्यक्तियों के बराबर लगभग 4.7 करोड़ राशन कार्ड प्रस्तुत किए गए हैं।
- 31 अगस्त तक, एनएफएसए के तहत कुल राष्ट्रीय सीमा 81.4 करोड़ है, जबकि वास्तविक राष्ट्रीय कवरेज लगभग 8 करोड़ है ।
- एनएफएसए की सीमा के तहत, एएवाई और पीएचएच श्रेणियों में अतिरिक्त 1.6 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया जा सकता है।
- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से बड़ी संख्या में परिवारों को उच्च आय वर्ग में जाने की संभावना है, और वे अब उतने असुरक्षित नहीं हैं, जितने वे 2013-14 में थे।
- इसके कारण, 2013-14 में कमजोर वर्गीकृत शहरी आबादी के लिए 75% और शहरी आबादी के लिए 50% की शीर्ष सीमा में काफी कमी आई है।

एनएफएसए और उच्चतम न्यायालय

- एनएफएसए में अपात्र परिवारों को शामिल करने से केंद्र सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ जाता है।
- शीर्ष न्यायालय ने सरकार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों की कुल संख्या को फिर से निर्धारित करने के लिए एक व्यापक अभ्यास करने के लिए कहा था।
- इस पर सरकार ने जवाब दिया कि जनगणना 2021 और जनगणना के अंतिम आंकड़ों को प्रकाशित करने में समय लगेगा।
- साथ ही, नया राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) सर्वेक्षण जुलाई 2022 में शुरू किया गया है और जून 2023 तक फील्ड कार्य पूरा होने का अनुमान है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)

अधिसूचित

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितम्बर, 2013 को अधिसूचित कर, इसका राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया।

उद्देश्य

- एक नागरिक के रूप में गरिमापूर्ण जीवन यापन के लिए आवश्यक पोषणयुक्त खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना।

व्याप्ति

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से देश के दो तिहाई जनसंख्या को कवर करना, जिसमें ग्रामीण आबादी (75%), शहरी आबादी (50%) दोनों शामिल हैं।

मुख्य विशेषताएं:

- यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत रियायती मूल्य / केंद्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए "पात्र परिवारों" से संबंधित व्यक्तियों को कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टीपीडीएस के तहत कवर की गई जनसंख्या के प्रतिशत की गणना भारत की जनगणना के आधार पर की जाएगी ।
- राज्य सरकारों को अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई - गरीबों में सबसे गरीब) और टीपीडीएस से आच्छादित आबादी के भीतर प्राथमिक परिवारों (पीएचएच) लाभार्थियों की पहचान करने का काम सौंपा गया है।
- पीएचएच श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है - चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम।
- प्रत्येक एएवाई परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
- यह अधिनियम ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी आबादी के 50% तक को सब्सिडी वाले खाद्यान्न (कुल जनसंख्या का 67 %) प्राप्त करने के लिए कवर करता है।

महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी सहयोग पर विशेष ध्यान

महिलाएं

- यह गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद भोजन प्रदान करती है।
- ऐसी महिलाएं भी कम से कम 6,000 के मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार होंगी।

बच्चे

- 14 वर्ष की आयु तक निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार पौष्टिक भोजन के हकदार होंगे।

खाद्य सुरक्षा भत्ता

- पात्र खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में, लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त होगा।

शिकायत निवारण तंत्र

- अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के प्रावधान भी शामिल हैं।

अन्य विशिष्ट प्रावधान

- अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल परिवारों को प्रति माह 35 किग्रा. अन्न उपलब्ध कराने की शासकीय योजना पूर्ववर्ती रूप से जारी रहेगी।
- खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं होने पर लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
- जिला एवं राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना संग क्षेत्रीय स्तर पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व साधने का प्रयास।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System-PDS) क्या है?

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग / वंचित वर्ग / बीपीएल वर्ग (निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला वर्ग) को लक्षित कर खाद्य वस्तुओं को बाजार मूल्य से इतर कम कीमत पर और समय पर सर्वसुलभ कराने के शासकीय प्रयास के रूप में वर्णित किया जाता है।
- ज्ञातव्य है कि यह प्रणाली केंद्र और राज्यों के संयुक्त दायित्व रूप में संचालित की जा रही है।
- 1992 से पूर्व पीडीएस आवश्यकतानुसार समग्र लक्ष्य दृष्टि के अंतर्गत संचालित किया जाता था।
- जून, 1992 में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में देशव्यापी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया।
- एक व्यवस्थित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का शुभारम्भ वर्ष 1997 में किया गया।

खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015

- **स्थापना-** खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 को अगस्त, 2015 में अधिसूचित किया गया था।
- **लाभ-** एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्न एवं एफपीएस डीलरों के अन्तर्राज्यीय आवागमन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता तथा सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को क्रय संचालन व रखरखाव की लागत और पॉइंट ऑफ़ सेल उपकरण को प्रयोग करने पर व्यय तथा इसके उपयोग के प्रोत्साहन के लिए 17 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ।
- खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उद्देश्य-
- सभी स्तरों पर लेनदेन का पारदर्शी दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना।
- इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरण (ईपीओएस) को प्रोत्साहन देना।
- ईपीओएस के माध्यम से विक्रय के लिए उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) डीलरों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करना।

सरकारी पदों में आरक्षण और नौवीं अनुसूची

- हाल ही में, झारखंड के राज्य विधानसभा में पारित पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022 में एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा वर्तमान 60 फीसदी से बढ़ाकर 77 फीसदी कर दिया गया है।
- विदित है कि यह अधिनियम भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल होने के बाद प्रभावी होगा।

KEY TAKEAWAYS

Jharkhand Reservation in Vacancies of Posts and Services (Amendment) Bill 2022

Category	Earlier Quota	New Quota
ST	26%	28%
SC	10%	12%
EBC (I)	8%	15%
OBC (II)	6%	12%
EWS	10%	10%
Total	60%	77%

Jharkhand Definition of Local Persons and for Extending the Consequential Social, Cultural and Other Benefits to such Local Persons Bill, 2022

- Local person shall mean domicile of Jharkhand, who is an Indian citizen and resides within the territorial and geographical limits of Jharkhand and he/she or his/her ancestor(s) name is recorded in the survey/khatiyan of 1932 or before
- In case landless persons or whose ancestors resided before 1932 but their land record is missing or illegible and they are unable to produce land record, the local gram sabha will be empowered to identify the locals

Both the Acts shall take effect after it is included in the ninth schedule of the constitution of India

झारखंड में आरक्षण की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में झारखंड में एसटी को 26 फीसदी आरक्षण का प्रावधन है,
- वहीं एससी को 10 फीसदी और ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण का उपबंध है।
- झारखंड राज्य का आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण का यह निर्णय, हाल ही में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अपनाया गया है।

पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022 बनाम इंदिरा साहनी वाद

- यह विधेयक आरक्षण की सीमा को मौजूदा 60% से बढ़ाकर 77% करने का प्रावधान करता है।
- इसके प्रभावी होने के लिए नौवीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता है।
- 77% आरक्षण ऐतिहासिक इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का उल्लंघन करता है।
- विदित है कि तमिलनाडु सहित कई राज्यों में नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में कुल आरक्षित सीटें 50% की सीमा के ऊपर पहुँच गई हैं,

जहां 69% सीटें आरक्षित हैं ।

इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ, 1992

- वर्ष 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का आदेश जारी किया था, जिसे इंदिरा साहनी ने कोर्ट में चुनौती दी थी।
- इंदिरा साहनी केस में नौ जजों की पीठ ने आदेश दिया था कि आरक्षित स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए।

संविधान की नौवीं अनुसूची

- नौवीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची का उल्लेख है, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था।
- संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होता है।

अनुच्छेद 31बी

- अनुच्छेद 31बी का पूर्वव्यापी प्रभाव भी है अर्थात यदि कानूनों को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, तो उन्हें उनके प्रारंभ से ही अनुसूची में माना जाता है और वह वैध होता है।
- यद्यपि, आईआर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, 2007 में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि नौवीं अनुसूची के तहत रखे गए कानूनों को संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।

103वां संविधान संशोधन अधिनियम

- सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के एक वर्ग के लिए भारत में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से संसद ने 12 जनवरी, 2019 को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 को स्वीकृति प्रदान की।
- ज्ञातव्य है कि इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके आर्थिक आरक्षण की शुरुआत की गई। इसने संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) को शामिल किया, ताकि अनारक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जा सके।

ईडब्ल्यूएस पर उच्चतम न्यायालय का हाल का निर्णय

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय सुनाते हुए उल्लिखित किया कि ईडब्ल्यूएस कोटे से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं होता है।
- ज्ञातव्य है कि मामले की सुनवाई करते हुए पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में 3-2 के अंतर से अपना निर्णय सुनाया है।

तृतीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन –'नो मनी फॉर टेरर'

- आतंकवाद के वित्तपोषण का का प्रभावी रूप से सामना करने से संबद्ध तृतीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन –'नो मनी फॉर टेरर' का आयोजन 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में किया गया।
- ज्ञातव्य है कि इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे को महत्व देने के साथ-साथ इस खतरे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है।

तृतीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन -'नो मनी फॉर टेरर'- विमर्श के बिंदु

- तीसरे 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन में होने वाली चर्चा आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण के वैश्विक रुझानों, आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के इस्तेमाल, उभरती प्रौद्योगिकियों और आतंकवाद के वित्त पोषण और संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए अपेक्षित अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर केंद्रित थी।
- इस सम्मेलन के आयोजन की मंशा दो दिनों में विस्तारित विचार-विमर्श के लिए 75 देशों और अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधियों को एक साझा मंच प्रदान करना है।

उद्देश्य

- इस सम्मेलन का उद्देश्य पेरिस (2018) और मेलबर्न (2019) में अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा आयोजित गत दो सम्मेलनों में आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने से संबंधित चर्चाओं को आगे बढ़ाना है।
- इसका उद्देश्य आतंकवाद के वित्त पोषण के सभी आयामों के तकनीकी, कानूनी, विनियामक और सहयोग के पहलुओं पर चर्चा को शामिल करने का भी है।
- यह सम्मेलन आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने पर केंद्रित अन्य उच्चस्तरीय आधिकारिक और राजनीतिक विचार-विमर्श की गति को भी निर्धारित करने का प्रयास करेगा।

आतंकवाद क्या है और इसके लिए उत्तरदायी कारक

- आतंकवाद निरोधक अधिनियम के अनुच्छेद 1989 के उप-अनुच्छेद "क" के अनुसार, जो कोई भी वैधानिक रूप से स्थापित सरकार को भयाक्रांत करने की दृष्टि से अथवा जन साधारण में आतंक फैलाने की दृष्टि से अथवा समाज के किसी भी वर्ग को अलग करने की दृष्टि से अथवा समाज के वर्ग विशेष को अलग करने की दृष्टि से अथवा समाज

के विभिन्न वर्गों की एकता को भंग करने की दृष्टि से अथवा किसी तरह का व्यापक विध्वंस करता है या लोगों को प्रभावित करता है अथवा उन्हें आहत करता है, तो ऐसे कार्य आतंकवादी कार्य कहे जायेंगे।

आतंकवाद के विकास के लिए जिम्मेदार कारक

- राज्य-प्रायोजन और सुरक्षित ठिकाने
- अत्याधुनिक संचार प्रणाली
- उन्नत तकनीक तक पहुंच
- आपराधिक अंडरवर्ल्ड के साथ आतंकवादी समूहों की नेटवर्किंग

आतंकवाद और वित्त पोषण

- वैश्विक स्तर पर, विभिन्न देश कई वर्षों से आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावित हैं।
- अधिकांश मामलों में हिंसा का पैटर्न भिन्न होता है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर लंबे समय तक सशस्त्र सांप्रदायिक संघर्षों के साथ-साथ एक अशांत भू-राजनीतिक वातावरण से उत्पन्न होता है।
- इस तरह के संघर्षों का परिणाम अक्सर कुशासन, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अभाव और बड़े अनियंत्रित क्षेत्र के रूप में सामने आता है।
- एक राज्य की भागीदारी अक्सर आतंकवाद, विशेष रूप से इसके वित्तपोषण को बढ़ावा देती है।

आतंकवाद के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई में अग्रणी रहा है और मानवाधिकारों के वैश्विक प्रचार और संरक्षण में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई है।
- भारत ने देशों के साथ आतंकवाद/सुरक्षा मामलों पर संयुक्त कार्य समूहों (जेडब्ल्यूजी) की स्थापना के लिए कदम उठाए हैं।
- आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के तहत द्विपक्षीय संधियों पर अन्य देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं
- वर्ष 2018 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 73 वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद (CCIT) पर एक व्यापक सम्मेलन की अपनी मांग पर प्रकाश डाला।
- जनवरी 2021 में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्ताव 1373 की 20वीं वर्षगांठ पर, भारत ने आतंकवाद के संकट से निपटने के लिए आठ सूत्री कार्य योजना प्रस्तुत की।
  - आतंकवाद से बेझिझक मुकाबला करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का आह्वान करना।
  - आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाना।
  - प्रतिबंधों और आतंकवाद से निपटने वाली समितियों के कामकाज के तरीकों में सुधार।
  - दुनिया को बांटने वाली और सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने वाली बहिष्कारवादी सोच को मजबूती से हतोत्साहित करना।
  - संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध व्यवस्थाओं के तहत व्यक्तियों और संस्थाओं को सूचीबद्ध और असूचीबद्ध करना उद्देश्यपूर्ण रूप से राजनीतिक या धार्मिक विचारों के लिए नहीं है।
  - आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के बीच की कड़ी को पूरी तरह से पहचानना और संबोधित करना।
  - आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करना।
- भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का आह्वान करता है और इसे रोकने के लिए एक साझा रणनीति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला

- भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय द्वारा केरल सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग (एलएसजीडी) और केरल के त्रिशूर के केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (केआईएलए) के सहयोग से ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 14-16 नवंबर, 2022 के दौरान केरल के कोच्चि के सीआईएएल सम्मेलन केन्द्र में किया गया।
- ज्ञातव्य है कि यह आयोजन निर्धनता मुक्त और संवर्धित आजीविका ग्राम पंचायत पर विषयगत दृष्टिकोण अपनाने के माध्यम से की गई।

आयोजन का उद्देश्य

- **सीमांतीकरण** - समावेशन और मूलभूत सेवाओं तक पहुंच, सामाजिक सुरक्षा तंत्र और सुरक्षा प्रणालियों - पंचायतों के माध्यम से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का लाभ उठाना
- आजीविका, आय असमानता और निर्धनता को दूर करने में पंचायतों की भूमिका, अत्यधिक निर्धनता उन्मूलन और निर्धन, निर्बल और सीमांत वर्गों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार लाना
- आपदाओं और अत्यधिक जलवायु घटनाओं द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थितियों के विरूद्ध निर्बल समुदायों की अनुकूलता के राष्ट्र स्तरीय महत्व पर जागरूकता का सृजन करना है।

थीम 1 के अंतर्गत आयोजन

- निर्धनता मुक्त और संवर्धित आजीविका ग्राम पंचायतों पर कार्यान्वयन कार्यनीति को सुदृढ़ बनाना।
- पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं, सिविल सोसायटी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, डोमेन विशेषज्ञों के बीच संवाद को सुगम बनाना।

- क्षेत्र दौरों के रूप में एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई 'अनुभव साझा करने और क्षेत्र से सीख प्राप्त करने' की प्रक्रिया प्रमुख आकर्षण होगी।
- विभिन्न स्तरों पर कुदुम्बश्री और मनरेगा के सदस्यों सहित लगभग 1500 प्रतिभागी राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

कार्यशाला के विषय में

- अन्य राज्यों के साथ विचारों का आदान-प्रदान और अनुभव साझा करके ग्राम पंचायतों के लिए समान प्रकार की सीख के लिए स्थान का सृजन करना।
- पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं, सिविल सोसायटी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, डोमेन विशेषज्ञों के बीच संवाद को सुगम बनाना।
- थीम1 के तहत निर्धनता मुक्त और बढ़ी हुई आजीविका ग्राम पंचायतों पर कार्यान्वयन कार्यनीति को सुदृढ़ बनाना।
- पंचायतों में एसडीजी स्थानीयकरण पर केरल राज्य रोडमैप जारी करना।
- **थीम1:** (निर्धनता मुक्त और संवर्धित आजीविका ग्राम पंचायत) से संबंधित नवोन्मेषी विचारों का प्रसार और विचार-विमर्श करना
- राष्ट्रीय कार्यशाला ग्राम पंचायतों के लिए विचार-विमर्श संबंधित कार्रवाई और अनुभवजन्य सीख के लिए एक उपयुक्त मंच के रूप में काम करेगी।

सतत विकास लक्ष्य

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकार किए गए सतत विकास लक्ष्य 1 जनवरी, 2016 से लागू हुए।
- पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार ने एसडीजी के लिए विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है। यह 'वैश्विक योजना' को प्राप्त करने के लिए 'स्थानीय कार्रवाई' सुनिश्चित करने का दृष्टिकोण है।
- इस दृष्टिकोण का उद्देश्य 17 'लक्ष्यों' को '9 विषयों' में जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं, विशेषकर ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीजी का स्थानीयकरण करना है।
- उपयुक्त नीतिगत निर्णयों और संशोधनों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) और ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के दिशा-निर्देशों में सुधार हुआ है, जो ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) के स्थानीयकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाता है।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023

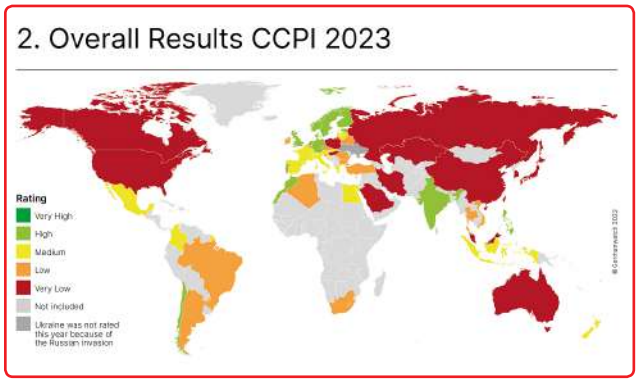

- हाल ही में, प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2023 में भारत 63 देशों के लिए जारी रैंकिंग में 8वें स्थान पर विद्यमान है।
- विदित है कि भारत को यह रैंकिंग उसके कम उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के आधार पर प्रदान की गई है।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI)

- यह बॉन, जर्मनी में स्थित एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) जर्मनवॉच द्वारा अभिकल्पित एक स्कोरिंग प्रणाली है।
- इसे पहली बार 2005 में प्रकाशित किया गया था
- प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इसका अद्यतन संस्करण प्रस्तुत किया जाता है।
- सूचकांक का उद्देश्य 63 देशों और यूरोपीय संघ (ईयू) के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का आकलन और तुलना करके अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति में पारदर्शिता में सुधार करना है, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए उत्तरदायी हैं।

सीसीपीआई 2023 की मुख्य विशेषताएं

2030 तक उत्सर्जन को आधा करने का लक्ष्य

- जर्मनवॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि विभिन्न देश 2030 तक अपने उत्सर्जन को आधा करने की दिशा में कितना प्रभावी कदम उठा रहे हैं, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पूरा करने और विनाशकारी जलवायु परिवर्तन से रक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रथम तीन स्थान रिक्त

- रिपोर्ट में पहले तीन स्थानों को रिक्त छोड़ दिया गया है, क्योंकि किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है कि वह बहुत अधिक समग्र ग्रेड अर्जित कर सके।
- डेनमार्क चौथे स्थान पर है, उसके बाद स्वीडन और चिली का स्थान है।

अग्रणी प्रदूषक देश

- चीन, विश्व का अग्रणी प्रदूषक देश है, जो इस वर्ष के सीसीपीआई में 13 पायदान गिरकर 51वें स्थान पर आ गया
- इसे कोयले से संचालित नए बिजली संयंत्रों की योजनाओं के कारण समग्र रूप से बहुत कम ग्रेड प्राप्त किया।

अन्य देश

- अमेरिका तीन स्थान ऊपर बढ़ते हुए 52वें स्थान पर आ गया है।
- सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले देश ईरान (63वें), सऊदी अरब (62वें) और कजाकिस्तान (61वें) थे।
- विदित है कि इसे यूरोपियन यूनियन और 59 देशों के क्लाइमेट परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए तैयार किया गया है।

सीसीपीआई 2023 (शीर्ष 10 देशों का क्रम)		
1.	-	-
2.	-	-
3.	-	-
4.	डेनमार्क	79.61
5.	स्वीडन	73.28
6.	चिली	69.54

7.	मोरक्को	67.44
8.	भारत	67.35
9.	एस्टोनिया	65.14
10.	नॉर्वे	64.47

सीसीपीआई 2023 और जी-20 का प्रदर्शन

- सूचकांक में जी-20 देशों के प्रदर्शन में भारत (8वें), यूनाइटेड किंगडम (11वें), और जर्मनी (16वें) स्थान पर है, जी-20 के केवल तीन देश सीसीपीआई 2023 में उच्च प्रदर्शन करने वालों में शामिल है।
- इनके अतिरिक्त 12 जी-20 देशों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 75% से अधिक उत्सर्जन जी-20 के देश करते हैं, इसके आधार पर जी-20 देशों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है।
- कनाडा, रूस, दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब जी-20 के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है।

सीसीपीआई 2023 और भारत का प्रदर्शन

अवलोकन

- भारत ने जीएचजी उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रेटिंग प्राप्त की, जबकि इसे जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा वर्गों में मध्यम रेटिंग प्राप्त हुई।
- भारत अपने 2030 के उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रयासरत है, जो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के परिदृश्य के अनुकूल है।

सीसीपीआई 2023 और भारत को प्राप्त 8वां स्थान और भारत द्वारा उठाए गए कदम

- भारत ने ग्रीन हाउस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रेटिंग प्राप्त की है, जबकि भारत को जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा वर्गों में मध्यम रेटिंग प्रदान की गई है।
- भारत ने ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के कई प्रभावी उपाय किये है और उनको गंभीरता से कार्यान्वित भी किया है, जिस कारण से भारत ने इस रैंकिग में अच्छा प्रदर्शन किया है।
- सीसीपीआई की पिछली रैंकिंग के बाद, भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को अद्यतन किया है। साथ ही, भारत 2070 तक नेट-जीरो इमिशन का लक्ष्य के साथ अग्रसर है।
- भारत पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे लाने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की भी योजना बनाई है।
- साथ ही, भारत, 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध भी है।
- इन उपायों के आधार पर भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में अच्छा प्रदर्शन किया है।

भारत के लिए चुनौतियां

- भारत 90% वैश्विक कोयला उत्पादन के लिए जिम्मेदार 9 देशों में से एक है और यह 2030 तक अपने तेल और गैस उत्पादन को 5% से अधिक बढ़ाने की भी योजना बना रहा है।
- यह 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के अनुकूल नहीं है।
- अक्षय ऊर्जा मार्ग 2030 लक्ष्य के लिए अधिक प्रयास करने कि आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा और रूफटॉप फोटोवोल्टिक क्षमता की आवश्यकता के रूप में एक न्यायसंगत और न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कार्बन-मूल्य निर्धारण तंत्र, उप-राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता में वृद्धि और लक्ष्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए ठोस कार्य योजनाओं की अपरिहार्यता है।

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण: 'अ डिकेड ऑफ पॉक्सो' विश्लेषण

- यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) मामले में नवीनतम विश्लेषण में पाया गया है कि 43.44 प्रतिशत ट्रायल आरोपियों के बरी होने से समाप्त होते हैं और केवल 14.03 प्रतिशत मामलों में दोष सिद्ध होते हैं।

- ज्ञातव्य है कि यह विश्लेषण देश भर के ई-कोर्ट में इस कानून के तहत दर्ज मामलों के आधार पर एक स्वतंत्र थिंक-टैंक द्वारा किया गया है।

तत्वावधान

- डेटा एविडेंस फॉर जस्टिस रिफॉर्म (DE JURE) प्रोग्राम के सहयोग से विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में जस्टिस, एक्सेस एंड लोअरिंग डिलेज इन इंडिया (JALDI) इनिशिएटिव द्वारा 'अ डिकेड ऑफ पॉक्सो' शीर्षक नाम से एक विश्लेषण किया है.

अध्ययन

- इसमें 2012 से 2021 की अवधि के मध्य 28 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में फैले 486 जिलों में ई-कोर्ट के 230,730 मामलों का अध्ययन किया गया है।

विश्लेषण के निष्कर्ष

- 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पोक्सो के 96% मामलों में आरोपी पीड़ित का परिचित व्यक्ति था।
- विश्लेषित किए गए 138 निर्णयों में से 22.9 प्रतिशत में आरोपी पीड़िता के परिचित थे, वहीं 3.7 प्रतिशत मामलों में वे परिवार के सदस्य थे। इन मामलों में, 18 प्रतिशत में 'पूर्व संबंध' शामिल थे, जबकि 44 प्रतिशत में पीड़ित और आरोपी के बीच संबंध की पहचान नहीं की गई थी।
- विधि पहल द्वारा विश्लेषित किए गए 138 निर्णयों में, 5.47 प्रतिशत में पीड़िता 10 वर्ष से कम आयु की थी, वहीं 17.8 प्रतिशत में 10-15 वर्ष के बीच और 28 प्रतिशत मामलों में 15-18 वर्ष के बीच की थी। इसके साथ ही 48 फीसदी मामलों में पीड़ितों की उम्र की पहचान नहीं हो पाई है।
- इन मामलों के आरोपियों में 11.6 फीसदी 19-25 साल के बीच, 10.9 फीसदी 25-35 साल के बीच, 6.1 फीसदी 35-45 साल के बीच और 6.8 फीसदी 45 साल से ऊपर का था।

- 44 फीसदी मामलों में आरोपी की उम्र की पहचान नहीं हो पाई।
- अध्ययन में कोविड महामारी के कारण 2019 और 2020 के बीच लंबित मामलों की संख्या में 24,863 मामलों की तीव्र वृद्धि भी पाई गई।

पोक्सो से जुड़े मामले और विभिन्न राज्य की स्थिति

- दोषमुक्ति, आंध्र प्रदेश में दोषसिद्धि की तुलना में 7 गुना अधिक और पश्चिम बंगाल में 5 गुना अधिक सामान्य थी।
- केरल में बरी होने और सजा के बीच का अंतर अधिक नहीं है।
- 2018 में, दिल्ली में प्रति 100,000 लोगों पर 13.54 मामलों के साथ पोक्सो परीक्षणों की संख्या सबसे अधिक थी।
- नवंबर 2012 और फरवरी 2021 के बीच दायर सभी मुकदमों में से तीन-चौथाई (77.77%) से अधिक लंबित मामलों की संख्या यूपी में सबसे अधिक है।
- उच्च स्तर के लंबित मामलों के प्रमुख कारणों में से एक पुलिस की जांच की गति का कम होना और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के साथ नमूने जमा करने में विलंबता है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम

क्या है?

- यह विशेष रूप से बच्चों के यौन शोषण से निपटने वाला देश का पहला व्यापक कानून है, जिसे 2012 में अधिनियमित किया गया था
- इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशन में प्रशासित किया जाता है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील उल्लंघनों से बचाने के साथ-साथ ऐसे परीक्षणों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना था।
- 2019 में, दुर्व्यवहार करने वालों को रोकने और गरिमापूर्ण परवरिश को बढ़ावा देने के लिए निर्दिष्ट अपराधों के लिए दंड को मजबूत करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था।

मुख्य प्रावधान

लैंगिक-तटस्थ कानून

- अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के "किसी भी व्यक्ति" के रूप में एक बच्चे को परिभाषित करता है।

गैर-रिपोर्टिंग एक अपराध

- किसी संस्था का प्रभारी कोई भी व्यक्ति (बच्चों को छोड़कर) जो यौन अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, जिसमें एक अधीनस्थ को सजा का सामना करना पड़ता है।

दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने की कोई समय सीमा नहीं

- पीड़ित किसी भी समय अपराध की रिपोर्ट कर सकता है, यहां तक कि दुर्व्यवहार के कई वर्षों के बाद भी।

पीड़ित की पहचान को गोपनीय रखना

- अधिनियम मीडिया के किसी भी रूप में पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करता है जब तक कि अधिनियम द्वारा स्थापित विशेष अदालतों द्वारा अधिकृत न किया गया हो।

चिंताएँ

- इस तरह के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से कोविड-19 के प्रकोप के बाद से, जब साइबर अपराध के नए रूप सामने आए हैं।
- नाबालिग लड़कियों, लड़कों, माता-पिता और समाज में जागरूकता का अभाव।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012

- लैंगिक समानता पर आधारित पोक्सो अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन अपराधों, यौन शोषण और अश्लील सामग्री से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों के हितों की रक्षा करना और उनका कल्याण सुनिश्चित करना है।
- अधिनियम के अंतर्गत बच्चे को 18 वर्ष की कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और प्रत्येक स्तर पर बच्चों के हितों और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया गया है।
- सर्वविदित है कि मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस वी पतिबन ने अप्रैल, 2019 में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुझाव दिया था कि 16 से 18 वर्ष की आयु के मध्य सहमति से बने यौन संबंधों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) कानून की सीमा से बाहर कर दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ)

- हाल ही में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गवर्निंग काउंसिल (जीसी) की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राष्ट्रीय निवेश एवं बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP), पीएम गतिशक्ति (PM GatiShakti) और राष्ट्रीय इंफ्रास्टक्चर गलियारे के अंतर्गत नए अवसरों का पता लगाने पर बल देना चाहिए।
- विदित है कि इसमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड निवेश परियोजनाएं भी शामिल हैं।

एनआईआईएफ

- एनआईआईएफ भारत का अर्ध-संप्रभु वेल्थ फंड है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय और व्यावसायिक रूप से सफल निवेश मंच के रूप में विकसित हुआ है।
- यह कई वैश्विक और घरेलू निवेशकों द्वारा समर्थित है, जिन्होंने एनआईआईएफ फंड में भारत सरकार के साथ निवेश किया है।
- एनआईआईएफ हाल में एक डुअल फंड स्कीम में शामिल हुआ।
- सरकार के सहयोग से एक 'इंडिया जापान फंड' का प्रस्ताव नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (एनआईआईएफएल) और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (जेबीआईसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया गया है।

- ज्ञातव्य है कि एमओयू पर हाल ही में 9 नवंबर को हस्ताक्षर किए गए थे।
- भारत सरकार की एनआईआईएफ में 49% हिस्सेदारी है और शेष हिस्सेदारी विदेशी और घरेलू निवेशकों के पास है।

एनआईआईएफ

क्या है?

- भारत सरकार द्वारा संचालित, अंतरराष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक सहयोगी निवेश मंच हैं।

पृष्ठभूमि

- एनआईआईएफ को वर्ष 2015 में एक वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के रूप में ₹40,000 करोड़ के नियोजित कोष के साथ स्थापित किया गया था।
- मुख्यालय : मुंबई

उद्देश्य

- देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना।

फंड का प्रबंधन

- एनआईआईएफ वर्तमान में अपने विशिष्ट निवेश जनादेश के साथ तीन फंडों का प्रबंधन करता है
- मास्टर फंड,
- फंड ऑफ फंड्स
- सामरिक निधि।
- फंड वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत हैं।

विनियमन और पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं।
- विदित है कि यह समझौता ज्ञापन तकनीकी सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

उद्देश्य

- समझौते का उद्देश्य संबंधित वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा, स्थिरता और सुदृढ़ता को मजबूत करना है, जिससे सर्वोत्तम व्यापार विकास और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
- आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और मौद्रिक प्राधिकरण है, जो अन्य बातों के अलावा, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के विनियमन और पर्यवेक्षण के साथ-साथ अन्य कार्यों का निर्वहन और विभिन्न अधिनियमों के अनुरूप शक्तियों का प्रयोग करता है।
- समझौता ज्ञापन दो नियामकों के बीच सहयोग के अवसर प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए)

स्थापना

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) की स्थापना 27 अप्रैल, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत की गई है।

मुख्यालय

- इसका मुख्यालय गुजरात के GIFT सिटी, गांधीनगर में स्थित है।

आईएफएससीए की भूमिका

- आईएफएससीए भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है।
- वर्तमान में, GIFT आईएफएससी, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। आईएफएससीए की स्थापना से पहले, घरेलू वित्तीय नियामकों, अर्थात्, RBI, SEBI, PFRDA और IRDAI ने आईएफएससी में व्यवसाय को विनियमित किया।
- आईएफएससी में व्यवसाय की गतिशील प्रकृति के लिए वित्तीय क्षेत्र के भीतर उच्च स्तर के अंतर-नियामक समन्वय की आवश्यकता होती है
- आईएफएससीए को आईएफएससी में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और विश्व स्तर प्रदान करने के लिए समग्र दृष्टि के साथ एक एकीकृत नियामक के रूप में स्थापित किया गया है।
- नियामक पर्यावरण आईएफएससीए का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत वैश्विक संपर्क विकसित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ पूरे क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मंच के रूप में काम करना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

स्थापना और पृष्ठभूमि

- भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को की गई।
- रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थपित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया।
- केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है, जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं।
- यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वमित्व वाला था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वमित्व है।

केंद्रीय बोर्ड

- रिज़र्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है।
- भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है।

नियुक्ति

- नियुक्ति चार वर्ष के लिए होता है

गठन

- सरकारी निदेशक
- पूर्ण-कालिक : गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर
- गैर- सरकारी निदेशक
- सरकार द्वारा नामित : विभिन्न क्षेत्रों से दस निदेशक और दो सरकारी अधिकारी
- अन्य : चार निदेशक, चार स्थानीय बोर्डों से प्रत्येक में से एक

कार्य

- मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसका कार्यान्वयन करता है और उसकी निगरानी करता है।
- बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का प्रबंध करता है।
- नोटों को जारी करने, विनिमय करने तथा नष्ट करने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को संचलन में लाना।
- राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य करना।

कार्यालय

- भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय 31 स्थानों पर हैं।

डिजिटल शक्ति 4.0

- हाल ही में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर साइबर क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त और कुशल बनाने की मंशा से डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की है।
- विदित है कि ये अभियान साइबरस्पेस फाउंडेशन, मेटा और ऑटोबोट इन्फोसेक के सहयोग से संचालित होती है।

पृष्ठभूमि

- डिजिटल शक्ति अभियान की शुरूआत जून 2018 में देश भर में महिलाओं को डिजिटल क्षेत्र से संबद्ध जागरूकता स्तर बढ़ाने के लिए की गई थी।
- इस अभियान के माध्यम से देशभर में 3 लाख से अधिक महिलाओं को साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता जैसे तमाम तकनीको से जागरूक किया गया है।
- अभियान का तीसरा चरण मार्च 2021 में लेह में शुरू किया गया था।
- विदित है कि तीसरे चरण में महिलाओं को साइबर अपराध से बचने के उपायों की जानकारी दी गई थी।

निहितार्थ

- इस अभियान के तहत महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल कुशलता प्राप्त होगी और साइबर हमले से बचाव के लिए जागरूक भी किया जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि भारत इंटरनेट का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है।
- महिलाएं सबसे ज्यादा साइबर हमले का शिकार होती है।
- इस अभियान के अब अधिक से अधिक महिलाओं को जागरूक किया जाएगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय

- महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के मन्तव्य से राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था।
- पहले आयोग का गठन 31 जनवरी, 1992 को किया गया, जिसकी अध्यतक्ष श्रीमती जानकी पटनायक थीं।
- ध्यातव्य है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा हैं।
- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अंतर्गत श्रीमती रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष के एक अन्य कार्यकाल के लिए नामांकित किया है। उनका दूसरा कार्यकाल 7 अगस्त, 2021 से प्रभावी है। वह 65 वर्ष की आयु अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इस पद पर बनी रहेंगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का उद्देश्य

- महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना;
- उपचारात्मक विधायी उपायों की संस्तुति करना;
- शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निवारण की सुविधा प्रदान करना;
- महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मुद्दों पर सरकार को समय-समय पर परामर्श देना।

राष्ट्रीय महिला आयोग का मिशन

- महिलाओं को उपयुक्त नीति निर्माण, विधायी उपायों, कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन, योजनाओं/नीतियों के कार्यान्वयन और विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए रणनीति तैयार करना;
- महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराना और अधिकारों के अनुरूप जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और समान भागीदारी प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने की दिशा में प्रयत्न करना;
- महिलाओं के प्रति भेदभाव और अत्याचार से उत्पन्न स्थितियाँ का प्रभावी निदान करना।

एनसीडब्ल्यू की संरचना

- महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अंतर्गत केन्द्री य सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और निर्धारित कृत्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष (महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो)।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नामित पांच सदस्य का चयन किया जाएगा, जिन्हें विधि, व्यवसाय

संघ आंदोलन, महिलाओं की नियोजन संभाव्य ताओं की वृद्धि के लिए समर्पित उद्योग अथवा संगठन के प्रबंधन, स्वैच्छिक महिला संगठन (जिनके अंतर्गत महिला कार्यकर्ता भी शामिल), प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा अथवा सामाजिक कल्याण का पर्याप्त अनुभव हो।

- विदित है कि उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होना आवश्यक है।
- केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत एक सदस्य-सचिव, जो प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना अथवा सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ है अथवा ऐसा अधिकारी है, जो संघ की सिविल सेवा का अथवा अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है और जिसके पास समुचित अनुभव है।

एनसीडब्ल्यू द्वारा संचालित विभिन्न पहल

- एनसीडब्ल्यू ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए और उनके आर्थिक सशक्तीसकरण के लिए कार्य किया।
- आयोग ने लक्षद्वीप के अतिरिक्त सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा पूर्ण कर लिया है और महिलाओं की स्थिति एवं उनके सशक्तींकरण का मूल्यांकन करने के लिए लिंग आधारित विवरणिकाएं निर्मित की हैं।
- ज्ञातव्य है कि आयोग को महिलाओं के विरुद्ध किये जा रहे अन्याय की बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं और उन्हे त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करने हेतु आयोग कृतसंकल्पित है। कई मामलों में आयोग ने स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई की है।
- आयोग ने बाल विवाह के मुद्दे को मुखरता से उठाया है। इसने कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों, पारिवारिक महिला लोक अदालतों को प्रायोजित किया है और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994, भारतीय दंड संहिता, 1860 और राष्ट्रीधय महिला आयोग अधिनियम, 1990 को अधिक सख्तप एवं प्रभावी बनाने के लिए समीक्षा की है।
- आयोग ने विभिन्न कार्यशालाओं/परामर्श बैठकों का आयोजन, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेषज्ञ समितियों का गठन, लिंग समानता के लिए जन जागरूकता हेतु कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन, भ्रूण हत्याग, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा आदि के विरुद्ध समाज में जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से प्रचार अभियान संचालित किये हैं।

महिलाओं से जुड़े संवैधानिक उपबंध

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है।
- अनुच्छेद 15 में उल्लिखित है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई विभेद नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। विदित है कि इसमें महिलाओं को भी पुरुषों के समान स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।
- अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान करता है, इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 महिलाओं के विरूद्ध होने वाले शोषण को नारी गरिमा के लिए अनुचित मानते हुए महिलाओं की खरीद-ब्रिकी, वैश्यावृत्ति के लिए जबरदस्ती करना, भीख मंगवाना आदि को दंडनीय अपराध घोषित करता है।
- अनुच्छेद 39 (क) समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है।
- अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगतता और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रविधान करता है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना (EMRS)

- हाल ही में, सरकार आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) स्थापित करने पर बल दे रही है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

- ईएमआरएस मॉडल को सर्वप्रथम 1997-98 में आदिवासी छात्रों को दूरस्थ इलाकों में आवासीय सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया था।
- इसे अनुसूचित जनजाति (एसटी) और पीवीटीजी छात्रों (कक्षा 6वीं से 12वीं कक्षा) को गुणवत्तापूर्ण उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
- उद्देश्य- उन्हें शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुँचने में सक्षम बनाना और उन्हें सामान्य आबादी के बराबर लाना।
- राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश आवश्यकता पड़ने पर नए स्कूलों की मंजूरी लेने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- प्रारंभ में, योजना को एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया था।
- राज्य बोर्ड बनाम सीबीएसई
- तीन राज्यों - बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अभी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) में स्थानांतरित करने के लिए अनिच्छुक हैं और इन स्कूलों में राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम जारी रखने पर जोर दे रहे हैं।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनुशंसाएँ

- तत्काल समीक्षा और व्यवहार्य समाधान निकालने की आवश्यकता है, ताकि भूमि अधिग्रहण में देरी को रोका जा सके।
- व्यापक रूप से बिखरी हुई जनजातीय आबादी वाले जनजातीय क्षेत्रों को एमआरएस/ईएमडीबीएस के लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जो उनके शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में एक साधन हैं।

संशोधित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

- 2018-19 के केंद्रीय बजट में इसे नया रूप दिया गया था।
- उद्देश्य- आदिवासी बच्चों को उनके अपने वातावरण में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना।
- लक्ष्य- वर्ष 2022 तक, 50% से अधिक एसटी आबादी वाले और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा।
- एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालयों के समकक्ष होंगे और इनमें खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।

ईएमआरएस की मुख्य विशेषताएं:

- 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले और कम से कम 20,000 जनजातीय लोगों वाले प्रत्येक ब्लॉक में कक्षा VI से XII तक के छात्रों के लिए 480 छात्रों की क्षमता वाले स्कूल स्थापित करना।
- उप-जिलों में 90% या अधिक एसटी आबादी और 20,000 या अधिक आदिवासी व्यक्तियों के साथ एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (EMDBS) स्थापित करना।
- शैक्षणिक शिक्षा के साथ-साथ पाठ्येतर गतिविधियों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए EMRS के मामले में न्यूनतम 15 एकड़ और EMDBS के मामले में 5 एकड़ की न्यूनतम भूमि का प्रावधान।
- लक्ष्य- 2025-26 के अंत तक 740 ईएमआरएस स्कूलों का निर्माण करना।
- इन स्कूलों में पढ़ने वाले प्रति बच्चे को बेहतर राशि देने के लिए सभी ईएमआरएस को सीबीएसई से संबद्ध किया जाना है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA)

- इसकी स्थापना वर्ष 1999 में समन्वित और नियोजित तरीके से समाज के सबसे वंचित वर्ग अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) अनुसूचित जनजातियों (STs) के विकास के लिए कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है।
- यद्यपि, अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केंद्रीय मंत्रालयों के साथ होती है
- जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से अनुरूप योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से उनके प्रयासों का अनुपालन करता है।
- ये योजनाएँ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

जवाहर नवोदय विद्यालय

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के आधार पर सत्र 1986-87 के दौरान नवोदय विद्यालय समिति योजना की स्थापना की गई थी।
- जवाहर नवोदय विद्यालय पूरी तरह से आवासीय, सह-शिक्षा विद्यालय हैं, जो सीबीएसई, नई दिल्ली से संबद्ध हैं।
- इसमें छठी से 12वीं तक की कक्षाएं हैं।
- नवोदय विद्यालय समिति, शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

केन्द्रीय विद्यालय

- द्वितीय केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1962 में केंद्रीय विद्यालयों (केंद्रीय विद्यालयों) की योजना को मंजूरी दी गई थी।
- केंद्रीय विद्यालय संगठन को शिक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में शुरू किया गया था।
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 1965 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, जो पूरे भारत और विदेशों में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों को प्रदान करने, स्थापित करने, बंद करने, रख-रखाव और प्रबंधन करने से संबंधित था।
- भारत सरकार संगठन को पूरी तरह से वित्तपोषित करती है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)

- हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या क्षेत्रों की रेटिंग" पर एक सम्मेलन आयोजित किया है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिंदु

- वर्ष 2022 में ट्राई ने अपने अस्तित्व के 25 साल भी पूरे कर लिए हैं।
- सम्मेलन का आयोजन इसके साल भर चलने वाले रजत जयंती समारोह के एक हिस्से के रूप में किया जाता है।

ट्राई क्या है?

- यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नियामक निकाय है ।
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना देश में दूरसंचार उद्योग के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने और वैश्विक सूचना समाज का हिस्सा बनने के लिए की गई थी।
- यह एक वैधानिक निकाय है और देश में दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
- ट्राई के अध्यक्ष के अलावा, कम से कम दो पूर्णकालिक सदस्य और दो से अधिक सदस्य नहीं होंगे, सभी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
- सदस्यों को दूरसंचार, उद्योग, वित्त, लेखा, कानून, प्रबंधन और उपभोक्ता मामलों का विशेष ज्ञान या पेशेवर अनुभव होना चाहिए।
- केवल उन्हीं वरिष्ठ या सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिन्होंने संघ या राज्य सरकारों के सचिव/अतिरिक्त सचिव के रूप में कम से कम तीन वर्षों तक सेवा की हो।
- दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) की स्थापना करते हुए ट्राई अधिनियम को 2000 में संशोधित किया गया था।

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट)

- ट्राई (संशोधन) अध्यादेश, 2000 द्वारा ट्राई की शक्तियों को कम कर दिया गया है। वर्तमान में दूरसंचार सेवाओं का विनियमन ट्राई और नए स्थापित दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) द्वारा किया जाना है।

- वे दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए विवादों का न्यायनिर्णय, अपीलों का निपटान, सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी करेंगे।
- टीडीसैट की संरचना को भी अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्यों से अधिक नहीं और सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो से अधिक अंशकालिक सदस्यों को शामिल करने के लिए बदल दिया गया है।

टीडीसैट को विवादों के निपटारे का अधिकार दिया गया है:-

- एक लाइसेंसदाता और एक लाइसेंसधारी के बीच;
- दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच;
- एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के एक समूह के बीच।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या कोई भी व्यक्ति ऊपर वर्णित पार्टियों के बीच विवादों से संबंधित मुद्दों पर अधिनिर्णय के लिए टीडीसैट से संपर्क कर सकता है।
- इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जानी है।

राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन (NTTM)

- हाल ही में, कपड़ा मंत्रालय ने नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (एनआईटीआरए) और इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एसोसिएशन (आईटीटीए) के साथ साझेदारी में "तकनीकी वस्त्र प्रोटेक पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव" का आयोजन किया।
- ज्ञातव्य है कि इस कॉन्क्लेव में तीन पैनल चर्चाओं का आयोजन किया गया, जिनमें भारत में सुरक्षात्मक वस्त्र उत्पादों के स्वदेशीकरण की संभावना, भारतीय सुरक्षात्मक वस्त्रों को अपनाने के प्रति उपभोक्ताओं के अनुभव और अपेक्षाएं तथा वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के साथ भारत में सुरक्षात्मक वस्त्रों के बाजार संवर्धन और निर्यात के अवसर पर चर्चा शामिल थी।

टेक्निकल टेक्सटाइल्स

- टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ऐसे टेक्सटाइल उत्पाद होते हैं, जो मुख्य रूप से सौंदर्य अपील के बजाय उनकी कार्यक्षमता और उपयोग के लिए निर्मित होते हैं।
- इन उत्पादों को सामान्य तौर पर 12 विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- एग्रोटेक, ओकोटेक, बिल्डटेक, मेडिटेक, जियोटेक, क्लॉथटेक, मोबिलटेक, होमटेक, स्पोर्ट्सटेक, इंडुटेक, प्रोटेक, पैकटेक।

भारत में तकनीकी वस्त्र मिशन

- कपड़ा मंत्रालय ने क्षेत्र की असाधारण विकास दर का लाभ उठाते हुए भारत में तकनीकी वस्त्रों के प्रवेश स्तर को बढ़ाने के लिए NTTM लॉन्च किया है।
- भारतीय तकनीकी वस्त्र क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर (एएजीआर) 12% है, जो विश्व औसत 4% की तीन गुना है।
- मिशन का उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।

मिशन में निम्नलिखित चार घटक

- अनुसंधान, नवाचार और विकास
- संवर्धन और बाजार विकास
- निर्यात प्रोत्साहन
- शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास

कार्यान्वयन

- NTTM को वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर वित्त वर्ष 2023-24 तक चार साल की कार्यान्वयन अवधि के साथ अनुमोदित किया गया है।
- मिशन का कुल परिव्यय INR 1480 Cr है।

लक्ष्य

- मिशन का लक्ष्य तकनीकी कपड़ा क्षेत्र के घरेलू बाजार का आकार वर्ष 2024 तक 15-20% प्रति वर्ष की औसत वृद्धि दर के साथ $ 40-50 बिलियन तक ले जाना है।

पेसा अधिनियम और धर्मांतरण

सन्दर्भ

- हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट प्रभावी किया है।
- ज्ञातव्य है कि पेसा अधिनियम आदिवासी भूमि के लिए धर्मांतरण और विवाह पर अंकुश लगाने में सहायता करेगा।

मुद्दा

- कई बार आदिवासी महिलाओं को षड्यंत्र के तहत विवाह करके, उनके नाम पर भूमि दिखाकर, उसे आदिवासी जमीन बता दिया जाता है।
- कभी-कभी तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए धर्मांतरण के साधनों का भी प्रयोग किया जाता है।

इस प्रथा के रोकथाम हेतु पेसा का उपयोग

- राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पीईएसए) अधिनियम, जो ग्राम सभाओं को अधिक शक्ति प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करेगा कि आदिवासी महिलाओं को आदिवासी भूमि के रूप में अधिसूचित भूमि प्राप्त करने के लिए "षड़यंत्र के तहत किए गए धर्मांतरण और विवाह को रोकने में मदद करेगा।
- किसी से जबरन जमीन अधिग्रहण करने पर ग्राम सभा हस्तक्षेप करेगी।
- राज्य में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाया जाएगा।
- मध्य प्रदेश में अधिनियम के प्रवर्तन के लिए नियमों की भी घोषणा की गई।

किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं

- उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पहल किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाना है।

सर्वाधिक जनजातीय आबादी

- राज्य में देश में सबसे अधिक आदिवासी आबादी है और पेसा के तहत नियमों से आदिवासी समुदायों के विकास में मदद मिलेगी।

आदिवासी और धर्मांतरण का मुद्दा

- भारत में आदिवासी अपने स्वयं के मूल धर्म का पालन करते हैं और 89% से अधिक आदिवासी हिंदू धर्म का पालन करते हैं।
- भारत के आदिवासी और धर्मांतरण की समस्या

मुद्दा

- गरीबी, अशिक्षा, धर्मांतरण का विरोध, धर्मांतरण पर नियंत्रण की कमी, लुभावने प्रस्तावों और सामाजिक स्थिति के अलावा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के वायदे के अलावा आदिवासियों की समग्र असहाय स्थिति कुछ ऐसे कारक हैं, जो आदिवासियों में धर्म परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं।
- भारत के विभिन्न हिस्सों में कुछ क्षेत्रों के आदिवासियों और कई मुख्य आदिवासी समुदाय समूहों ने पिछले पचास-सौ वर्षों में स्वयं को ईसाई और अन्य धर्मों में धर्मान्तरित कर लिया है।

ईसाई धर्म का प्रभाव

- आदिवासियों पर ईसाई धर्म का प्रभाव 1813 में मेघालय के खासी में शुरू हुआ।
- आदिवासी लंबे समय से धर्मांतरण की समस्या का सामना कर रहे हैं।

पूरे समाज के लिए समस्या

- आदिवासियों के बीच धर्मांतरण ने भी जनजातीय समुदायों पर कुछ प्रभाव पैदा किए हैं, जो जनजातीय समुदाय और समग्र रूप से भारतीय समाज के लिए समस्या बन गए हैं।
- इसके परिणामस्वरूप पश्चिमीकरण, शहरीकरण और सांस्कृतिक प्रथाओं, कर्मकांड, व्यवसाय, परंपरा का औद्योगीकरण हुआ है, जिससे जनजातीय मूल्यों और उनकी संस्कृतियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून

राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून

- कुछ राज्य (अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड) हैं, जिन्होंने भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है।

उद्देश्य

- इस कानून का मूल उद्देश्य व्यक्ति और समुदायों को दूसरे धर्म में परिवर्तित करने से रोकना था, मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों, जैसे कि महिलाएं, बच्चे, पिछड़े वर्ग आदि में।

धर्मांतरण विरोधी कानून की प्रमुख आलोचनाएँ

- धर्म के चुनाव का अधिकार को लेकर आलोचना की जाती है।
- अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक नेताओं को गिरफ्तार किए जाने और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मुकदमा चलाने की आशंका का सामना करना पड़ता है।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996

क्या है?

- ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण स्तर के लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया।
- पेसा अधिनियम दिसंबर 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत बनाए गए कानूनों के विस्तार के लिए प्रभावी किया गया था, ताकि इन क्षेत्रों में जनजातीय स्वशासन को सक्षम बनाया जा सके।
- पेसा अधिनियम ने पंचायतों के प्रावधानों को जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तारित किया।

महत्वपूर्ण प्रावधान

- राज्य सरकार को ग्राम सभा और पंचायतों को स्थानीय स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने का निर्देश-
  - नशीले पदार्थों की बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध को लागू करना,
  - लघु वनोपज का स्वामित्व,
  - ग्रामीण बाजारों की देखरेख करने का अधिकार,
  - अवैध रूप से हस्तांतरित की गई भूमि को बहाल करने और भूमि के हस्तांतरण को रोकने,
  - साहूकारी आदि पर नियंत्रण।
- अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा को योजनाओं और कार्यक्रमों को स्वीकृति देने का अधिकार
  - सामाजिक और आर्थिक विकास,
  - ग्राम पंचायतों द्वारा धन के उपयोग को प्रमाणित करना,
  - गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों की पहचान,
  - लघु वन उपज सहित प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना,
  - भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श किया जाना है।

संशोधित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक

सन्दर्भ

- सरकार संशोधित विधेयक को अंतिम रूप देने के समीप है और शीघ्र ही अंतिम मसौदा संस्करण के प्रकाशित होने का अनुमान है।
- ज्ञातव्य है कि सरकार ने अगस्त, 2022 को लोकसभा में 'डेटा संरक्षण विधेयक, 2021' को वापस ले लिया।

पृष्ठभूमि

- इसे 11 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था।
- न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण के नेतृत्व वाले एक पैनल ने विधेयक का एक मसौदा संस्करण तैयार किया था।
- यह डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर घरेलू कानून बनाने का भारत का पहला प्रयास है ।
- अगस्त 2022 में, सरकार ने लगभग चार वर्षों में और संसद की एक संयुक्त समिति द्वारा विचार-विमर्श सहित कई पुनरावृत्तियों के बाद संसद से पहले के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को वापस ले लिया था।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डेटा गोपनीयता, समग्र इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र, साइबर सुरक्षा, दूरसंचार विनियमों पर अलग कानून सहित ऑनलाइन प्लेटफोर्म को विनियमित करना और गैर-व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करना है।

डेटा संरक्षण विधेयक के प्रावधान

- डेटा संरक्षण विधेयक में लोगों के व्यक्तिगत आंकड़ों के उपयोग एवं प्रवाह को वर्गीकृत करने के अलावा निजी डेटा के प्रसंस्करण के विषय में व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण का भी प्रस्ताव रखा गया था।
- इसके अतिरिक्त डेटा प्रसंस्करण वाली इकाइयों की जवाबदेही निर्धारित करने और अनधिकृत उपयोग की स्थिति में बचाव के लिए आवश्यक कदमों का उल्लेख भी किया गया था।

डेटा प्रिंसिपल क्या होता है?

- जिस व्यक्ति का डेटा स्टोर और प्रोसेस किया जा रहा है, उसे पीडीपी बिल में डेटा प्रिंसिपल कहा जाता है।

डेटा ट्रांसफर

- डेटा को पानी के नीचे के केबलों के माध्यम से देश की सीमाओं के बाहर ले जाया जाता है।

डेटा स्थानीयकरण

- यह किसी देश की सीमाओं के भीतर भौतिक रूप से मौजूद किसी भी उपकरण पर डेटा संग्रहीत करने से संबद्ध है।

संशोधित विधेयक के प्रमुख प्रावधान

दंड का प्रावधान

- उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत डेटा से निपटने वाली कंपनियां, जो डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय करने में विफल रहती हैं, उन्हें लगभग 200 करोड़ रुपये के आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।
- डेटा फिड्यूशरीज़ (ऐसी संस्थाएँ जो व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को संभालती और संसाधित करती हैं) द्वारा गैर-अनुपालन की प्रकृति के आधार पर दंड अलग-अलग होने का अनुमान है।
- बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने में विफल रहने वालों पर लगभग 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- बिल के पिछले संस्करण को इस वर्ष की शुरुआत में वापस ले लिया गया।

डेटा संरक्षण बोर्ड

- यह विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रस्तावित एक निर्णायक निकाय है।

व्यक्तिगत डेटा

- नया विधेयक केवल व्यक्तिगत डेटा संबद्ध सुरक्षा उपायों से निपटेगा और गैर-व्यक्तिगत डेटा को इसके दायरे से बाहर रखे जाने की संभावना है।

संशोधित विधेयक का महत्व

- विधेयक के पिछले संस्करण में निर्धारित डेटा के दुरुपयोग के लिए जुर्माने को एक प्रभावी निवारक के रूप में नहीं देखा गया था।
- अब प्रस्तावित उच्च दंड संस्थाओं को डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय करने और प्रत्ययी अनुशासन लागू करने के लिए प्रेरित करेगा।
- डेटा के दुरुपयोग और डेटा उल्लंघनों की स्थिति में कंपनियों को वित्तीय दंड की प्रकृति में दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
- आगामी डेटा संरक्षण विधेयक वित्तीय परिणामों का सामना कर रही कंपनियों के साथ ग्राहक डेटा के दुरुपयोग को समाप्त कर देगा।
- प्रारंभिक उद्देश्य, जिसके लिए इसे एकत्र किया गया था, पूरा होने के बाद डेटा न्यासियों को व्यक्तिगत डेटा को बनाए रखने और पहले एकत्र किए गए डेटा को हटाने से जुड़े प्रावधान होंगे।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना

- हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों के लिए 51,875 करोड़ की सब्सिडी को स्वीकृति दी है।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना

- उर्वरक विभाग द्वारा 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना लागू की गई है।
- एनबीएस नीति के तहत, सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर नाइट्रोजन (एन), फॉस्फेट (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) जैसे पोषक तत्वों पर सब्सिडी की एक निश्चित दर की घोषणा की जाती है।
- सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्य पर पी&के उर्वरकों के लिए यूरिया और 25 ग्रेड उर्वरक उपलब्ध करा रही है।

प्रधानमंत्री प्रणाम (पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशियंस फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना)

- इसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना है।

- इस योजना का कोई अलग बजट नहीं होगा और उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत "मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत" के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
- सब्सिडी बचत का 50 प्रतिशत पैसा बचाने वाले राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
- योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए अनुदान का 70 प्रतिशत ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरकों और वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों के तकनीकी अपनाने से संबंधित परिसंपत्ति निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- शेष 30 प्रतिशत अनुदान राशि का उपयोग उन किसानों , पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को पुरस्कृत करने और प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है, जो उर्वरक उपयोग में कमी और जागरूकता पैदा करने में शामिल हैं।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के लिए प्रस्तुत तर्क

- इससे रबी सीजन के दौरान किसानों को उर्वरकों की रियायती कीमतों पर सभी पी&के उर्वरकों की सुगम उपलब्धता हो सकेगी और कृषि क्षेत्र को सहायता मिलेगी।
- उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता को मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया है।
- किसानों को पी&के उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाते हैं।
- पी&के उर्वरकों के अधिक ग्रेड एनबीएस योजना के दायरे में लाए गए हैं, जिससे किसानों को जटिल उर्वरक ग्रेड का उपयोग करने के लिए व्यापक विकल्प मिल गया है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

- इसे 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ में लॉन्च किया गया था ।
- यह योजना देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए शुरू की गई है।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति के साथ-साथ मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए लागू किए जाने वाले पोषक तत्वों की उचित खुराक की सिफारिश के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

उद्देश्य:

- सभी किसानों को हर दो साल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि उर्वरक प्रथाओं में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए एक आधार प्रदान किया जा सके।
- क्षमता निर्माण, कृषि छात्रों की भागीदारी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ प्रभावी जुड़ाव के माध्यम से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएल) के कामकाज को मजबूत करना ।
- राज्यों में समान रूप से नमूना लेने के लिए मानकीकृत प्रक्रियाओं के साथ मिट्टी की उर्वरता संबंधी बाधाओं का निदान और लक्षित जिलों में तालुका / ब्लॉक स्तर की उर्वरक सिफारिशों का विश्लेषण और डिजाइन करना।
- पोषक उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए जिलों में मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन को विकसित और बढ़ावा देना।
- किसानों को कमियों के लिए सुधारात्मक उपायों को लागू करने और उनकी फसल प्रणालियों के लिए संतुलन और एकीकृत पोषक प्रबंधन प्रथाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- पोषक तत्व प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जिला और राज्य स्तर के कर्मचारियों और प्रगतिशील किसानों की क्षमता का निर्माण करना।

भारत का पहला जल में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर

- हाल ही में, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के डाक विभाग के तहत स्थापित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया।
- ज्ञातव्य है कि 'निवेशक दीदी' पहल के अंतर्गत 'महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा' की अवधारणा के साथ वित्तीय साक्षरता बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिंदु

निवेशक दीदी पहल क्या है?

- यह महिलाओं के लिये महिलाओं की विचारधारा पर आधारित है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ अपने प्रश्नों को एक महिला के साथ साझा करने में अधिक सहज महसूस करती हैं।

क्रियान्वयन

- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के तत्त्वाधान में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPFA) के सहयोग से आईपीपीबी द्वारा शुरू किया गया है।

पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर

- इस वित्तीय साक्षरता शिविर में बैंकिंग और वित्तीय उत्पादों, विनियमित संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली मुख्यधारा की वित्तीय सेवाओं में शामिल होने के महत्त्व एवं निवेश से जुड़े विभिन्न प्रकार के जोखिमों तथा धोखाधड़ी की रोकथाम के उपायों से सुरक्षा जैसे विषय शामिल थे।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी)

- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) को संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया है, जिस पर भारत सरकार का शत-प्रतिशत मालिकाना हक है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक सितंबर, 2018 को आईपीपीबी का शुभारंभ किया था।
- बैंक की स्थापना इस दृष्टिकोण के तहत की गई है कि इसके जरिए भारत के आम जनमानस के लिए अत्यंत सुगम, सस्ती और भरोसेमंद बैंक सेवा उपलब्ध कराई जा सके।
- आईपीपीबी का बुनियादी काम यह है कि वह बैंकों तक कम पहुंच वाले और बैंकिंग सेवाओं से न जुड़े लोगों के लिए देश के 160,000 डाकघरों (145,000 ग्रामीण डाकघर), 400,000 डाक कर्मियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करे।
- आईपीपीबी की पहुंच और उसके संचालन का स्वरूप 'इंडिया स्टैक' के प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिसके तहत कागज रहित, नकद रहित, बिना बैंक गए, आसान और सुरक्षित तरीके से उपभोक्ता के दरवाजे पर सेवा उपलब्ध हो।

- इसके लिए सीबीएस-समेकित स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक उपकरण को माध्यम बनाया गया। जनता के लिए सस्ते नवाचार और बैंक प्रक्रिया को सुगम बनाने पर जोर देते हुए आईपीपीबी 13 भाषाओं में उपलब्ध इंटरफेस के जरिए आसान व सस्ते बैंकिंग समाधान सुगम बना रहा है।
- आईपीपीबी कम से कम नकदी इस्तेमाल वाली अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में अपना योगदान करने के लिए संकल्पित है।
- भारत समृद्ध होगा, जब हर नागरिक को वित्तीय सुरक्षा और समान अवसर मिलेंगे। हमारा मूलमंत्र है– हर उपभोक्ता महत्वपूर्ण है; हर लेन-देन महत्वपूर्ण है और हर जमा धन मूल्यवान है।
- (आईपीपीबी) को संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया है, जिस पर भारत सरकार का शत-प्रतिशत मालिकाना हक है।

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (NSFE): 2020-2025

- यह दूसरा एनएसएफई है। पहला 2013 में जारी किया गया था।
- यह RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA द्वारा प्रचारित कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक धारा 8 (लाभ के लिए नहीं) कंपनी है।
- इसे वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता (टीजीएफआईएफएल) पर तकनीकी समूह के तत्वावधान में सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, आदि के परामर्श से राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) द्वारा तैयार किया गया है।
- इसका उद्देश्य विभिन्न चल रहे कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में वित्तीय शिक्षा प्रसार को एकीकृत करना है।
- यह वित्तीय जागरूकता, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार सहित वित्तीय साक्षरता के लिए अन्य हितधारकों के प्रयासों को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान देता है।

इसके अंतर्गत उल्लिखित '5 सी' दृष्टिकोण

- **सामग्री:** जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री।
- **क्षमता:** वित्तीय शिक्षा प्रदाताओं के लिए क्षमता और 'आचार संहिता' विकसित करना।
- **समुदाय:** वित्तीय साक्षरता को स्थायी रूप से प्रसारित करने के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण विकसित करना।
- **संचार:** वित्तीय शिक्षा संदेशों के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी, मीडिया और संचार के नवीन तरीकों का उपयोग करना।
- **सहयोग:** वित्तीय साक्षरता के लिए अन्य हितधारकों के प्रयासों को कारगर बनाना।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

- यह वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय मिशन है।
- यह वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामतः, बैंकिंग/बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) जन-केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला रही है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रवासियों एवं श्रमिकों को क्रमशः जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना

- प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत सभी छोटे और सीमांत किसानों (जिन किसानों की भूमि दो हेक्टेयर से कम है) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये की गई थी।
- यह एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना है।
- किसानों को पेंशन का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित पेंशन फंड से किया जाएगा।
- किसानों को पेंशन फंड में 55 रुपए से 200 रुपए प्रतिमाह के बीच की राशि का योगदान करना होगा, जब तक कि वे सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 60 वर्ष की आयु तक नहीं पहुँच जाते हैं।

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई-प्लस) 2021-22 रिपोर्ट

- हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली शिक्षा प्लस (UDISE+) 2021-22 पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की।
- इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि सिर्फ 44.85 प्रतिशत विद्यालयों में कंप्यूटर सुविधा है, जबकि करीब 34 प्रतिशत में इंटरनेट कनेक्शन है।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

- रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 की तुलना में 2021-22 में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (GER) में सुधार हुआ है।
- उच्चतर माध्यमिक में जीईआर ने 2021-21 में 53.8 प्रतिशत से 2021-22 में 57.6 प्रतिशत तक उल्लेखनीय सुधार किया है।
- 2021-22 में, छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) प्राथमिक के लिए 26, उच्च प्राथमिक के लिए 19, माध्यमिक के लिए 18 और उच्च माध्यमिक के लिए 27 था, जो 2018-19 से सुधार दिखा रहा है।
- 2021-22 में, 12.29 करोड़ से अधिक लड़कियों ने प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में दाखिला लिया है, जो 2020-21 में लड़कियों के नामांकन की तुलना में 8.19 लाख की वृद्धि दर्शाता है।
- 2020-21 के दौरान देश भर में 20,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि शिक्षकों की संख्या में भी पिछले वर्ष की तुलना में 1.95% की गिरावट आई है।
- इसने बताया कि केवल 44.85% स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा थी, जबकि लगभग 34% के पास इंटरनेट कनेक्शन था।

- जबकि केवल 27% स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CSWN) के लिए विशेष शौचालय हैं, उनमें से 49% से अधिक में रेलिंग के साथ रैंप हैं।

शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई):

- स्कूलों से ऑनलाइन डेटा संग्रह की UDISE+ प्रणाली को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में विकसित किया गया था, ताकि पेपर प्रारूप में मैनुअल डेटा भरने की पूर्ववर्ती प्रथा से संबंधित मुद्दों को दूर किया जा सके।
- UDISE+ प्रणाली में, विशेष रूप से डेटा कैप्चर, डेटा मैपिंग और डेटा सत्यापन से संबंधित क्षेत्रों में सुधार किए गए हैं।
- UDISE+ 2021-22 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहल के साथ संरेखित करने के लिए पहली बार महत्वपूर्ण संकेतकों जैसे डिजिटल लाइब्रेरी, पीयर लर्निंग, हार्ड स्पॉट पहचान, स्कूल पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या आदि पर अतिरिक्त डेटा एकत्र किया गया है।

2020-21 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई)

- हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने 2020-21 के लिए राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) जारी किया है।
- विदित है कि यह रिपोर्ट वर्ष 2020-21 के लिए है।

प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई)

- यह राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणालियों के साक्ष्य-आधारित व्यापक विश्लेषण के लिए एक अनूठा सूचकांक है।
- पीजीआई का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को बढ़ावा देना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम सुधार को उजागर करना है।
- सूचकांक के अनुसार, कुल सात राज्यों और केंद्र -शासित प्रदेशों अर्थात् केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने 2020-21 में लेवल -2 ग्रेडिंग प्राप्त की है।
- गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश लेवल-2 (L2) की सूची में नए हैं।
- केंद्र -शासित प्रदेश लद्दाख ने 2020-21 में पीजीआई में लेवल 8 से लेवल 4 तक का महत्वपूर्ण सुधार किया है।
- हालांकि, कोई भी राज्य अब तक एल1 के उच्चतम स्तर को हासिल नहीं कर पाया है।

ग्रेडिंग:

- पीजीआई 2020-21 ने राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को दस ग्रेडों में वर्गीकृत किया है, जिनमें से कुल 1000 अंकों में से 950 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्यों के लिए उच्चतम प्राप्त ग्रेड स्तर 1 है।
- निम्नतम ग्रेड स्तर 10 है, जो 551 से नीचे के स्कोर के लिए है।
- पीजीआई संरचना में 70 संकेतकों में 1000 अंक शामिल हैं जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है।
  - परिणाम
  - शासन प्रबंधन (जीएम)।
- इन श्रेणियों को आगे 5 डोमेन में विभाजित किया गया है, अर्थात,
  - सीखने के परिणाम (एलओ),
  - एक्सेस (ए),
  - बुनियादी ढांचा और सुविधाएं (आईएफ),
  - इक्विटी (ई) और
  - शासन प्रक्रिया (जीपी)।

भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम संवैधानिक संशोधन के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 (1) (ए) पर प्रतिबंधों के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर इस आधार पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की कि संशोधन मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19

- अनुच्छेद 19 (1) के तहत सूचीबद्ध अधिकार हैं:
  - (ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए;
  - (बी) शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना एकत्र होने के लिए;
  - (सी) संगम या संघ बनाने के लिए;
  - (डी) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए;
  - (ई) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए;
  - (छ) कोई व्यवसाय करना या कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रतिबंध

- 19(2) में अनुच्छेद 19(1)(ए) पर निम्नलिखित आधार उचित प्रतिबंध का प्रावधान है:
- भारत की संप्रभुता और अखंडता,
- राज्य की सुरक्षा,
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध,
- सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता,
- न्यायालय की अवमानना के संबंध में,
- मानहानि,
- किसी अपराध के लिए उकसाना।

भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन

पृष्ठभूमि

- मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन (1951) में, शीर्ष न्यायालय ने माना कि सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में आरक्षण जाति के आधार

पर प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 (2) का उल्लंघन करता है।

- **अनुच्छेद 29(2):** राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।
- इस निर्णय के प्रत्युत्तर में संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 अधिनियमित किया गया था।

संविधान (पहला संशोधन), अधिनियम 1951

- इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसमें भूमि सुधारों को जांच से छूट देना और पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा प्रदान करना शामिल है।
- विशेष रूप से, इसने स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार पर प्रतिबंधों की सीमा को विस्तृत किया।
- इस संशोधन ने विशिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों के लिए सरकार की कथित जिम्मेदारियों को सीमित करने वाले न्यायिक निर्णयों को दूर करने के लिए संविधान को संशोधित करने की मिसाल स्थापित की।

प्रथम संशोधन और अनुच्छेद 19(2)

- प्रथम संशोधन ने अनुच्छेद 19(2) में संशोधन करके लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध तथा अपराध के उद्दीपन के आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगायी गयी है।
- यह अदालतों के लिए हस्तक्षेप करने और संसद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वैधता की समीक्षा करने के लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है।
- बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य (मार्च 1950), और रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (मई 1950)) में प्रेस शामिल था।
- दोनों मामलों में, अदालत को "सार्वजनिक सुरक्षा" और "सार्वजनिक व्यवस्था" शब्दों को परिभाषित करना था और यह जांचना था कि क्या वे अनुच्छेद 19 (2) में अनुमत प्रतिबंधों के दायरे में आते हैं।
- अदालत ने "सार्वजनिक सुरक्षा" और "सार्वजनिक व्यवस्था" के आधार पर स्वतंत्र भाषण पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को असंवैधानिक करार दिया।

बुनियादी संरचना सिद्धांत:

- बुनियादी ढांचे का विचार जर्मनी से लिया गया है।
- यह मूल रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सज्जन सिंह मामले (1965) में प्रस्तुत किया गया था।
- केशवानंद भारती मामले (1973) में, शीर्ष न्यायालय ने 7-6 बहुमत से कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके पास इसकी "मूल संरचना" को नष्ट करने की शक्ति नहीं है।

अर्थ

- मूल संरचना एक न्यायिक नवाचार है, जो न तो भारतीय संविधान का हिस्सा है और न ही अदालत द्वारा परिभाषित किया गया है।
- शीर्ष न्यायालय, मामले-दर-मामले के आधार पर, बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में सिद्धांतों को सूचीबद्ध करता है।
- कुछ, जो संविधान के किसी विशिष्ट अनुच्छेद का हिस्सा नहीं हो सकता है, वह मूल संरचना का भी हिस्सा हो सकता है। उदाहरण के लिए, 'संघवाद' का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे बुनियादी ढांचे में शामिल किया गया है।
- इसी तरह 'धर्मनिरपेक्षता' 1976 तक इसमें शामिल नहीं थी, लेकिन 1973 में इसे मूल ढांचे में शामिल कर लिया गया था।

मलेरिया

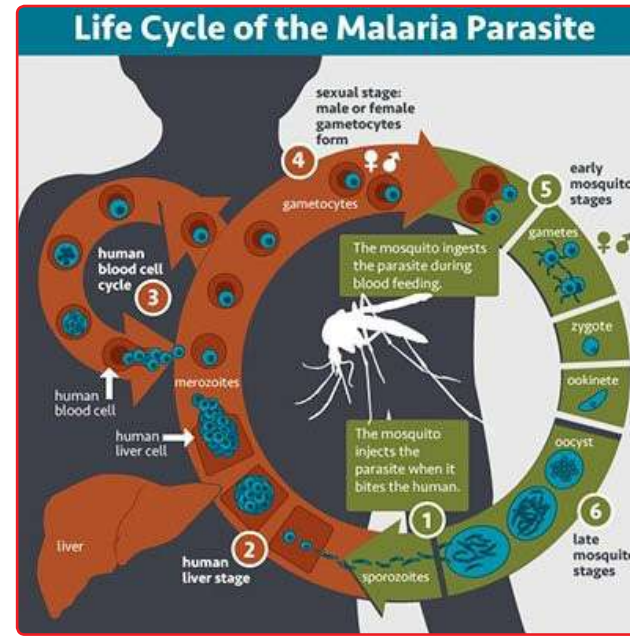

- अक्टूबर 2021 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पहली बार मध्यम से उच्च मलेरिया संचरण वाले क्षेत्रों (moderate-to-high malaria transmission) में रहने वाले बच्चों के लिए मलेरिया के टीके के व्यापक पैमाने पर उपयोग की संस्तुति की थी।
- ज्ञातव्य है कि RTS, S/AS01 (मॉस्क्युरिक्स) को ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा विकसित किया गया था।

पायलट प्रोजेक्ट की समीक्षा पर आधारित

- डब्ल्यूएचओ ने यह निर्णय घाना, केन्या और मलावी में 2019 से चल रहे एक पायलट प्रोग्राम (प्रायोगिक कार्यक्रम) की समीक्षा के बाद लिया है।
- यहां वैक्सीन की 20 लाख से अधिक खुराक दी गई थीं, जिसे पहली बार 1987 में दवा कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (GlaxoSmithKline – GSK) द्वारा बनाया गया था।

मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व का प्रथम टीका

- यह वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व का प्रथम टीका है।
- मलेरिया से एक वर्ष में विश्वभर में चार लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिनमें ज्यादातर अफ्रीकी बच्चे शामिल हैं।
- वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ कई टीके मौजूद हैं, लेकिन यह पहली बार है जब डब्ल्यूएचओ ने मानव परजीवी के खिलाफ व्यापक उपयोग के लिए एक टीके की अनुशंसा की है।

उप-सहारा अफ्रीका और मलेरिया

- उप-सहारा अफ्रीका में मलेरिया, बच्चों की बीमारी और मृत्यु का प्राथमिक कारण बना हुआ है।

- मलेरिया से प्रत्येक वर्ष लगभग 600,000 लोगों को मृत्यु हो जाती है, जिनमें से अधिकांश उप-सहारा अफ्रीका में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं।
- यहाँ वार्षिक आधार पर पांच साल से कम उम्र के 2,60,000 से अधिक बच्चों की मलेरिया से मृत्यु हो जाती है।

मलेरिया

- मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है और आमतौर पर संक्रमित एनोफेलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
- मलेरिया प्लास्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है।
- संक्रमित मच्छरों के काटने से परजीवी मनुष्यों में फैल सकता है।
- परजीवी संक्रमित मादा एनोफेलीज मच्छरों के काटने से लोगों में विशेष रूप से फैलता है। यह मलेरिया वेक्टर कहलाता है।

परजीवी प्रजातियाँ

- इसकी पांच परजीवी प्रजातियां होती हैं, जिससे मनुष्य को मलेरिया होने का ख़तरा होता है। इसमें से दो प्रमुख प्रजातियों पी फाल्सीपेरम और पी विवक्स से मुख्य रूप से खतरा होता है।
- मलेरिया के लक्षण संक्रमित मच्छर के काटने के दस से पंद्रह दिनों के बाद दिखाई देते हैं। अगर संक्रमण के चौबीस घंटो के भीतर इलाज नहीं किया जाता है, तो कभी यह प्लासमोडियम फाल्सीपेरम गंभीर मलेरिया का रूप ले लेती है, जो अक्सर मौत का कारण भी बन सकता है।

लक्षण

- मलेरिया के लक्षण, जो सामन्य तौर पर दिखाई देते है, वह निम्नलिखित हैं : तेज़ बुखार, पसीना आना , जी मचलना, उलटी, पेट में दर्द, दस्त, मांसपेशियों में भीषण दर्द

मलेरिया के प्रकार

- प्लास्मोडियम परजीवी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन केवल 5 प्रकार ही मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनते हैं।

प्लासमोडियम विवैक्स

- यह मुख्य रूप से एशिया और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है
- यह परजीवी प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम की तुलना में हल्के लक्षणों का कारण बनता है।

प्लासमोडियम ओवले

- यह काफी असामान्य और सामान्य तौर पर पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है
- यह लीवर में कई वर्षों तक बिना लक्षण पैदा किए रह सकता है।

प्लासमोडियम फाल्सीपेरम

- यह मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है
- यह मलेरिया परजीवी का सबसे सामान्य प्रकार है और दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली अधिकांश मौतों के लिए जिम्मेदार है।

प्लासमोडियम मैलारिए

- यह काफी दुर्लभ है और सामान्य तौर पर केवल अफ्रीका में पाया जाता है।

प्लास्मोडियम नोलेसी

- यह बहुत दुर्लभ है और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।

प्रभाव

- मलेरिया जीवन के कई तरह की जटिलताओं का कारण बन सकता है जैसे-
- मस्तिष्क के रक्त कोशिकाओं में सूजन
- फेफड़ो में तरल पदार्थ का संचय, जिससे सांस लेने में समस्याएं होती हैं
- गुर्दे और लिवर का उचित ढंग से काम न करना
- निम्न रक्त शर्करा अर्थात कम ब्लड शुगर

भारत में मलेरिया

- 2018, 2019 और 2020 की विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार भारत, मलेरिया को कम करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने में सक्षम रहा है।
- इस दौरान 84.5 प्रतिशत मलेरिया के रोगियों में कमी और 83.6 प्रतिशत लोगों की मृत्यु के मामले में कमी आई है।
- छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मलेरिया मुक्त अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, जिसमें 3.78 मिलियन लोगों की मलेरिया की जांच की गई।
- इसके अलावा, मलेरिया से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में समुदाय को 25.2 मिलियन लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जाल वितरित किए गए।
- डब्ल्यूएचओ ने अपनी ' ई-2025 पहल' के तहत 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता वाले 25 देशों की भी पहचान की है।

मलेरिया उन्मूलन के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीतिक योजना

- सभी मलेरिया मामलों के 100% परजीवी निदान और सभी पुष्ट मामलों के पूर्ण उपचार को सुनिश्चित करने के लिए स्थानिक जिलों में मामले का पता लगाने और उपचार सेवाओं का सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करना।
- संपूर्ण मलेरिया उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सभी जिलों में मामलों की व्यापकता का पता लगाने, सूचित करने, जांच करने, वर्गीकृत करने और प्रतिक्रिया देने के लिए निगरानी प्रणाली में सुधार करना।
- उपयुक्त वेक्टर नियंत्रण हस्तक्षेप के साथ मलेरिया के लिए सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करना।
- उपयुक्त वेक्टर नियंत्रण हस्तक्षेप के साथ मलेरिया के जोखिम में आबादी के लगभग-सार्वभौमिक कवरेज के लिए प्रयास करना।
- मलेरिया उन्मूलन के लिए लक्षित हस्तक्षेपों का संयोजन प्रदान करने के लिए सभी स्तरों पर प्रभावी कार्यक्रम प्रबंधन और समन्वय प्रदान करना।

15वें शहरी गतिशीलता भारत (अर्बन मोबिलिटी इंडिया-यूएमआई) सम्मेलन

- हाल ही में, केरल के कोच्चि में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के तत्वावधान में 15वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया।
- ज्ञातव्य है यह सम्मलेन शहरों में कुशल, उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ परिवहन प्रणाली को डिजाइन और कार्यान्वित करने पर बल देगा।

अर्बन मोबिलिटी इंडिया - यूएमआई

- राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) घोषणाओं के एक हिस्से के रूप में मंत्रालय ने शहरी गतिशीलता भारत पर वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी आयोजित करने की पहल की है, जिसे अर्बन मोबिलिटी इंडिया - यूएमआई के नाम से जाना जाता है।

प्रारंभ

- इसकी शुरुआत भारत सरकार की राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 (NUTP) से हुई है।
- भारत सरकार की राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006 अन्य बातों के साथ-साथ शहरी परिवहन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य और शहर के स्तर पर क्षमताओं के निर्माण पर बल देती है और समाज के सभी वर्गों के लिए शहरी परिवहन प्रणाली के न्यायसंगत और टिकाऊ विकास के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती है।

उद्देश्य और निहितार्थ

- इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य उन शहरों में सूचना का प्रसार करना है, ताकि इन्हें विश्व स्तर पर नवीनतम और सर्वोत्तम शहरी परिवहन प्रथाओं के साथ अद्यतन रहने में मदद मिल सके।
- सम्मेलन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के अन्य पेशेवरों, प्रौद्योगिकी और सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है, ताकि प्रतिनिधि अपने साथ शहरी परिवहन को एक स्थायी पथ के साथ विकसित करने के लिए नए विचारों को अपना सकें।
- यह आयोजन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी और सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं, व्यवसायियों और शहरी परिवहन क्षेत्र के अधिकारियों को एक साथ बैठने का अवसर प्रदान करता है।

विमर्श के अन्य बिंदु

- सार्वजनिक बसें और मेट्रो रेल प्रणाली दोनों ही शहरी गतिशीलता के महत्वपूर्ण घटक हैं। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये प्रणालियाँ अधिव्याप (overlap) के बजाय एक दूसरे के पूरक हों।
- मेट्रो रेल और बस सिस्टम दोनों में संतुलन आवश्यक है।
- मेट्रो कोच, बसों की तुलना में लगभग दोगुने यात्रियों के आवागमन का माध्यम बन सकते हैं, सामान्य तौर पर एक बस में 100 से 125 यात्रियों की तुलना में प्रत्येक मेट्रो कोच में 200 से अधिक यात्री यात्रा कर सकते हैं।
- इस प्रकार, पांच डिब्बों वाली एक मेट्रो ट्रेन की उपलब्धता 10 बसों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।
- हालांकि, इसका यह आशय नहीं है कि बसों को रूट पर तैनात करना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ यात्री चुनिंदा, परिचालन समय आदि के कारण बसों का उपयोग करना पसंद कर सकते हैं।
- भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बनने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया से आगे निकलने के लिए तत्पर है ।
- भारत के पास वर्तमान में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जिसमें 20 भारतीय शहरों में 810 किमी मेट्रो लाइनें चालू हैं।
- भारत में वर्तमान में 27 शहरों में 980 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) निर्माणाधीन हैं।
- केंद्र सरकार के ' वाहनों के बजाय लोगों को ले जाने ' के उद्देश्य के अनुरूप, 2047 तक बसों और मेट्रो रेल नेटवर्क सहित शहरी परिवहन प्रणालियों की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- देश में वाहनों की संख्या में वार्षिक वृद्धि के कारण सड़क सीमित होती जा रही है
- यह पहल अनिवार्य रूप से नए या मौजूदा मेट्रो रेल मार्गों के साथ आवश्यक बसों की संख्या के बीच संतुलन बनाने हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।
- यह कदम 2047 तक शहरी गतिशीलता के लिए एक योजना के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है और इससे यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन में बदलाव में तेजी आने की भी संभावना है ।
- 2047 तक विकसित भारत के लिए जरूरी है कि शहरी गतिशीलता एक प्रमुख चालक हो, विशेष रूप से यह देखते हुए कि लगभग आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी।

सीमा दर्शन परियोजना

- हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए सीमा दर्शन के भाग के रूप में नडाबेट और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने का आग्रह किया है।
- ज्ञातव्य है कि सीमा दर्शन परियोजना पर्यटन क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ती है।

सीमा दर्शन परियोजना

- अप्रैल, 2022 को सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में गुजरात स्थित नडाबेट में भारत-पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया।

- नडाबेट सीमा दर्शन स्थल पंजाब के बाघा-अटारी बॉर्डर की तर्ज पर निर्मित किया गया है।
- इसका उद्देश्य लोगों को सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के कार्मिकों के जीवन और कार्यों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करना है।
- सीमा दर्शन परियोजना पर्यटन विभाग, गुजरात सरकार और बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर की एक संयुक्त पहल है।
- परियोजना के तहत, 125 करोड़ रुपये की लागत राशि से सभी प्रकार की पर्यटन सुविधाओं और अन्य विशेष आकर्षणों का विकास किया जायेगा।
- पर्यटक नडाबेट में भारतीय सेना और बीएसएफ के विभिन्न हथियारों; जैसे सतह से सतह और सतह से हवा में मारक मिसाइल, टी-55 टैंक, आर्टिलरी गन, टॉरपीडो, विंग ड्रॉप टैंक और मिग-27 विमान देख सकेंगे।

नडाबेट

- यह कच्छ क्षेत्र के रण में स्थित है।
- इसे 'गुजरात का वाघा' भी कहा जाता है।
- नडाबेट में नागरिकों को 'ज़ीरो पॉइंट' पर पाकिस्तान के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा को देखने के लिए पहुँच प्रदान की गई है।
- 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में नडाबेट ने अहम भूमिका निभाई थी।

जैसलमेर

- बीएसएफ ने जैसलमेर में सैम रेत के टीलों पर आम जनता के लिए बीएसएफ के कर्तव्यों और बहादुरी की घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सीमा दर्शन नामक एक अद्वितीय स्मारक संग्रहालय की स्थापना की है।

भारत-पाकिस्तान सीमा

- ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने दोनों देशों के मध्य सीमा का निर्धारण किया था।
- उन्हीं के नाम पर इसका नाम रेडक्लिफ (Radcliffe Line) रखा गया।
- भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त, 1947 से तीन दिन पहले यानी 12 अगस्त, 1947 को सीमांकन रेखा को अंतिम रूप दिया गया था।
- इसके बाद 17 अगस्त 1947 को इस रेखा को लागू कर दिया गया।

भारत-पाकिस्तान संबंध

- भारत और पाकिस्तान भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक संबंध साझा करते हैं
- यद्यपि, कई ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं के कारण दोनों देशों के मध्य संबंध जटिलताओं से प्रभावित रहे हैं।
- भारत-पाक संबंधों को 1947 में ब्रिटिश भारत के हिंसक विभाजन, जम्मू और कश्मीर संघर्ष और दोनों देशों के बीच लड़े गए कई सैन्य संघर्षों द्वारा परिभाषित किया गया है।
- अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद, भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक संबंध स्थापित किए, लेकिन हिंसक विभाजन और पारस्परिक क्षेत्रीय दावों ने उनके संबंधों को प्रभावित किया।
- अपनी स्वतंत्रता के बाद से, दोनों देशों ने तीन प्रमुख युद्धों के साथ-साथ एक अघोषित युद्ध लड़ा है, और कई सशस्त्र झड़पों और सैन्य गतिरोधों में शामिल रहे हैं।
- भारतीय सरकार के ऐतिहासिक निर्णय के तहत वर्ष 2019 को समाप्त किये गये विवादित अनुच्छेद 370 को समाप्त करने से दोनों देशों के संबंध अधिक प्रभावित हुए।

भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष क्षेत्र

- सीमा पार आतंकवाद
- सिंधु जल संधि
- पीपल टू पीपल रिलेशन
- करतपुर कॉरिडोर
- कश्मीर मुद्दा

'ऑड-ईवन' वाहन राशनिंग योजना

- दिल्ली में गिरते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण विरोधी उपायों की एक श्रृंखला को लागू करने के बाद, दिल्ली सरकार 'ऑड-ईवन' वाहन राशनिंग योजना को वापस लाने स्पष्ट संकेत दिए हैं।

पृष्ठभूमि

- 'ऑड-ईवन' को पहली बार 2016 में आप सरकार द्वारा वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने और बढ़ते पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को कम करने के लिए पेश किया गया था।
- ज्ञातव्य है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 03 दिसंबर, 2015 को राजधनी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में रहना 'गैस चैंबर' में रहने के बराबर है।
- जिस पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 01 से 15 जनवरी 2016 तक ऑड-ईवन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी।

'ऑड-ईवन' और विश्व परिदृश्य

- ग्रीस ने सबसे पहले वर्ष 1982 में राजधानी एथेन्स में ऑड-ईवन स्कीम लागू की।
- ऑड-ईवन स्कीम वर्ष 1989 में मेक्सिको सीटी में लागू हुई। स्थानीय भाषा में वहां इसे 'होय नो सर्कुला' कहते है। मेक्सिको में इसका काफी अच्छा प्रभाव देखनें को मिला, शुरुआती दौर में ही इससे कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर में 11 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।
- कोलंबिया की राजधानी में ऑड-ईवन स्कीम 1998 में पहली बार लागू की गई।

- वर्ष 2008 में ओलंपिक खेलों से पहले चीन सरकार ने बीजिंग में ऑड-ईवन स्कीम लागू की। यहां सरकार को काफी सफलता मिली, बीजिंग में प्रदूषण 40 फीसदी कम हो गया।
- फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह स्कीम वर्ष 2014 के मार्च में लागू की गई। इससे पहले यह स्कीम वहां वर्ष 1997 में भी लागू की गई थी।

क्या है ऑड-ईवन स्कीम?

- यह दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने की मंशा से लागू की जाने वाली एक योजना है, जिसके तहत यातायात में बदलाव किये जाते हैं।
- इसके तहत, विषम संख्या में समाप्त होने वाली पंजीकरण प्लेट वाले निजी वाहन विषम तिथियों पर और सम संख्याओं पर सम तिथियों पर चल सकते हैं।

योजना की आवश्यकता

- भारत की राजधानी शहर प्रदूषण के सबसे खराब दौर का सामना कर रहा है और अगर प्रदूषण का इलाज नहीं किया गया या अपर्याप्त उपचार किया गया, तो यह विनाशकारी प्रभाव पैदा कर सकता है।
- हालांकि इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन सख्त कार्यान्वयन सुस्त और अपर्याप्त रहा है।
- इसके अलावा अधिकांश कार्यों में स्वयं ठोस रणनीति और स्थिरता का अभाव होता है।
- इस प्रकार, स्थायी और प्रभावी उपायों को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है।

प्रभाव

- दिल्ली में इसके प्रभाव पर किए गए अध्ययन और शोध सकारात्मक परिणाम दिखाते हैं
- भीड़भाड़ में कमी से लेकर प्रदूषण के स्तर में मामूली गिरावट हुई और इसके परिणामस्वरूप वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ।
- 2016 में प्रकाशित दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, जब यह योजना लगभग दो सप्ताह की अवधि के लिए लागू की गई थी, तब पीएम 2.5 और पीएम 1 की संकेंद्रण में गिरावट देखी गई थी।
- अध्ययनों से यह भी पता चला है कि औसतन पीएम 2.5 में 5.73 प्रतिशत और पीएम 1 के स्तर में 4.70 प्रतिशत की कमी आई।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

- हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वावधान में प्रकाशित नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में असम को छोड़कर पूरे देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) डेटाबेस को अद्यतन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि इसके अंतर्गत जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और अन्य विवरण एकत्र किए जाने हैं।

रिपोर्ट संबद्ध मुख्य अंश

त्रि-आयामी दृष्टिकोण

- इसके अंतर्गत स्व-अद्यतन, जिसमें निवासी वेब पोर्टल पर कुछ प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद अपने स्वयं के डेटा को अपडेट करेंगे।

- एनपीआर डेटा को पेपर फॉर्मेट में अपडेट करना, और
- मोबाइल मोड।
- अभ्यास के दौरान प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और अन्य विवरण एकत्र/अद्यतन किए जाने हैं।
- अपडेशन के दौरान कोई दस्तावेज या बायोमेट्रिक्स एकत्र नहीं किया जाएगा ।

अधिकारियों द्वारा प्रदान किये गये नागरिकता प्रमाण पत्र

- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक, सभी अधिकारियों द्वारा कुल 1,414 नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने 29 जिलों के कलेक्टरों और नौ राज्यों के गृह सचिवों को कुछ श्रेणियों के संबंध में भारतीय नागरिकता प्रदान करने की अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित (delegated) किया है।
- इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई या पारसी समुदायों के सदस्यों के संबंध में पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने की शक्तियां शामिल हैं।
- लंबी अवधि के वीजा
- रिपोर्ट में उल्लिखित है कि गृह मंत्रालय ने गत एक वर्ष में तीन पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश) के अल्पसंख्यक समुदायों के 2,439 सदस्यों को लंबी अवधि का वीजा दिया है।
- लंबी अवधि के वीजा भारतीय नागरिकता का अग्रदूत है।

सीएए का उल्लेख नहीं

- यह रिपोर्ट, मंत्रालय की सभी उपलब्धियों और कार्यों का संकलन है, यद्यपि, इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 का उल्लेख नहीं है।
- सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह गैर-मुस्लिम अनिर्दिष्ट समुदायों की नागरिकता को फास्ट-ट्रैक करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था,
- यह कानून अभी तक लागू नहीं किया गया है, क्योंकि नियम को लेकर स्पष्टता नहीं है।

नागरिकता संशोधन कानून 2019

- नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिस्चन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है।

- पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना अनिवार्य था।
- इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को एक साल से लेकर 6 साल किया गया है, अर्थात इन तीनों देशों के ऊपर उल्लिखित छह धर्मों के गत एक से छह सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी।
- सरल शब्दों में कहा जाए तो इस कानून के अंतर्गत भारत के तीन मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) एक रजिस्टर है, जिसमें एक गांव या ग्रामीण क्षेत्र या कस्बे या वार्ड या किसी शहर या शहरी क्षेत्र में एक वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों का विवरण होता है।
- एनपीआर पहली बार 2010 में तैयार किया गया था और नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गए नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के नियम 3 के उप-नियम (4) के तहत 2015 में अपडेट किया गया था।
- जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण परिवर्तनों को शामिल करने के लिए एनपीआर को आगामी जनगणना के मकान सूचीकरण और मकान गणना चरण के साथ अपडेट किया जाएगा।
- एनपीआर का उद्देश्य देश में सामान्य निवासियों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। इस अभ्यास के दौरान कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा।
- एनपीआर का संचालन गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) के कार्यालय द्वारा किया जाता है।

एनपीआर का उद्देश्य

- किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के लिए भावी नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता के लिए जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र किया जाता है।
- इससे नीतियों को अधिक प्रासंगिक बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह क्षेत्र के लोगों की जरूरतों के आकलन पर आधारित होगी।
- मूल विचार भारत में रहने वाली कुल जनसंख्या का एक व्यापक डेटाबेस बनाना है, क्योंकि कुल जनसंख्या में नागरिक और गैर-नागरिक दोनों शामिल हैं। गैर-नागरिकों की श्रेणी केवल अवैध प्रवासियों तक ही सीमित नहीं है।
- एनपीआर सरकार को उनके भविष्य के उद्देश्यों में मदद करने के लिए एक डेटाबेस बनाने के दौरान देश की जनसांख्यिकीय संरचना पर स्पष्टता की भावना प्राप्त करने में सक्षम करेगा।

एनपीआर और जनगणना के बीच अंतर:

- एनपीआर और जनगणना भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के तत्वावधान में की जाती है।
- जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है और यह व्यक्ति द्वारा स्व-घोषणा पर आधारित होती है। इसमें कोई सत्यापन शामिल नहीं है।
- एनपीआर, हालांकि, नागरिकता नियम, 2003 के तहत किया जाता है। ये नियम व्यक्ति के लिए एनपीआर बनाने के लिए जनसांख्यिकीय डेटा साझा करना अनिवार्य बनाते हैं।

एनपीआर का कानूनी आधार

- एनपीआर नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के नियम 3 के तहत तैयार किया गया है।
- ये नियम नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गए थे।
- एनपीआर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से अलग है, जो विदेशी नागरिकों को बाहर करता है।
- एनआरसी एक रजिस्टर है, जिसमें भारत और भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों का विवरण होता है।

एनपीआर के लिए आवश्यक विवरण

- प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए 21 बिंदुओं पर जनसांख्यिकीय विवरण आवश्यक हैं।
- इसमें 'माता-पिता की जन्मतिथि और जन्म स्थान', निवास का अंतिम स्थान, स्थायी खाता संख्या (पैन), आधार (स्वैच्छिक आधार पर), वोटर आईडी कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और मोबाइल नंबर शामिल हैं।
- 2010 में किए गए एनपीआर में 15 बिंदुओं पर डेटा एकत्र किया गया था और इसमें 'माता-पिता की जन्मतिथि और जन्म स्थान' और निवास का अंतिम स्थान शामिल नहीं था।

चुनावी बांड

- हाल ही में, आर्थिक मामलों के विभाग ने विधानसभा के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा में आम चुनाव के वर्ष के दौरान 15 अतिरिक्त दिनों के लिए उनकी बिक्री की अनुमति देने के लिए चुनावी बांड योजना में संशोधन किया।
- ध्यातव्य है कि संशोधन से पहले, आम चुनाव के वर्ष में केंद्र द्वारा केवल 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट करने की अनुमति दी गई थी।

विषयगत महत्वपूर्ण बिंदु

- ये बांड वर्ष में चार बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के दौरान सरकार द्वारा अधिसूचित 10 दिनों के लिए विक्रय किये जाते हैं।
- चुनावी बांड राजनीतिक दलों को उन दानदाताओं से धन स्वीकार करने की अनुमति देते हैं, जिनकी पहचान गुप्त रखी जाती है।
- इन्हें 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में बेचा जाता है।

- नवीनतम परिवर्तन के साथ, उन वर्षों में भी 15 अतिरिक्त दिन प्रदान किए जाएंगे, जिस वर्ष विधानसभा चुनाव हैं।

चुनावी बांड

क्या है?

- चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र की तरह होता है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी द्वारा क्रय किया जा सकता है।
- ये बॉन्ड नागरिक या कॉर्पोरेट अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को दान कर सकते हैं। बॉन्ड बैंक नोटों के समान होते हैं, जो मांग पर वाहक को देय होते हैं और ब्याज मुक्त होते हैं।
- एक व्यक्ति या पार्टी इन बॉन्डो को डिजिटल रूप से या चेक के माध्यम से खरीद सकते हैं।

चुनावी बॉन्ड कब प्रस्तुत किया गया था?

- चुनावी बॉन्ड को फाइनेंशियल बिल (2017) के साथ प्रस्तुत किया गया था।
- 29 जनवरी, 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया था।

बॉन्ड कब क्रय किये जा सकते हैं?

- चुनावी बॉन्ड प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में 10 दिनों के लिए खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं।
- विदित है कि इस संशोधन से पुरे सरकार द्वारा चुनावी बॉन्ड की खरीद के लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 दिन निर्धारित किए गए थे।
- लोकसभा चुनाव के वर्ष में सरकार द्वारा 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि सुनिश्चित की गई है।

भारत में चुनावी बॉन्ड क्यों प्रस्तुत किया गया?

- सरकार के अनुसार, किसी पार्टी को किए गए सभी दान को जनता के सामने दान देने वाले के विवरण को उजागर किए बिना बैलेंस शीट में शामिल करने के लिए चुनावी बॉन्ड प्रस्तुत किया गया।
- चुनावी बॉन्ड, चुनावों के फंडिंग के लिए काले धन के उपयोग की निगरानी में सहायक होगा।
- इसके साथ ही सरकार का यह भी कहना है कि चुनावी बॉन्ड की अनुपस्थिति में, दान करने वालों के पास अपने बिजनेस से पैसे निकालने के बाद नकद दान करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा।

चुनावी बॉन्ड हेतु पात्रता

- केवल वे राजनीतिक दल, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोक सभा या राज्य की विधान सभा के मतदान में कम से कम 1% वोट हासिल किए हैं, चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। .
- चुनावी बांड योजना 2018 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
- एसबीआई से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2022 तक चुनावी बांड (ईबी) के माध्यम से राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदा 10,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
- भारत का नागरिक या भारत में निगमित निकाय बांड खरीदने के लिए पात्र है।
- भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये और 1,00,00,000 रुपये के गुणकों में किसी भी मूल्य के लिए ईबी जारी / खरीदे जाते हैं।
- एसबीआई एकमात्र बैंक है जो इन बांडों को बेचने के लिए अधिकृत है ।
- बेनामी नकद दान की सीमा 2,000 रुपये थी।

चुनावी बॉन्ड और उच्चतम न्यायालय

- 12 अप्रैल, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिले चंदे का विवरण ECI को प्रस्तुत करने के लिए कहा।
- उसने वित्त मंत्रालय से चुनावी बॉन्ड की पर्चेज विंडो को 10 दिन से घटाकर पांच दिन करने को भी कहा।

चुनावी बॉन्ड पर भारत के चुनाव आयोग का दृष्टिकोण

- 10 अप्रैल, 2019 को चुनाव आयोग ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि हालांकि, वह चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ नहीं था, लेकिन उसने राजनीतिक दलों को किए गए गुमनाम चंदे को स्वीकृति नहीं दी है।
- चुनाव आयोग ने के अनुसार, "हम चुनावी बांड के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहते हैं और हम नाम न छापने के विरोध में हैं "।

चुनावी बॉन्ड के समर्थन में प्रस्तुत तर्क

- ईबी को यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था कि किसी पार्टी को किए गए सभी दान को दाता के विवरण को जनता के सामने उजागर किए बिना बैलेंस शीट में शामिल किया जाएगा।
- बांड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं है ।
- चुनावी बांड की खरीद के माध्यम से राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम का योगदान देने वाले दाताओं को अपना पहचान विवरण जैसे पैन आदि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
- केंद्र सरकार ने कहा कि चुनावी बांड चुनावों के वित्तपोषण के लिए काले धन के इस्तेमाल पर नजर रखेंगे।

आलोचना

- चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के विरुद्ध।
- यह सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों (SBI) के माध्यम से बेचे जाते हैं, फलतः सरकार के लिए किसे फंड किया गया है, उसके विषय में जानना आसान होगा।
- केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के ज़रिये प्राप्त राशि का खुलासा करने से छूट दी है।
- क्रोनी कैपिटलिज़्म का समर्थन।

शिकायत निवारण सूचकांक

- हाल ही में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा प्रकाशित अक्टूबर 2022 माह की रैंकिंग रिपोर्ट में लोक शिकायतों के समाधान के लिए पुनः सभी समूह 'अ' के मंत्रालयों, विभागों एवं स्वायत्त निकायों में शीर्ष स्थान पर रखा गया है।

- ध्यातव्य है कि यह लगातार तीसरा महीना है, जब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।

चैटबॉट 'आधार मित्र'

- यूआईडीएआई ने उपयोगकर्ताओं के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए अपना नया आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स/मशीन लर्निंग पर आधारित चैटबॉट 'आधार मित्र' भी प्रारंभ किया है।
- नया चैटबॉट उन्नत सुविधाओं के साथ कार्य करता है।
- इसकी प्रमुख विशेषताओं में आधार नामांकन/अद्यतन स्थिति की जांच, आधार पीवीसी कार्ड की स्थिति को ट्रैक करना तथा नामांकन केंद्र स्थल की जानकारी आदि शामिल हैं।
- उपयोगकर्ता इसके माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और आधार मित्र का इस्तेमाल करके उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं।

शिकायत निवारण तंत्र

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पास एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है, जिसमें यूआईडीएआई का मुख्यालय, इसके क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी केंद्र और अन्य सम्बद्ध भागीदार संपर्क केंद्र भी शामिल हैं।
- यूआईडीएआई जीवनयापन में सरलता और व्यापार करने में सुगमता दोनों के लिए एक सूत्रधार रहा है और यह आधार धारकों के अनुभव को अधिक बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
- एक समन्वय प्रणाली यूआईडीएआई को एक सप्ताह के भीतर लगभग 92 प्रतिशत सीआरएम शिकायतों का समाधान उपलब्ध कराने में सक्षम बना रही है।
- यूआईडीएआई धीरे-धीरे अत्याधुनिक ओपन-सोर्स ग्राहक संबंध प्रबंधन समाधान उपलब्ध करा रहा है।
- नए ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) समाधान को लोगों के बीच यूआईडीएआई के सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है।

नए ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) समाधान

- नए ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) समाधान में फोन कॉल, ई-मेल, चैटबॉट, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया, पत्राचार और वॉक-इन जैसे मल्टी-चैनलों द्वारा सहायता उपलब्ध कराने की क्षमता है।
- इनकी सहायता से शिकायतों को दर्ज किया जा सकता है, उन्हें ट्रैक किया जा सकता है और प्रभावी ढंग से उनका हल भी निकाला जा सकता है।

यूआईडीएआई

सांविधिक प्राधिकरण

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई) एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 ('आधार अधिनियम 2016') के उपबंधों के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत दिनांक 12 जुलाई, 2016 को भारत सरकार द्वारा की गई।
- आधार अधिनियम 2016 को 25 जुलाई, 2019 से आधार एवं अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा संशोधित किया गया।

उद्देश्य और लक्ष्य

- यूआईडीएआई की स्थापना भारत के सभी निवासियों को 'आधार' नामक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) जारी करने के उद्देश्य से की गई थी, जिसके अंतर्गत शामिल है:
  - दोहरी एवं फर्जी पहचान को समाप्त करना
  - सरलता से एवं किफायती लागत में सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके।
- इसका उद्देश्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के सुशासन, कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण प्रदान करना है।
- एक अच्छी तरह से परिभाषित समय-सीमा और कड़े गुणवत्ता मेट्रिक्स का पालन करते हुए सर्वत्र निवासियों को आधार नंबर प्रदान करना
- अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसी संरचना बनाना, जो निवासियों को उनकी डिजिटल पहचान को अद्यतन रखने व सत्यापित करने में सुविधाजनक हो।
- आधार का लाभ उठाकर निवासियों को प्रभावी, दक्ष व निष्पक्ष सेवा मिल सके, इस हेतु भागीदारों व सेवा प्रदाताओं के साथ कार्य करना।
- नवोत्थान को प्रोत्साहित करना, जिसके लिए सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा आधार से जुड़े एप्लीकेशन्स बनवाने हेतु मंच प्रदान करना।
- आधार की तकनीकी संरचना की उपलब्धता, विस्तार व लचीलापन सुनिश्चित करना।
- भा. वि. प. प्राधिकरण के लक्ष्यों व आदर्शों को बढ़ावा देने हेतु एक मजबूत व दीर्घ कालिक संगठन बनाना।
- विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध सर्वोत्तम निपुणताओं को भागीदारी के आधार पर भा.वी.प. प्राधिकरण हेतु उपयोग में लाना।
- इसका मिशन व्यक्तियों की पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना है।
- जारी आधार नंबर
- 31 मार्च, 21 तक की स्थिति के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा भारत के निवासियों को कुल 128.99 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 03 मार्च, 2006 को, 'बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान' नामक परियोजना को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

- तदनुसार, बीपीएल परिवार परियोजना के लिए विशिष्ट पहचान के अंतर्गत सृजित किए जाने वाले मुख्य डाटाबेस से डाटा एवं फील्ड को अद्यतन, आशोधन, परिवर्धन या विलोपन संबंधी प्रक्रिया में सुझाव देने के उद्देश्य से दिनांक 03 जुलाई, 2006 को एक प्रक्रिया समिति का गठन किया गया।
- इस समिति ने 26 नवंबर, 2006 को 'स्ट्रेटेजिक विज़न यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजीडेन्टस' नामक एक पेपर तैयार किया है।
- उक्त के आधार पर, नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विशिष्ट पहचान नंबर परियोजना को जोड़ने के लिए 04 दिसंबर, 2006 को अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह का गठन किया गया।
- 29 सितंबर, 2010 को पहला यूआईडी नंबर नंदुरबार, महाराष्ट्र के निवासी को जारी किया गया।
- 12 सितंबर, 2015 को सरकार ने कार्य आबंटन नियमों में संशोधन के जरिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) के साथ संबद्ध कर दिया।

राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना

- हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब योजना के तहत उच्चाधिकार निगरानी समिति (एचपीएमसी) की 5वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने की।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब का उद्देश्य

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति में निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों से अनिवार्य 4% खरीद प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
- योजना के कार्यान्वयन के बाद अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति उद्यमियों से खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

प्रमुख लाभ

- एससी-एसटी उद्यमियों से 4% सार्वजनिक खरीद लक्ष्य प्राप्त करना।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को विक्रेता विकास कार्यक्रमों और परामर्श सहायता का हिस्सा बनने के लिए सुविधा प्रदान करना।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों और उद्यमियों के संबंध में सूचना का संग्रह, मिलान और प्रसार।
- प्रशिक्षित उम्मीदवारों को ट्रेड स्पेसिफिक टूल किट का वितरण।

प्रमुख कार्य क्षेत्र

- विक्रेता विकास, सार्वजनिक खरीद में भागीदारी, विश्वसनीय डेटाबेस का निर्माण, ऋण सुविधा, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन सहायता, और विभिन्न योजनाओं के तहत विशेष सब्सिडी आदि।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन (एसपीएमआरएम)

- हाल ही में, मिजोरम के आइजोल जिले का ऐबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है।
- ध्यातव्य है कि एसपीएमआरएम को फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया था।

ऐबाक रुर्बन क्लस्टर

- ऐबाक रुर्बन क्लस्टर ने एसपीएमआरएम के तहत नियोजित सभी 48 परियोजनाओं को पूरा किया।
- 11 गांवों में 522 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैले और 10,963 की आबादी को कवर करते हुए, आइजोल शहर के निकट होने के कारण ऐबॉक क्लस्टर का स्थानीय लाभ भी है।

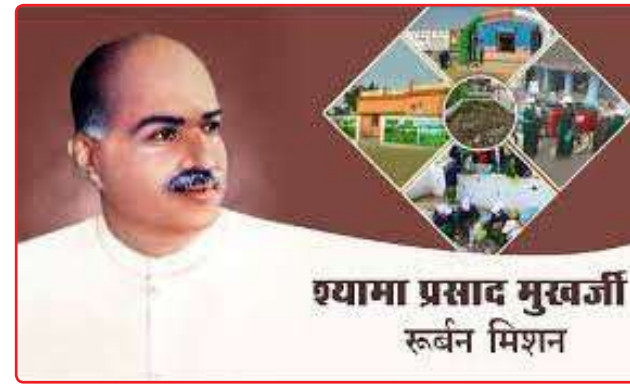

- मिशन के तहत मूल्य श्रृंखला में सुधार और बाजार पहुंच विकसित करने के लिए केंद्रित प्रयास किए गए हैं।
- बाजार पहुंच में सुधार के लिए किए गए कार्यों में कृषि-लिंक सड़क, पैदल यात्री फुटपाथ और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क परियोजनाओं आदि का निर्माण शामिल है।
- अन्य क्रियाकलापों में कृषि और संबद्ध गतिविधियों तथा पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय पर्यावरण और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए गए।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत ऐबॉक क्लस्टर

- आइजोल जिले में ऐबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत मिजोरम के पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है।

- बाजार तक पहुंच में सुधार के लिए कृषि-लिंक सड़क, पैदल यात्री फुटपाथ और एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाली सड़क परियोजनाएं शुरू की गईं।
- सृजित बुनियादी ढांचे में सड़कें, फुटपाथ, नालियां, पानी की आपूर्ति और कार पार्किंग तथा एक सम्मेलन केंद्र, खेल के बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे शामिल हैं।

महत्व

- आजीविका में सुधार के लिए किए गए क्रियाकलापों से स्थानीय जनसंख्या के आर्थिक हितों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- इनमें से कुछ में ड्रैगन फ्रूट की खेती, सुअर पालन और पोल्ट्री गतिविधियां, नेचर ट्रेल प्रोजेक्ट, रुर्बन इको एस्टेट फूलपुई और नेचर पार्क शामिल हैं।
- थोक बाजार सातेक परियोजना ने क्लस्टर के भीतर और आस-पास की स्थानीय लोगों को अपने कृषि उत्पादों के विपणन में मदद की है।
- इसके अलावा, सड़कों, फुटपाथों, नालियों, पानी की आपूर्ति, और कार पार्किंग और एक सम्मेलन केंद्र, खेल के बुनियादी ढांचे, और शैक्षिक संस्थानों में सुविधाओं के उन्नयन सहित सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे बुनियादी ढांचे को प्रदान करने के लिए एक समग्र विकास दृष्टिकोण के साथ योजना तैयार की गई थी।
- बैडमिंटन कोर्ट और फुटसल ग्राउंड जैसे खेल बुनियादी ढांचे ने आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को जिला और राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का प्रतिनिधित्व करने में मदद की है।
- स्थानीय समुदाय की भागीदारी के साथ केंद्र और राज्य द्वारा किए गए संयुक्त प्रयास ग्रामीण विकास के दूसरे चरण के लिए एक ठोस आधार साबित हुए हैं, जो गरीबी उन्मूलन से परे है और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है।

एसपीएमआरएम क्या है?

- यह फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
- मिशन का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 300 रुर्बन समूहों का विकास करना है।
- भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में ग्रामीण आबादी 833 मिलियन है, जो कुल आबादी का लगभग 68% है। इसके अलावा, 2001-2011 की अवधि के दौरान ग्रामीण आबादी में 12% की वृद्धि हुई है और इसी अवधि के दौरान गांवों की कुल संख्या में 2279 इकाइयों की वृद्धि हुई है।

'रुर्बन क्लस्टर' क्या है?

- यह मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25000 से 50000 की आबादी वाले और रेगिस्तान, पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में 5000 से 15000 की आबादी वाले भौगोलिक रूप से सटे गांवों का समूह है।

सार्वजनिक महत्व की सामग्री के प्रसारण संबद्ध नए दिशा-निर्देश

- हाल ही में, केंद्र ने नए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अंतर्गत चैनलों के लिए राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक महत्व की सामग्री का प्रसारण करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- ज्ञातव्य है कि इस पहल का निहितार्थ यह है कि एयरवेव सार्वजनिक संपत्ति है और समाज के सर्वोत्तम हित में इसका उपयोग करने की आवश्यकता है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा-निर्देश, 2022' को स्वीकृति प्रदान की है।
- इस संबंध में दिशा-निर्देश पहली बार 2005 में जारी किए गए थे और 2011 में उनमें संशोधित किए गए थे।
- विदित है कि 11 वर्ष के अंतराल के बाद नए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। साथ ही, व्यापार करने में सुगमता के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
- वर्तमान में देश में 890 से अधिक चैनल का संचालन हो रहा है।

नए दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

टीवी चैनलों के लिए दायित्व का निर्धारण

- निजी चैनलों सहित भारत के सभी टीवी चैनलों को राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों पर प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की सामग्री प्रसारित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
- मंत्रालय शीघ्र ही इसके प्रभावी होने की तारीख और इस सामग्री के प्रसारण के समय स्लॉट पर एक विशेष सलाह जारी करेगा।

किन मुद्दों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया गया?

- शिक्षा और साक्षरता का प्रसार
- कृषि और ग्रामीण विकास
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- महिलाओं का कल्याण
- समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण
- पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा
- राष्ट्रीय एकीकरण

शिक्षा और साक्षरता

- टीवी चैनलों को शिक्षा और साक्षरता संबध कार्यक्रम प्रसारित करने होंगे, जिससे देश के युवाओं को लाभ मिल सके।

कृषि और ग्रामीण विकास

- टीवी चैनलों को किसानों की उपज को बढ़ाने के तरीके और ग्रामीण विकास को ध्यान में रखकर भी कार्यक्रम बनाने होंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

- लोगों के स्वास्थ्य और बेहतर इलाज की जानकारी को लेकर भी टीवी चैनलों को कार्यक्रम तैयार करने होंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- साइंस और टैक्नोलॉजी के विषय पर भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम बनाने की बाध्यता रहेगी।

महिलाओं का कल्याण

- महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं और महिला सशक्तिकरण पर भी टीवी चैनलों को कार्यक्रम प्रसारित करने होंगे।

समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

- पिछड़े और समाज के वंचित वर्ग को ध्यान में रखकर भी टीवी चैनलों को कंटेंट तैयार करना होगा ।

पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा

- देश की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भी टीवी चैनलों को कार्यक्रम प्रसारित करने होंगे।

राष्ट्रीय एकीकरण

- राष्ट्रहित के दृष्टिगत टीवी चैनलों को देश भक्ति से जुड़ा कंटेंट भी तैयार करना होगा, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण और सुदृढ़ हो।

अपवाद

- यह शर्त सभी चैनलों पर प्रभावी होती है।
- विशेष रूप से छूट के रूप में उल्लिखित चैनलों को छोड़कर, इस संबंध में एक विस्तृत दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किये जाने की संभावना है।

अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग

- अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग को गृह मंत्रालय और जहां भी आवश्यक समझा जाता है, अन्य प्राधिकरणों द्वारा मंजूरी और अनुमोदन के अधीन रखा गया है।
- यह नीति अनिवार्य करती है कि सी-बैंड के अलावा फ्रीक्वेंसी बैंड में अपलिंक करने वाले चैनलों को अपने सिग्नल को एन्क्रिप्ट करना होगा।
- प्रसारण कंपनियों को भारतीय टेलीपोर्ट से विदेशी चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति होगी ।
- इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और भारत अन्य देशों के लिए टेलीपोर्ट हब बन जाएगा।
- वर्तमान में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत कुल 897 में से केवल 30 चैनल भारत से अपलिंक हैं।
- ध्यातव्य है कि वर्तमान में, सिंगापुर को टेलीपोर्ट अपलिंकिंग का हब माना जाता है।
- हालांकि, नए दिशा-निर्देश लागू होने के बाद, विदेशी चैनलों से भारतीय टेलीपोर्ट का उपयोग करने में अधिक रुचि दिखाने का अनुमान है।

अन्य मुद्दे

- नए दिशा-निर्देश एक समाचार एजेंसी को वर्तमान एक वर्ष की अपेक्षा पांच वर्षों के लिए अनुमति प्राप्त करने की अनुमति देते हैं ।
- जुर्माने की धाराओं को युक्तिसंगत बनाया गया है और वर्तमान में लागू एक समान दंड के विपरीत विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के लिए दंड के अलग-अलग सेट प्रस्तावित किए गए हैं।
- कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और केवल लाइव टेलीकास्ट होने वाले कार्यक्रमों का पूर्व पंजीकरण आवश्यक होगा।

अनुपालन तंत्र

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस सामग्री के प्रसारण के लिए चैनलों की निगरानी करेगा।
- यदि मंत्रालय के विचार में इसे गैर-अनुपालन पाया जाता है, तो स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
- यदि कोई चैनल गैर-अनुपालन जारी रखता है, तो समय-समय पर जारी की जाने वाली विशिष्ट सलाह के आधार पर और मामले-दर-मामला आधार पर और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

नए दिशा-निर्देशों के निहितार्थ

- सरकार ने तर्क दिया है कि चूंकि एयरवेव्स/फ्रीक्वेंसी सार्वजनिक संपत्ति हैं, इसलिए उन्हें समाज के सर्वोत्तम हित में उपयोग करने की आवश्यकता है।
- हालांकि, विश्लेषकों ने यह कहकर इस कदम की आलोचना की है कि चूँकि एयरवेव सार्वजनिक संपत्ति हो सकती है, किन्तु प्रसारकों ने उनके उपयोग के लिए भारी शुल्क का भुगतान करते हैं।
- इसलिए, कोई भी बाध्यकारी दिशा-निर्देश जो उनके व्यावसायिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उचित नहीं हो सकते हैं।

वीरांगना सेवा केंद्र

- हाल ही में, भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए सिंगल विंडो सुविधा - वीरांगना सेवा केंद्र (वीएसके) की शुरुआत की है।
- यह प्रणाली आवेदक को ट्रैकिंग, निगरानी और नियमित फीडबैक के साथ शिकायतों को दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।
- इन्हें टेलीफोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, पोस्ट, ई-मेल और सहायता प्राप्त करने के लिए वॉक-इन के माध्यम से वीएसके से संपर्क करने के लिए कई साधन उपलब्ध होंगे।
- हितधारक ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिकायतों की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं।
- यह सुविधा शुरू की गई है, क्योंकि वीर नारियों को लाभार्थियों के साथ अंतर्निहित संबंध और सहानुभूति बनाए रखने के लिए वीएसके कर्मचारियों के रूप में नियोजित किया जाता है।
- वीएसके भारतीय सेना द्वारा अपनी विधवाओं और वीर नारियों को वास्तविक देखभाल और सहायता प्रदान करने की दिशा में अपनी तरह की एक पहल है।

यूनेस्को-भारत-अफ्रीका हैकाथॉन 2022

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) परिसर में यूनेस्को-भारत-अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया।

- उन्होंने कहा कि नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स, मेंटरशिप, सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन हब जैसी पहलों का समर्थन कर रही है।
- यूनेस्को-भारत-अफ्रीका हैकाथॉन ने भारत के साथ-साथ 22 देशों के युवाओं को आकर्षित किया है।
- वे मानवता के सामने आने वाली समस्याओं के लिए प्रौद्योगिकी आधारित नवीन समाधानों की संकल्पना करने में सहयोग करेंगे।
- इन देशों के 400 से अधिक छात्र और 60 अधिकारी इस महत्वपूर्ण मंच पर अपनी छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाएंगे।
- शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पेयजल और स्वच्छता इस वर्ष के हैकाथॉन के प्रस्तावित विषय हैं।
- हैकाथॉन के हिस्से के रूप में, छात्र मुद्दों के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान खोजने के लिए 36 घंटे तक बिना रुके कोडिंग में संलग्न रहेंगे।
- प्रत्येक अभिनव विचार एक मौद्रिक पुरस्कार जीतेगा। समारोह के अंतिम दिन 25 नवंबर को पुरस्कार दिए जाएंगे।

राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने समयबद्ध कार्य योजनाओं और बहु-क्षेत्रीय सहयोग के साथ राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है।
- यह 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने का प्रयास करेगी।
- यह अगले 3 वर्षों के भीतर आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी।
- यह अगले 5 वर्षों के भीतर सभी जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएं प्रदान करने के लिए मनोरोग बाह्य रोगी विभाग स्थापित करने का प्रयास करेगी।
- यह अगले 8 वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम को एकीकृत करने का करने का प्रयास करेगी।
- इसमें आत्महत्याओं की जिम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशा-निर्देशों के विकास की परिकल्पना की गई है।
- इसमें आत्महत्या के साधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए दिशानिर्देश विकसित करने की परिकल्पना की गई है।
- यह आत्महत्या की रोकथाम के लिए डब्ल्यूएचओ की दक्षिण पूर्व-एशिया क्षेत्र रणनीति के अनुरूप है।
- स्नेहा फाउंडेशन की संस्थापक लक्ष्मी विजयकुमार को रणनीति का पहला मसौदा लिखने का श्रेय दिया जाता है।

आत्महत्या से जुड़े तथ्य:

- भारत में हर साल एक लाख से ज्यादा लोगों की मौत आत्महत्या के कारण होती है।
- पिछले तीन वर्षों में, आत्महत्या की दर प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 10.2 से बढ़कर 11.3 हो गई है।
- आत्महत्या के सबसे आम कारणों में पारिवारिक समस्याएं और बीमारियां शामिल हैं।
- वे क्रमशः सभी आत्महत्या से संबंधित मौतों का 34% और 18% के लिए जिम्मेदार हैं।

Professionategory	2020	2021	% Share in total Suicides in 2021	% Increase in suicides during 2021
Daily Wage Earner	37666	42004	25.6	11.52
Other Persons	20543	23547	14.4	14.62
House wife	22374	23179	14.1	3.60
Self Employed Persons	17332	20231	12.3	16.73
Professional/Salaried Persons	14825	15870	9.7	7.05
Unemployed Persons	15652	13714	8.4	-12.38
Students	12526	13089	8	4.49
Persons Engaged in Farming Sector	10677	10881	6.6	1.91
Retired Persons	1457	1518	0.9	4.19
Total	153052	164033	100	7.17

संगई महोत्सव

- संगई महोत्सव समारोह मणिपुर में शुरू हुआ। संगई महोत्सव का नाम मणिपुर के राज्य पशु 'संगई' हिरण के नाम पर रखा गया है।
- केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने बिष्णुपुर जिले में मणिपुर संगई महोत्सव 2022 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।
- इस अवसर पर दो कॉफी टेबल बुक्स- मणिपुर संगई फेस्टिवल 2022 और संगई फेस्टिवल पर मणिपुर टुडे स्पेशल एडिशन का विमोचन किया गया।
- मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने संगाई एथनिक पार्क का भी उद्घाटन किया।
- 'फेस्टिवल ऑफ वननेस' इस साल के उत्सव की थीम है। दस दिवसीय उत्सव छह जिलों में 13 स्थानों पर मनाया जाएगा।
- संगई महोत्सव को 'एकता के त्योहार' के रूप में मनाया जाता है।

अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची और भारत

- अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर करने का निर्णय लिया है। विभाग ने अन्य जिन देशों को इस सूची से बाहर किया है, उनमें इटली, मैक्सिको, वियतनाम और थाईलैंड शामिल हैं।
- विदित है कि ट्रेजरी विभाग ने कांग्रेस को अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट में कहा कि चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान अभी भी वर्तमान निगरानी सूची का हिस्सा हैं।
- भारत के अतिरिक्त अन्य चार अन्य देश, जिन्हें सूची से बाहर करने का निर्णय लिया गया हैं- इटली, मैक्सिको, वियतनाम और थाईलैंड है।
- रिपोर्ट में उल्लिखित है कि 2015 के अधिनियम में तीन मानदंडों में से दो को पूरा करने वाली अर्थव्यवस्था को निगरानी सूची में रखा गया है।
- ध्यातव्य है कि चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान सूची में बने हुए हैं और वर्तमान निगरानी सूची का हिस्सा हैं।

मुद्रा निगरानी सूची और भारत

- भारत को पिछली बार अक्टूबर 2018 में मुद्रा निगरानी सूची में शामिल किया गया था, लेकिन मई 2019 में सूची से हटा दिया गया था।
- दिसंबर 2020 में भारत को सूची में पुनः शामिल किया गया। तब से भारत इस सूची में था।
- भारतीय नीति निर्माताओं ने यह कहते हुए सूची में भारत को शामिल करने की आलोचना की कि यह कदम आरबीआई के नीतियों में हस्तक्षेप समान है ।
- भारत के अनुसार, आरबीआई भंडार जमा नहीं कर रहा है और विदेशी मुद्रा बाजार में इसकी गतिविधि पूरी तरह से संतुलित है।

भारत को इस सूची में क्यों शामिल किया गया?

- वित्त वर्ष 2020-21 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष लगभग $ 5 बिलियन बढ़ गया था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ माल में भारत का द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष 2020 में कुल $24 बिलियन था, साथ ही $8 बिलियन का सेवा व्यापार अधिशेष भी था।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आरबीआई की डॉलर खरीद जीडीपी के 5% पर थी, जो 2% की सीमा से अधिक थी।

मुद्रा निगरानी सूची

- अमेरिका अपने प्रमुख भागीदारों की मुद्रा पर निगरानी के लिए यह सूची तैयार करता है, इसके तहत अमेरिका अपने प्रमुख व्यापार भागीदारों की मुद्रा संबंधी गतिविधियों और आर्थिक नीतियों की निगरानी करता है।
- जिन देशों के फॉरेन एक्सचेंज रेट पर उसे संदेह होता है, अमेरिकी उन्हें इस सूची में डाल देता है।
- मूल रूप से, यह संभावित "संदिग्ध विदेशी मुद्रा नीतियों" और "मुद्रा हेर-फेर" वाले देशों की निगरानी सूची है।
- यदि कोई देश डॉलर के मुकाबले जानबूझकर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके अनुचित मुद्रा प्रथाओं में संलग्न पाया जाता हैं, तो उसे इस सूची में शामिल किया जाता है।
- भारत गत दो साल से अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची में था।
- अमेरिका ने कहा है कि चीन की विदेशी मुद्रा विनिमय को प्रकाशित करने में विफलता और एक्सचेंट रेट के संबंध में पारदर्शिता की व्यापक कमी के कारण इसे सूची में रखे जाने की आवश्यकता है।

सूची में शामिल करने हेतु निर्धारित मानदंड

तीन प्रमुख मानदंड

- संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष ($20 बिलियन के बराबर)
- चालू खाता अधिशेष (सकल-घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत के बराबर)
- विदेशी मुद्रा बाजार में लगातार एकतरफा हस्तक्षेप में संलग्न

अन्य जानकारियाँ

- रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन देशों को सूची से हटाया गया है, उन्होंने लगातार दो रिपोर्ट में तीन में से सिर्फ एक मानदंड पूरा किया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपने विदेशी विनिमय हस्तक्षेप को प्रकाशित करने में विफल रहा है।
- इसके अलावा चीन अपनी विनिमय दर तंत्र में पारदर्शिता की कमी के चलते वित्त विभाग की नजदीकी निगरानी में है।

निहितार्थ

- इस सूची में शामिल किये गये देश पर तुरंत कोई दंड आरूढ़ नहीं किया जाता है।
- यद्यपि, यह वैश्विक वित्तीय बाजारों में किसी देश के बारे में विश्वास को कम करता है।

बिम्सटेक के कृषि मंत्रियों की द्वितीय बैठक

सन्दर्भ

- हाल ही में, बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल-बिम्सटेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- विदित है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया।

विमर्श के विभिन्न बिंदु

- सदस्य देशों से कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव के लिए परस्पर सहयोग को सुदृढ़ करने की व्यापक रणनीति विकसित करने आह्वान किया गया।
- पौष्टिक भोजन के रूप में मोटे अनाजों के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष - 2023 के दौरान मोटे अनाजों और इनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया गया।
- भारत ने सदस्य देशों से एक अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली और सभी के लिए एक स्वस्थ आहार उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
- कृषि जैव विविधता के संरक्षण और रसायनों का उपयोग कम करने के लिए प्राकृतिक और पारिस्थितिक खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।

बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग उपक्रम (बिम्सटेक)

क्या है?

- बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल (बिम्सटेक) सात दक्षिण एशियाई और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है
- शामिल देशों में 1.73 बिलियन लोग निवास करते हैं और ये देश 4.4 ट्रिलियन डॉलर (2022) के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सदस्य देश

- बिम्सटेक में सात सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें पाँच दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया से दो देश म्याँमार एवं थाईलैंड शामिल हैं।
- बिम्सटेक में वे देश शामिल हैं, जिनकी सीमा बंगाल की खाड़ी के पास स्थित हैं और वह इस पर निर्भर हैं।

स्थापना

- इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के परिणामस्वरूप हुई थी।
- बिम्सटेक सचिवालय ढाका में है।
- चूंकि यह एक क्षेत्र संचालित संगठन है, बिम्सटेक सार्क या आसियान जैसे अन्य क्षेत्रीय संगठनों से अलग है।
- दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के अलावा, महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी भी बिम्सटेक से जुड़ी हुई है।

अध्यक्षता

- अध्यक्षता के लिए, बिम्सटेक वर्णानुक्रम का पालन करता है।
- बिम्सटेक की अध्यक्षता का रोटेशन बांग्लादेश के साथ शुरू हुआ।

बिम्सटेक का उद्देश्य

- दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की भौतिक निकटता का लाभ उठाकर और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके वैश्वीकरण के दुष्परिणामों का प्रभावी सामना करने के लिए बिम्सटेक की स्थापना एक गठबंधन के रूप में की गई थी।
- गठबंधन सात देशों के बीच संबंधों को मजबूत करता है और दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

संस्थागत तंत्र

- बिम्सटेक प्रक्रिया में सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय बिम्सटेक शिखर सम्मेलन है, जो सदस्य राज्यों के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों से बना होता है।
- सदस्य देशों के विदेश मंत्री बिम्सटेक की दूसरी सर्वोच्च नीति-निर्माण संस्था, मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेते हैं।
- सदस्य राज्यों के विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।
- निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी की गारंटी देने के लिए दो प्रमुख मंच व्यापार मंच और आर्थिक मंच हैं।

बिम्सटेक क्यों महत्वपूर्ण?

- भारत की लुक ईस्ट रणनीति का प्राथमिक लक्ष्य पहली बार 1991 में लागू किया गया था और बाद में 2014 में इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया।
- यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र के साथ रणनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण है।
- इन एशियाई देशों को शामिल करने से भारत को अपने एक्ट ईस्ट नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है।
- मलक्का जलडमरूमध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है । मलक्का जलडमरूमध्य का उपयोग दुनिया भर में सभी व्यापारिक उत्पादों के लगभग एक चौथाई के पारगमन के लिए किया जाता है।
- भौगोलिक रूप से, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर मलक्का जलडमरूमध्य को घेरते हैं। बंगाल की खाड़ी और मलक्का जलडमरूमध्य के सीधे संबंध के कारण, यह समूह मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से व्यापार को सीधे प्रभावित कर सकता है।
- बिम्सटेक क्षेत्र में लगभग 1.5 बिलियन लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% हिस्सा है और एक बड़े बाजार का अवसर प्रदान करते हैं।
- बिम्सटेक सदस्य देश, जिनका कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 3.8 ट्रिलियन है, हाल के वर्षों में औसत 6.5% आर्थिक विकास पथ को बनाए रखने और मजबूत विकास क्षमता प्रदर्शित करने में सक्षम रहे हैं।
- चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विस्तार के कारण, समूह भारत को बंगाल की खाड़ी के साथ देशों में चीन के अतिक्रमण प्रभाव का सामना करने में सक्षम बनाता है।
- भारत का लक्ष्य एक विश्व शक्ति और "विश्वगुरु" बनना है और इस मंच का उपयोग करके, भारत एक नई वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपने उत्कृष्ट नेतृत्व की क्षमताओं को दुनिया के बाकी हिस्सों में प्रदर्शित कर सकता है।

निष्कर्ष

- बिम्सटेक का व्यापक भू-सामरिक महत्व है।
- यह भारत को तीन रणनीतिक क्षेत्रों, अर्थात बंगाल की खाड़ी, मेकांग क्षेत्र और उप-हिमालयी क्षेत्र के समीप लाता है।
- किसी भी क्षेत्रीय संगठन के गठन को आकार देने वाले तीन कारक बाजार अर्थव्यवस्था, सीमा पार लोगों की आवाजाही और राजनीतिक कारक हैं।
- इस परिदृश्य में क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग बढ़ाने की जरूरत है।
- बिम्सटेक को नए क्षेत्रों जैसे कि नीली अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था आदि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

भारत-नॉर्वे संबंध

- हाल ही में, भारत में नॉर्वे के राजदूत ने कहा कि गत दो वर्षों में भारत और नॉर्वे के मध्य द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 2 अरब डॉलर हो गया है ।
- ज्ञातव्य है कि उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सिल्वर जुबली समारोह में हिस्सा लिया था ।

भारत- नॉर्वे संबंधों में सहयोग के संभावित क्षेत्र

जलवायु निवेश

- नॉर्वे विश्व भर में जलवायु निवेश, स्वच्छ ऊर्जा और महासागर प्रौद्योगिकी में निवेश करने की योजना बना रहा है।
- यह दुनिया भर में पाँच वर्षों में अपने जलवायु निवेश कोष से $1 बिलियन का निवेश करेगा।
- विदित है कि निवेश का बड़ा हिस्सा भारत में किया जायेगा।
- भारत सौर ऊर्जा के लिए बड़ी क्षमता वाले देशों में से एक है।

पवन ऊर्जा

- नॉर्वे भारत में पवन ऊर्जा के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के साथ कार्य कर रहा है।

भारत में जहाज को नष्ट करने से संबंधित उद्योग

- नॉर्वे के पास दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा वाणिज्यिक बेड़ा है और पर्यावरण के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी कारणों से भी, आधुनिक बेड़े को बनाए रखने के लिए जहाज का पुनर्चक्रण महत्वपूर्ण है।
- नॉर्वे इस क्षेत्र में भारत के साथ घनिष्ठ सहयोग कर रहा है।

हांगकांग कन्वेंशन

- हांगकांग सम्मेलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब जहाजों को उनके परिचालन जीवन के अंत तक पहुंचने के बाद पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा हो, तो वह मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा या पर्यावरण के लिए कोई अनावश्यक जोखिम उत्पन्न न करें।
- भारत हांगकांग कन्वेंशन में शामिल हो गया है ।
- यह एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय कानूनी होगा ।

ऐतिहासिक स्मारकों का डिजिटलीकरण

- नार्वेजियन कंपनी, पिकल, ताजमहल जैसे भारतीय स्मारकों के लिए एक डिजिटल संग्रह बनाने में शामिल थी ।
- कंपनी गुजरात में धोलावीरा और मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाओं जैसे ऐतिहासिक स्मारकों के डिजिटलीकरण में भी शामिल थी।

भारत-नॉर्वे संबंध

संबंधों की पृष्ठभूमि

- नॉर्वे और भारत के मध्य संबंधों की गहरी ऐतिहासिक जड़ें रही हैं।
- भारत में नॉर्वे का पहला वाणिज्य दूतावास क्रमशः 1845 और 1857 में कोलकाता और मुंबई में खोला गया।

भारत की रणनीति

- 2018 में नार्वे की सरकार ने एक नई 'भारत रणनीति' शुरू की।
- भारत की रणनीति पांच विषयगत प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करती है:
  - लोकतंत्र और एक नियम-आधारित विश्व व्यवस्था
  - महासागर
  - ऊर्जा
  - जलवायु और पर्यावरण
  - अनुसंधान, उच्च शिक्षा और वैश्विक स्वास्थ्य।

महासागर में सहयोग

- नॉर्वे और भारत दोनों महासागर राष्ट्र हैं, जो महासागरों की विशाल आर्थिक, वैज्ञानिक और पारिस्थितिक क्षमता को विकसित करने की दिशा में काम करने के इच्छुक हैं।
- 2019 में, नॉर्वे और भारत ने महासागरों पर एक संरचित और रणनीतिक सहयोग स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- यह सहयोग नीली अर्थव्यवस्था में हमारे साझा हित और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के साथ-साथ हमारे महासागरों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने की इच्छा पर आधारित है।

जलवायु परिवर्तन

- नॉर्वे भारत को वैश्विक जलवायु, पर्यावरण और संसाधन चुनौतियों से निपटने में एक महत्वपूर्ण भागीदार मानता है और पेरिस समझौते और एसडीजी-एजेंडे के समर्थन में सहयोग बढ़ाने की लगातार कोशिश करता रहा है।

द्विपक्षीय व्यापार

- दोनों देशों के मध्य कुल द्विपक्षीय व्यापार 2013-2014 में 974.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2017-2018 में 1,202.06 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

- हाल ही में, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया के नोम पेन्ह में 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

विमर्श के बिंदु

- इस बैठक के दौरान तीन एमओयू और एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट का आदान-प्रदान हुआ। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग, जैव विविधता संरक्षण और सतत वन्यजीव प्रबंधन में सहयोग, सांस्कृतिक विरासत के डिजिटल दस्तावेज़ीकरण के लिए अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में सहयोग
- सिएम रीप, कंबोडिया में वाट राजा बो पैगोडा पेंटिंग्स के संरक्षण और संरक्षण पर एक वित्तीय समझौता।
- कंबोडिया सरकार 2025 तक कंबोडिया को खदान मुक्त देश बनाने के उद्देश्य से डी-माइनिंग को महत्व दे रही है।
- इस संदर्भ में, भारत देश में तीन जिलों और एक कम्यून में खनन के लिए अनुदान सहायता प्रदान करेगा।
- भारत ने कंबोडिया के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग स्लॉट की संख्या में वृद्धि, उन्हें 200 से बढ़ाकर 250 करने और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) छात्रवृत्ति में 30 से 50 तक की वृद्धि की भी घोषणा की।
- भारत ने कंबोडिया के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग स्लॉट की संख्या में वृद्धि करते हुए उन्हें 200 से बढ़ाकर 250 करने और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) छात्रवृत्ति में 30 से 50 तक की वृद्धि करने की घोषणा की।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

- ईएएस भारत-प्रशांत क्षेत्र के सम्मुख आने वाली प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक वार्ता और सहयोग के लिए 18 क्षेत्रीय नेताओं की एक बैठक है।
- यह रणनीतिक संवाद के लिए इंडो-पैसिफिक का प्रमुख मंच है।

सदस्य देश

- दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के दस सदस्यीय राज्य - ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।
- आसियान के आठ संवाद भागीदार देश - ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ 2011 में 6वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए।
- ईएएस सदस्यता दुनिया की लगभग 54% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 58% हिस्सा है।

ईएएस के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय सहयोग के छह प्राथमिकता वाले क्षेत्र

- पर्यावरण और ऊर्जा,
- शिक्षा,
- वित्त,
- वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे और महामारी रोग,
- प्राकृतिक आपदा प्रबंधन,
- आसियान कनेक्टिविटी

भारत-ईएएस संबंध

- आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी साझा भौगोलिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित है।
- आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक के लिए व्यापक दृष्टि के केंद्र में है।
- इस वर्ष आसियान-भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और इसे आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
- उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट कृषि के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में 5 मिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त योगदान की घोषणा की।

मध्य-पूर्व हरित पहल शिखर सम्मेलन 2022

- हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने सीओपी 27 मिस्र में मध्य पूर्व हरित पहल शिखर सम्मेलन 2022 में भाग लिया।

संबोधन के मुख्य अंश

- सऊदी अरब के नेतृत्व में मध्य-पूर्व में 50 अरब पेड़ लगाने की पहल की सराहना की गई।
- नेट-जीरो शिपिंग के अनुसरण में मिस्र के हरित ईंधन उत्पादन की सराहना की गई।
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन- स्वच्छ और हरित ऊर्जा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा लाने के भारत के दृष्टिकोण का प्रमाण है।
- दुनिया भर के देशों को लीड आईटी और सीडीआरआई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया।

सीओपी 27

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों का 27वां सम्मेलन - सीओपी 27 मिस्र के शर्म-अल-शेख में आयोजित किया जा रहा है।
- यह सम्मेलन सीओपी-26 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से आगे बढ़ेगा।
- पिछले सम्मेलन में जलवायु संबंधी आपातस्थिति से निपटने के लिए निर्णय लिए गए थे।

- सीओपी-27 सम्मेलन मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों कार्बन गैस का उत्सर्जन घटाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने की तैयारियों में विभिन्न देशों को मदद देने और तकनीकी सहयोग सुनिश्चित करने तथा विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने की गतिविधियों के लिए वित्त उपलब्ध कराने पर केन्द्रित रहेगा।
- सीओपी-27 सम्मेलन में पृथ्वी और पेरिस समझौते को लागू करने में विभिन्न देशों के एकजुटता के संकल्प को दोहराया जाएगा।

मध्य-पूर्व हरित पहल

- मध्य-पूर्व हरित पहल का लक्ष्य क्षेत्रीय हाइड्रोकार्बन उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन को 60% से अधिक कम करना है।
- यह पूरे मध्य पूर्व में 50 अरब पेड़ लगाने और 200 मिलियन हेक्टेयर भूमि के बराबर क्षेत्र को बहाल करने की भी योजना बना रहा है।
- इस पहल से वैश्विक कार्बन स्तर को 2.5% तक कम करने में मदद मिलेगी।
- 25 अक्टूबर, 2021 को रियाद में एचआरएच मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री द्वारा पहले मध्य पूर्व ग्रीन इनिशिएटिव (एमजीआई) शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी।
- इसने जलवायु पर अपनी तरह के पहले क्षेत्रीय संवाद की सुविधा प्रदान की, जिसमें 28 देशों के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की।
- सऊदी अरब ने 2030 तक अपनी 50% बिजली उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की योजना प्रस्तुत की गई।

जी20

- हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जी20 ग्रुप में भारत की प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की।

जी20 प्रेसीडेंसी

- G20 प्रेसीडेंसी भारत को अंतरराष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडा में योगदान करने का अवसर प्रदान करती है।

जी20 क्या है?

- जी20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रादुर्भाव और विकास

- जी20 का गठन 1999 में 1990 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को प्रभावित किया था।
- इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना था।

शिखर सम्मेलन

- पहला जी20 शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था।

सदस्य देश

- जी20, 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- **सदस्य देश-** अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ।

जी20 और भारत

- भारत वर्ष 2023 में जी20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।
- 17वाँ जी20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा, जिसके बाद भारत दिसंबर 2022 से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।
- भारत एक वर्ष की अवधि के लिये जी20 की अध्यक्षता करेगा।

जी20 का संगठनात्मक ढांचा

- जी20 एक स्थायी सचिवालय या स्टाफ के बिना काम करता है ।
- अध्यक्ष सदस्यों के बीच वार्षिक रूप से स्थानांतरित होती है और देशों के एक अलग क्षेत्रीय समूह से चयनित किया जाता है।

जी20 का कार्य

- जी20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया स्थापित शेरपा और वित्त ट्रैक के माध्यम से आयोजित की जाती है, जो शिखर सम्मेलन में अपनाए गए मुद्दों और प्रतिबद्धताओं को तैयार करते हैं और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं।
- जी20 प्रक्रिया के प्रक्रियात्मक नियमों, जैसे आंतरिक पहलुओं को संबोधित करते हुए शेरपा का ट्रैक गैर-आर्थिक और वित्तीय मुद्दों, जैसे विकास, भ्रष्टाचार विरोधी और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है।
- वित्त ट्रैक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित है।

व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)

- हाल ही में, जारी किये गये वाणिज्य मंत्रालय के एक वक्तव्य के अनुसार, भारत ने सियोल में एक द्विपक्षीय बैठक में दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर "गंभीर चिंता" व्यक्त की
- ज्ञातव्य है कि भारत-कोरिया गणराज्य (आरओके) ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) से संबंधित उन्नयन वार्ता का 9वां दौर सियोल में 3-4 नवंबर, 2022 तक आयोजित किया गया।

9वें दौर की वार्ता

- भारत ने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे पर गंभीर चिंता व्यक्त की और बाजार पहुंच के मुद्दों पर विमर्श कियाक।
- दोनों पक्ष टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने और सेवा क्षेत्र में संबंधों को विस्तार देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की।

- सीईपीए उन्नयन वार्ता के 10वें दौर की मेजबानी भारत द्वारा 2023 के शुरुआत में की जाएगी।

पृष्ठभूमि और भारत-कोरिया गणराज्य सीईपीए

- भारत वर्तमान में कोरिया गणराज्य (आरओके) के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के उन्नयन के लिए फिर से बातचीत कर रहा है, जिसे 1 जनवरी 2010 को लागू किया गया था।
- जनवरी 2020 के विदेश मंत्रालय (MEA) के नोट के अनुसार, 2010 में CEPA के कार्यान्वयन के बाद व्यापार और आर्थिक संबंधों ने गति पकड़ी।
- दोनों देशों के मध्य 2018 में द्विपक्षीय व्यापार 21.494 बिलियन अमरीकी डालर और 2019 में 20.7 बिलियन अमरीकी डालर था।
- 2018 में, भारत से निर्यात में 5.884 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें 18.8% की वृद्धि दर्ज की गई और कोरिया गणराज्य से निर्यात में 3.6% की वृद्धि दर्ज करते हुए 15.610 बिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान दिया।
- 2019 में, भारत से निर्यात 5.6 बिलियन अमरीकी डालर और कोरिया गणराज्य से निर्यात 15.1 बिलियनअमरीकी डालर था।

दक्षिण कोरिया को भारत का व्यापारिक निर्यात

- दक्षिण कोरिया को भारत का व्यापारिक निर्यात चालू कैलेंडर वर्ष के पहले नौ महीनों में वार्षिक आधार पर 21.8% बढ़कर लगभग 6.1 बिलियन डॉलर हो गया और आयात बढ़कर 15.67 बिलियन डॉलर हो गया, जो इसी अवधि में 28.4% से अधिक की वृद्धि दर्ज करता है।
- इससे सियोल के पक्ष में 9.57 अरब डॉलर का भारी व्यापार घाटा हुआ।
- भारत-कोरिया गणराज्य व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)
- सीईपीए दोनों देशों को अगले 10 वर्षों में माल की एक विस्तृत श्रृंखला पर आयात शुल्क कम करने या समाप्त करने से संबंधित है।
- इसके अंतर्गत कोरिया गणराज्य 90 प्रतिशत भारतीय वस्तुओं पर शुल्क कम कर रहा है, जबकि भारत 85 प्रतिशत कोरियाई वस्तुओं पर शुल्क कम करेगा।

व्यापार समझौतों के प्रकार

मुक्त व्यापार समझौता

- यह एक ऐसा समझौता है, जिसमें दो या दो से अधिक देश भागीदार देश को तरजीही व्यापार शर्तें, टैरिफ रियायत आदि प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं।
- यहां उत्पादों और सेवाओं की एक सूची का निर्धारण किया जाता है, जिस पर एफटीए की शर्तें लागू नहीं होती हैं।

तरजीही व्यापार समझौता:

- इसमें दो या दो से अधिक साझेदार कुछ उत्पादों में प्रवेश का अधिमान्य अधिकार देते हैं।
- यह टैरिफ लाइनों की एक सहमत संख्या पर शुल्क को कम करके किया जाता है।
- भारत ने अफगानिस्तान के साथ एक पीटीए पर हस्ताक्षर किए हैं।

व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता

- यह एफटीए की तुलना में व्यापक है।
- सीईसीए/सीईपीए व्यापार के नियामक पहलू को भी शामिल करता है।

भारत- यूएई सीईपीए

- भारत- यूएई सीईपीए पर 18 फरवरी, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।
- भारत-यूएई सीईपीए गत एक दशक में किसी भी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला गहन एवं पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता है।
- यह एक व्यापक समझौता है, जिसमें वस्तुओं का व्यापार, मूल स्थान के नियम, सेवाओं का व्यापार, व्यापार की तकनीकी बाधाएं (टीबीटी), स्वच्छता एवं साइटोसैनिटरी (एसपीएस) उपाय, विवाद निपटान, नैचुलर पर्सन की आवाजाही, दूरसंचार, सीमा शुल्क संबंधी प्रक्रिया, फार्मास्युटिकल उत्पाद, सरकारी खरीद, आईपीआर, निवेश, डिजिटल व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग शामिल होंगे।

व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता

- सीईसीए सामान्य तौर पर केवल व्यापार शुल्क और टीक्यूआर दरों पर वार्ता को कवर करता है।
- यह सीईपीए जितना व्यापक नहीं है।
- भारत ने मलेशिया के साथ सीईसीए पर हस्ताक्षर किए हैं।

फ्रेमवर्क समझौता

- यह मुख्य रूप से व्यापारिक भागीदारों के बीच संभावित समझौते के उन्मुखीकरण के दायरे और प्रावधानों को परिभाषित करता है।
- यह चर्चा के कुछ नए क्षेत्र को शामिल करता है और भविष्य के उदारीकरण की अवधि निर्धारित करता है।
- भारत ने पहले आसियान, जापान आदि के साथ फ्रेमवर्क समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी

- भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (भारत ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए) भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा।
- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के तहत ऑस्ट्रेलिया द्वारा 100% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा।
- उन्होंने यह भी कहा कि ईसीटीए अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों, विशेष रूप से कपड़ा, रत्न और आभूषण और फार्मास्यूटिकल्स को बढ़ावा देगा।

- भारत ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह अब इसके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अनुसमर्थन के लिए तैयार है।
- एक बार दोनों पक्षों द्वारा अपनी घरेलू प्रक्रियाओं को समाप्त कर लेने के बाद, समझौता जल्द ही पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर लागू हो जाएगा।
- इस समझौते के साथ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा 31 अरब अमेरिकी डॉलर से 5 साल में 45-50 अरब अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है।
- ऑस्ट्रेलिया का लगभग 96% निर्यात कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों का है।
- आईटी/आईटीईएस के संबंध में लंबे समय से चल रहे दोहरे कराधान के मुद्दे को इस समझौते के तहत सुलझा लिया गया है।

आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल होगा पूर्वी तिमोर

- दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) ने पूर्वी तिमोर को अपने 11वें सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
- राष्ट्र को आधिकारिक तौर पर तिमोर लेस्ते के रूप में जाना जाता है।
- आसियान की महत्वपूर्ण सभाओं में अर्ध-द्वीप राष्ट्र को पर्यवेक्षक का दर्जा भी दिया जाएगा।
- पूर्वी तिमोरिस ने पड़ोसी इंडोनेशिया द्वारा क्रूर कब्जे से स्वतंत्रता के लिए 1999 यू.एन. पर्यवेक्षित जनमत संग्रह में मतदान किया था।
- 2002 में, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर देश को मान्यता दी, जिससे यह एशिया का सबसे युवा लोकतांत्रिक देश बन गया।
- 1.3 मिलियन लोगों के संसाधन संपन्न देश ने तुरंत आसियान में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन औपचारिक रूप से 2011 में सदस्यता के लिए आवेदन किया था।

पूर्वी तिमोर:

- यह दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप देश है।
- इसमें तिमोर द्वीप के पूर्वी आधे हिस्से, उत्तर-पश्चिमी आधे हिस्से पर ओकस एक्सक्लेव और अताउरो और जैको के छोटे द्वीप शामिल हैं।
- इसकी राजधानी दिली है। इसकी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर (यूएसडी) है।
- इसके राष्ट्रपति जोस रामोस-होर्ता हैं और प्रधान मंत्री तोर मटन रूआक हैं।

पेरिस शांति फोरम

- पेरिस शांति फोरम का पांचवां संस्करण 11-12 नवंबर 2022 तक पालिस ब्रोंगियार्ट में आयोजित किया गया।
- पेरिस शांति फोरम का पांचवां संस्करण "राइडिंग आउट द मल्टीक्राइसिस" विषय के तहत आयोजित किया गया था।
- फोरम कई संकटों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर काबू पाने, प्रमुख मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करने और वैश्विक सहयोग तंत्र में सुधार पर केंद्रित था।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों ने वैश्विक शासन पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।
- प्रतिभागियों ने जलवायु और पर्यावरण समाधान, लोगों पर कई संकट, वैश्वीकरण आदि सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।
- पेरिस शांति फोरम की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए की थी। इसका पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था।
- पेरिस शांति फोरम एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो वैश्विक शासन को पुनर्जीवित करने और सुधारने पर केंद्रित है।

मालाबार नौसैनिक अभ्यास-2022

- भारत ने 8 नवंबर को जापान में शुरू हुए मालाबार नौसैनिक अभ्यास-2022 में भाग लिया।

- भारत ने 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास जापान के योकोशुका में शुरू किया गया है।
- इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने भी हिस्सा लिया। इन देशों की नौसेनाएं 18 नवंबर तक अभ्यास में भाग लेंगी।
- भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कामोर्ता अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार हैं।
- इस वर्ष मालाबार अभ्यास की 30वीं वर्षगांठ है।
- मालाबार 1992 में अमेरिका और भारतीय नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः 2007 और 2020 में इसमें शामिल हुए।

बेंजामिन नेतन्याहू ने इज़राइल में सत्ता में वापसी की

- इज़राइल के पूर्व प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी और सहयोगी ने 1 नवंबर को हुए चुनावों में विजयी हुए।
- 120 सीटों वाली संसद में, श्री नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी ने 32 सीटें जीतीं, जबकि उनके गठबंधन ने कुल मिलाकर 64 सीटें जीतीं।
- लैपिड की येश एटिड पार्टी को 24 सीटें मिलीं, और दक्षिणपंथी, वामपंथी और अरब पार्टियों के उनके गठबंधन को 51 सीटें मिले।
- 73 वर्षीय बेंजामिन नेतन्याहू सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधान मंत्री हैं, जो 15 वर्षों के दौरान पांच बार चुने गए हैं।

इजराइल:

- यह भूमध्य सागर पर स्थित एक मध्य पूर्वी देश है।
- इसकी राजधानी यरुशलम है और मुद्रा इजरायली शेकेल है।

घाना ने 1 नवंबर 2022 को UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की

- सुरक्षा परिषद में घाना के 2 साल के कार्यकाल में यह एक ऐतिहासिक क्षण है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में, घाना सतत और समावेशी विकास के लिए वैश्विक शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- घाना 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर से शामिल हो गया। यह तीसरी बार है जब घाना 1962 से 1963 और 2006 से 2007 तक परिषद में सेवा देने के बाद UNSC में एक अस्थायी सीट पर कब्जा कर रहा है।
- घाना पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। इसकी राजधानी अकरा है और इसकी मुद्रा सेडी है। यह पश्चिम में आइवरी कोस्ट, उत्तर में बुर्किना फासो और पूर्व में टोगो के साथ सीमा साझा करता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद:

- इसका मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
- चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य हैं।
- नवंबर 2022 तक, 10 गैर-स्थायी सदस्य अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और यूएई हैं।
- UNSC का मुख्यालय: न्यूयॉर्क, यूएसए
- प्रेसीडेंसी परिषद के 15 (5 स्थायी और 10 गैर-स्थायी) सदस्यों के बीच घूमती है।
- प्रेसीडेंसी का कार्यकाल एक माह का होता है।
- प्रेसीडेंसी का पहला धारक ऑस्ट्रेलिया था।

भारत का आर्थिक विकास

- हाल ही में, मूडीज ने वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अपने अनुमान को संशोधित करते हुए 7.7 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया है।
- ज्ञातव्य है कि इससे पहले मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान सितंबर में घटाकर 7.7% किया था।
- मूडीज ने मई में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस वर्ष 8.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था।
- भारत की 2021-22 के वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2021 से मार्च 2022) में 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा।
- गत माह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2022 में भारत के आर्थिक विकास के अपने अनुमान को 7.4 प्रतिशत से घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया।
- हाल के दिनों में कुछ अन्य वैश्विक एजेंसियों ने भी अपने पूर्वानुमानों को कम किया है।
- विकास अनुमान में कटौती के बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
- मूडीज द्वारा की गई हाल की कटौती मुद्रास्फीति और नौकरियों के समग्र परिदृश्य के नकारात्मक रहने के बाद दर्ज की गई है।
- अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज गति से बढ़ने के बावजूद भारत के अधिसंख्य लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए नौकरियों की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

- हाल के दिनों में दुनियाभर में मंदी आने की आशंका प्रबल हो गई है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने वाले महीनों में और गिरावट की आशंका को जन्म दे रही है।
- ग्रोथ आउटलुक में हालिया गिरावट भारत तक सीमित नहीं है।
- रेटिंग एजेंसियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और अन्य प्रमुख देशों के लिए भी अपने अनुमान घटा दिए हैं। दुनिया की कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एकमुश्त मंदी की आशंका बनी हुई है।
- इससे पहले, विश्व बैंक ने पूर्वानुमान को 1 प्रतिशत अंक घटाकर 6.5 प्रतिशत, एडीबी ने 50 आधार अंकों से 7 प्रतिशत, फिच ने 80 आधार अंकों से 7 प्रतिशत और आरबीआई ने 20 आधार अंकों की कटौती करके 7 प्रतिशत कर दिया था।
- एसएंडपी ग्लोबल और ओईसीडी ने पूर्वानुमान को क्रमशः 7.3 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत पर बनाए रखा है।

मूडीज

- मूडीज को 'मार्डन ब्रांड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी' का जन्मदाता माना जाता है।
- इसकी स्थापना जॉन मूडी ने किया थ।
- 1900 ईस्वी में सबसे पहले जॉन मूडी ने पहली बार सिक्युरिटी और अमेरिकी कंपनियों की रेटिंग दी।
- इस प्रकाशन ने स्टॉक, बांड, वित्तीय संस्थानों, सरकारी एजेंसियों , मैन्यूफैक्चरिंग, माइनिंग और फूड कंपनियों का आंकड़े के साथ रेटिंग किया था।
- आज दुनिया में तीन प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियां है, उनमें मूडीज का नाम सबसे ऊपर है।
- 1924 में मूडीज ने पूरे अमेरिकन मार्केटिंग की रेटिंग की थी।
- वर्तमान में मूडीज दुनियाभर के देशों की रेटिंग करती है।
- यद्यपि, स्टैंडर्स एंड पुअर्स मूडीज से भी पुरानी एजेंसी है और इसकी स्थापना हेनरी पुअर ने की थी।

खुदरा मुद्रास्फीति

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन द्वारा जारी घरेलू उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) डाटा के अनुसार, अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर तीन महीने के निचले स्तर 6.77 प्रतिशत पर आ गई, जो सितंबर में पांच महीने के उच्च स्तर 7.41 प्रतिशत से कम है।
- विदित है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी और साल-दर-साल आधार पर मजबूती के कारण महंगाई बढ़ी हुई थी।
- अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर (CPI) घटकर 6.77 प्रतिशत हो गई है। यह अगस्त में 7 प्रतिशत थी, जबकि सितंबर में यह 7.41 फीसद थी। सितंबर 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.35 फीसद थी।
- महंगाई में कमी खाद्य वस्तुओं की कीमतें घटने के कारण हुई है।
- खाद्य पदार्थों की लगातार बढ़ती हुई कीमतों और ऊर्जा की उच्च लागत के कारण सितंबर में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7.41% हो गई थी, जो अप्रैल के बाद सबसे अधिक थी।
- थोक महंगाई 19 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। मार्च 2021 के बाद डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति पहली बार एकल अंकों में है। सितंबर में थोक मुद्रास्फीति 10.70 प्रतिशत पर थी। वहीं, अगस्त में ये 12.41 प्रतिशत थी।

- अनुमान लगाया जा रहा था कि अक्टूबर 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में पांच महीने के उच्च स्तर 7.41% से 6.73% तक कम हो जाएगी। हालांकि, अभी भी ये भारतीय रिजर्व बैंक के 2-6% लक्ष्य सीमा से काफी ऊपर है।
- शहरी महंगाई की दर जहां 6.98 फीसद रही, वहीं ग्रामीण महंगाई की दर 6.50 रही। अनाज की महंगाई दर 12.35 फीसद, मांस और मछली में 4.38 फीसद, दुग्ध उत्पादों में 7.72 फीसद, खाद्य तेलों की महंगाई दर 4.21 जबकि सब्जियों की महंगाई दर 7.46 फीसद है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अंग्रेज़ी: consumer price index या CPI) घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गये सामानों एवं सेवाओं (goods and services) के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं एवं सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना करके की जाती है।
- यह एक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण आँकड़ों में से एक है और सामान्य तौर पर वस्तुओं की कीमतों के भारित औसत पर आधारित होता है।

सीपीआई की श्रेणियाँ:

राष्ट्रीय स्तर पर, चार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)

- औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI (IW) - आधार वर्ष 2016
- कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई (एएल) और ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई (आरएल) - आधार वर्ष 1986-87
- सीपीआई (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त) - आधार वर्ष 2012
- जबकि पहले तीन श्रम मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित और जारी किए जाते हैं , चौथे को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है।

"इन अवर लाइफटाइम" अभियान

- हाल ही में, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के संयुक्त तत्वावधान में प्राकृतिक इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय (NMNH) ने संयुक्त रूप से 18 से 23 वर्ष की आयु के युवाओं को टिकाऊ जीवन शैली के संदेश वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए "इन आवर लाइफटाइम" अभियान शुरू किया है।
- यह अभियान विश्व भर के युवाओं को क्लाइमेट एक्शन की पहल करने वाले युवाओं को पहचानने की कल्पना करता है, जो कि 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली' (LiFE) की अवधारणा के साथ मेल खाता है।
- इसे सीओपी 27, शर्म अल-शेख में इंडिया पवेलियन में एक साइड इवेंट में लॉन्च किया गया।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य 18 से 23 वर्ष के बीच के युवाओं को स्थायी जीवन शैली के संदेशवाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- यह अभियान दुनिया भर के युवाओं को जलवायु कार्रवाई की पहल करने के लिए पहचानने की कल्पना करता है जो जीवन शैली' (LiFE) की अवधारणा के साथ प्रतिध्वनित होता है।

निहितार्थ

- अभियान जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और शमन जैसे मुद्दों में अधिक युवाओं को शामिल करेगा, और उन्हें विश्व के नेताओं के साथ अपनी चिंताओं, मुद्दों और समाधानों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

भारत के फार्मा उत्पादों के निर्यात में 138% की वृद्धि दर्ज की गई

- इस वित्त वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक भारत के फार्मा उत्पादों का निर्यात बढ़कर 90,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
- 2013 में, अप्रैल से अक्टूबर तक भारत का फार्मा उत्पादों का निर्यात लगभग 37,988 करोड़ रुपये था।
- यूएसए, यूके, दक्षिण अफ्रीका, रूस और नाइजीरिया भारत के शीर्ष 5 फार्मा निर्यात गंतव्य हैं।
- फार्मास्युटिकल और ड्रग निर्यात हमारे कुल निर्यात का 5.92% है।
- फॉर्मूलेशन तथा बायोलॉजिकल्स की हमारे कुल निर्यातों में 73.31 प्रतिशत की प्रमुख हिस्सेदारी है। उनके बाद बल्क ड्रग्स और ड्रग इंटरमीडिएट्स का स्थान आता है।

एफएसएसएआई ने जीएम खाद्य नियमों के लिए नया मसौदा जारी किया

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सार्वजनिक परामर्श के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) खाद्य नियमों का एक नया मसौदा जारी किया है।

- एफएसएसएआई के अनुसार, प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम भोजन के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (जीएमओ) पर लागू होंगे।
- संशोधित डीएनए युक्त जीएमओ से उत्पादित खाद्य सामग्री पर भी नियम लागू होंगे।
- नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, 1% या अधिक जीएम सामग्री वाले खाद्य पदार्थों को पैक किया जाना चाहिए और "आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव शामिल" के रूप में लेबल किया जाना चाहिए।
- मसौदे के अनुसार, "कोई भी व्यक्ति जीएमओ से उत्पादित किसी भी खाद्य सामग्री का निर्माण, पैक, स्टोर, बिक्री, बाजार या अन्यथा वितरण या आयात नहीं करेगा"।
- 18 नवंबर को सार्वजनिक परामर्श और सुझावों के लिए विनियमन का मसौदा जारी किया गया। सुझाव 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे।
- जीएम खाद्य पदार्थों और अवयवों के निर्माताओं और आयातकों को नियमों का पालन करना होगा और एफएसएसएआई से पूर्व मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा।
- जीएम-खाद्य उत्पाद जिनमें संशोधित डीएनए पता लगाने योग्य नहीं है उनमे लेबलिंग की आवश्यकता नहीं है।
- आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ (जीएम खाद्य पदार्थ) को आनुवंशिक रूप से इंजीनियर भोजन (जीई खाद्य पदार्थ) के रूप में भी जाना जाता है।

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स-2022

- अर्थव्यवस्था में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए नेटवर्क तैयारी के मामले में भारत ने अपनी रैंकिंग में छह पायदान का सुधार किया है।
- यह जानकारी हाल ही में प्रकाशित नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स-2022 रिपोर्ट में दी गई है।
- भारत अब इस क्षेत्र में 61वें स्थान पर पहुंच गया है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका 80.3 के समग्र स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद 79.35 के स्कोर के साथ सिंगापुर और 78.91 के स्कोर के साथ स्वीडन का नंबर है।
- 131 अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित रिपोर्ट चार क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है: प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव।
- भारत ने न केवल अपनी रैंकिंग में सुधार किया बल्कि 2021 की तुलना में अधिक अंक भी हासिल किए, जो 49.74 से बढ़कर 51.19 प्रतिशत हो गया।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने "आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस टेलेंट" में पहला स्थान और "घरेलू और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट सेवा के मामले में मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट" में दूसरा स्थान हासिल किया है।
- भारत "दूरसंचार संचार सेवाओं में वार्षिक निवेश और घरेलू बाजार के आकार" के मामले में तीसरे स्थान पर है।
- भारत "सूचना संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात" में चौथे स्थान पर है, और "एफटीटीएच /बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन' और "एआई वैज्ञानिक प्रकाशन" में पांचवें स्थान पर है।
- रिपोर्ट वाशिंगटन डीसी स्थित एक स्वतंत्र अनुसंधान और शैक्षिक संगठन पोर्टूलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई है।

सरकार ने पीएसयू बैंकों के प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों का अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर 10 साल कर दिया

- वित्त मंत्रालय ने 17 नवंबर को राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की।
- पीएसबी के प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है, जबकि अधिवर्षिता (सेवानिवृत्ति) की आयु 60 वर्ष रखी गई है।
- इससे पहले, पीएसयू बैंक के एमडी या कार्यकारी निदेशक का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष या उनके 60 वर्ष तक पहुंचने तक, जो भी पहले हो, था।
- सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) में से प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति करती है।
- वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) के नामों की सिफारिश करता है।

'ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022'

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022' जारी की है। यह COVID-19 टीकों के वितरण को दर्शाता है।
- वैक्सीन बाजारों के लिए COVID-19 के प्रभावों को दर्शाने वाली यह पहली रिपोर्ट है।
- इसने दिखाया है कि गरीब देशों ने टीकों तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया। सीमित टीकों की आपूर्ति और असमान वितरण ने वैश्विक असमानताओं को प्रेरित किया है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, टीके की पहुंच में सामर्थ्य भी एक बाधा है।
- 2021 में 141 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की लगभग 16 बिलियन वैक्सीन खुराक की आपूर्ति की गई।
- रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में टीकों की निर्माण क्षमता में वृद्धि हुई है, लेकिन यह अत्यधिक केंद्रित है।
- दस निर्माताओं ने टीके की 70% खुराक प्रदान की। 2021 में, अफ्रीकी और पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र 90 प्रतिशत टीकों के लिए विदेशी निर्माताओं पर निर्भर थे।
- बौद्धिक संपदा एकाधिकार और सीमित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण स्थानीय विनिर्माण के लिए मुख्य बाधाएं थीं।
- डब्ल्यूएचओ ने भविष्य के संकटों को रोकने के लिए वैश्विक वैक्सीन बाजार में तत्काल बदलाव का आह्वान किया है।

निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटानों की अनुमति

- 9 नवंबर को, केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निकायों को विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए भारतीय रुपये में लेनदेन करने की अनुमति दी।
- उन्हें भारतीय रुपये में चालान, भुगतान और निर्यात/आयात के निपटान की अनुमति दी गई है।
- भारतीय रुपये में निर्यात प्राप्तियों के लिए निर्यात लाभ/निर्यात दायित्वों को पूरा करने की अनुमति देने के लिए विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.53 के तहत परिवर्तन लागू किए गए हैं।
- विदेश व्यापार नीति के तहत, लाभों/निर्यात बाध्यताओं की पूर्ति को दिनांक 11 जुलाई 2022 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय रुपये में प्राप्ति के लिए विस्तारित कर दिया गया है।
- विदेश व्यापार नीति 2015 में शुरू की गई थी। सरकार ने हाल ही में विदेश व्यापार नीति 2015-20 की समय अवधि को दूसरी बार बढ़ा दिया है।

रूस भारत का पिग आयरन का सबसे बड़ा निर्यातक बना

- FY23 की पहली छमाही में, रूस भारत का पिग आयरन का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है।
- पिग आयरन इस्पात बनाने वाला मुख्य कच्चा माल है।
- इस अवधि के दौरान, भारत में लगभग 31,700 टन पिग आयरन का आयात किया गया, जिसमें से लगभग 84% रूस से था।
- पिग आयरन कच्चा लोहा है और ब्लास्ट फर्नेस का प्रत्यक्ष उत्पाद है। इसे स्टील, गढ़ा लोहा, या पिंड लोहे का उत्पादन करने के लिए परिष्कृत किया जाता है।
- 2020 में पिग आयरन के शीर्ष निर्यातक रूस, ब्राजील और यूक्रेन थे जबकि पिग आयरन के शीर्ष आयातक चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की थे।

60 लाख मीट्रिक टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति

- सरकार ने चीनी सीजन 2022-23 के दौरान 60 लाख मीट्रिक टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति दी है ।
- सरकार ने यह फैसला देश में चीनी की कीमत की स्थिरता और चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को संतुलित करने के उपाय के रूप में लिया है।
- चीनी मिलें आदेश जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर आंशिक रूप से या पूरी तरह से कोटा सरेंडर करने का निर्णय ले सकती हैं या वे 60 दिनों के भीतर घरेलू कोटे के साथ निर्यात कोटा स्वैप कर सकती हैं।
- इस स्वैपिंग सिस्टम से देश के लॉजिस्टिक्स सिस्टम पर बोझ कम होगा।
- चीनी सीजन 2021-22 के दौरान, भारत ने 110 एलएमटी चीनी का निर्यात किया और दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना।
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक चीनी मिलें अपने उत्पाद घरेलू बाजार या अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच सकेंगी।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 31 अक्टूबर, 2023 तक चीनी निर्यात को 'प्रतिबंधित' श्रेणी के तहत शामिल करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
- चीनी सीजन 2021-22 के लिए 96% से अधिक गन्ना किसानों का बकाया पहले ही चुकाया जा चुका है।

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (आईआईपीडीएफ) योजना अधिसूचित

- वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना विकास व्यय के लिए वित्तीय सहायता हेतु इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम को अधिसूचित किया है।
- इस योजना के तहत, परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों (PSA) को 5 करोड़ रुपये तक की सहायता मिलेगी।
- अधिसूचना के अनुसार, परियोजना विकास लागत को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध होगा।
- परियोजना विकास लागत में पीएसए द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन, पर्यावरण प्रभाव अध्ययन, वित्तीय संरचना, कानूनी समीक्षा और परियोजना प्रलेखन के विकास, रियायत समझौते आदि के संबंध में किए गए खर्च शामिल हो सकते हैं।
- इसमें पीएसए द्वारा अपने कर्मचारियों पर किए गए खर्च शामिल नहीं होंगे।
- फंड की मूल रूप से परिकल्पना वित्तीय वर्ष 2007-08 के बजट में की गई थी।
- तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने परियोजना तैयार करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक रिवाल्विंग फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा था।
- 100 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ एक फंड बनाया गया था।
- अब 2022-23 से 2024-25 तक तीन साल की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ फंड का पुनर्गठन किया गया है।
- योजना के तहत, सलाहकार/लेनदेन सलाहकारों (टीए) की लागत को वित्त पोषित किया जा सकता है।
- केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में, आईआईपीडीएफ योजना प्रायोजक प्राधिकरणों को वित्त पोषण सहायता प्रदान करके गुणवत्तापूर्ण पीपीपी परियोजनाओं के विकास में सहायता करेगी।
- आईआईपीडीएफ योजना दो साल पहले अधिसूचित इंफ्रास्ट्रक्चर (वायबिलिटी गैप फंडिंग, वीजीएफ स्कीम) में पीपीपी को वित्तीय सहायता के लिए पहले से ही परिचालित योजना के अतिरिक्त है।

वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 जारी किया।
- रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में एक ऐतिहासिक मोड़ है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। रूस यूरोप की 40% प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि गैस की मांग में तेजी से वृद्धि रुक गई है।
- सरकारों ने या तो जीवाश्म ईंधन निवेश और सब्सिडी को बढ़ावा देने की कोशिश की या वे रिपोवरईयू जैसे कार्यक्रमों और यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जैसे कानूनों के साथ स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए गए।
- वर्तमान परिदृश्यों से पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारित प्राकृतिक गैस में रूस की हिस्सेदारी 2021 में 30% से गिरकर 2030 में 15% होने की संभावना है।
- वैश्विक घोषित नीतियों के परिदृश्य के अनुसार, 2050 तक प्राकृतिक गैस की मांग आज की तुलना में 750 बिलियन क्यूबिक मीटर कम हो सकती है।

- ग्लोबल स्टेटेड पॉलिसी परिदृश्य वर्तमान नीतियों के प्रक्षेपवक्र को प्रोजेक्ट करता है।
- वैश्विक प्राकृतिक गैस की मांग 2030 तक 5% तक बढ़ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के विकासशील देश अब परिवर्तनीय ईंधन के रूप में गैस को लेकर उत्साहित नहीं हैं।
- घोषित प्रतिज्ञा परिदृश्य के अनुसार, 2030 तक जीवाश्म ईंधन की मांग में कमी आने की संभावना है।
- घोषित प्रतिज्ञा परिदृश्य आईईए सदस्य देशों की जलवायु प्रतिज्ञाओं पर आधारित अनुमान हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च ऊर्जा की कीमतें उपभोक्ताओं से उत्पादकों को धन का भारी हस्तांतरण कर रही हैं।
- दुनिया भर में बिजली उत्पादन की औसत लागत में वृद्धि में उच्च ईंधन की कीमतों का योगदान 90% है। अकेले प्राकृतिक गैस का योगदान 50% से अधिक है।
- आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच के बिना लोगों की संख्या एक दशक में पहली बार बढ़ रही है।
- दुनिया हाल के वर्षों में ऊर्जा में पर्याप्त निवेश नहीं कर रही है।
- वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की बढ़ती हिस्सेदारी आम है।
- घोषित नीतियों के परिदृश्य (एसटीईपीएस) के अनुसार, अक्षय ऊर्जा स्रोत 2030 तक हर साल लगभग 1% की अतिरिक्त वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि प्रदान करेंगे।
- रूस अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मामलों में बहुत कम भूमिका की संभावना का सामना कर रहा है।
- ऊर्जा से संबंधित CO2 उत्सर्जन 2021 में 36.6 Gt तक पहुंच गया। यह उत्सर्जन में अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि थी।
- वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक हर साल प्रकाशित होता है। यह पहली बार 1977 में प्रकाशित हुआ था। इसे 1998 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का एक प्रमुख प्रकाशन है।

इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर

- हाल ही में, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में फरीदाबाद, हरियाणा में जीवन विज्ञान डेटा-'इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर' (आईबीडीसी) के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष (रिपॉजिटरी) राष्ट्र को समर्पित किया गया।
- विदित है कि जैव- प्रौद्योगिकी-गर्व (बायोटेक-प्राइड) दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा को संग्रहीत करना आईबीडीसी के लिए अनिवार्य किया गया है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिंदु

- आईबीडीसी ने देश भर में 50 से अधिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं से 2, 08, 055 प्रस्तुतियों से 200 बिलियन से अधिक आधार एकत्रित किए।
- आईबीडीसी का डैशबोर्ड देश भर में अनुकूलित डेटा सबमिशन, एक्सेस, डेटा विश्लेषण सेवाएं और रीयल-टाइम सार्स सीओवी-2 प्रजाति की निगरानी करता है।
- भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा को संग्रहीत करना आईबीडीसी के लिए अनिवार्य किया गया है।
- इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भुवनेश्वर में डेटा 'आपदा रिकवरी' साइट के साथ क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आरसीबी), फरीदाबाद में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के समर्थन से स्थापित किया गया है।

निर्णय

- बायोबैंक में '1,000 जीनोम प्रोजेक्ट' के हिस्से के रूप में अनुक्रमित 200 मानव जीनोम सहित डेटा शामिल है, जो लोगों में आनुवंशिक विविधताओं को मैप करने का एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास है।
- इसके अलावा, डेटाबेस में भारतीय Sars-Cov-2 जीनोमिक कंसोर्टियम (INSACOG) द्वारा अनुक्रमित 2.6 लाख Sars-Cov-2 जीनोम का अधिकांश हिस्सा शामिल है।
- डेटाबेस में 25,000 माइकोबैक्टीरियम टीबी अनुक्रम भी होंगे, जो देश में बहु-दवा और दवा प्रतिरोधी टीबी के प्रसार को समझने में मदद करेगा और नई दवाओं और टीकों के लिए लक्ष्यों की खोज में सहायता करेगा।
- वर्तमान में, डेटाबेस में चावल, प्याज, टमाटर और सरसों जैसी फसलों के जीनोमिक अनुक्रम शामिल हैं।
- एक ही डेटाबेस में मनुष्यों, जानवरों और बैक्टीरिया के जीनोम की उपस्थिति से शोधकर्ताओं को जूनोटिक रोगों (जानवरों से मनुष्यों में फैलने) के अध्ययन में सहायता मिलेगी।
- यह संभव है कि बाद में प्रोटीन अनुक्रमों (एमिनो एसिड) के साथ-साथ अल्ट्रासाउंड और एमआरआई छवियों (MRI images) जैसे इमेजिंग डेटा को संग्रहीत करने के लिए डेटाबेस का विस्तार किया जाएगा।
- ध्यातव्य है कि यह शोधकर्ताओं को अमेरिकी और यूरोपीय डेटा बैंकों पर निर्भरता कम करने, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से जैविक डेटा संग्रहीत करने में सक्षम करेगा।

इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर (आईबीडीसी)

- भारत सरकार के बायोटेक-प्राइड दिशा-निर्देशों के अनुसार, आईबीडीसी को भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा (डिजिटल रूप में) को संग्रहित करना अनिवार्य है।
- भारत में जैविक डेटा के भंडारण और साझा करने के लिए कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं है।
- बायोटेक प्राइड दिशा-निर्देश देश भर में विभिन्न अनुसंधान समूहों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाएगा।
- इन दिशा-निर्देशों को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
- डेटा सेंटर, जो जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भारत के सहयोग से जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा समर्थित है ।
- डिजीटल डेटा चार पेटाबाइट (1 पेटाबाइट = 10,00,000 गीगाबाइट (जीबी)) सुपर कंप्यूटर पर संग्रहीत किया जाएगा, जिसे 'ब्रह्म' कहा जाता है ।
- इसमें 'ब्रह्म' उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) सुविधा भी है। संगणकीय (कम्प्यूटेशनल)-गहन विश्लेषण करने में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं के लिए आईबीडीसी में कम्प्यूटेशनल आधारभूत ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) भी उपलब्ध कराया गया है।
- बायोबैंक के पास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)-भुवनेश्वर में एक बैकअप डेटा 'डिजास्टर रिकवरी' साइट भी है।
- डेटाबेस शोधकर्ताओं को डेटा प्रस्तुत करने के लिए ओपन एक्सेस (देश भर के अन्य शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है) और नियंत्रित एक्सेस (डेटा खुले तौर पर कई वर्षों तक साझा नहीं किया जाएगा) तंत्र प्रदान करता है।

आवश्यकता

- वर्तमान में, अधिकांश भारतीय शोधकर्ता जैविक डेटा को संग्रहीत करने के लिए यूरोपीय आणविक जीवविज्ञान प्रयोगशाला (ईएमबीएल) और राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र पर विश्वास करते हैं।
- अन्य छोटे डेटासेट कुछ संस्थानों में उपलब्ध हैं, लेकिन वे सर्वसुलभ नहीं हैं ।

उद्देश्य

- भारत में जैविक डेटा के स्थायी संग्रह के लिए एक आईटी मंच प्रदान करना।
- एफएआईआर (खोज, पहुंच, अंतःक्रियाशीलता और पुन: प्रयोज्य) सिद्धांतों के अनुसार डेटा को संग्रहीत और साझा करने के लिए एसओपी का विकास करना।
- गुणवत्ता नियंत्रण, डेटा बैकअप और डेटा जीवन चक्र का प्रबंधन करना।
- वेब आधारित टूल्स का विकास, 'बिग' डेटा विश्लेषण और डेटा शेयरिंग के लाभों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

निहितार्थ

- जीवन वैज्ञानिक डेटा की विविधता के कारण, आईबीडीसी का निर्माण विकेंद्रीकृत तरीके से किया जा रहा है, जिसमें विशिष्ट प्रकार के डेटा से संबंधित विभिन्न भाग हैं।
- यह जैविक डेटा विश्लेषण के लिए बुनियादी ढाँचा और विशेषज्ञता भी प्रदान करेगा, कई आनुवंशिक रोगों, टीकों और दवाओं की ज्ञान खोज में सहायता करेगा ।
- फलतः, यह भारत के साथ वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेगा।

जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय कोष

- जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय कोष (रिपॉजिटरी), "इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर (IBDC)" डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा फरीदाबाद, हरियाणा 10 नवंबर को लॉन्च किया गया है।
- इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भुवनेश्वर में डेटा आपदा रिकवरी साइट के साथ, फरीदाबाद के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आरसीबी) में स्थापित किया गया है।
- इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के सहयोग से स्थापित किया गया है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इसकी डेटा भंडारण क्षमता लगभग 4 पेटाबाइट है और इसमें 'ब्रह्म' उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) सुविधा भी है।
- आईबीडीसी ने दो डेटा पोर्टलों के माध्यम से न्यूक्लियोटाइड डेटा सबमिशन सेवाएं शुरू की हैं।
- पूरे भारत में 50 से अधिक शोध संस्थानों के 2,08,055 योगदानों से 200 बिलियन से अधिक आधार एकत्रित हुए हैं।
- इसे 'इंडियन न्यूक्लियोटाइड डेटा आर्काइव (INDA)' और 'इंडियन न्यूक्लियोटाइड डेटा आर्काइव-कंट्रोल्ड एक्सेस (INDA-CA)' द्वारा संचित किया गया है।
- इससे पहले यूरोप और अमेरिका के 'रिपॉजिटरी' में जीवन विज्ञान के आंकड़े एकत्र किए जाते थे।

भारत का पहला निजी रॉकेट 18 नवंबर 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया

- यह एक चरणीय ठोस ईंधन वाला रॉकेट है। यह डेटा सुरक्षित करने के लिए सेंसर से लैस है।

- स्टार्ट अप स्काईरूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम सबऑर्बिटल रॉकेट विकसित किया है।
- रॉकेट का वजन 550 किलोग्राम है। यह 101 किमी की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा।
- लॉन्च के बाद 300 सेकंड की कुल अवधि के बाद इसके समुद्र में गिरने की उम्मीद है।
- मिशन प्रारंभ तीन ग्राहक पेलोड ले जाएगा। पेलोड्स स्पेस किड्ज इंडिया, बाज़ूमक अर्मेनिया और एन-स्पेस टेक इंडिया हैं।
- स्काईरूट अपने रॉकेट लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला स्टार्टअप था।

'फ्लडहब' प्लेटफॉर्म लॉन्च

- गूगल ने बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए 'फ्लडहब' प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो प्रदर्शित करेगा कि कब और कहां बाढ़ आ सकती है।
- यह बाढ़ की भविष्यवाणी करेगा और लोगों को प्राकृतिक आपदा के बारे में सूचित करेगा।
- एआई बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं को लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के 18 देशों में विस्तारित किया गया है।
- भारत में पहली बार 2018 में बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं की शुरुआत की गई थी।
- गूगल ने एक एआई तकनीक का इस्तेमाल किया है जिसे 'ट्रांसफर लर्निंग' कहा जाता है।
- भविष्य में, इस जानकारी को गूगल सर्च और मैप पर लाया जाएगा ताकि अधिक लोगों को बाढ़ की स्थिति में सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने में मदद मिल सके।

- भारत में लगभग 329 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ की चपेट में है। भारत में बाढ़ के कारण हर साल लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है और 1600 लोगों की जान चली जाती है।

डब्ल्यूएचओ ने पहली बार स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक फंगल संक्रमण सूची जारी की

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पहली बार कवक प्राथमिकता वाले रोगजनकों की सूची (एफपीपीएल) जारी की है जिसमें 19 कवक शामिल हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकते हैं।
- कवक रोगजनकों को स्वास्थ्य और/या उभरते एंटिफंगल प्रतिरोध जोखिम पर उनके प्रभाव के आधार पर गंभीर, उच्च और मध्यम प्राथमिकता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- गंभीर प्राथमिकता सूची में कैंडिडा ऑरिस, एक अत्यधिक दवा प्रतिरोधी कवक शामिल है।
- उच्च प्राथमिकता सूची में कैंडिडा परिवार के कवक के साथ-साथ अन्य जैसे म्यूकोरालेस, काले कवक (ब्लैक फंगस) वाले समूह शामिल हैं।

सूची इस प्रकार है:

गंभीर प्राथमिकता (4)
- कैंडिडा ऑरिस
- क्रिप्टोकोकस नियोफ़ॉर्मन्स
- एस्परगिलस फ्यूमिगेटस
- कैनडीडा अल्बिकन्स

उच्च प्राथमिकता (7)
- नाकासिओमाइसेस ग्लबराटा (कविडा ग्लबराटा)
- हिस्टोप्लाज्मा एसपीपी.
- यूमीसेटोमा कॉसेटिव एजेंट
- म्यूकोरालेस
- कैंडिडा ट्रॉपिकलिस
- कैंडिडा पैराप्सिलोसिस
- फुसैरियम एसपीपी.

- कम प्रतिरक्षा वाले लोग या एचआईवी से संक्रमित, कैंसर, पुरानी सांस की बीमारी या टीबी के बाद के संक्रमण से पीड़ित लोगों को अधिक खतरा है।
- डब्ल्यूएचओ एफपीपीएल सूची फंगल संक्रमण और एंटिफंगल प्रतिरोध के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए फंगल रोगजनकों को व्यवस्थित रूप से प्राथमिकता देने का वैश्विक प्रयास है।

कार्रवाई के लिए तीन क्षेत्रों का प्रस्ताव किया गया है:

- लैब की क्षमता और निगरानी को मजबूत करने पर फोकस
- अनुसंधान, विकास और नवाचार में सतत निवेश
- सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप
- 2017 में, डब्ल्यूएचओ ने अपनी पहली जीवाणु प्राथमिकता रोगजनकों की सूची तैयार की।

सरकार ने शाकनाशी 'ग्लाइफोसेट' के उपयोग को प्रतिबंधित किया

- कृषि मंत्रालय ने मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों का हवाला देते हुए ग्लाइफोसेट के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।
- सरकार ने इसका इस्तेमाल करने के लिए केवल अधिकृत कीट नियंत्रण ऑपरेटरों को अधिकृत किया है।
- केरल सरकार की एक रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर 2022 को इसके बारे में एक अधिसूचना जारी की।
- लगभग 35 देशों ने ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है या सीमित कर दिया है।
- शाकनाशी ग्लाइफोसेट के उपयोग से कैंसर, और इम्युनोटॉक्सिसिटी हो सकती है और यह प्रजनन प्रणाली को प्रभावित कर सकता है।
- भारत में, ग्लाइफोसेट का उपयोग आमतौर पर चाय बागानों और गैर-बागान क्षेत्रों में किया जाता है।
- भारत में ग्लाइफोसेट का उपयोग अवैध शाकनाशी-सहिष्णु फसलों के व्यापक उपयोग में योगदान कर सकता है।
- ग्लाइफोसेट का उपयोग भारतीय खेतों को प्रभावित कर सकता है और लोगों, जानवरों और पर्यावरण में विषाक्तता फैला सकता है।

आर्टेमिस 1 मिशन

- नासा ने 16 नवंबर को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस 1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
- मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाने की महत्वाकांक्षी योजना के हिस्से के रूप में, नासा ने अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया।
- 98 मीटर लंबे आर्टेमिस यान ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में उड़ान भरी।
- स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट नासा के चंद्र कार्यक्रम के प्रतिपादन के लिए ओरियन कैप्सूल को अंतरिक्ष में ले गया।
- मिशन के दौरान आर्टेमिस I लगभग 1.3 मिलियन मील की यात्रा करेगा। यह चंद्रमा पर नहीं उतरेगा और 26 दिनों में पृथ्वी पर वापस आ जाएगा।
- नासा 2024 में अगली उड़ान में चार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने और 2025 की शुरुआत में वहां मनुष्यों को उतारने की योजना बना रहा है।
- अपोलो मिशन के बाद अमेरिका की ओर से फिर से चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

आर्टेमिस कार्यक्रम:

- यह चंद्रमा पर पता लगाने के लिए नासा के नेतृत्व वाला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम है। इसे दिसंबर 2017 में शुरू किया गया था।
- इसका लक्ष्य 2024 तक चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार उतरना है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलेरेटर (ईटीए)

- हाल ही में, अमेरिका ने एक नई कार्बन ऑफसेट योजना शुरू करने की घोषणा की, जो कंपनियों को विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति देगी
- ज्ञातव्य है कि अमेरिका ने जलवायु वित्त के लिए एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलेरेटर (ईटीए) नामक एक नई कार्बन ऑफसेट योजना का अनावरण किया है, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से इनपुट प्राप्त करेगी।

एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलेरेटर (ईटीए)

- यह अमेरिका द्वारा बेजोस अर्थ फंड और रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ विकसित किया जाएगा, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से इनपुट प्राप्त करेगा।
- यह एक नई कार्बन ऑफसेट योजना है, जो कंपनियों को विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति देगी, जिसका उपयोग वे कम से कम आंशिक रूप से अपने स्वयं के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार, यह अवधारणा कार्बन बाजार, पूंजी का विस्तार और स्वच्छ बिजली गति प्रदान करना है।

क्यों महत्वपूर्ण

- एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलेरेटर (ईटीए) से गहन और पूर्व के उत्सर्जन में कटौती करने, विकासशील देशों को पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को हासिल करने और मजबूत करने में मदद करने और विस्तारित ऊर्जा पहुंच सहित व्यापक सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- ईटीए के 2030 तक संचालित होने की सम्भावन है और इसे संभवतः 2035 तक विस्तारित किया जाएगा।

मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट

- हाल ही में, भारत ने मैंग्रोव वनों को विश्व का "सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र" घोषित करते हुए, मिस्र के शर्म अल-शेख में पार्टियों के सम्मेलन (COP27) के 27वें शिखर सम्मेलन में जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन (Mangrove Alliance for Climate, MAC) में शामिल हो गया।
- ज्ञातव्य है कि इस गठबंधन को यूएई, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका का समर्थन प्राप्त है।

मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट और भारत

- भारत ने कार्बन पृथक्करण के लिए वनों की कटाई और वन क्षरण (REDD+) कार्यक्रमों से उत्सर्जन को कम करने के साथ मैंग्रोव संरक्षण के एकीकरण का आह्वान करते हुए, भारत मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC) में शामिल हो गया।
- विदित है कि भारत ने लगभग पांच दशकों से मैंग्रोव बहाली में विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है और वह अपने अनुभव के कारण वैश्विक ज्ञान आधार में योगदान कर सकता है।

जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन

- संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने विश्व भर में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन सीओपी27 से इतर एमएसी की शुरुआत की है।
- एक अंतर-सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और बहाली की दिशा में प्रगति का विस्तार और तेजी लाने का प्रयास करता है।
- भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए हैं।
- गठबंधन प्रकृति आधारित जलवायु परिवर्तन समाधान के रूप में मैंग्रोव की भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाएगा।
- यह वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वनों के पुनर्वास को सुनिश्चित करेगा।

जलवायु परिवर्तन और मैंग्रोव

- जलवायु परिवर्तन के परिणामों से लड़ने के लिए मैंग्रोव सबसे अच्छा विकल्प हैं और यह देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।
- एनडीसी वैश्विक तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे, मुख्यत: 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की राष्ट्रीय योजनाएं हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के व्यवहार्य तरीके

- मैंग्रोव वनीकरण से एक नया कार्बन सिंक बनाना और मैंग्रोव वनों की कटाई के कारण होने वाले उत्सर्जन को कम करना देशों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को पूरा करने और कार्बन तटस्थता हासिल करने के दो व्यवहार्य तरीके हैं।
- "वनों की कटाई और वन क्षरण के चलते होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मैंग्रोव का एकीकरण समय की आवश्यकता है।
- भारत मैंग्रोव बहाली, पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यांकन और कार्बन पृथक्करण पर अपने व्यापक अनुभव के कारण वैश्विक ज्ञान आधार में योगदान कर सकता है।

सीओपी27 और भारत

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन सीओपी27 6 से 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया जा रहा है।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन सीओपी 27 में बल दिया कि विकासशील देशों को अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर के स्तर से जलवायु वित्त में पर्याप्त वृद्धि और अमीर देशों को संसाधनों को एकत्र करने के लिए नेतृत्व करने की आवश्यकता है।
- सीओपी 27 में एनसीक्यूजी पर उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय संवाद में भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विकसित देशों से वित्तीय, तकनीकी और क्षमता-निर्माण सहयोग की आवश्यकता है।
- विकासशील देशों द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर के न्यूनतम स्तर से जलवायु वित्त में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है। संसाधन जुटाने के लिए विकसित देशों के नेतृत्व की आवश्यकता है और अनुकूलन तथा विभिन्न परियोजनाओं के बीच समान आवंटन के साथ दीर्घकालिक, रियायती और जलवायु-विशिष्ट कदम उठाए जाने चाहिए।"

जलवायु वित्त

- वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में सीओपी 15 में, विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में विकासशील देशों की मदद करने के लिए संयुक्त रूप से 2020 तक प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता जताई थी। यद्यपि, अमीर देश इस वित्तीय सहायता को उपलब्ध कराने में बार-बार विफल रहे हैं।
- भारत सहित विकासशील देश, अमीर देशों को एक नए वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य को लेकर सहमत होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जिसे जलवायु वित्त पर नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) के रूप में भी जाना जाता है।
- विकासशील देशों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कदम के लिए लागत में बढ़ोतरी के दृष्टिगत राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।

जलवायु वित्त और भारत

- विकसित देशों द्वारा 2009 में जताई गई 100 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता न केवल जरूरतों के पैमाने पर दी गई थी, बल्कि अभी तक हासिल नहीं की गई है।
- अमीर देशों के एक अंतर सरकारी निकाय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के आंकड़ों के अनुसार विकसित देशों ने 2013 में 52.5 अरब डॉलर जुटाए।
- 'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट' द्वारा प्रकाशित 'फैक्टशीट' के अनुसार कोष वर्ष 2015 में 44.6 अरब डॉलर तक घटने के बाद, वित्त प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2020 में, विकसित देशों ने 83.3 अरब डॉलर जुटाए, जो 2019 में 80.4 अरब डॉलर से अधिक है।
- वित्त पर स्थायी समिति ने अनुमान लगाया है कि एनडीसी और आवश्यकताओं के निर्धारण रिपोर्ट सहित निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक छह ट्रिलियन से 11 ट्रिलियन डॉलर तक संसाधनों की आवश्यकता है।
- एनडीसी वैश्विक तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे, मुख्य रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की राष्ट्रीय योजना है।
- मिस्र के शर्म अल-शेख में छह से 18 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस वर्ष के सम्मेलन में विकसित देशों से विकासशील देशों को अपनी जलवायु योजनाओं को और तेज करने के लिए प्रेरित करने की संभावना है।

मैंग्रोव

- मैंग्रोव एक विशेष प्रकार की वनस्पति हैं और ऐसे अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां मीठे पानी और खारे पानी आपस में मिलते हैं, खाड़ी, मुहाना, लैगून आदि।
- ये कठोर परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं और आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- मैंग्रोव वन अत्यधिक जटिल मौसम में जीवित रह सकते हैं और इन्हें जीवित रहने के लिए निम्न ऑक्सीजन स्तर की आवश्यकता होती है।
- मैंग्रोव ठंड के तापमान में जीवित नहीं रह सकते हैं, फलतः यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में पाए जाते हैं।
- मैंग्रोव वन स्थलीय वनों की तुलना में प्रति हेक्टेयर दस गुना अधिक कार्बन सोख सकते हैं। इसके अलावा, वे भूमि आधारित उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में कार्बन को 400 प्रतिशत तक तेजी से संग्रहित कर सकते हैं।
- ग्लोबल मैंग्रोव एलायंस (जीएमए) के अनुसार , जब मैंग्रोव को काटा जाता है, तो इन पौधों में जमा कार्बन हवा में निष्काषित हो जाती है। इसलिए, कार्बन उत्सर्जन के स्तर को कम रखने के लिए इनका संरक्षण करना आवश्यक है।
- इसके अतिरिक्त, मैंग्रोव वन बढ़ते ज्वार और तूफान के खिलाफ प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं।
- प्रत्येक वर्ष, मैंग्रोव $65 बिलियन से अधिक की संपत्ति के नुकसान को रोकते हैं।
- मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को ने 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया ।

भारत में मैंग्रोव

- भारत दक्षिण एशिया में कुल मैंग्रोव आच्छादन के लगभग आधे हिस्से का योगदान देते हैं।

- जनवरी में जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार, देश में मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किमी है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15 प्रतिशत है। 2019 के बाद से, यह केवल 17 वर्ग किमी बढ़ा है।
- पश्चिम बंगाल में भारत में मैंग्रोव आच्छादन का सबसे अधिक प्रतिशत है।
- सुंदरवन, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इसके बाद गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं।
- अन्य राज्य जिनमें मैंग्रोव आच्छादन हैं, वे हैं महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और केरल।

भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मैंग्रोव हैं:

- सुंदरबन
- महानदी मैंग्रोव
- कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव
- गुजरात के मैंग्रोव
- रत्नागिरी मैंग्रोव
- गोवा मैंग्रोव
- कावेरी डेल्टाई मैंग्रोव
- कृष्ण-गोदावरी मैंग्रोव
- अंडमान और निकोबार मैंग्रोव्स

सॉवरेन ग्रीन बांड फ्रेमवर्क

- वित्त मंत्रालय ने वैश्विक मानकों के अनुरूप सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है और शीघ्र ही इसे स्वीकृति दी जा सकती है।
- ज्ञात्वय है कि सरकार की योजना इस वित्त वर्ष की दूसरी छिमाही में 16,000 करोड़ रुपये के ग्रीन बॉन्ड जारी करने की है, जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

पृष्ठभूमि

- केंद्रीय बजट 2022-23 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि 'हरित परियोजनाओं' के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे ।
- इससे पहले, नवंबर 2021 में COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 'पंचामृत ' के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं की घोषणा की थी ।
- पंचामृत, पांच प्रतिबद्धताओं का एक समूह है, जो प्रधानमंत्री ने ग्लासगो, यूके में आयोजित पार्टियों के सम्मेलन (COP26) में किया था।

पंचामृत के अंतर्गत पांच प्रतिबद्धताएं

- देश की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट करना।
- 2030 तक, देश की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पूरा करना।
- 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 45% तक कम करना।
- वर्ष 2030 के बीच कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी
- भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाना और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करना।

ग्रीन बॉन्ड क्या हैं?

- ग्रीन बॉन्ड कंपनियों, देशों और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को निधि देने के लिए जारी किए जाते हैं और निवेशकों को निश्चित आय भुगतान प्रदान करते हैं ।
- परियोजनाओं में अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और हरित भवन, अन्य शामिल हो सकते हैं।

ग्रीन बॉन्ड और विश्व सन्दर्भ

- विश्व बैंक ग्रीन बॉन्ड का एक प्रमुख जारीकर्ता है और 2008 और 2020 के बीच 14.4 बिलियन डॉलर के ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं ।
- इन निधियों का उपयोग दुनिया भर में 111 परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए किया गया है, इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा और दक्षता (33%), स्वच्छ परिवहन (27%), और कृषि और भूमि उपयोग (15%) शामिल हैं।
- लंदन स्थित क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव के अनुसार, 2020 के अंत तक, 24 राष्ट्रीय सरकारों ने कुल 111 बिलियन डॉलर के सॉवरेन ग्रीन, सोशल और सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड जारी किए थे।

भारत का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क

- पहली बार केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित, इन हरित बांड की आय को हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए जारी किया जाएगा।

उद्देश्य

- मार्च 2023 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में ग्रीन बांड जारी करके 16,000 करोड़ रुपये जुटाना।
- ढांचे के तहत, वित्त मंत्रालय हर साल आरबीआई को हरित परियोजनाओं पर खर्च करने के बारे में सूचित करेगा, जिसके लिए इन बांडों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग किया जाएगा ।

पात्र परियोजनाएं

- सभी योग्य हरित व्यय में सरकार द्वारा निवेश, सब्सिडी, सहायता अनुदान या कर छूट (या इनमें से सभी या कुछ का संयोजन) या चुनिंदा परिचालन व्यय के रूप में सार्वजनिक व्यय शामिल होगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में अनुसंधान एवं विकास व्यय, जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करते हैं और देश को अपने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं, उन्हें भी ढांचे में शामिल किया गया है।

क्षेत्र शामिल नहीं हैं

- परमाणु ऊर्जा उत्पादन, लैंडफिल परियोजनाएं, शराब/हथियार/तंबाकू/गेमिंग/ताड़ के तेल उद्योग और 25 मेगावाट से बड़े जल विद्युत संयंत्रों को ढांचे से बाहर रखा गया है।

निहितार्थ

- यह ढांचा हरित बांड जारीकर्ता के रूप में भारत सरकार के दायित्वों को निर्धारित करता है।
- ग्रीन बॉन्ड जारी करने से प्राप्त आय को नियमित ट्रेजरी नीति के अनुसार भारत के समेकित कोष (सीएफआई) में जमा किया जाएगा, और फिर सीएफआई से धन पात्र हरित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

क्रियान्वयन एजेंसी

- वित्त मंत्रालय ने एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी (GFWC) का गठन किया है, जिसमें संबंधित मंत्रालयों के सदस्य और मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में अन्य सदस्य शामिल हैं।
- परियोजनाओं के चयन और मूल्यांकन और ढांचे से संबंधित अन्य कार्यों के साथ वित्त मंत्रालय का समर्थन करने के लिए जीएफडब्ल्यूसी की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी।
- विशेषज्ञों के परामर्श से परियोजना के प्रारंभिक मूल्यांकन की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालय/विभाग की होगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएशन एक्सेलेरेटर फंड (IRAF)

- हाल ही में, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन (CDRI) ने इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएशन एक्सेलेरेटर फंड (IRAF) की स्थापना की घोषणा की।

इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएशन एक्सेलेरेटर फंड

- यह एक बहु-दाता ट्रस्ट फंड है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनडीआरआर) के सहयोग से स्थापित किया गया है ।
- इसका प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र मल्टी-पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस (यूएन एमपीटीएफओ) द्वारा किया जाएगा, जो विशेष रूप से विकासशील देशों और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) में बुनियादी ढांचा प्रणालियों की आपदा लचीलापन पर वैश्विक कार्रवाई का समर्थन करता है।
- आईआरएएफ के लिए पांच साल की शुरुआती अवधि में लगभग 50 मिलियन डॉलर की वित्तीय प्रतिबद्धताओं की घोषणा की जा चुकी है।
- आईआरएएफ गठबंधन को बेहतर बुनियादी ढांचा प्रशासन, समावेशी बुनियादी ढांचा सेवाएं, विविध ज्ञान और वैश्विक स्तर पर लचीला बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- आईआरएएफ द्वारा समर्थित पहली पहलों में से एक है इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स (IRIS) है।
- भारत, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ की सरकारों द्वारा समर्थित, IRAF का बहु-आयामी कार्यक्रम फोकस सभी चरणों में देशों के लिए बुनियादी ढांचे के जीवन चक्र में अनुकूलित तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, अनुसंधान, ज्ञान प्रबंधन और वकालत की पेशकश करेगा।

आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई)

- सीडीआरआई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया था।
- यह राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्तपोषण तंत्र, निजी क्षेत्र और ज्ञान संस्थानों की साझेदारी है।
- इसका उद्देश्य सतत विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है।
- सीडीआरआई सतत विकास लक्ष्यों की बुनियादी सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच का विस्तार करने, समृद्धि और आवश्यक कार्य को सक्षम करने की अनिवार्यता का जवाब देने के लिए लचीला बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास को बढ़ावा देता है।

वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन (GOWA)

- हाल ही में, अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सहित नौ देश संयुक्त राष्ट्र सीओपी27 जलवायु शिखर सम्मेलन में एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल हुए।

वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन (GOWA)

- वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन (GOWA), ऊर्जा क्षेत्र में बाधाओं को दूर करने के लिए स्थापित किया गया।
- यह अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA), डेनमार्क और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा स्थापित किया गया था।

- गठबंधन को कई संगठनों का समर्थन प्राप्त है, जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में अपतटीय पवन उद्योग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य बढ़ते अपतटीय पवन उद्योग को दुनिया भर में सभी अपतटीय पवन उद्योग की घटनाओं से जुड़े एक ही स्थान पर अवलोकन प्रदान करना है।
- IRENA और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) दोनों को अनुमान है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने और शुद्ध शून्य प्राप्त करने के लिए, अपतटीय पवन क्षमता को 2050 में 2000 GW से अधिक करने की आवश्यकता होगी, यह वर्तमान में केवल 60 GW के आस-पास है।
- इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जीओडब्ल्यूए 2030 के अंत तक कुल 380 GW स्थापित क्षमता तक पहुंचने के लिए विकास में तेजी लाने में योगदान करने का लक्ष्य निर्धारित करेगा।

पवन ऊर्जा और भारत

- यह गैर-पारंपरिक ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- इसकी प्रारम्भिक लागत अधिक होती है, किन्तु एक बार उत्पादन शुरू होने के बाद, इससे लगभग 20 वर्षों के लिए लागत-मुक्त बिजली उपलब्ध होती है, क्योंकि पवन ऊर्जा अवसंरचना पर कम आवर्ती लागत होती है।
- गुजरात राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता है, इसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हैं।
- भारत में वर्तमान में 39.25 GW की कुल स्थापित क्षमता के साथ दुनिया में चौथी सबसे अधिक पवन स्थापित क्षमता है।
- तमिलनाडु राज्य लगभग 9,000 मेगावाट प्रति वर्ष की वार्षिक पवन ऊर्जा उत्पादन के साथ सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान का स्थान है।

भारत की अपतटीय क्षमता

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 तक 5.0 गीगावाट अपतटीय पवन प्रतिष्ठानों और 2030 तक 30 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है।

पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास

- सरकार पवन विद्युत जनरेटर के कुछ घटकों पर त्वरित मूल्यह्रास लाभ और रियायती सीमा शुल्क छूट जैसे विभिन्न वित्तीय और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से पूरे देश में पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है।
- इसके अलावा, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) योजना 31 मार्च 2017 से पहले शुरू की गई पवन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।

लीथ सोफ्टशेल कछुआ

- कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज टू CITES ने CITES के परिशिष्ट II से परिशिष्ट I में लीथ सॉफ्टशेल कछुए को स्थानांतरित करने के लिए भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया
- पनामा में साइटस (CITES) की 19वीं बैठक में कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज द्वारा भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया है।

- यह सुनिश्चित करेगा कि नियंत्रित माहौल में उत्पन्न प्रजातियों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार केवल पंजीकृत केन्द्रों से हो।
- यह ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रजातियों के अवैध व्यापार पर भारी दंड लगाया जा सके।

लीथ सोफ्टशेल कछुआ:

- यह एक बड़ा ताजे पानी का सोफ्टशेल कछुआ है।
- यह प्रायद्वीपीय भारत के लिए स्थानिक है। यह नदियों और जलाशयों में रहता है।
- भारत में इसका अवैध रूप से सेवन और अवैध शिकार किया जाता है। इसका मांस के लिए विदेशों में भी अवैध रूप से कारोबार किया जाता है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले 30 वर्षों में इसकी आबादी में 90% की गिरावट आई है।
- प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा इसे 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ब्लैक-नेप्ड तीतर-कबूतर

- शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों में पहली बार पापुआ न्यू गिनी में ब्लैक-नेप्ड तीतर-कबूतर देखा है
- ब्लैक नेप्ड तीतर-कबूतर को आखिरी बार करीब 140 साल पहले देखा गया था। इसे 1882 के बाद से नहीं देखा गया था।
- सितंबर में एक टीम ने पापुआ न्यू गिनी के एक छोटे से द्वीप के जंगल में पक्षी का फुटेज लिया।
- टीम के सदस्यों को पहले पक्षी का कोई पता नहीं चल पाया था। उन्होंने 2019 में फर्ग्यूसन द्वीप - इसका एकमात्र निवास स्थान - खोजा।
- 2022 में, टीम द्वीप की सबसे ऊँची चोटी, माउंट किलकेरन के पश्चिमी किनारे के गाँवों में पहुँची ।

- वे उन शिकारियों से मिले जिन्होंने तीतर-कबूतर को सुना और देखा था।
- तीतर कबूतर (ओटिडिफैप्स नोबिलिस) बड़े स्थलीय कबूतर की एक प्रजाति है।

ब्लैक नेप्ड तीतर-कबूतर:

- यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी है। यह एक बड़ा, जमीन पर रहने वाला कबूतर है।
- इसकी एक चौड़ी और पार्श्व रूप से संकुचित पूंछ होती है। यह फर्ग्यूसन द्वीप के लिए एंडेमिक है। यह गिरे हुए फलों और बीजों को खाता है।

वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (CITES CoP19)

- 16 नवंबर को, भारत ने वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (CITES CoP19) में पार्टियों के चल रहे सम्मेलन में बोसवेलिया सेराटा ओलियो-रेसिन के उपयोग से जुड़े आजीविका के मुद्दे को उठाया।
- भारत ने प्लांट कमेटी को अपने सबमिशन में इस बात पर जोर दिया कि बोसवेलिया के लिए जीनस-लेवल लिस्टिंग पर कोई भी विचार समय से पहले है और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- भारतीय प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत में पेड़ प्रचुर मात्रा में है और अच्छी तरह से रखरखाव किया जाता है और पेड़ की भारतीय प्रजातियों को किसी भी CITES अपेंडिक्स में सूचीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।
- उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी समुदायों के लोग आजीविका के लिए बोसवेलिया पर निर्भर हैं।

बोसवेलिया सेराटा ओलियो-रेजिन:

- बोसवेलिया सेराटा ओलियो- रेजिन के पेड़ों को आमतौर पर भारतीय लोबान के पेड़ों के रूप में जाना जाता है।
- ये भारत, नाइजीरिया, यमन, सोमालिया, सऊदी अरब, ओमान और पाकिस्तान के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं और बर्सेरेसिया परिवार के सदस्य हैं।
- पेड़ व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अत्यधिक कीमती ओलियो गम रेजिन का उपयोग आवश्यक तेल बनाने के लिए किया जाता है।
- बोसवेलिया सेराटा के आवश्यक तेल का उपयोग भोजन, स्वाद और इत्र उद्योगों में किया जाता है।

सीआईटीईएस (CITES) लिस्टिंग का महत्व:

- यह जैव विविधता के नुकसान को रोकने में मदद करता है, वन्य जीवन का संरक्षण करता है, वन्य जीवन में व्यापार को नियंत्रित करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि प्रजातियां जंगल में जीवित रहें।
- यह यह भी सुनिश्चित करता है कि स्थानीय समुदाय और स्वदेशी लोग जो इन प्रजातियों पर निर्भर हैं, समृद्ध हो, उनकी आजीविका हो सके और अर्थव्यवस्था में योगदान कर सके।

रेड-क्राउन रूफ्ड टर्टल

- हाल ही में, भारत ने वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के परिशिष्ट I में रेड-क्राउन रूफ्ड टर्टल को जोड़ने के लिए के लिए एक प्रस्ताव रखा है ।
- CITES के पक्षकारों के 19वें सम्मेलन में, भारत ने परिशिष्ट II से परिशिष्ट I में कछुए की प्रजाति को जोड़ने के लिए कहा।
- CITES का COP19 पनामा में 14-25 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है।
- सम्मेलन में लगभग 600 प्रजातियों के लिए कड़े व्यापार नियमों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विलुप्त होने के खतरे में हैं।

CITES द्वारा कवर की गई प्रजातियां:

CITES परिशिष्ट	सुरक्षा की डिग्री
परिशिष्ट I	प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा
परिशिष्ट II	प्रजातियां अनिवार्य रूप से विलुप्त होने के खतरे में नहीं हैं लेकिन जहां व्यापार को नियंत्रित किया जाना चाहिए
परिशिष्ट III	प्रजातियाँ जो कम से कम एक राष्ट्र में संरक्षित हैं, जिसने व्यापार नियंत्रण में अन्य पक्षों से सहायता मांगी है।

रेड-क्राउन रूफ्ड टर्टल (बटागुर कचुगा):

- यह भारत (गंगा बेसिन) और बांग्लादेश का मूल निवासी है।
- मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य एकमात्र स्थान है जहाँ ये प्रजातियाँ पर्याप्त आबादी में पाई जाती हैं।
- प्रदूषण, बड़े पैमाने पर विकास गतिविधियों और अवैध पालतू व्यापार के कारण निवास स्थान का नुकसान इस कछुए की प्रजाति के लिए खतरा पैदा कर रहा है। राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य और आवास भी खतरे में हैं।
- इससे पहले यह कछुआ मध्य नेपाल, पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश और बर्मा में पाया जाता था।
- यह 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची I के तहत संरक्षित है और इसकी IUCN स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है।
- वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) सरकारों के बीच खतरे में पड़ी प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने के लिए

एक वैश्विक समझौता है। यह 1975 में लागू हुआ। वर्तमान में, 184 देश इसके सदस्य हैं।

जी7 'ग्लोबल शील्ड' पहल

- पाकिस्तान और बांग्लादेश जी7 'ग्लोबल शील्ड' पहल से धन प्राप्त करने वालों में से पहले होंगे
- जी7 'ग्लोबल शील्ड' पहल का उद्देश्य जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराना है।
- ग्लोबल शील्ड का समन्वय जी7 अध्यक्ष जर्मनी द्वारा किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य बाढ़ या सूखे के बाद जलवायु-संवेदनशील देशों को बीमा और आपदा सुरक्षा निधि के लिए तेजी से पहुंच प्रदान करना है।
- इसे 58 जलवायु संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं के 'वी20' समूह के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।
- बांग्लादेश, कोस्टा रिका, फिजी, घाना, पाकिस्तान, फिलीपींस और सेनेगल ग्लोबल शील्ड पैकेज के शुरुआती प्राप्तकर्ताओं में से कुछ के रूप में सूचीबद्ध हैं।
- कॉप27 जलवायु शिखर सम्मेलन में शुरू की गई 'ग्लोबल शील्ड' योजना का उद्देश्य आपदाओं के बाद गरीब देशों को तेजी से पैसा पहुंचाना है।
- यह जर्मनी से वित्त पोषण में 170 मिलियन यूरो (175.17 मिलियन डॉलर) और डेनमार्क और आयरलैंड सहित अन्य दाताओं से 40 मिलियन यूरो द्वारा समर्थित है।

नेट-जीरो ग्रीनवाशिंग

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने COP27 की बैठक में कहा कि नेट-जीरो ग्रीनवाशिंग के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए।
- उन्होंने यह बात "इंटीग्रिटी मैटर्स: नेट जीरो कमिटमेंट्स बाय बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सिटीज एंड रीजन" शीर्षक से एक रिपोर्ट के लॉन्च के दौरान कही।

ग्रीनवाशिंग क्या है?

- पर्यावरणविद् जे वेस्टरवेल्ड ने 1986 में इस शब्द को गढ़ा था।
- यह आम जनता को इस विश्वास में गुमराह करने के लिए संदर्भित करता है कि कंपनियां, राज्य और नागरिक प्रशासक पर्यावरण के लिए और अधिक कर रहे हैं जो वे वास्तव में नहीं कर रहे हैं।
- इसमें किसी उत्पाद या नीति को अधिक पर्यावरण के अनुकूल या कम हानिकारक के रूप में दिखाना शामिल है जो वास्तव में नहीं होते।
- यह तब उभरा है जब उपभोक्ता और नियामक पर्यावरण के बारे में अधिक जागरूक हो गए हैं और रिसाइकिल करने योग्य, टिकाऊ हरित उत्पादों का विकल्प चुन रहे हैं।
- ग्रीनवाशिंग मुख्य रूप से एक कंपनी के लिए या तो खुद को पर्यावरण के अनुकूल कंपनी के रूप में दिखाने के लिए या लाभ को अधिकतम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- वित्तीय सेवा प्रदाता अब नियामकों, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों से कंपनी की पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) साख की जांच में वृद्धि की उम्मीद करते हैं। मई 2022 में, SEBI ने ESG से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया।
- रिपोर्ट के अनुसार, कोयला, गैस और तेल 75% GHG उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए, यदि गैर-वित्तीय क्षेत्र जीवाश्म ईंधन में निवेश करना जारी रखते हैं, तो उनके द्वारा शुद्ध शून्य प्रतिज्ञा का दावा नहीं किया जा सकता है।
- रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि कंपनियों को संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम करना चाहिए और उन्हें जीवाश्म ईंधन के दोहन में निवेश करना बंद कर देना चाहिए, वनों की कटाई या किसी अन्य गैर-पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों में संलग्न नहीं होना चाहिए।
- समिति स्वैच्छिक प्रकटीकरण से नियामक मानदंडों में परिवर्तन की सिफारिश करती है।

पश्चिमी घाट में मधुमक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की गई

- नई प्रजाति का नाम 'एपिस करिंजोडियन' रखा गया है और आम नाम 'भारतीय ब्लैक मधुमक्खी' है।

- इस नई प्रजाति की खोज एंटोमन जर्नल में प्रकाशित हुई है।
- 200 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद, पश्चिमी घाट में मधुमक्खी की एक नई प्रजाति पाई गई है।
- 'एपिस करिंजोडियन' एपिस सेराना मॉर्फोटाइप्स से विकसित हुआ है। एपिस इंडिका नाम की मधुमक्खी को 1798 में फेब्रियस द्वारा पश्चिमी घाट क्षेत्र में देखा गया था।
- 'एपिस करिनजोडियन' आमतौर पर मध्य पश्चिमी घाट और नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं।
- एपिस करिनजोडियन को आईयूसीएन रेड लिस्ट में संकट-निकट (Near Threatened या NT) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- अब इस खोज के बाद दुनिया में मधुमक्खियों की कुल प्रजातियों की संख्या 11 हो गई है।

पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से डैमसेलफ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई

- यह कन्नूर जिले के कनिचार ग्राम पंचायत में खोजी गई थी। यह क्षेत्र कुर्ग भू-दृश्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों का एक हिस्सा है।
- फ्रांसी'ज रीडटेल (वैज्ञानिक नाम: प्रोटोस्टिक्टा फ्रांसी एसपी एनओवी) नई प्रजाति है।
- कन्नूर के एक डेंटल सर्जन और ओडोनेट उत्साही विभु विपंचिका ने पहली बार नई डैमसेल को देखा। ओडोनाटा में ड्रैगनफ्लाई और डैमफ्लाई शामिल हैं।
- नई प्रजाति का नाम फ्रांसी के. कक्कासरी के नाम पर रखा गया है, जो जूलॉजी के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और ओडोनेट अध्ययन में अग्रणी हैं।

- यह त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी के ओडोनाटा रिसर्च ग्रुप (टीओआरजी) द्वारा वर्णित तीसरी प्रोटोस्टिक्टा प्रजाति है।
- नई प्रजातियों को अन्य प्रजातियों से पुरुषों में लंबी प्रोथोरेसिक रीढ़ की उपस्थिति और नर सेर्सी और जननांग लिगुला की नोक की संरचना से अलग किया जा सकता है।

जीनस प्रोटोस्टिक्टा:

- इसमें डैमसेलफ्लाई शामिल हैं जिन्हें आमतौर पर रीड टेल्स या शैडो डैमसेल्स के रूप में जाना जाता है।
- वे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण-पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जंगलों में स्ट्रीम धाराओं में निवास करते हैं।
- भारत में, वे पश्चिमी घाट और म्यांमार की ओर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं।

नोवाक जोकोविच ने छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीतकर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की

- टेनिस में, नोवाक जोकोविच ने तुरिन, इटली में एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया।
- जोकोविच ने रूड को सीधे सेटों में 7-5, 6-3 से हराकर रोजर फेडरर के छह एटीपी फाइनल खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी की।
- 2015 के बाद से यह जोकोविच का पहला एटीपी खिताब है।
- 35 साल की उम्र में जोकोविच खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं।

मनिका बत्रा आईटीटीएफ-एटीटीयू एशियाई कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं

- 19 नवंबर को, भारत की मनिका बत्रा ने थाईलैंड के बैंकॉक में हुआमार्क इंडोर स्टेडियम में आईटीटीएफ-एटीटीयू एशियन कप टूर्नामेंट में महिला एकल कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया।
- उन्होंने विश्व नंबर छह और तीन बार की एशियाई चैंपियन हिना हयाता को मैच में 4-2 से हराकर कांस्य पदक जीता।
- स्वर्ण पदक चीन की वांग यिदी ने जीता। उन्होंने फाइनल में जापान की मीमा इतो को 4-2 से हराया।
- सेमीफाइनल में मीमा इतो ने मनिका बत्रा को और यिदी ने हिना हयाता को हराया।
- इससे पहले चेतन बाबर ने एशियाई कप में भारत के लिए 1997 में रजत पदक और 2000 में कांस्य पदक जीता था।

अंडर-19 पुरुष टी-20 2024

- श्रीलंका 2024 अंडर-19 पुरुष टी-20 विश्व कप की मेजबानी करेगा
- 2026 संस्करण जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा।
- 2025 अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप मलेशिया और थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा।
- बांग्लादेश और नेपाल संयुक्त रूप से 2027 अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप की मेजबानी करेंगे।
- 2023 आईसीसी अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप आईसीसी महिला अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण होगा।
- 2023 आईसीसी अंडर -19 महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी 2023 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा की जानी है।

इंग्लैंड ने 2022 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता

- मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता ।

- यह उनका दूसरा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप खिताब है। इससे पहले, इंग्लैंड ने 2010 आईसीसी विश्व टी20 जीता था।
- सैम कुर्रन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।
- पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचने वाली पाकिस्तान पहली टीम थी।
- दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को दस विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।

2022 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप:

- यह आठवां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप टूर्नामेंट था।
- यह ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक खेला गया था।

2022 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप

इंग्लैंड टीम के कप्तान	जोस बटलर
पाकिस्तान टीम के कप्तान	बाबर आजम
प्लेयर ऑफ द सीरीज	सैम कुर्रन (इंग्लैंड)
सबसे ज्यादा रन	विराट कोहली (296 रन)
सर्वाधिक विकेट	वानिन्दु हसरंगा (15) (श्रीलंका)

महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत

- भारत 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।
- 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक नई समीक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।
- भारत ने कभी भी पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी नहीं की है। इसने 2006 और 2018 में नई दिल्ली में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की।
- भारत ने 2017 में महिला युवा विश्व चैंपियनशिप की भी मेजबानी की है।
- इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन (आईबीए) और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- लगभग 75-100 देशों के लगभग 1,500 मुक्केबाजों और कोचों के भाग लेने की उम्मीद है।
- विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप के स्वर्ण पदक विजेताओं को लगभग 81 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
- इससे पहले, बीएफआई ने 2021 पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप के लिए मेजबानी के अधिकार खो दिए थे, जिसकी मेजबानी सर्बिया ने की थी।

बॉक्सिंग से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द नीचे दिए गए हैं:

बेयर नक्कल	ब्लॉकिंग	चेक हुक	क्लब फाइटर	लीवर शॉट
बॉब और वेव	बोलो पंच	लॉन्ग कंट	ओवरहैंड पंच	कार्डेड बॉक्सर

तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) का नया अध्यक्ष चुना गया

- एशियाई हॉकी महासंघ (एएचएफ) के सीईओ मोहम्मद तैयब इकराम ने एफआईएच के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में भारत के नरेंद्र बत्रा का स्थान लिया है।
- तैयब इकराम ने वर्चुअल रूप से आयोजित 48वीं एफआईएच कांग्रेस में बेल्जियम के मार्क कॉर्ड्रॉन को हराया।
- इकराम का कार्यकाल दो साल का होगा। नरेंद्र बत्रा ने जुलाई में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
- बत्रा के इस्तीफे के बाद सेफ अहमद एफआईएच के कार्यकारी अध्यक्ष थे।
- कांग्रेस ने एफआईएच के पूर्ण सदस्य के रूप में इंडोनेशियाई हॉकी महासंघ के आवेदन को भी मंजूरी दे दी।
- जापान के हिरोया अंजई, पोलैंड के पिओट्र विल्कोन्स्की और दक्षिण अफ्रीका के डीओन मॉर्गन को पहली बार एफआईएच कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया।
- त्रिनिदाद और टोबैगो के मॉरीन क्रेग-रूसो और घाना के एलिजाबेथ सफोआ किंग को एफआईएच कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया।
- एफआईएच फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी का अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 जीता

- यह तीसरी बार है जब भारत ने सुल्तान ऑफ जोहोर कप जीता है।
- सुदीप चिरमाको ने 14वें मिनट में फील्ड गोल कर भारत को बढ़त दिला दी।
- हालांकि ऑस्ट्रेलिया की वापसी तब हुई जब दूसरे क्वार्टर में जैक हॉलैंड ने भारत के साथ बराबरी कर ली।
- शूटआउट में दोनों टीमों ने 3-3 के स्कोर के साथ अंत किया। शूटआउट में उत्तम सिंह ने दो गोल किए।
- भारतीयों ने दो बार - 2013 और 2014 में आयु वर्ग टूर्नामेंट जीता है।
- यह टूर्नामेंट 2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित नहीं किया गया था।
- सुल्तान ऑफ जोहोर कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक, अंतरराष्ट्रीय अंडर -21 पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है।

स्पेन ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता

- स्पेन ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप जीता।
- यह स्पेन का दूसरा खिताब है। स्पेन ने इससे पहले 2018 में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप खिताब जीता था।
- फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का फाइनल मैच डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम (नवी मुंबई, महाराष्ट्र) में खेला गया।
- विक्की लोपेज को 'गोल्डन बॉल' पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है।
- लोरेन बेंडर को 'गोल्डन बूट' पुरस्कार मिला और सोफिया फुएंते को 'गोल्डन ग्लव' पुरस्कार मिला।
- फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भारत ने 11 से 30 अक्टूबर तक की।

फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप:

- यह 17 साल से कम उम्र की युवा महिला खिलाड़ियों के लिए एक प्रतियोगिता है।
- इसका आयोजन फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) द्वारा किया जाता है।
- 2008 से, प्रतियोगिता आम तौर पर हर दो साल पर आयोजित की जाती है।

2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा

- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश द्वारा की जाएगी, जिसमें लखनऊ मुख्य मेजबान शहर होगा।
- इस प्रतियोगिता में करीब 6000 एथलीट हिस्सा लेंगे।
- यदि प्रतिभागियों की संख्या बढ़ेगी, तो वाराणसी और गौतम बौद्ध नगर को अतिरिक्त मेजबान शहरों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में ओडिशा में आयोजित किया गया था।
- दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में कर्नाटक द्वारा आयोजित किया गया था।
- पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश करेगा।
- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एक बहु-खेल आयोजन है। यह भारतीय खेल प्राधिकरण और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ और राष्ट्रीय खेल संघ के साथ आयोजित किया जाता है।
- यह विश्वविद्यालय स्तर पर सबसे बड़ा खेल आयोजन है। यह 25 से कम आयु वर्ग के लिए आयोजित किया जाता है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम (पेसा) लागू किया गया

- पेसा अधिनियम का उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ आदिवासी आबादी को शोषण से बचाना है।
- यह अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देता है।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहडोल जिले में 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक समारोह में इसकी औपचारिक घोषणा की।
- जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती है।

पेसा (PESA) 1996:

- संसद ने इसे संविधान के भाग IX को दस राज्यों के पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया।
- ये दस राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना हैं।
- छह राज्य अर्थात्; आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना ने फरवरी, 2022 तक अपने राज्य पेसा नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

झारखंड सरकार ने छात्रों और युवाओं के लिए चार योजनाओं को मंजूरी दी

- झारखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना (एमएमएसपीवाई), एकलव्य प्रशिक्षण योजना (ईपीवाई) और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (जीएससीसीवाई) और मुख्यमंत्री सारथी योजना (एमएमएसवाई) को मंजूरी दी।
- इन योजनाओं का शुभारंभ 15 नवंबर को झारखंड के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आधिकारिक तौर पर किया जाएगा।
- राज्य कैबिनेट ने 34 अन्य एजेंडा को भी मंजूरी दी है और स्वर्णरेखा नदी पर 3.5 किलोमीटर ऊंचे पुल के निर्माण के लिए 461 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना (एमएमएसपीवाई):

- इस योजना के तहत, कक्षा 10 पास छात्रों को झारखंड स्थित संस्थानों में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून (लॉ) आदि की विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी।
- सरकार छात्रों के ठहरने और अन्य खर्चों के लिए प्रति माह 2,500 रुपये की छात्रवृत्ति भी देगी।
- इस योजना के लिए एकमात्र पात्रता शर्त यह है कि छात्रों के माता-पिता आयकर मानदंड के तहत नहीं आने चाहिए।

एकलव्य प्रशिक्षण योजना (ईपीवाई):

- इस योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, आदि के लिए छात्रों को नौकरी उन्मुख मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी।

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (जीएससीसीवाई):

- जीएससीसीवाई उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिनका चयन उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अन्य के लिए किया जाएगा।
- छात्रों को अधिकतम 15 लाख रुपये की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। छात्र 15 लाख रुपये का 30 प्रतिशत गैर-संस्थागत खर्चों जैसे रहने, भोजन, किताबें, लैपटॉप आदि के लिए खर्च कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री सारथी योजना:

- यह झारखंड स्किल मिशन का हिस्सा है। यह कौशल मिशन को ब्लॉक स्तर तक ले जाएगा। वर्तमान में, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम ज्यादातर जिला मुख्यालयों तक ही सीमित हैं।

विविध

महत्वपूर्ण दिवस

पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस: 3 नवंबर 2022

- अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस का उद्देश्य आधुनिक जीवन के लिए सतत विकास दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।
- मनुष्य और जीवमंडल (एमएबी) कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ 2021 और 2022 में मनाई गई।
- एमएबी कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ का उत्सव वर्ष 2022 में समाप्त होगा।
- द मैन एंड द बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम 1971 में शुरू किया गया था।
- वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का गठन 1971 में किया गया था।
- बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में अभी तक बायोस्फीयर नहीं है।
- दक्षिण एशिया में, 30 से अधिक बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं।
- पहला श्रीलंका में हुरुलु बायोस्फीयर रिजर्व था।
- भारत में, पहला बायोस्फीयर रिजर्व 2000 में यूनेस्को द्वारा नामित किया गया था। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है।

सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की जयंती: 7 नवंबर

- सी वी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को मद्रास प्रेसीडेंसी के तिरुचिरापल्ली में हुआ था।
- वह एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जो रमन प्रकीर्णन और रमन प्रभाव के लिए प्रसिद्ध थे।

- उन्होंने एक स्पेक्ट्रोग्राफ विकसित किया जिसके माध्यम से उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की।
- जब प्रकाश एक पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजरता है, तो कुछ विक्षेपित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और आयाम बदल जाते हैं। इसे रमन प्रकीर्णन कहते हैं और यह रमन प्रभाव का परिणाम होता है।
- वह विज्ञान में उपलब्धियों के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे।
- उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- उन्हें 1954 में भारत रत्न और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022: 11 नवंबर

- भारत में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
- मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को चिह्नित करने के लिए 2008 से हर साल यह दिन मनाया जाता है।
- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती राष्ट्र-निर्माण के उनके आदर्शों को याद करने और शिक्षा प्रणाली को आकार देने में उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाई जाती है।
- मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने 1947 से 1958 तक देश की सेवा की।

- 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर, 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था और 22 फरवरी, 1958 को उनका निधन हो गया।
- अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है।

विश्व मधुमेह दिवस: 14 नवंबर

- हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है।
- यह दिन वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।
- विश्व मधुमेह दिवस 2022 का विषय "मधुमेह शिक्षा तक पहुंच" है।
- यह सर फ्रेडरिक बैंटिंग की जयंती को चिह्नित करने के लिए भी मनाया जाता है।

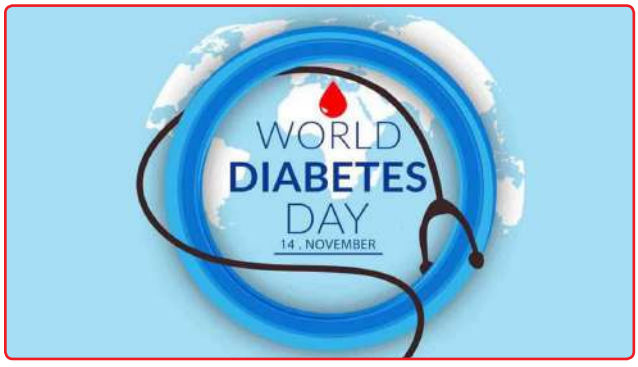

- उन्होंने 1922 में चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट के साथ इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी।
- 1991 में, विश्व मधुमेह दिवस पहली बार मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया गया था।
- 2006 में, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर विश्व मधुमेह दिवस को मान्यता दी।

मधुमेह:

- यह एक पुरानी बीमारी है, जो तब होती है जब अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, या जब शरीर इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है।
- इससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है।
- इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त ग्लूकोज को नियंत्रित करता है।

'जनजातीय गौरव दिवस'

- आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों जैसे बिरसा मुंडा और अन्य के योगदान को चिह्नित करने के लिए, 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।
- शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय और निजी विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) के सहयोग से इस दिन को मनाएगा।
- 2021 में, सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में घोषित किया।
- 15 नवंबर स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती है।
- इस मौके पर छात्रों को उनके अच्छे काम के लिए सम्मानित भी किया जाएगा।
- यह दिन आने वाली पीढ़ियों को देश के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करने के लिए प्रेरित करेगा।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस : 16 नवंबर

- प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस आयोजित किया जाता है।
- ज्ञातव्य है कि भारतीय प्रेस परिषद इसी दिन से काम करना शुरू किया था।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1956 में प्रथम प्रेस आयोग ने वैधानिक प्राधिकरण के साथ एक निकाय बनाने का निर्णय लिया. जिसके पास पत्रकारिता की नैतिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी है
- 1966 में 16 नवंबर को पीसीआई का गठन किया गया था. भारत का राष्ट्रीय प्रेस दिवस तब से हर साल 16 नवंबर को परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है

महत्व

- भारतीय प्रेस परिषद (PCI) को स्वीकार करने और सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- यह दिन देश में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है।

अध्यक्षता

- परिषद की अध्यक्षता परंपरागत रूप से सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और 28 अतिरिक्त सदस्य करते हैं, जिनमें से 20 भारत में संचालित मीडिया आउटलेट्स के सदस्य हैं।
- इसके पांच सदस्यों को संसद के सदनों से नामित किया जाता है और शेष तीन सांस्कृतिक, कानूनी और साहित्यिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारतीय प्रेस परिषद

- प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना पहली बार 1966 में प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा की गई थी।

- यह प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत कार्यरत एक वैधानिक निकाय है।
- इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना, भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखना और उसमें सुधार करना है।
- यह एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है।
- यह आचार संहिता के उल्लंघन और प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए प्रेस के खिलाफ और उसके द्वारा की गई शिकायतों का न्यायनिर्णयन करता है।

विश्व शौचालय दिवस: 19 नवंबर

- विश्व शौचालय दिवस 2013 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
- यह सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच के बिना रहने वाले 3.6 बिलियन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।
- इस वर्ष विश्व शौचालय दिवस की थीम 'मेकिंग द इनविजिबल विजिबल(अदृश्य को दृश्य बनाना)' है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जुलाई 2013 को विश्व शौचालय दिवस को अपनाया।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग ने विश्व शौचालय दिवस को चिह्नित करने के लिए 19 नवंबर को ग्रामीण भारत में 'स्वच्छता रन' का आयोजन किया।
- जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता रन चलाने का निर्देश दिया है।
- संबंधित एसडीजी: सतत विकास लक्ष्य 6 (2030 तक सभी के लिए स्वच्छता और पानी)।

महान अहोम सेनापति लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती

- 23 नवंबर को महान अहोम सेनापति लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर तीन दिवसीय समारोह नई दिल्ली में शुरू हुआ।
- समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कानून मंत्री किरेन रिजिजू शामिल हुए।
- आयोजन के दौरान, नई दिल्ली में लचित बरफुकन के जीवन और गौरव पर एक वृत्तचित्र और एक कॉफी-टेबल बुक का उद्घाटन किया गया।
- 25 नवंबर को विज्ञान भवन में समापन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे।
- असम सरकार लाचित बरफुकन की जयंती के उपलक्ष्य में एक सप्ताह का कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है।

- फरवरी 2022 में, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने गुवाहाटी में लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के वार्षिक समारोह का उद्घाटन किया था।

लचित बोरफुकन:

- लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक प्रसिद्ध सेनापति थे।
- अहोम और मुगलों के बीच 5 अगस्त, 1669 को अलबोई की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें अहोम को विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा और उनके सैकड़ों सैनिक मारे गए।
- अलाबोई में अपमानजनक हार के बाद, लचित बोरफुकन ने 1671 में मुगलों को हराया और असम को वापस लिया।
- उन्हें 1671 में सरायघाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022: 25 नवंबर

- 25 नवंबर को हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
- यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का विषय "एकजुट! महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए सक्रियता" है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2000 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था।
- डोमिनियन रिपब्लिक की राजनीतिक कार्यकर्ता मीराबाई सिस्टर्स को सम्मानित करने के लिए 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चुना गया था।

17 वां प्रवासी भारतीय दिवस

- 17 वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा।
- गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे।
- ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य ज़ानेटा मस्कारेन्हास युवा प्रवासी भारतीय दिवस में विशिष्ट अतिथि होंगी।
- युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा।
- 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय "डायस्पोरा: अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार" है।

प्रवासी भारतीय दिवस:

- प्रवासी भारतीय दिवस हर दो साल में एक बार मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में चुना गया था क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।
- भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिह्नित करने के लिए 2003 में पहला प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था।

नियुक्ति

विनीत कुमार बने खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के सीईओ

- 21 नवंबर 2022 को विनीत कुमार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत केवीआईसी, मुंबई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया।
- केवीआईसी के सीईओ के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।
- उनके कार्यकाल के दौरान कोलकाता बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ के भव्य समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 11 जनवरी 2020 को किया गया था।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC):

- यह संसद के अधिनियम, 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956' के तहत भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- इसने अप्रैल 1957 में पूर्व अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का स्थान लिया। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
- इसका उद्देश्य खादी और ग्रामोद्योग का विकास है।
- केवीआईसी के चेयरमैन: श्री मनोज कुमार

एआईसीटीई ने टी जी सीताराम को अपना चेयरमैन नियुक्त किया

- वह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) में तीन साल के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, जो भी पहले हो, चेयरमैन का पद संभालेंगे।
- उन्होंने यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार का स्थान लिया, जो 1 सितंबर, 2021 को अनिल सहस्रबुद्धे की सेवानिवृत्ति के बाद से अंतरिम एआईसीटीई अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे।
- वह एआईसीटीई में शामिल होने से पहले आईआईटी गुवाहाटी में निदेशक के रूप में काम कर रहे थे।
- उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब शिक्षा मंत्रालय एक विधेयक को अंतिम रूप दे रहा है जिसका उद्देश्य एआईसीटीई और यूजीसी को भारतीय उच्च शिक्षा आयोग नामक एक सुपर नियामक में विलय करना है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई):

- यह एक वैधानिक निकाय है, जिसे 1945 में स्थापित किया गया था।
- यह उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करता है।
- यह भारत में तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा प्रणालियों की योजना और समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
- 10 सांविधिक अध्ययन बोर्ड एआईसीटीई की सहायता करते हैं।

अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया

- उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है। उनकी नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी है।
- वह 1985 बैच के पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं।
- वह चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ शामिल होंगे।
- फरवरी 2025 में राजीव कुमार के कार्यालय छोड़ने के बाद वह अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के कतार में हैं। वह दिसंबर 2027 तक कार्यालय में रहेंगे।
- एक व्यक्ति चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त का पद छह साल तक या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक धारण कर सकता है।

सूरज भान को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

- सूरज भान को पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (एनपीएस ट्रस्ट) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।
- वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत धन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे।
- प्राधिकरण ने 12 नवंबर, 2022 से सूरज भान को न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया।
- भान 2018 से एनपीएस ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी हैं।
- 1983 में, वह भारतीय आर्थिक सेवा में शामिल हुए और जनवरी 2018 में श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ के महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे।

डॉ. अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया

- पीएम नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ. अरविंद विरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है ।
- कैबिनेट सचिवालय ने 15 नवंबर को इसकी अधिसूचना जारी की थी।
- श्री विरमानी गैर-लाभकारी सार्वजनिक नीति संगठन फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के संस्थापक-अध्यक्ष हैं।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नीति आयोग में तीन सदस्य: डॉ वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद और डॉ वी के पॉल हैं।
- विरमानी को "तत्काल प्रभाव" से नीति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है।

गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त

- हाल ही में, प्रसार भारती ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गौरव द्विवेदी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है ।
- चयन समिति की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने गौरव द्विवेदी को पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया।
- इससे पहले, श्री द्विवेदी सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच माय-गव इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे।
- 2017 से 2022 तक, शशि शेखर वेम्पति ने प्रसार भारती के सीईओ के रूप में कार्य किया था।
- दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल को जून 2022 को सीईओ प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जब श्री वेम्पति ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया था।
- प्रसार भारती का गठन नवंबर 1997 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया

- न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्विरोध चुन लिया गया है।
- उन्होंने 2020 में शशांक मनोहर की जगह ली और दो साल तक सेवा की। अब वह इस पद के लिए फिर से चुने गए हैं।
- वह पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) के अध्यक्ष थे और ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के निदेशक थे।
- जय शाह को आईसीसी की सर्व-शक्तिशाली वित्त और वाणिज्यिक मामलों (F&CA) समिति के प्रमुख के रूप में चुना गया है। F&CA

समिति का नेतृत्व हमेशा आईसीसी बोर्ड के सदस्य द्वारा किया जाता है।

जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

- 7 नवंबर को केंद्र सरकार ने कर्नाटक के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।
- उन्हें 22वें विधि आयोग के लिए अन्य पांच सदस्यों के साथ नियुक्त किया गया है।
- आयोग के अन्य सदस्यों में जस्टिस केटी शंकरन, प्रो. आनंद पालीवाल, प्रो. डीपी वर्मा, प्रो. (डॉ.) राका आर्य और एम. करुणानिधि हैं।
- न्यायमूर्ति अवस्थी ने 11 अक्टूबर, 2021 से 2 जुलाई, 2022 तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था।

भारतीय विधि आयोग:

- भारतीय विधि आयोग सरकार द्वारा गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है।
- आयोग अपने संदर्भ की शर्तों के अनुसार सरकार को सिफारिशें (रिपोर्ट के रूप में) करता है।
- 1955 में, पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया था और अब तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है।
- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में 21वां विधि आयोग 31 अगस्त, 2018 को समाप्त हुआ था।
- 22वें आयोग का गठन 19 फरवरी, 2020 को किया गया था।
- 22वें विधि आयोग में नियुक्ति दो साल से अधिक समय के बाद हुई है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाई।
- उन्होंने न्यायमूर्ति यूयू ललित का स्थान लिया है, जो 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे।
- न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं।
- उन्हें 13 मई 2016 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
- इससे पहले, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
- वह 10 नवंबर, 2024 तक दो साल के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे।
- उनके पिता वाई वी चंद्रचूड़ भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) थे। उन्होंने 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सेवा दी।
- एच जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 1950 से 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

सुप्रकांत पांडा को फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया

- वह वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वह इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड (आईएमएफए) के प्रबंध निदेशक हैं।

- पांडा 16-17 दिसंबर को होने वाली 95वीं एजीएम के समापन पर फिक्की के अध्यक्ष के रूप में संजीव मेहता का स्थान लेंगे।
- पांडा फिक्की में नेतृत्व की भूमिका निभाने वाले ओडिशा के पहले उद्योगपति हैं।
- केवी कामथ को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने पांच साल के लिए अपने बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
- उन्हें रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का गैर-कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है।
- रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (RSIL) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसका नाम बदलकर जियो फाइनेंसियल सर्विसेज कर दिया गया है।
- कामत एक अनुभवी बैंकर हैं। वह वर्तमान में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) के अध्यक्ष हैं।

पुरस्कार और सम्मान

गोपाल रत्न पुरस्कार 2022

- हाल ही में, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की है ।
- पुरस्कार 26 नवंबर (राष्ट्रीय दुग्ध दिवस) को डॉ बाबू राजेंद्र प्रसाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, बेंगलुरु में प्रदान किए जाएंगे।
- राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाएंगे। यह पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है।
- इस पुरस्कार में पहली रैंक के लिए 5 लाख रुपये, दूसरी रैंक के लिए 3 लाख रुपये और तीसरी रैंक के लिए 2 लाख रुपये का नकद पुरस्कार है।
- इस पुरस्कार के लिए आवेदन गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा विकसित ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे।

प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं की सूची नीचे दी गई है:

वर्ग	विजेता
स्वदेशी मवेशी/भैंस की नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान	जितेंद्र सिंह (पहला) रविशंकर शशिकांत सहस्रबुद्धे (दूसरा) गोयल सोनलबेन नारन (तीसरा)
सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी)	गोपाल राणा (पहला) हरि सिंह, गंगानगर (दूसरा) माचेपल्ली बसवैया (तीसरा)
सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी/ दूग्ध उत्पादक कंपनी/ डेयरी किसान उत्पादक संगठन	मनंतवाडी क्षीरोलपादका सहकारना संगम लिमिटेड (पहला) अराकेरे दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड (दूसरा) मन्नारगुडी एमपीसीएस (तीसरा)

वर्ष 2021 के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार

- हाल ही में, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है।
- यह पुरस्कार चार श्रेणियों में दिया जाएगा। ये श्रेणियां लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट हैं।

विजेता का नाम	श्रेणी
सुश्री नैना धाकड़	लैंड एडवेंचर
श्री शुभम धनंजय वनमाली	वाटर एडवेंचर
ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह सम्याल	लाइफ टाइम अचीवमेंट

- विजेताओं में से प्रत्येक को लघु प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी।
- एडवेंचर के क्षेत्र में व्यक्तियों की उपलब्धियों को सराहने के लिए हर साल तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिए जाते हैं।

साहित्य 2022 का जेसीबी पुरस्कार खालिद जावेद की 'द पैराडाइज ऑफ फूड' को दिया गया

- पांच न्यायाधीशों के पैनल ने साहित्य 2022 के जेसीबी पुरस्कार के लिए खालिद जावेद के "द पैराडाइज ऑफ फूड" को चुना है।
- इस किताब का उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद बरन फारूकी ने किया है। पुस्तक जगरनॉट द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- खालिद जावेद को 25 लाख रुपये और इसके अलावा बरन फारूकी को 10 लाख रुपये से सम्मानित किया गया है।
- खालिद जावेद को पुरस्कार की ट्रॉफी भी मिली।

- उन्होंने यह उपन्यास 2014 में उर्दू में लिखा था।
- द पैराडाइज ऑफ फूड जेसीबी पुरस्कार जीतने वाली चौथी अनुवादित पुस्तक है और उर्दू में पहली है।

जेसीबी पुरस्कार के बारे में:

- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भारतीय लेखक द्वारा कथा साहित्य के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है।
- शार्टलिस्ट किये गए लेखकों को रु. 1 लाख और उनके अनुवादकों को रु 50,000 (यदि कोई हो) दिए जाते हैं।
- विजेता लेखक को 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलता है और अनुवादक को रु. 10 लाख (यदि कोई हो)।
- जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर ट्रॉफी 'मिरर मेल्टिंग' नामक मूर्ति है, जिसे दिल्ली की कलाकार जोड़ी ठुकराल और टैगरा ने बनाया है।

दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार

- 19 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मैकलोडगंज में 14वें दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया।
- गवर्नर अर्लेकर ने उन्हें "शांति का सार्वभौमिक राजदूत" कहा और कहा कि वह पुरस्कार के लिए आज दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति हैं।
- दलाई लामा को 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था।

गांधी मंडेला पुरस्कार:

- यह पुरस्कार नई दिल्ली स्थित गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है।
- फाउंडेशन ने 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर गांधी मंडेला पुरस्कार की स्थापना की।
- यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने शांति, सामाजिक कल्याण, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खेल और नवाचार में योगदान देकर गांधी और मंडेला की विरासत को आगे बढ़ाया है।

'प्रथम' को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार

- शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ 'प्रथम' को 2021 का इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला।
- पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 'प्रथम' को इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया।
- प्रथम ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया और युवा वयस्कों को कौशल प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए।

इंदिरा गांधी पुरस्कार:

- इसे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है।
- यह इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा व्यक्तियों या संगठनों को प्रतिवर्ष दिया जाता है।
- यह अंतरराष्ट्रीय शांति, विकास और एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों के सम्मान में दिया जाता है।
- इसमें 2.5 मिलियन भारतीय रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

आईसीएफपी 2022

- भारत को थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित आईसीएफपी 2022 में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग (ईएक्ससीईएलएल) अवार्ड्स-2022 प्राप्त हुआ है।
- अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन (आईसीएफपी) में 'कंट्री श्रेणी' में पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत एकमात्र देश है।
- यह पुरस्कार आधुनिक गर्भनिरोधक तरीकों की बढ़ती पहुंच को सुनिश्चित करने में भारत की उपलब्धियों की सराहना करता है।
- यह परिवार नियोजन के लिए अपूर्ण जरूरतों को महत्वपूर्ण रूप से कम करने में भारत की उपलब्धियों की भी सराहना करता है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 के आंकड़ों के अनुसार, देश में समग्र गर्भनिरोधक व्यापकता दर (सीपीआर) 54% से बढ़कर 67% हो गई है।
- परिवार नियोजन की अधूरी जरूरतों में भी 13% से 9% तक की कमी आई है।
- 15-49 वर्ष की वर्तमान में विवाहित महिलाओं के बीच परिवार नियोजन के लिए कुल 'डिमांड सैटिस्फाइड' 2015-16 में 66% से बढ़कर 2019-21 में 76% हो गई है।
- यह 2030 के लिए विश्व स्तर पर निर्धारित 75 के एसडीजी लक्ष्य से आगे पहुंच गया है।
- मिशन परिवार विकास परिवार नियोजन में अधूरी जरूरतों को कम करने के लिए सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है।
- इसे सात उच्च फोकस वाले राज्यों में 3 और उससे अधिक की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) वाले 146 उच्च प्रजनन वाले जिलों में गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है।
- छठा अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन (आईसीएफपी) 14-17 नवंबर 2022 को थाईलैंड में आयोजित किया गया था।
- आईसीएफपी परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य पर दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सम्मेलन है।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022

- युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है।
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं को 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कार मिलेगा।
- टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है।
- अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। उनमें से कुछ अगली तालिका में दिए गए हैं।

सीमा पुनिया	लक्ष्य सेन
निखत जरीन	आर प्रज्ञानानंद
दीप ग्रेस एक्का	सुशीला देवी
सागर कैलास ओवलकर	ओमप्रकाश मिथरवाल
विकास ठाकुर	मानसी गिरीशचंद्र जोशी

- आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए तीन प्रशिक्षकों और नियमित श्रेणी में चार प्रशिक्षकों का चयन किया गया है।

खेल-कूद और गेम्स में उत्कृष्ट कोच के लिए वर्ष 2022 के द्रोणाचार्य पुरस्कार

नियमित श्रेणी	लाइफटाइम श्रेणी
जीवनजोत सिंह तेजा (तीरंदाजी)	दिनेश जवाहर लाड (क्रिकेट)
मोहम्मद अली क़मर (मुक्केबाजी)	बिमल प्रफुल्ल घोष (फुटबॉल)
सुमा सिद्धार्थ शिरूर (पैरा शूटिंग)	राज सिंह (कुश्ती)
सुजीत मान (कुश्ती)	

- खेल-कूद और गेम्स में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार चार खिलाड़ियों को दिया जाएगा।
- इन खिलाड़ियों में अश्विनी अकुंजी सी, धर्मवीर सिंह, बीसी सुरेश और नीर बहादुर गुरुंग शामिल हैं।
- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को दी जाएगी।

क्रम संख्या	श्रेणी	राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए संस्तुत संस्था, 2022
1.	नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण	ट्रांसस्टेडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन	कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान
3.	विकास के लिए खेल	लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन

बिहारी पुरस्कार

- लेखक मधु कांकरिया और डॉ माधव हाडा ने क्रमश: 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार जीता है।
- मधु कांकरिया ने अपने 2018 के उपन्यास 'हम यहां थे' के लिए पुरस्कार जीता है।

- कांकरिया को 2021 का बिहारी पुरस्कार दिया गया है। उनका उपन्यास 'हम यहां थे' झारखंड में आदिवासियों के संघर्ष पर आधारित है।
- पट्टाखोर, खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी और भारी दुपहर के अंधेरे उनकी लिखी किताबें हैं।
- अतीत में, उन्होंने कथकराम पुरस्कार, हेमचंद्र स्मृति साहित्य सम्मान, विजय वर्मा कथा सम्मान और प्रथम विद्या साहित्य सम्मान जीता है।
- माधव हाडा को उनकी 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक 'पचरंग चोल पहाड़ सखी री' के लिए सम्मानित किया गया है। हाडा को बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है।
- उदयपुर में मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति इंद्रवर्धन त्रिवेदी ने विश्वविद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान राजस्थानी लेखकों को पुरस्कार प्रदान किया।

बिहारी पुरस्कार:

- इसकी स्थापना केके बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी। इसका नाम प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर रखा गया है।
- इसमें ₹2.5 लाख का नकद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
- यह हर साल किसी राजस्थानी लेखक द्वारा हिंदी या राजस्थानी में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है।

निधन

आधुनिक चुनावी विज्ञान के जनक सर डेविड बटलर का निधन

- आधुनिक चुनावी विज्ञान के जनक सर डेविड बटलर का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1924 को हुआ था।
- वह 1950 में बीबीसी के पहले टीवी चुनाव परिणाम कार्यक्रम के इन-हाउस विश्लेषक थे।
- बटलर को स्विंग की अवधारणा विकसित करने के लिए जाना जाता था।
- बटलर ने 1955 में बीबीसी के चुनावी रात के प्रसारण में स्विंगोमीटर की शुरुआत की।
- इसने बीबीसी के 1959 के चुनावी प्रसारण में एक अधिक प्रमुख स्थान प्राप्त किया और दुनिया भर में चुनावी कवरेज का एक प्रमुख केंद्र बन गया।
- उन्होंने अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक डोनाल्ड ई. स्टोक्स के साथ "पॉलिटिकल चेंज इन ब्रिटेन: फोर्सेज शेपिंग इलेक्टोरल चॉइस" पुस्तक भी लिखी थी।

इला भट्ट का 89 वर्ष की आयु में निधन

- एक प्रसिद्ध महिला अधिकार और सूक्ष्म-वित्त कार्यकर्ता, वकील और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता इला भट्ट का 2 नवंबर को निधन हो गया।
- इला भट्ट एक प्रसिद्ध गांधीवादी थीं जिन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की वकालत की।
- उन्होंने भारत में स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA) की स्थापना और नेतृत्व किया।
- 1973 में, उन्होंने महिलाओं के आर्थिक कल्याण के लिए 'सेवा' सहकारी बैंक की स्थापना की।
- 1979 में, उन्होंने महिला विश्व बैंकिंग की सह-स्थापना भी की।
- 1985 में, उन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री मिला।
- 1986 में, उन्हें तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला।
- 2011 में, उन्हें उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों के लिए गांधी शांति पुरस्कार मिला।
- 1977 में, उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला।

IAS | दीक्षांत PCS

UPSC 2023

MEGA PT TEST SERIES

ONLINE

OFFLINE

Medium

Eng./हिंदी

- 5 Sectional Test
- 7 GS Integrated
- 5 CSAT
- 2 Current Affairs
- 1 India Year Book, Economic Survey & Budget

Fee 7500/-

FIRST 200 STUDENTS

₹5000 only

Admission open

8

JAN. 10 AM

CALL US +91 7428092240

Visit us: dikshantias.com | 9312511015 8851301204 | facebook.com /dikshant.ias.7 | youtube.com /dikshantias | twitter.com /dikshantias | instagram.com /dikshantias | t.me /dikshantias

DIKSHANT

दीक्षांत

OUR CSE RESULT-2021

SHRUTI SHARMA

GAMINI SINGLA

AISHWARYA VERMA

YAKSH CHAUDHARY

PREETAM KUMAR

FREE COACHING & SCHOLARSHIP PROGRAMME

GENERAL STUDIES

FOUNDATION COURSE FOR IAS

ENGLISH MEDIUM

ONLINE *NEW BATCH* **OFFLINE**

Class Starts@ 20 Dec | 6 PM

FEATURES

CLASSROOM PROGRAMME
24 Months/14 Months
1200-1500 Hrs. Classes
300 Hrs. NCERT Video
& 150 Hrs. PT Booster
Classes on App

STUDY MATERIALS
Latest, Updated &
Exam Oriented
Study Materials
10,000 Pages
(50 Booklets)

CURRENT AFFAIRS
200 Hrs.+ Classes on
Important Issues
for 2 Yrs.
& 3 Years Monthly
Magazine Subscription

WORKBOOK (MAINS)
16 workbooks provides
opportunity to review
and extend your
classroom learnings

UNIT TEST (PRE+MAINS)
32 unit test improves
knowledge, skills,
& aptitude for
prelims & mains exam

DAILY CLASS TEST
250 Prelims and 200 Mains
Test is used to check the
quality of knowledge gained
& started executing

CURRENT AFFAIRS PRE TEST
Through 100 tests you will get
right approach for
current affairs MCQs
and their relevance in
the UPSC exam

MENTORSHIP PROGRAMME
Individual doubt clearance
by faculties/experts to
increase confidence and
exposure on
different perspectives

COURSE VALIDITY
4 Years/3 Times Course
Validity will help to increase
your confidence and
preparation for your exam